सम-सामयिक घटना चक्र

मासिक करेन्ट नोट्स एवं सामयिक आलेख

वर्ष : 27 सितंबर-अक्टूबर, 2019 अंक : 5 मूल्य : 60/-



अनुच्छेद 370 के बहाने कश्मीर

कल, आज और कल

RNI No.: 59620/1993

सम-सामयिक घटना चक्र

वर्ष - 27 अंक - 05
सितंबर-अक्टूबर, 2019 मूल्य - 60/-

▸ **संपादकीय कार्यालय :**
सम-सामयिक घटना चक्र
188A/128 एलनगंज, चर्चलेन,
प्रयागराज (इलाहाबाद) - 211002
▸ **फोन :** 0532-2465524, 9335140296
▸ **ई-मेल :** ssgcald@yahoo.co.in
▸ **वेबसाइट :** ssgcp.com
▸ **ई-शॉप :** shop.ssgcp.com
▸ **संपर्क समय :** प्रातः 12 से सायं 8 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)

▸ © सम-सामयिक घटना चक्र - किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित।
▸ सभी विवादों का निबटारा इलाहाबाद की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरम में किया जाएगा।

▸ **संपादक -** संतोष कुमार चौधरी
▸ **उप संपादक -** सौरभ मेहरोत्रा
▸ **सदस्य संपादक मण्डल -** कालीशंकर 'शारदेय', विकास कुमार शुक्ल, गोपाल कृष्ण पाण्डेय
▸ **संपादकीय समन्वयक -** राजकुमार श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार तिवारी
▸ **कंप्यूटर सहयोग -** फैजुल इस्लाम अंसारी, बृजेश पटेल
▸ **लेखा प्रबंधक -** आर.पी. भट्ट
▸ **विज्ञापन प्रबंधक -** जितेन्द्र द्विवेदी
▸ **प्रबंध संपादक -** ममता चौधरी

सम-सामयिक घटना चक्र प्रकाशित लेखों में लेखकों के अपने विचार हैं। उनके विचारों से संपादकीय सहमति जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता है। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की समुचित जांच स्वयं करके संतुष्ट हो लें।

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी संतोष कुमार चौधरी द्वारा उन्हीं के लिए अमर मुद्रणालय 15/1/7, कटरा रोड, माधो कुंज, इलाहाबाद से मुद्रित एवं 188A/128, एलनगंज चर्चलेन इलाहाबाद से प्रकाशित।
संपादक - संतोष कुमार चौधरी

अनुक्रमणिका

आवरण आलेख
(पृ.सं. : 5 - 13)
अनुच्छेद 370 के बहाने कश्मीर : कल, आज और कल



सामयिक आलेख-1
(पृ.सं. : 14 - 25)
केंद्रीय बजट, 2019-20



सामयिक आलेख-2
(पृ.सं. : 26 - 38)
आर्थिक समीक्षा, 2018-19



सामयिक आलेख-3
(पृ.सं. : 39 - 42)
जी-20 शिखर सम्मेलन, 2019



सामयिक आलेख-4
(पृ.सं. : 43 - 48)
क्रिकेट विश्व कप, 2019



फोकस (पृ.सं. : 49 - 81)



● 45वां जी-7 शिखर सम्मेलन, 2019 ● समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 ● मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 ● SDG जेंडर इंडेक्स ● कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय ● स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया-2018 ● वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2019 ● जयपुर : विश्व धरोहर स्थल घोषित ● नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) : मई, 2019 बुलेटिन ● यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ● गाफा टैक्स : तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल कर ● सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 ● बोरिस जॉनसन : यूनाइटेड किंगडम के नवनियुक्त प्रधानमंत्री ● नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन ● स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत रिपोर्ट ● शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन-2019 ● डोनाल्ड ट्रम्प की उत्तर कोरिया यात्रा ● वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, 2019 ● वैश्विक शांति सूचकांक, 2019

राष्ट्रीय परिदृश्य (पृ.सं. : 82 - 88)



● बाल कल्याण सूचकांक ● प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा ● जल जीवन मिशन ● फिट इंडिया अभियान ● 10वीं मेकांग-गंगा सहयोग मंत्रिस्तरीय बैठक ● राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन, 2019 ● अटल समुदाय नवाचार केंद्र ● द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया ● नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 ● 5वां अंतरराष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य (पृ.सं. : 89 - 94)



● हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, 2019 ● विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति, 2019 ● मॉरितानिया में पहला लोकतांत्रिक सत्ता हस्तांतरण ● वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2019 ● हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, 2019 (Q3 Update) ● सऊदी अरब : FATF की सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश ● अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो

आर्थिक परिदृश्य (पृ.सं. : 95 - 104)



● कृषिगत उत्पादन, 2018-19 : चतुर्थ अग्रिम अनुमान ● बागवानी फसलें : तृतीय अग्रिम अनुमान, 2018-19 ● तृतीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 ● कृषि अर्थव्यवस्था सुधार : मुख्यमंत्रियों की समिति ● खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, वर्ष 2019-20 ● उत्कर्ष, 2022 ● राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक ● मार्चात, 2019 : भारत का विदेशी ऋण ● राष्ट्रीय आय : अनंतिम अनुमान, 2018-19 ● आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण : वार्षिक रिपोर्ट

वैज्ञानिक परिदृश्य (पृ.सं. : 105 - 109)



● INS खंदेरी नौसेना में शामिल ● मोजैइक मिशन ● ब्लैक गोल्ड विकसित ● मलेरिया उन्मूलन हेतु E-2020 पहल ● सागर मैत्री मिशन-2 ● डिंडीगुल ताला और कंदांगी साड़ी को जी.आई. टैग ● कांगो में इबोला का प्रकोप

स्थायी स्तंभ (पृ.सं. : 110 - 160)

❑ संक्षिप्तियां ❑ खेल परिदृश्य ❑ मुख्य परीक्षा विशेष
❑ संवाद ❑ ज्ञानिकी ❑ सामयिक प्रश्नकोश

सदस्यता शुल्क			रजिस्टर्ड डाक द्वारा	कोरियर द्वारा
	अर्द्धवार्षिक	(6 अंक)	₹400/-	₹500/-
	वार्षिक	(12 अंक)	₹800/-	₹1000/-
	द्विवार्षिक	(24 अंक)	₹1600/-	₹2000/-
	त्रिवार्षिक	(36 अंक)	₹2400/-	₹3000/-

सदस्यता शुल्क मनीऑर्डर द्वारा कार्यालय को प्रेषित करें।
ग्राहक मनीऑर्डर फार्म पर अपना नाम, पता एवं मांग स्पष्ट लिखें।
पते के साथ अपना मोबाइल अथवा फोन नंबर (यदि हो) भी लिख दें।



*विश्व के सुंदरतम स्थलों में से एक में शुमार कश्मीर की बड़ी व्यथा यह है कि इसकी पहचान को टुकड़ों में विभक्त करने की लगातार कोशिशें हुई हैं। अप्रैल, 1948 में यह दो देशों के बीच बंट गया। आजाद कश्मीर गिलगित, बाल्टिस्तान अवैध रूप से पाक के हिस्से में गया तो जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी विलय संधि पर हस्ताक्षर (20 अक्टूबर, 1947) के द्वारा वैध तरीके से भारत में जुड़े। पाकिस्तान के हिस्से का कश्मीर शिया, सुन्नी एवं दार्दू आदि हिस्सों में विभक्त है, तो भारत के हिस्से का कश्मीर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध जनसंख्या में विभक्त है। राजनीतिज्ञों ने विभाजन की खाइयों को लगातार चौड़ा करने का ही कार्य किया है। धारा 370 को कमजोर करने के बाद जम्मू-कश्मीर का एक और आधिकारिक विभाजन जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में कर दिया गया है। यह समझने की जरूरत है कि संपूर्ण जम्मू-कश्मीर (भारतीय हिस्सा एवं पाक अधिकृत हिस्सा) एक संस्कृति में आबद्ध क्षेत्र है। इसे आज नहीं तो कल एक होना ही है। सूरत कुछ भी हो सकती है। पाक अधिकृत क्षेत्र को भारत में मिलाकर ऐसा संभव हो सकता है। दोनों देशों द्वारा समझौते से एक-दूसरे क्षेत्र के कश्मीरियों को परस्पर मिलाने की स्वतंत्रता देकर ऐसा हो सकता है। और भी विकल्प हैं जिनका उल्लेख भी शायद राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आ जाए। संपूर्ण जम्मू-कश्मीर को एकबद्ध करने वाले बहुत से तत्व यहां मौजूद हैं। कश्मीरी रहस्यदर्शी कवयित्री **'लल्ला'** (लल्लेश्वरी देवी) ऐसे ही तत्वों में से एक हैं। एक समय था जब कश्मीरी लोग कहते थे, ''हम दो ही नाम जानते हैं; एक अल्लाह और दूसरा लल्ला।''*

नीति आयोग NITI AAYOG
National Institute of Transforming India

लल्ला जो जन्म से लल्लेश्वरी देवी थी, लल्ला कैसे हुई? उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है :

*कश्मीरी भाषा में लल्ला यानी पेट का मांस। कथा है कि वह निर्वस्त्र नग्न घूमती थीं। कुछ लोगों ने उनसे कहा, ''एक स्त्री इस तरह घूमे यह अच्छा नहीं लगता। कम-से-कम पेट के नीचे के अंग तो ढंक ले। इस पर लल्ला ने पेट का मांस खींचकर अपने गुप्त अंग ढांके और बालों से छाती को छिपा लिया। इससे उनका नाम **'लल्ला'** पड़ा।*

THE HINDU

जैसे संतों/साध्वियों के संबंध में जनमानस में कहानियां तिरती हैं, वैसे ही लल्ला के संबंध में अनगिनत कहानियां हैं। वे उन्मणी दशा में गांव-गांव घूमती रहती थीं। बच्चे उन्हें चिढ़ाते हुए उनके पीछे-पीछे भागते। वे उन्हें पागल समझते। एक गांव में, उनके भक्त, कपड़े के एक दुकानदार ने लड़कों को चिढ़ाते हुए देखा तो बुलाकर खूब डांट लगाई।

भारतीय रिजर्व बैंक
Reserve Bank of India

लल्ला भक्त दुकानदार के पास गईं और एक कपड़ा मांगा। दुकानदार ने फौरन कपड़ा पेश किया। लल्ला ने उसके दो समान दुकड़े कर एक बाएं कंधे पर डाला और एक दाएं कंधे पर। फिर वह बाजार में घूमने लगीं। रास्ते में कोई उन्हें गाली देता तो कोई नमस्कार करता। जैसे ही कोई गाली देता वह दाएं कंधे के कपड़े पर एक गांठ लगातीं और जब कोई नमस्कार करता तो बाएं कंधे के कपड़े पर एक गांठ लगातीं। शाम होते-होते वे लौटकर उस दुकानदार के पास गईं और उसे दोनों कपड़ों का वजन करने को कहा। दोनों बराबर थे। तब लल्ला ने उसे समझाया देख आज मुझे जितनी गाली मिली उतना ही सम्मान मिला। तो फिक्र क्यों करनी। कोई पत्थर फेंके या फूल, हिसाब बराबर है। लल्ला के पार्थिव शरीर का अंत कब और कैसे हुआ? इसके इर्द-गिर्द भी कहानियां हैं। हिंदू कहते हैं, वह आग की लपट बन गईं, मुसलमान कहते हैं, उन्हें बिजबेहड़ा मस्जिद के पास दफनाया गया। इसी प्रकार की एक कथा यह है कि जब उनके शरीर के अंतिम संस्कार का प्रश्न उठा तो हिंदू और मुसलमान दोनों उन्हें अपना मानकर अपने ढंग से संस्कार करना चाहते थे। तब उनकी आत्मा ने वहां मौजूद लोगों से दो तसले लाने के लिए कहा। एक तसले में शरीर को बिठा दिया और दूसरा सिर पर उल्टा ढंक दिया। धीरे-धीरे उनका शरीर सूक्ष्म होता गया और दोनों तसले आपस में मिल गए। जब उन्हें खोला गया तो शरीर के स्थान पर केवल पानी था, जिसे दोनों संप्रदायों ने बांट लिया। आज के घायल कश्मीर को मां लल्ला के प्यार भरे मरहम की जरूरत है। लल्ला की ममतामयी याद कश्मीर के लिए बेहद जरूरी है। इस्लाम के अनुयायी अपनी औरतों का चेहरा भी नहीं देखते लेकिन अल्लाह के बराबर नग्न विचरने वाली लल्ला की इबादत करते हैं यह महत्वपूर्ण बात है। इस बार के आवरण आलेख में विमर्श का विषय कश्मीर ही है।

THE HINDU Business Line

आर्थिक समीक्षा एवं बजट के आंकड़ों की बोझिलता प्रायः परीक्षार्थियों को परेशानी में डालते हैं। आर्थिक समीक्षा की ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए हजार से अधिक पृष्ठों वाली समीक्षा को चंद पृष्ठों में चित्रात्मक शैली में इस प्रकार संजोया गया है कि परीक्षा-प्रश्न इनसे बाहर न जाने पाएं। इसी प्रकार केंद्रीय बजट को इस प्रकार सरल एवं सहज भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है कि यह हमारे पाठकों के लिए दुरूह न रह जाए।

BBC NEWS

आर्थिक एवं राजनैतिक उहापोह भरे माहौल के वर्तमान दौर में जी-20 जैसे शिखर सम्मेलनों का खासा महत्व है। जी-20 का 14वां शिखर सम्मेलन जापान के ओसाका नगर में संपन्न हुआ। इस अंक में इस पर सामयिक आलेख प्रस्तुत है।

nature.com
International weekly journal of science

भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता ''क्रिकेट विश्व कप 2019'' का आयोजन इस बार इंग्लैंड एवं वेल्स में संपन्न हुआ। इस अंक में इस पर भी सामयिक आलेख प्रस्तुत है। पाठकों से सुझाव आमंत्रित हैं। इस बार अगस्त अंक अपरिहार्य परिस्थितियोंवश प्रकाशित नहीं किया जा सका है, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।

FRONTLINE



अनुच्छेद 370 के बहाने कश्मीर : कल, आज और कल

✍ अंकित पाठक

❑ प्रस्तावना

अगस्त का महीना भारत की राजनीति के इतिहास में बेहद अहम है। यही वह महीना था, जब हमने आजादी हासिल की थी। हमारी आजादी के 72वें वर्ष, इसी महीने में भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को एक तार्किक अंजाम तक पहुंचाया। इस वर्ष मई के अंत में गठित हुई मोदी सरकार का संसद में पहला सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इस सत्र में सबसे अधिक विधेयक पारित होना उल्लेखनीय तो है ही लेकिन इससे भी बढ़कर यदि कोई महत्वपूर्ण बात है, तो वह पांच अगस्त को राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत किया गया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक-2019, जिसके जरिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो नए केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले गृह मंत्री ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित आदेश सदन में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (एक खंड को छोड़कर) और अनुच्छेद 35A को उत्सादित या निरसित कर दिया गया। विधेयक को क्रमश: दोनों सदनों (लोक सभा में 6 अगस्त को) में पुरजोर बहुमत से पारित किया गया। भारतीय जनता पार्टी का अन्य मसलों पर विरोध करने वाले कई विपक्षी दल भी इस विधेयक के समर्थन में केंद्र सरकार के साथ दिखे। आजाद भारत की राजनीति में यह सबसे साहसिक और दृढ़ इच्छाशक्ति से भरपूर निर्णय था। इसने समाज विज्ञानियों, पत्रकारों, समाजकर्मियों और कानूनविदों को भारत के एकीकरण के इतिहास को पुनर्मूल्यांकित एवं पुनर्विश्लेषित करने पर बाध्य किया। साथ ही इस निर्णय ने वर्तमान भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी है, स्वयं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक धड़े के लिए यह मुश्किल हो रहा है कि वह सरकार के निर्णय का समर्थन करे या विरोध, जबकि एक धड़े ने तो खुलकर सरकार को अपना समर्थन दिया। इस निर्णय ने भविष्य के लिए भी भारतीय राजनीति की नींव रखी, जिसके स्वरूप के बारे में ठीक-ठीक कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल इस निर्णय के हवाले से हमारे सामने कश्मीर से जुड़ा अतीत और वर्तमान है। भारत सरकार के इस निर्णय को लेने की एक जमीन है और एक समय भी। जमीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फंसा हुआ कश्मीर है और समय पिछले लगभग 70 वर्षों से कश्मीर को लेकर हो रही राजनीति का है। इस राजनीति में बहुत कुछ है, जिसे कश्मीर के संबंध में लिए गए निर्णय के आलोक में देखा जाना चाहिए। शायद तभी हम भारत सरकार के इस निर्णय की सार्थकता का आकलन कर सकेंगे। पिछले दिनों में अकादमिक हलके से लेकर मीडिया जगत में इस विषय पर कई तरह की चर्चाएं देखी गईं, जिसमें सरकार के इस निर्णय के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत आलेख कश्मीर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कश्मीर समस्या का इतिहास, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A की निर्मिती और उसका उत्सादन, भारतीय संघवाद का स्वरूप, भारत में लोकतंत्र की दिशा और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद की चुनौतियों पर एक समग्र बातचीत करने के साथ कश्मीर विवाद पर किसी अन्य संभव वैकल्पिक समाधान के विश्लेषण पर आधारित है। आलेख कश्मीर के सवाल को लेकर अंतरराष्ट्रीय खेमे द्वारा की गई मध्यस्थता की राजनीति का एक विवरण प्रस्तुत करता है, साथ ही अमेरिका के अफगानिस्तान से आंशिक तौर पर हटने से उपजे नए सत्ता के संघर्ष में (तालिबान, पाकिस्तान और चीन का त्रिकोण) भारत की भूमिका का विश्लेषण भी करता है।



आरेखीय चित्र — अनुच्छेद 370 के बहाने कश्मीर : कल, आज और कल

आलेख इस सवाल को भी शामिल करता है कि कश्मीर के पुनर्गठन के बाद देश के अन्य हिस्सों में चल रहे राज्य की मांग के आंदोलनों की और विशेषकर उत्तर-पूर्व के राज्यों की विशेष स्थिति को बचाए रखने पर उनकी क्या रणनीति होगी? अंततः यह आलेख भारतीय संविधान में निहित 'द आइडिया ऑफ इंडिया' की संकल्पना को वर्तमान के 'पॉपुलिज्म' (लोकलुभावनवाद) से मिलते खतरे को स्पष्ट करता है और भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों के साथ न्याय की सार्विक धारणा को कश्मीर के संदर्भ में विश्लेषित करने की कोशिश करता है।

❑ कश्मीर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

जिस कश्मीर के बारे में कभी जहांगीर ने कहा था ''गर फिरदौस बर रू-ए-जमीं अस्त, हमीं अस्तो हमीं अस्तो हमीं अस्त।'' यानि इस धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो वह कश्मीर में है। इसे एक दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि जो कश्मीर इस धरा का बहिश्त हुआ करता था, वह कालांतर में खुद एक समस्याग्रस्त क्षेत्र मात्र में तब्दील हो गया। इस समस्याग्रस्त क्षेत्र को समझने के लिए इसकी तह तक जाना आवश्यक है। कश्मीर, हिंदुस्तान के नक्शे में सुदूर उत्तर में अवस्थित है, जिसकी सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान और चीन से, पूर्व में भी चीन से लगती हैं। भौगोलिक दृष्टि से कश्मीर को कुल तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसका ऊपरी हिस्सा हिमालय की काराकोरम शृंखलाओं से घिरा हुआ है, जहां प्रायः बर्फ से आच्छादित चोटियां हैं। इन्हीं चोटियों की गोद में कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र है (जिसे अब अलग से एक केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है)। थोड़ा और नीचे आने पर कश्मीर का दूसरा प्रमुख क्षेत्र श्रीनगर और उससे लगे हुए जिले हैं, जिनकी सीमाएं मुख्य रूप में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से लगी हुई हैं। कश्मीर का तीसरा हिस्सा जम्मू क्षेत्र का है, जो अपेक्षित रूप में कश्मीर के अन्य दोनों क्षेत्रों की तुलना में कम समस्याग्रस्त है। हालांकि इस क्षेत्र के कुछ जिले जो पाकिस्तान सीमा से सटे हैं, वहां आए दिन गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं।

कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखित रूप में वर्णन भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी क्षेत्र से अधिक मिलता है। कल्हण की 'राजतरंगिणी' वहां के राजाओं और राजवंशों का कालक्रमानुसार ब्यौरा उपलब्ध कराती है। कल्हण, कश्मीर में राजाओं की शुरुआत महाभारत काल से मानते हैं, लेकिन इसका प्रामाणिक इतिहास मौर्य वंश के प्रसिद्द शासक अशोक के कश्मीर पर अधिकार से माना जाता है। इसका वर्णन कल्हण खुद अपनी किताब में करते हैं। अशोक के साथ ही कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। मान्यता है कि कश्मीर का नाम 'कश्यप' ऋषि के नाम पर रखा गया था। कालांतर में यहां शैव दर्शन परंपरा का भी आगमन हुआ। कश्मीरी शैववाद आठवीं-नौवीं शताब्दी ईस्वी से शुरू होकर बारहवीं शताब्दी तक कश्मीर में अपना प्रभाव कायम किए रहा। इस दौर में यहां संस्कृत साहित्य का विकास तेजी से हुआ। महमूद गजनवी तक आते-आते कश्मीर में धर्म और दर्शन के पतन का युग आरंभ हो चुका था। यहां के राजवंश कमजोर साबित होने लगे थे। बारहवीं शताब्दी में ललितादित्य और अवंतिवर्मन कश्मीर के बेहतर शासक के तौर पर जाने गए, लेकिन इनके बाद कश्मीर का पतन और तेजी से होने लगा। कल्हण इन्हीं दोनों राजाओं के समकालीन थे। दिल्ली के सुल्तानों की नजर से अब तक कश्मीर महफूज था। इस दौर में मंगोलों ने कश्मीर पर बड़ा हमला किया और महीनों तक बेहिसाब संपत्ति लूटी और हिंसा की। चौदहवीं सदी में रिंचन नामक एक बौद्ध व्यक्ति ने कश्मीर की सत्ता हासिल की, जिसने बाद में इस्लाम धर्म कुबूल कर लिया। यह कश्मीर के इतिहास में युग परिवर्तन का दौर था। यहां से कश्मीर का नया युग आरंभ हुआ।

पंद्रहवीं शताब्दी में जैन-उल-आबदीन कश्मीर का शासक बना। उसके 50 वर्षों के कार्यकाल में कश्मीर का चहुंमुखी विकास हुआ। कुल मिलाकर उसका काल कश्मीर के लिए 'स्वर्ण युग' था, जो कश्मीर के इतिहास में शायद दोबारा कभी वापस नहीं आ सका। कश्मीर में ऋषियों की परंपरा के साथ ही वहां पर सूफी संप्रदायों का भी विकास हुआ। कश्मीर में सूफीवाद की कई शाखाएं विकसित हुईं। इसने कश्मीर के इस्लामीकरण में एक अहम भूमिका निभाई। बाद में कश्मीर भी शिया और सुन्नी के ऐतिहासिक विवाद की आग में लंबे समय तक झुलसा। सोलहवीं शताब्दी में दिल्ली पर जब मुगलों का शासन स्थापित हो चुका, तब से कश्मीर को प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी दिल्ली के नजदीक लाने की कोशिश की जाने लगी। इसकी शुरुआत बाबर ने ही दिल्ली फतह के तुरंत बाद एक असफल कोशिश के जरिए कर दी थी। लेकिन अकबर तक आते-आते कश्मीर दिल्ली के साए में आ चुका था। अकबर ने वहां काफी हद तक स्थिरता कायम की, जो जैन-उल-आबदीन के बाद गायब हो गई थी।

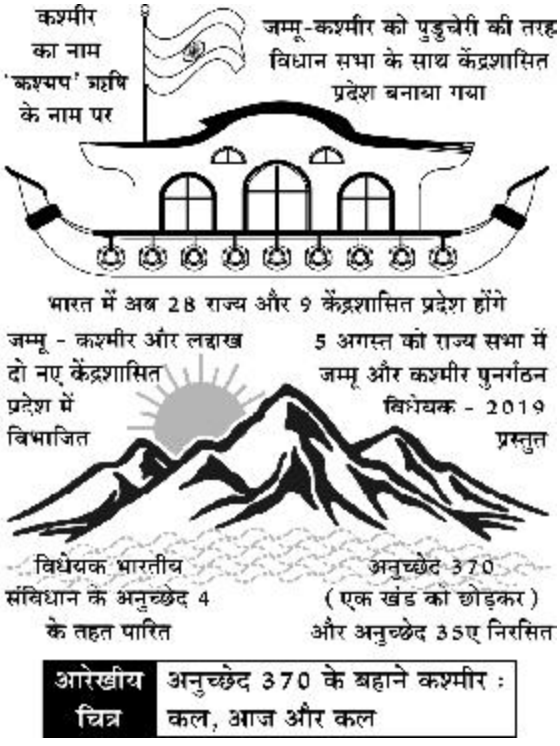
❑ कश्मीर में सांप्रदायिक भेदभाव

अठारहवीं सदी में कश्मीर पर अफगानों का कब्जा हो गया। अहमदशाह अब्दाली और अन्य शासकों ने वहां भयंकर लूटपाट, अराजकता और अस्थिरता को अंजाम दिया। अफगानों के बाद कश्मीर की सत्ता सिख साम्राज्य के हाथों में आई, जिनसे कश्मीर के हिंदुओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन सिक्खों के शासन से वहां लूट, अव्यवस्था और अत्याचार का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जिसका शिकार हिंदू और मुसलमान दोनों हुए। 1845 ई. के दिसंबर में कश्मीर के भविष्य को लेकर अंग्रेजों और सिक्खों के बीच युद्ध शुरू हो गए। अंततः 16 मार्च, 1846 को ब्रिटिश सरकार और सिक्खों को हराने में अंग्रेजों की मदद करने वाले गुलाब सिंह के साथ 'अमृतसर की संधि' हुई। इस संधि ने कश्मीर को सिक्खों के हाथ से निकालकर गुलाब सिंह के हाथ में दे दिया और गुलाब सिंह कश्मीर के नए राजा बन गए। यहां से आधुनिक जम्मू-कश्मीर के बनने की नींव पड़ी। गुलाब सिंह डोगरा ने जिस वंश की शुरुआत कश्मीर में की, उसने अगले नौ दशक तक कश्मीर में शासन किया। इन्हीं वर्षों में कश्मीर की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में वे तब्दीलियां आईं, जो मुख्यतः कश्मीर समस्या की जड़ में हैं। डोगरा प्रशासन के प्रमुख पदों पर हिंदुओं को काबिज़ किया गया। डोगरा राजा उस राज्य की नुमाइंदिगी कर रहे थे, जिसकी अधिकांश जनता मुस्लिम थी। डोगरा प्रशासन की सांप्रदायिक

नीतियों ने कश्मीर में मुसलमानों के भीतर व्यापक असंतोष को जन्म दिया। बीसवीं सदी तक आते-आते कश्मीर में शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच की खाई काफी चौड़ी हो गई थी। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कश्मीरी मुसलमानों के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। वे सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से शोषित होते रहे। ऐसे हालात में शेख अब्दुल्ला का उभार हुआ, जो स्वयं डोगरा शासन से प्रताड़ित थे। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के मुसलमानों को संगठित करना शुरू किया। उनका आंदोलन कश्मीर के डोगरा शासन में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को लेकर था, जो बाद में और व्यापक होता गया। शेख अब्दुल्ला को कश्मीर के न केवल मुसलमानों का बल्कि निचले तबके के हिंदुओं का भी साथ मिला, क्योंकि उनकी स्थिति भी दयनीय थी। बाद में शेख अब्दुल्ला ने लोगों को और संगठित करते हुए 4 जून, 1932 को 'ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस' का गठन किया, जो आगे चलकर 'नेशनल कॉन्फ्रेंस' बनी। इस तरह भारत की आजादी के ठीक पहले कश्मीर की स्थिति यह थी कि एक तरफ रियासत का प्रशासन एक हिंदू राजा हरि सिंह के हाथ में था, जिसे राजकाज में अधिक रुचि नहीं थी, राज्य की अधिकांश मुस्लिम जनता असंतुष्ट थी। दूसरी तरफ कश्मीर के आवाम को साधे हुए शेख अब्दुल्ला थे, जो स्वयं को कश्मीर का असली वारिस मानते थे और राजा हरि सिंह के खिलाफ संघर्षरत थे।

❑ भारत की आजादी और कश्मीर समस्या का जन्म

भारत की आजादी के बाद उसके सामने सबसे पहले राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या थी। चूंकि हमारी आजादी और हमारा विभाजन एक साथ होने वाली परिघटना थी, इसलिए हमें सबसे पहले ब्रिटिश भारत के अलावा मिले हिस्से को संगठित कर भारत में मिलाना था। उस वक्त तकरीबन साढ़े पांच सौ से अधिक रियासतें थीं। आजादी के बाद उन्हें क्रमशः भारत या पाकिस्तान में मिल जाने की छूट दी गई। सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन की सूझ-बूझ से भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाली अधिकांश रियासतें भारत में मिल गईं या मिला ली गईं। जूनागढ़ के संदर्भ में भारत ने पाकिस्तान के साथ उसके विलय को न मानते हुए जनमत संग्रह का रास्ता अपनाया और वहां की बहुसंख्यक आबादी ने भारत के साथ जाने का फैसला किया। हैदराबाद में भारत को सेना भेजनी पड़ी, वहां पटेल ने जनमत संग्रह की जरूरत नहीं समझी (स्टैंडस्टिल के कारण हैदराबाद ने एक वर्ष का समय मांगा था, इसलिए इसका विलय सितंबर, 1948 में हुआ)। इसी तरह भोपाल और त्रावणकोर की रियासत का मामला भी फंसा था, लेकिन उसे भी सुलझा लिया गया। कश्मीर की स्थिति इन सबसे भिन्न थी। उसकी सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती थीं। पाकिस्तान को सहज रूप से (मूलतः धार्मिक) यह लगता था कि कश्मीर उसका हिस्सा है, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। भारत ने चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में यकीन रखने वाले राष्ट्र के रूप में अपनी बुनियाद रखनी शुरू की थी, इसलिए उसको कश्मीर के मुस्लिम बाहुल्य होने से फर्क नहीं पड़ता था, वह सांस्कृतिक रूप से खुद को कश्मीर के अधिक निकट समझता था। दूसरी तरफ कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की स्थिति इन दोनों से भिन्न थी, क्योंकि उन्हें अपने ताज की फिक्र थी। वह किसी भी हाल में कश्मीर में राजतंत्र कायम रखना चाहते थे, उन्हें एक तरफ पाकिस्तान के इस्लामी राज्य से दिक्कत थी और दूसरी तरफ भारत के समाजवादी रुझान से। भारत की आजादी की तारीख तक कश्मीर के राजा ने अपना पक्ष जाहिर नहीं किया। दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान के साथ यथास्थिति समझौता (स्टैंडस्टिल) भी कर लिया। सितंबर, 1947 तक आते-आते पाकिस्तान ने ही कश्मीर के साथ हुए यथास्थिति समझौते को तोड़ते हुए अपने यहां से होने वाले यातायात और जरूरी सामानों के निर्यात पर रोक लगा दी।



आरेखीय चित्र — अनुच्छेद 370 के बहाने कश्मीर : कल, आज और कल

❑ पाकिस्तान का हमला और कश्मीर का विलय

अक्टूबर, 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित पठान कबीलों द्वारा हमला किया गया। 22 अक्टूबर को कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर जैसे ही हमलावर बढ़े वैसे ही राजा हरि सिंह की सेना में भी बगावत हो गई। पठानों के हमले के सामने हरि सिंह की सेना कमजोर पड़ गई। आनन-फानन में राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। माउंटबेटन ने नेहरू और पटेल को कश्मीर में विदेशी राज्य का हवाला देकर हस्तक्षेप करने से रोका, यह कहा कि कश्मीर में बिना विलय के सेना भेजना अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा। आखिरकार मजबूरन 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह को 'विलय-पत्र' पर हस्ताक्षर करना पड़ा। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने श्रीनगर में प्रवेश किया और श्रीनगर की सीमा तक आ पहुंची पठानों की सेना को पीछे धकेल दिया। 1 जनवरी, 1948 को कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने रखा गया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। हालांकि उसने कश्मीर पर हमला करने की बात संयुक्त राष्ट्र

संघ में भी स्वीकार की, लेकिन उसे विभाजन के बाद उत्तर भारत में मुसलमानों पर हुई हिंसा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया का नाम दिया। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए 'जम्मू-कश्मीर प्रश्न' को 'भारत-पाकिस्तान प्रश्न' करार दिया। संयुक्त राष्ट्र में चली इस विषय पर बहस में ब्रिटेन ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। अमेरिका ने भी अपना मूक समर्थन पाकिस्तान को ही दिया। इस बीच भारतीय सेना ने कारगिल और द्रास पर भी अपना कब्जा कर लिया था। अंतत: 1 दिसंबर, 1948 को भारत और पकिस्तान ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। तब तक जम्मू-कश्मीर राज्य व्यावहारिक रूप से दो हिस्सों में बंट चुका था, एक हिस्सा भारत के पास जिसमें कश्मीर घाटी, लेह और जम्मू वाला क्षेत्र आता है, दूसरा हिस्सा पकिस्तान के पास जिसमें आजाद कश्मीर तथा गिलगिट और बाल्टिस्तान का क्षेत्र आता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर में अपना एक निगरानी समूह बना दिया। वर्ष 1951 में संयुक्त राष्ट्र ने एक और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह उल्लिखित है कि सबसे पहले पाकिस्तान अपनी सेना पीछे हटाएगा तब कश्मीर में किसी प्रकार का जनमत संग्रह संभव हो सकेगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कई बार पहल की गई, जिससे कश्मीर का कोई समाधान निकाला जा सके लेकिन कोई तार्किक परिणति न हो सकी।

❑ अनुच्छेद 370 और 35A की पृष्ठभूमि और निर्मिती

जम्मू-कश्मीर का मामला उधर संयुक्त राष्ट्र में अटक गया था, लेकिन इधर भारत रचनात्मक रूप में आगे बढ़ रहा था। मार्च, 1948 में शेख अब्दुल्ला को नेहरू के समर्थन से जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। चूंकि विलय-पत्र के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य ने रक्षा, संचार और विदेशी मामलों में ही भारतीय अधिराज्य के साथ विलय किया है, इसलिए उसे अन्य क्षेत्रों में अपने अनुसार शासन चलाने का अधिकार था। इस संबंध में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जम्मू-कश्मीर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे भारत की संविधान सभा में शामिल होकर अपना मत रखें कि भारतीय अधिराज्य का उनसे किन-किन मामलों और किन परिस्थितियों में जुड़ाव होगा। 16 जून, 1949 को भारत की संविधान सभा में जम्मू और कश्मीर राज्य से चार लोग क्रमश: शेख अब्दुल्ला, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी और मोती राम बागड़ा शामिल हुए। अगले तीन महीनों तक कश्मीर से भारत के रिश्तों को लेकर गोपालस्वामी आयंगर, पटेल और शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों के बीच बातचीत होती रही। अंतत: पटेल की सहमति से 16 अक्टूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 (संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 306A) पर सहमति बनी। चूंकि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को अपना संविधान बनाने की इजाजत देता है, इसलिए सितंबर, 1951 में जम्मू- कश्मीर संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी सीटें जीतीं। संविधान सभा के चार कार्य तय किए गए। **पहला**- राज्य का शासन चलाने के लिए नया संविधान बनाना। **दूसरा**- शाही राजवंश का भविष्य तय करना। **तीसरा**- भूमि सुधार के बाद भू-स्वामियों के लिए मुआवजा तय करना। **चौथा**- तीनों विकल्पों पर पूरी तरह विचार-विमर्श करके विलय के संबंध में अपना तर्कसंगत निष्कर्ष देना। इन चारों कार्यों में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का लंबा समय लगना तय था। इसलिए पंडित नेहरू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल्ली बुलाया। जुलाई, 1952 में दिल्ली समझौता हुआ, जिसमें अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा द्वारा मान्यता दी गई और महाराजा के आनुवंशिक शासन की जगह सभा के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए सदर-ए-रियासत को राज्य का प्रमुख माना गया। दिल्ली समझौते के अनुसार, जिन अन्य मसलों पर सहमति बनी थी, उसका जिक्र बॉक्स में किया गया है।

◆ जुलाई, 1952 में हुए दिल्ली समझौते में निम्नलिखित बिंदुओं पर जवाहरलाल नेहरू एवं शेख अब्दुल्ला और उनके सहयोगी मिर्जा अफजल बेग के मध्य सहमति बनी :-

(A) जबकि अन्य सभी राज्यों के मामले में विधानसभा की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, कश्मीर के मामले में यह राज्य के पास रहेंगी। (B) जम्मू-कश्मीर के नागरिक भारत सरकार के नागरिक माने जाएंगे (C) राष्ट्रपति शेष भारत की ही तरह कश्मीर में भी सम्माननीय होंगे और इसलिए उनसे संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 66 जम्मू-कश्मीर राज्य में भी लागू होगा (D) राज्य का अपना झंडा होगा, लेकिन यह देश के झंडे का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। राष्ट्रीय ध्वज का स्थान सर्वोच्च होगा (E) राज्य की विशिष्ट स्थितियों के कारण खासतौर पर शेख अब्दुल्ला के भूमि सुधारों के संदर्भ में राज्य में मौलिक अधिकार लागू नहीं होंगे। (F) उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार के संबंध में फिलहाल के लिए यह सहमति बनी कि राज्य में न्यायिक सलाहकार बोर्ड की उपस्थिति के कारण उच्चतम न्यायालय का केवल अपील संबंधी प्राधिकार होगा। (G) राज्य में सामान्य आपात स्थिति की परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने संबंधी अनुच्छेद 352 लागू किए जाने के संबंध में राज्य ने यह तर्क दिया कि सेना का अधिकार क्षेत्र होने के कारण बाहरी कारणों से उत्पन्न आपातस्थिति में आपातकाल लागू करने का अधिकार पहले ही केंद्र के पास है, इसलिए केंद्र ने जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में केवल आंतरिक गड़बड़ियों के हालात में आपातकाल घोषित करने का अधिकार तय किया है। (H) दोनों पक्ष इस बात से सहमत थे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 एवं 360 को राज्य के संदर्भ में लागू करना जरूरी नहीं है।

वर्ष 1954 में जम्मू-कश्मीर के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (1) के तहत राष्ट्रपति का एक आदेश निकला, जिसे जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने सहमति प्रदान की। इसमें यह उल्लिखित है कि भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर पर लागू होंगे। इस आदेश में सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख अनुच्छेद 35A का है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में अलग से रखा गया है। संविधान में इसे क्रमानुसार जगह नहीं दी गई है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों के विषय में विधियां बनाने की शक्ति का उपबंध करता है। यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए विधियां बनाए। इस अनुच्छेद के एक

अपवाद के रूप में अनुच्छेद 35A लाया गया। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान और भारतीय संसद की इस शक्ति को सीमित करता है कि वह मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जम्मू-कश्मीर पर अपनी अधिकारिता को बढ़ा सके। इस तरह यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को कुछ और विशेषाधिकार देता है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर का स्थायी नागरिक कौन है? यह तय करने का अधिकार जम्मू-कश्मीर की सरकार को है। स्थायी नागरिकों को जमीन खरीदने, कारोबार करने, नौकरी करने संबंधी, आरक्षण संबंधी विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसमें स्त्रियों को पैतृक संपत्ति से बेदखल करने के कई प्रावधान रखे गए हैं। जम्मू-कश्मीर के इन विशेषाधिकारों के संबंध में, प्रमुखतया दूसरे प्रदेशों के नागरिकों के जमीन न खरीद सकने को लेकर काफी बहस चली है। जम्मू-कश्मीर में यह नियम डोगरा शासकों के काल से ही लागू है।

❑ जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे की समाप्ति और राज्य का पुनर्गठन

5 अगस्त, 2019 को भारतीय संसद में जो कुछ हुआ, उसकी नींव काफी पहले ही पड़ चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार अपने चुनावी घोषणा-पत्र में अनुच्छेद 370 को खत्म करने की बात की है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के अंतिम वर्ष में ही इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी थी। विदित है कि जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा के लिए वर्ष 2014 में नवंबर-दिसंबर माह में चुनाव हुए, जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला जिसके कारण कोई भी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। 28 दिसंबर, 2014 को राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया। मार्च तक आते-आते भारतीय जनता पार्टी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच गठबंधन के जरिए सरकार बनाने पर सहमति बन गई और एक मार्च, 2015 को पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य से राज्यपाल शासन हट गया। जनवरी, 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण राज्य में पुनः एक बार राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया। भाजपा-पीडीपी में दोबारा बनी सहमति के आधार पर अप्रैल, 2016 में महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। कश्मीर घाटी की स्थितियों पर तमाम मतभेदों के साथ भाजपा-पीडीपी का यह गठबंधन 19 जून, 2018 को टूट गया। इसके बाद राज्य में जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत राज्यपाल शासन लगा दिया गया। इस बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में केंद्र सरकार ने एन.एन. वोहरा के स्थान पर सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया। ध्यातव्य है कि जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार, लगाए गए राज्यपाल शासन की अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए 19 दिसंबर, 2018 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इस संबंध में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1964 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 को जम्मू-कश्मीर के संबंध में लागू कर भारतीय संसद को वहां का शासन अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार दे दिया था। अनुच्छेद 356(1)B में निहित है कि राष्ट्रपति शासन जब कहीं लगेगा तो उस समय संसद, या संसद के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था उस राज्य की विधानसभा का कार्य कर सकेगा। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने जब जम्मू-कश्मीर के लिए राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की तो उसके आदेश के दूसरे बिंदु में कहा कि ''उक्त राज्य के विधानमंडल की शक्तियां, संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्तव्य होंगी''। राष्ट्रपति शासन के इसी आदेश का बिंदु तीन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में पांचवें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया प्रथम परंतुक (प्रोवाइजो) का उतना भाग, जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल के प्रति निर्देश से है, को निलंबित किया जाता है। इसने भी जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की नींव तैयार की, क्योंकि इस परंतुक से यह जोड़ा गया था कि जब भी जिस राज्य का पुनर्गठन होगा, राष्ट्रपति पुनर्गठन के संकल्प को उस राज्य के विधानमंडल को भेजकर निश्चित समय-सीमा के भीतर उसकी राय जानेगा, जिसे मानने या न मानने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इस तरह 19 दिसंबर, 2018 को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का तात्पर्य 'भारत की संसद' हो गया।

5 अगस्त, 2019 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में सबसे पहले राष्ट्रपति का एक आदेश प्रस्तुत किया। तदुपरांत उन्होंने दो संकल्प भी प्रस्तुत किए। उनके इन दोनों कदमों ने अनुच्छेद 370 में निहित जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति की समाप्ति और अनुच्छेद 35A को समाप्त किया और जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन को मुमकिन बनाया। सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370(1)D के तहत एक राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक आदेश निकाला। इस पत्र का नाम 'द कांस्टीट्यूशन (एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर) ऑर्डर, 2019' था। इस आदेश में यह उल्लिखित है कि यह आदेश वर्ष 1954 के आदेश को (जिसमें समय-समय पर अन्य आदेश जुड़ते रहे हैं) प्रतिस्थापित करता है। राज्य सभा में यह आदेश प्रस्तुत करते ही भारतीय संविधान में अलग से जोड़ा गया अनुच्छेद 35A स्वतः खत्म हो गया, क्योंकि उसे वर्ष 1954 के आदेश द्वारा ही जोड़ा गया था। इस आदेश का दूसरा बिंदु यह कहता है कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जो किसी भी समय संशोधित हुए हैं, वे सभी जम्मू-कश्मीर पर लागू होंगे [अनुच्छेद 370(1) D के तहत ही]। आदेश का तीसरा बिंदु जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान के लागू होने में कुछ अपवादों की चर्चा करता है। इसके लिए सबसे पहले यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 367 में कुछ प्रावधानों को जोड़ता है। इस अनुच्छेद में 'व्याख्याएं' दी गई हैं, अर्थात संविधान में किस चीज का क्या अर्थ लगाया जाएगा। इसमें आदेश के प्रावधानों के जुड़ने के पहले अनुच्छेद 367 में कुल तीन बातें क्रमशः 'जनरल क्लाजेज एक्ट', 'अध्यादेश की अधिनियम के बराबर की शक्ति' और 'विदेशी राज्य घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति' उल्लिखित थी। 5 अगस्त के आदेश के जरिए अनुच्छेद 367 में चौथा प्रावधान जोड़ दिया गया है। इस प्रावधान में 'संविधान' का अर्थ 'संविधान जो कि जम्मू-कश्मीर

में लागू हुआ है' यानि इसके जरिए भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर के लिए सभी विशेष बातें खत्म कर दी गईं। चौथे प्रावधान का दूसरा बिंदु कहता है कि राज्यपाल जो जम्मू-कश्मीर मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, उसका अर्थ अब केवल 'जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल' माना जाएगा। चौथे प्रावधान का तीसरा बिंदु कहता है कि जम्मू-कश्मीर सरकार का मतलब वहां के राज्यपाल से लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रावधान के चौथे बिंदु में यह है कि अनुच्छेद 370(3) में जिस 'संविधान सभा' का जिक्र है, उसे अब से **'जम्मू-कश्मीर की विधानसभा'** माना जाएगा। जबकि हम पहले ही देख चुके हैं कि 'जम्मू-कश्मीर की विधानसभा' को 19 दिसंबर, 2018 के राष्ट्रपति शासन के आदेश के बिंदु (B) द्वारा पहले ही 'भारतीय संसद' कहा जा चुका है।

इस आदेश को प्रस्तुत करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा के सामने दो संकल्प (Resolutions) प्रस्तुत किए। दोनों संकल्प एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें एक साथ राज्य सभा में पारित किया गया। पहला संकल्प यह कहता है कि अनुच्छेद 370 (3) के तहत दी गई शक्तियों के प्रयोग के जरिए भारत की संसद की संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति घोषित करता है कि अनुच्छेद 370 के पहले हिस्से को छोड़कर सभी हिस्से समाप्त हो जाएंगे और पहले हिस्से को अब से यह कहा जाएगा- 'भारत के संविधान के सभी प्रावधान जो समय-समय पर संशोधित होते रहे हैं, जम्मू-कश्मीर के ऊपर बिना किसी अपवाद के लागू होंगे'। यहां तक की बिना किसी अपवाद के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152, 308, 363 और अन्य प्रावधानों में लिखी गई बातों के बावजूद भी अब यह बात प्रभावी होगी कि अब भारत का संविधान अपने सभी संशोधनों के साथ जम्मू-कश्मीर पर लागू होगा। दूसरा संकल्प यह कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन के तहत जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन करना है। चूंकि किसी राज्य का पुनर्गठन करने के पहले उस राज्य की विधानसभा से उसकी राय पूछी जाती है और अब जम्मू-कश्मीर के विशेष संदर्भ में भारत की संसद ही वहां की विधानसभा है (19 दिसंबर, 2018 के राष्ट्रपति शासन के अनुसार)। इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को भारतीय संसद के संदर्भ के लिए भेजा है, जिससे संसद की राय जानी जा सके। 5 अगस्त को दो घंटे के भीतर इन दोनों 'सांविधिक संकल्पों' (Statutory Resolutions) को भारतीय संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को संसद में (राज्य सभा में) प्रस्तुत करने के लिए भेजा, जिसे राज्य सभा ने 5 अगस्त को ही पारित कर दिया।

❑ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019

यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत पारित किया गया है। अनुच्छेद 4 के अनुसार, पारित होने वाले विधेयकों के लिए यह प्रावधान है कि इसके जरिए संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में परिवर्तन होंगे, लेकिन इसे संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। इस विधेयक के अनुसार, जम्मू-कश्मीर राज्य के अब दो हिस्से कर दिए गए और इन दोनों हिस्सों को दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। पहला केंद्रशासित प्रदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239A के अनुसार **'जम्मू-कश्मीर'** और दूसरा केंद्रशासित प्रदेश अनुच्छेद 239 के अनुसार **'लद्दाख'** बनाया गया। उल्लेखनीय है कि इसके पहले तक सात केंद्रशासित प्रदेश थे, जिनमें से दो में विधानसभा थी (दिल्ली और पुडुचेरी) और पांच में नहीं थी। अभी तक ये पांचों केंद्रशासित प्रदेश अनुच्छेद 239 में आते हैं। अब इसमें 'लद्दाख' को भी शामिल किया गया, जहां पर विधानसभा नहीं होगी, एक 'लेफ्टिनेंट गवर्नर' (उपराज्यपाल) होगा, जो वहां का शासन चलाएगा। जम्मू-कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। यहां से राज्य सभा की चार सीटें निर्धारित की गईं, जो जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य होने के समय भी थीं। जम्मू-कश्मीर के लिए लोक सभा की पांच सीटें निर्धारित की गई हैं और लद्दाख के लिए लोक सभा की एक सीट निर्धारित की गई है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सदस्यों का पुनर्निर्धारण भी इस पुनर्गठन विधेयक में किया गया। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 107 (जिन्हें परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रावधान किया गया है) होगी, जिसमें से 24 सीटें पाक-अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रखी जाएंगी, बाकी दो सीटें वहां के राज्यपाल द्वारा नामित की जा सकने वाली हैं, इसमें राज्यपाल महिलाओं को नामित करता है। इसके अलावा इस पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को आरक्षण के प्रावधानों का लाभ दिए जाने की व्यवस्था की गई, इसके पहले यहां अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। एक महत्वपूर्ण प्रावधान इस विधेयक में यह भी है कि इसमें राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद की संख्या, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10 प्रतिशत तय की गई है। इस विधेयक को 6 अगस्त, 2019 को लोक सभा में भी पारित किया गया। आगामी 31 अक्टूबर, 2019 को इस विधेयक को अंतिम रूप से लागू किया जाएगा। उसी तारीख से भारत में 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश हो जाएंगे।

❑ भारतीय संघवाद का स्वरूप और लोकतांत्रिक राजनीति के समक्ष चुनौतियां

इस वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में गृह मंत्री अमित शाह ने देश को कश्मीर के एक-तिहाई हिस्से से वंचित रखे जाने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। उसी समय से कश्मीर प्रकरण को लेकर अकादमिक हलकों और मीडिया जगत में यह बहस छिड़ी कि क्या भारत के संघीय ढांचे में एक कमजोर केंद्र का निर्माण किया गया था, क्या राज्यों को स्वायत्तता या आंशिक रूप से अलग होने के अधिकार दिए गए थे, क्या राज्यों का अपना संविधान बनाने और झंडे रखने का अधिकार देना देश के संविधान में निहित संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं करते? ऐसे सवाल बहस का विषय बने हुए थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त को उठाया गया कदम एक मजबूत केंद्र की ओर इशारा करता है, जिसने

भारतीय संविधान और संसद की शक्ति का प्रयोग करते हुए न केवल राज्य की विशेष स्थिति को समाप्त किया बल्कि इसका पुनर्गठन भी किया। इसके बाद सवाल यह भी उठा कि क्या केंद्र अपनी शक्ति के माध्यम से राज्य को संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। विदित है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1956 से ही (सातवें संविधान संशोधन के जरिए) राज्यों का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद से राज्यों की सीमा, नाम, विभाजन संबंधी बहुत से संशोधन भारत के राज्यों के लिए किए गए, लेकिन कभी भी ऐसा पुनर्गठन नहीं किया गया जिसके जरिए राज्यों की स्थिति को पहले से निम्न कर दिया गया हो। ऐसे कई केंद्रशासित प्रदेशों के उदाहरण हैं, जिन्हें बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ यानि राज्यों के स्तर में उन्होंने ऊपर गति की। भारत के संघीय ढांचे में यह एक पहला उदाहरण है, जब एक पूर्ण राज्य की स्थिति को कम कर दिया गया हो। चूंकि 'संघीय ढांचा' केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए 'मूल ढांचे' की अवधारणा के अंतर्गत आता है, इसलिए यह सवाल सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होगा कि क्या राज्यों को केंद्रशासित प्रदेश बनाया जा सकता है? और क्या ऐसे वक्त पर बनाया जा सकता है, जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो?

केंद्र सरकार के इस कदम के बाद भारत के केंद्रीकृत होते संघीय ढांचे से एक खतरा पूर्वोत्तर के राज्यों को भी मिल रहा है। नगालैंड (अनुच्छेद 371-A) से लेकर मणिपुर (अनुच्छेद 371-C), असम (अनुच्छेद 371-B), मिजोरम (अनुच्छेद 371-उ) और सिक्किम (अनुच्छेद 371-इ) जैसे राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान भारत के संविधान में किए गए हैं, जिससे उन्हें कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता मिली हुई है, वह अब संकट में आ सकता है। इन सब में नगालैंड की स्थिति सबसे अहम है, वहां पर तो भारत का आपराधिक कानून तक लागू नहीं होता।

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आ सकती है, वह यह कि राज्य के निवासियों का जो लोकतांत्रिक अभ्यास एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त विधानमंडल में था, क्या केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा और वहां की सरकार के अधिकारों में कमी आने से वहां असंतुष्टि की स्थिति नहीं पैदा होगी.....? हालांकि यह बात राज्य में सेना की उपस्थिति कम होने के बाद वहां जनजीवन के सामान्य होने पर ही पता चल सकती है। लेकिन लद्दाख के बारे में इस तरह की चुनौतियां नहीं हैं, वहां पर जम्मू-कश्मीर से असंतुष्ट लोगों का प्रतिशत ज्यादा है। लद्दाख की बौद्ध जनसंख्या स्वायत्त पर्वतीय परिषद की मांग नब्बे के दशक से कर रही है, जिसका विरोध कारगिल क्षेत्र का शिया समुदाय, बौद्धों के डर से कर रहा था। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में मिलीटेंट्स की तरफ वहां के युवाओं का झुकाव इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर अपने युवाओं को आतंक और अलगाववाद की राजनीति से हटाकर किस हद तक अपने साथ जोड़ पाता है। मौजूदा स्थिति ऐसी है जब कश्मीर की तस्वीर साफ नहीं है, मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर अलगाववादी नेताओं तक सभी किसी न किसी रूप में प्रतिबंधित किए गए हैं, इसलिए हालात सामान्य होने पर ही जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से दिए जा रहे आतंकवाद को संरक्षण के मसले पर, अलगाववादियों की मांगों पर और भारतीय राज्य के साथ पूर्ण रूप से शामिल हुए जम्मू-कश्मीर के भविष्य पर कुछ कहा जा सकता है। केंद्र सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती यह भी होगी कि घाटी से नब्बे के दशक में विस्थापित हुए कश्मीरी हिंदुओं को फिर से वहां बसाने को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाए? यह वह दौर था जब कश्मीर में मिलिटेंसी की शुरुआत हुई थी और अलगाववाद की राजनीति अपने हिंसक रूप में शुरू हुई थी। लेकिन क्या अब हिंसा और अलगाववाद दोनों थम सकेगा, जिससे कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर के अन्य समुदायों की आवाम शांति से अपना जीवन निर्वाह कर सके, यह भविष्य की गोद में है। इस संदर्भ में एक चुनौती शेष भारत के नागरिकों के समक्ष भी है कि वे किस हद तक कश्मीर के साथ 'सेंस ऑफ बिलोंगिंग' (Sense of Belonging) पैदा कर सकते हैं और उसे कितना व्यवहार में अपना सकते हैं।

❑ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

कश्मीर ने पिछले 70 वर्षों से अधिक समय में अंतरराष्ट्रीय शक्तियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कई देशों ने भारत के इस कदम पर उसका साथ दिया है, यहां तक की पाकिस्तान द्वारा इस मसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक ले जाने पर भी उसे कुछ नहीं हासिल हुआ, उल्टे आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए सुनना ही पड़ा। लेकिन हाल में कश्मीर के संदर्भ में हुए बदलावों के भारत-पाकिस्तान-अफगानिस्तान-चीन और अमेरिका के लिए क्या मायने हो सकते हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है। यह अपने आप में एक अलग आलेख का विषय है लेकिन संक्षेप में बस यह कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान, अमेरिका के लिए बीसवीं सदी का वह वियतनाम साबित हो चुका है, जहां उसे अंततः पराजित होना पड़ा था। वही हाल 21वीं सदी में अमेरिका का अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ते हुए भी हुआ। बात यहां तक आ गई कि तालिबान के लड़ाकों ने अमेरिका और अफगानिस्तान के साथ आमने-सामने बैठक की। अफगानिस्तान में होने वाले चुनावों में अब तालिबान की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दूसरी ओर अब अमेरिका अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर पाकिस्तान के साथ नए तरीके से रणनीति बनाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ना ही भारत को सतर्क करने के लिए पर्याप्त है। अफगानिस्तान की सीमा भारत से पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र से लगती है, ऐसे में उस क्षेत्र के आतंकी संगठनों के लिए तालिबान मददगार हो सकता है। साथ ही तालिबान के पाकिस्तान से अधिक तालुकात भारत के लिए और चिंता का विषय हो सकता है। भारत सरकार द्वारा कश्मीर पर लिए गए निर्णय का असर 'सिंधु जल समझौते' पर भी पड़ सकता है। समझौते के तहत जम्मू-कश्मीर में बन रही भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में पाकिस्तान बाधा डालने की रणनीति बना सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370

जम्मू-कश्मीर राज्य के संदर्भ में अस्थायी प्रावधान

(1)संविधान के किसी भी प्रावधान के बावजूद -

(a)अनुच्छेद 238 जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में लागू नहीं होगा।

(b)इस राज्य के लिए संसद की कानून बनाने की क्षमता निम्नलिखित तक सीमित रहेगी -

(i) संघ व समवर्ती सूची में मौजूद वे विषय जो राज्य सरकार से सलाह-मशविरे के बाद राष्ट्रपति द्वारा विलय के दस्तावेज के अंतर्गत भारतीय अधिराज्य के विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों से मिलते होने पर घोषित किए जाएंगे, एवं

(ii) इन सूचियों में मौजूद अन्य विषय जो राज्य सरकार की सहमति के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा घोषित किए जाएं।

इस अनुच्छेद के संदर्भ में राज्य सरकार का अर्थ अपनी 5 मार्च, 1948 की घोषणा के अंतर्गत वर्तमान के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाले व राष्ट्रपति द्वारा मान्य जम्मू-कश्मीर के महराज होंगे।

(c) अनुच्छेद 1 व इस अनुच्छेद के प्रावधान राज्य के संदर्भ में लागू होंगे।

(d) संविधान के बाकी प्रावधान राज्य सूची पर राष्ट्रपति द्वारा पारित संशोधनों व अपवादों के साथ लागू होंगे।

हालांकि ऐसा कोई भी आदेश जो विलय के दस्तावेज के सह-अनुच्छेद (b) के अंश (i) में वर्णित विषयों के संदर्भ में है, बिना राज्य सरकार की सहमति के नहीं लाया जाएगा।

इसके साथ ही, ऐसा कोई भी आदेश जो उल्लिखित संदर्भ के अलग विषयों के बारे में है, बिना राज्य सरकार की सहमति के नहीं लाया जाएगा।

(2)यदि अनुच्छेद (1) के सह-अनुच्छेद (b) के अंश (i) या सह-अनुच्छेद (d) के दूसरे प्रावधान के अनुसार इन सहमतियों को राज्य का संविधान बनाने हेतु बुलाई गई सभा से पूर्व दिया गया है, तो भविष्य में इस संविधान सभा में उस मसले को आखिरी निर्णय के लिए रखा जाएगा।

(3)इस अनुच्छेद के उल्लिखित प्रावधानों के बावजूद, राष्ट्रपति एक सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा इस धारा के निरस्त किए जाने या सिर्फ उन संशोधनों व अपवादों के साथ लागू होने की घोषणा कर सकते हैं, जिन्हें समय-समय पर वे जारी करें।

हालांकि अनुच्छेद (2) के अनुसार, ऐसी अधिसूचना जारी करने से पूर्व राज्य की संविधान सभा की राय आवश्यक होगी।

❑ विकल्प क्या हो सकते थे?

अगस्त का महीना कश्मीर के लिए पहरों से भरी सुबह लेकर आया था। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त फौज को वहां तैनात कर, नेताओं को नजरबंद कर यह कदम उठाया था। इसके बाद एक चर्चा इस बात पर भी हुई कि इसके क्या दूसरे विकल्प हो सकते हैं? इस विषय पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति फैजान मुस्तफा कहते हैं कि एक रास्ता तो यह हो सकता था कि जब कश्मीर के लोग खुद अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करते और अनुच्छेद 370 के खत्म होने लिए उपयुक्त माहौल वे स्वयं बनाते तब ऐसी कोशिश की जा सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले में पहल कश्मीर की आवाम की तरफ से नहीं हुई। दूसरा रास्ता यह था कि चूंकि अनुच्छेद 370 का प्रयोग करके ही राष्ट्रपति ने अब तक भारतीय संविधान के 70-80 प्रतिशत हिस्से को जम्मू-कश्मीर के ऊपर लागू कर दिया था, इसलिए उसके जरिए हम कुछ ही समय में पूरा भारतीय संविधान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के जम्मू-कश्मीर में लागू कर देते। वे आगे कहते हैं कि 5 अगस्त को सरकार द्वारा उठाए गए कदम के जरिए केंद्र सरकार ने कश्मीर के संबंध में अपनी विशेष शक्ति स्वयं खत्म कर ली, जो उसे किसी अन्य राज्य के संदर्भ में नहीं मिली हुई है। अनुच्छेद 370 के जरिए भारत का राष्ट्रपति कभी भी जम्मू-कश्मीर के संविधान का संशोधन कर देता था। एक अन्य रास्ता यह भी हो सकता था कि हम राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को कश्मीर पर लागू कर देते, जिससे अनुच्छेद 35A स्वतः समाप्त हो जाता। एक अंतिम और अधिक लोकतांत्रिक रास्ता यह होता कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव फिर से कराए जाते, उसके बाद वहां गठित नई सरकार की सहमति से अनुच्छेद 370 को खत्म किया जाता। इससे केंद्र सरकार का कदम अधिक सहभागितापूर्ण प्रतीत होता।

❑ निष्कर्ष

प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन वर्नर मुलर कहते हैं कि पोपुलिज्म (लोकलुभावनवाद) की अवधारणा के तहत सत्ता अपने कामों को इस तरह प्रस्तुत करती है, जैसे वह वास्तव में जनता की इच्छा हो। वे कहते हैं कि वास्तव में लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार यह जिम्मेदारी सरकार पर होती है कि वे अपने कामों को न्यायोचित ठहराए, लेकिन पोपुलिज्म के तहत जनता स्वयं सरकार के कामों का न केवल बचाव करती है बल्कि उन्हें अपने लिए उचित बताती है और उसका प्रचार करती है। अगस्त के महीने में कश्मीर में जो कुछ घटित हुआ और अभी घटित हो रहा है उसके प्रति भारतीय जनता की प्रतिक्रिया 'एक्सप्रेशन ऑफ यूफोरिया' की तरह है। इसलिए कश्मीर सहित भारत का भविष्य इस बात पर टिका है कि हमारे संविधान का रक्षक और मूल ढांचे के सिद्धांत को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाला भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे प्रकरण को किस तरह विश्लेषित करता है। बहरहाल, केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के संबंध में उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ■■■



केंद्रीय बजट, 2019-20

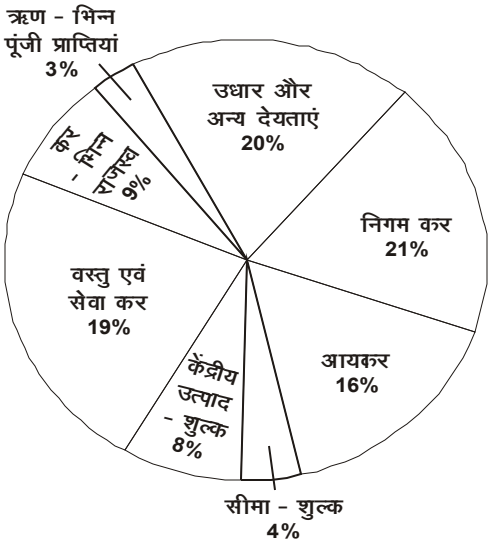
✍ डॉ. विकास कुमार शुक्ल

'बजट' शब्द को सुनते ही न जाने क्यों अधिकतर परीक्षार्थियों के हाथ-पांव फूलने लगते हैं। बजट उन्हें किसी युद्ध क्षेत्र से कम नजर नहीं आता है, जहां एक ओर आंकड़ों की बौछार हो रही होती है, तो दूसरी ओर तकनीकी शब्दावलियों के रूप में मिसाइलें गिर रही होती हैं। सच तो यह है कि बजट इतना भी भयावह नहीं होता है। वास्तविकता में परीक्षार्थी बजट की बारीकियों से स्वत: ही परिचित होते हैं, बस उन्हें इसका भान नहीं होता है। बजट केवल आंकड़ों एवं तकनीकी शब्दावलियों का संग्रह मात्र नहीं है, अपितु यह अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाए रखने एवं उसे प्रगति के मार्ग पर चलायमान रखने का एक प्रमुख माध्यम भी है। इसी के द्वारा राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। अगर ध्यान से देखा जाए, तो किसी अर्थव्यवस्था के लिए भी बजट उसी तरह बनाया जाता है, जिस तरह कोई व्यक्ति अपने खर्चों और आय का बजट बनाता है। किसी अर्थव्यवस्था का बजट और किसी व्यक्ति का बजट आपस में सर्वांगसम भले ही न हों परंतु समरूप अवश्य होते हैं बस उसमें आकार एवं बजट बनाने वाले की अधिकारिता को लेकर कुछ भेद होता है।

वास्तव में बजट किसी समय विशेष (सामान्यत: एक वर्ष) में होने वाले कुल व्यय एवं प्राप्तियों का विवरण होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं-एक वह जिन्हें वापस नहीं करना होता है और वे आय के स्वरूप की होती हैं, जैसे- वेतन, कर, ब्याज आदि। इसे तकनीकी भाषा में राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरी तरह की प्राप्ति भी होती है, जिसे बाद में लौटाना होता है, जैसे किसी से लिया गया कर्ज जो आपके पास आता है और आप उसका मनोवांछित उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु इसे आपको भविष्य में लौटाना होगा। तकनीकी भाषा में इसे पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। इसी तरह व्यय भी आमतौर पर दो तरह के होते हैं।

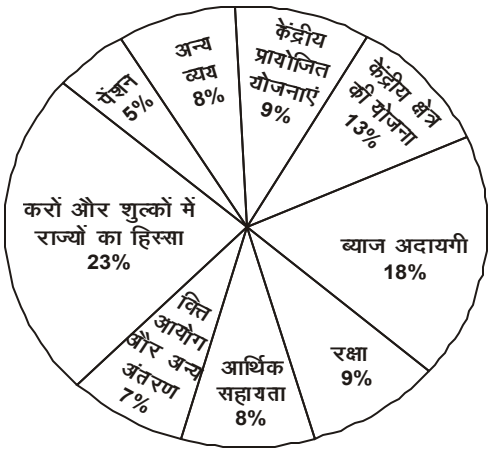
प्राप्ति के स्रोत[1]

(बजट 2019-20)



व्यय के संघटक[2]

(बजट 2019-20)



नोट : 1. कुल प्राप्तियों में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है।
2. कुल व्यय में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है।
3. आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है।

सारिणी-1

(करोड़ रुपये में)

केंद्रीय बजट, 2019-2020 : एक दृष्टि में

	2017-2018 वास्तविक	2018-2019 बजट अनुमान	2018-2019 संशोधित अनुमान	2019-2020 बजट अनुमान
1. राजस्व प्राप्तियां	**1435233**	**1725738**	**1729682**	**1962761**
2. कर राजस्व (केंद्र को निवल)	1242488	1480649	1484406	1649582
3. कर-भिन्न राजस्व	192745	245089	245276	313179
4. पूंजी प्राप्तियां[1]	**706740**	**716475**	**727553**	**823588**
5. ऋणों की वसूली	15633	12199	13155	14828
6. अन्य प्राप्तियां	100045	80000	80000	105000
7. उधार और अन्य देयताएं[2]	591062	624276	634398	703760
8. कुल प्राप्तियां (1+4)	**2141973**	**2442213**	**2457235**	**2786349**
9. कुल व्यय (10+13)	**2141973**	**2442213**	**2457235**	**2786349**
10. राजस्व खाते पर जिसमें से	1878833	2141772	2140612	2447780
11. ब्याज भुगतान	528952	575795	587570	660471
12. पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	191034	195345	200300	207333
13. पूंजी खाते पर	263140	300441	316623	338569
14. राजस्व घाटा (10-1)	**443600 (2.6)**	**416034 (2.2)**	**410930 (2.2)**	**485019 (2.3)**
15. प्रभावी राजस्व घाटा (14-12)	**252566 (1.5)**	**220689 (1.2)**	**210630 (1.1)**	**277686 (1.3)**
16. राजकोषीय घाटा [9 –(1 + 5 + 6)]	**591062 (3.5)**	**624276 (3.3)**	**634398 (3.4)**	**703760 (3.3)**
17. प्राथमिक घाटा (16-11)	**62110 (0.4)**	**48481 (0.3)**	**46828 (0.2)**	**43289 (0.2)**

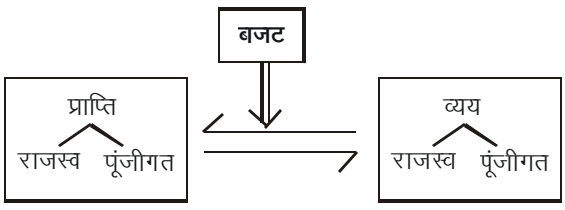
1. बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर।
2. इसमें नकदी शेष में आहरण द्वारा कमी शामिल है।

टिप्पणी : (i) वर्ष 2018-2019 के संशोधित अनुमान में 18840731 करोड़ रुपये के अनुमानित सघउ की तुलना में 12.0 प्रतिशत की वृद्धि दर मानते हुए 2019-2020 के बजट अनुमान में सघउ बढ़कर 21100607 करोड़ रुपये होने का पूर्वानुमान है।

(ii) इस दस्तावेज में पृथक-पृथक मदें पूर्णांकन के कारण संभवतः जोड़ से मेल न खाएं।

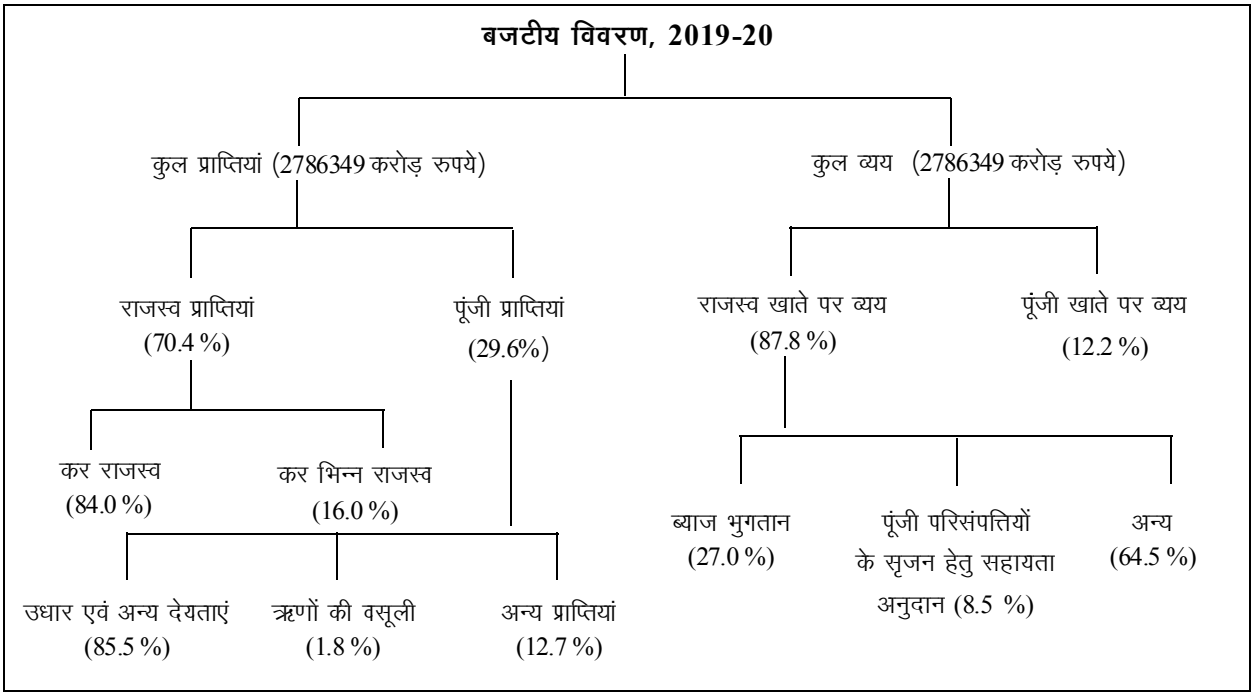
(iii) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सघउ के प्रतिशत के रूप में हैं।

कुछ ऐसे मद होते हैं, जिन पर व्यय से न तो किसी संपत्ति का सृजन होता है और न ही आपके किसी पूर्व के दायित्व में कमी आती है। जैसे उपभोग में व्यय, पूर्व में लिए गए ऋण पर ब्याज आदि। इसे तकनीकी भाषा में राजस्व व्यय कहा जाता है। इसी तरह जब व्यक्ति अपने लिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान करके अपने दायित्व में कमी करता है या कोई नई वस्तु जैसे पुस्तकें, मशीनरी, वाहन, भवन आदि खरीदता है, तो इससे व्यक्ति को व्यय के बदले या तो उसके किसी दायित्व में कमी आती है या किसी संपत्ति का सृजन होता है। इसे तकनीकी भाषा में पूंजीगत व्यय कहते हैं। इस तरह व्यय और प्राप्ति का लेखा-जोखा करते हुए व्यक्ति भी अपना बजट बनाते हैं और सरकारें भी अपना बजट बनाती हैं। दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि व्यक्ति अपने आय के अनुसार व्यय का निर्धारण करता है, जबकि सरकारें कभी कभी व्यय के अनुसार आय को निर्धारित करती दिखती हैं।



अब जब हम समझ चुके हैं कि बजट प्राप्तियों और व्ययों का लेखा जोखा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी आय/प्राप्तियां व्यय से अधिक हो जाए या कभी व्यय आय/प्राप्तियों से अधिक हो जाए। जब आय, व्यय से अधिक होता है तो बजट में अधिशेष उत्पन्न होता है, जबकि आय के व्यय से कम होने की स्थिति में बजट घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। बजट घाटों की स्थिति बजट विश्लेषण का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इनसे ही बजट की दशा और दिशा निर्धारित होती है। बजटीय घाटों (Budget Deficits) पर आने से पूर्व वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत बजट के आकार एवं आय-व्यय के संघटकों पर एक नजर डाल लेना आवश्यक है क्योंकि तभी घाटों (Deficits) को स्पष्टता से समझा जा सकेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 27.86 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया। अर्थात वर्ष 2019-20 में कुल 27.86 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति और उतनी ही राशि के व्यय का अनुमान है। कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए, तो कुल प्राप्ति का 70.4 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष 29.6 प्रतिशत पूंजीगत प्राप्तियां हैं। इसी तरह कुल व्यय में से 87.8 प्रतिशत राजस्व खाते पर, जबकि मात्र 12.2 प्रतिशत पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। इन आंकड़ों को देखकर एक बात तो स्पष्ट होती है कि भारत सरकार की न लौटाने योग्य प्राप्ति जिसे आय भी माना जा सकता है, कुल बजट का 70.4 प्रतिशत है, जबकि अनुत्पादक व्यय 87.8 प्रतिशत। ऐसे में भारत में घाटे की स्थिति तो स्वाभाविक ही है।



❑ बजटीय घाटे

बजट में घाटे की स्थिति का विश्लेषण अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी से बजटीय संतुलन का पता चलता है। गणना के आधार पर बजटीय घाटे कई प्रकार के होते हैं। जैसे बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा आदि। भारत में वर्तमान में बजट घाटे की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब सरकार उतने ही व्यय का प्रस्ताव करती है जितनी प्राप्ति का अनुमान है। इसके अतिरिक्त ऊपर उल्लिखित शेष चारों घाटे अभी भी भारत में परिगणित किए जाते हैं। इन घाटों (Deficits) का विवरण निम्नवत है-

1. राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि राजस्व मद में घाटा राजस्व घाटा कहलाता है। अर्थात राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के अधिक हो जाने से यह घाटा उत्पन्न होता है। इस घाटे की स्थिति को किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इस घाटे से न तो किसी संपत्ति का सृजन होता है और न ही किसी तरह के दायित्व में कमी आती है। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार अनुत्पादक व्यय अधिक कर रही है। यही कारण है कि अर्थशास्त्री इसे शून्य या न्यूनतम रखने की सलाह देते हैं। वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तुत बजट में 4.85 लाख करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2.3 प्रतिशत है। सारिणी-1 के (पृष्ठ-6) 14 क्रमांक वाली पंक्ति को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा जीडीपी के प्रतिशत में तो मात्र 0.1 प्रतिशत अधिक दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में यह लगभग 74 हजार करोड़ रुपये अधिक है, जो एक बड़ी राशि है।

बजट के विषय में कुछ रोचक तथ्य

➡'बजट' शब्द का उद्गम फ्रेंच भाषा के 'बूजेत' (Bougette) शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है- **चमड़े का थैला**।

➡1733 ई. में तत्कालीन ब्रिटिश वित्त मंत्री (वहां उन्हें चांसलर ऑफ दि एक्सचेकर कहा जाता है) सर **रॉबर्ट वालपोल** ने हाउस ऑफ कॉमन्स में वित्तीय प्रस्ताव पेश करते समय उससे जुड़े कागजात एक चमड़े के थैले से निकाले। इसके कुछ दिनों बाद एक समाचार-पत्र में एक कार्टून प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था 'बजट खोला गया'।

➡उसी समय से सरकार के वार्षिक आय-व्यय के विवरण के लिए 'बजट' शब्द का इस्तेमाल होने लगा।

➡धीरे-धीरे यह शब्द ब्रिटिश राज के अंतर्गत आने वाले देशों में भी प्रचलित हो गया।

➡भारत में बजट पद्धति की शुरुआत भारत के पहले वायसराय **लॉर्ड कैनिंग** (1856-62) के कार्यकाल में हुई।

➡1859 ई. में **जेम्स विल्सन** जो वायसराय की कार्यकारिणी में वित्त सचिव थे, ने 18 फरवरी, 1860 को वायसराय की परिषद में पहली बार बजट प्रस्तुत किया।

➡स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का प्रथम बजट **आर.के. षड्मुखम चेट्टी** ने 26 नवंबर, 1947 को प्रस्तुत किया।

➡भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएंगे।

➡संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है।

➡ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में कहीं भी 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है।

➡भारत में बजट के माध्यम से राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है।

➡भारत में बजट की प्रक्रिया को चार चरणों में बांटा जाता है-बजट का निर्माण, अधिनियमन, क्रियान्वयन तथा अंकेक्षण।

➡वित्त मंत्रालय का बजट संभाग प्रत्येक मंत्रालयों से उनके बजट वर्ष के आय एवं व्यय का विवरण मंगाकर तथा उसे संशोधित कर बजट को अंतिम रूप देता है। अब यह बजट कैबिनेट की मंजूरी के पश्चात संसद के पटल पर रखा (वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुतीकरण) जाता है।

➡यहां प्रत्येक सदन में इसके अनुदानों की मांग पर चर्चा होती है, इस पर कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं तथा इसे यथा नियम अधिनियमित किया जाता है।

➡उल्लेखनीय है कि बजट के पास न होने की स्थिति में सरकार अल्पमत में मानी जाती है तथा सरकार सदन में अपना विश्वास खो देती है।

➡बजट के अधिनियमित होते ही सरकार को कर लगाने तथा अधिकृत मदों पर व्यय करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

2. प्रभावी राजस्व घाटा

प्रभावी राजस्व घाटा भी राजस्व खाते का ही घाटा है, परंतु यह राजस्व घाटे में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदानों को घटाकर प्राप्त होता है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि राजस्व मद में से जब अनुदान के रूप में कोई ऐसा व्यय किया जाता है, जिससे किसी पूंजीगत संपत्ति का सृजन होता हो, तो तकनीकी रूप से वह पूंजीगत व्यय होगा और उसे राजस्व घाटे में से घटा दिया जाना चाहिए। इस तरह प्रभावी राजस्व घाटा वास्तविक राजस्व घाटे को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे की बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करने हेतु वर्ष 2011-12 के बजट से प्रभावी राजस्व घाटे की गणना की जाने लगी है। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा (सारिणी-1 पंक्ति 15 देखें) जीडीपी का 1.3 प्रतिशत अनुमानित है, जो पूर्व वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 67 हजार करोड़ रुपये अधिक है, जो एक बड़ी राशि है। सरकार को प्रभावी राजस्व घाटे को कम करने हेतु उपायों को अपनाने पर विचार करना चाहिए।

3. राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit)

ऊपर बताए गए दोनों घाटे राजस्व खाते से संबंधित थे। राजकोषीय घाटा राजस्व खाते एवं पूंजीगत खाते दोनों से संबंधित है। इसकी गणना समस्त व्यय में से ऋणों को छोड़कर अन्य समस्त प्राप्तियों को घटाकर की जाती है। इसे और सरल तरीके से निम्न समीकरण द्वारा समझते हैं।

∵ प्राप्तियां = व्यय

∴ राजस्व प्राप्तियां + पूंजीगत प्राप्तियां = व्यय

∴ राजस्व प्राप्तियां + (गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां + ऋणगत पूंजी प्राप्तियां) = व्यय

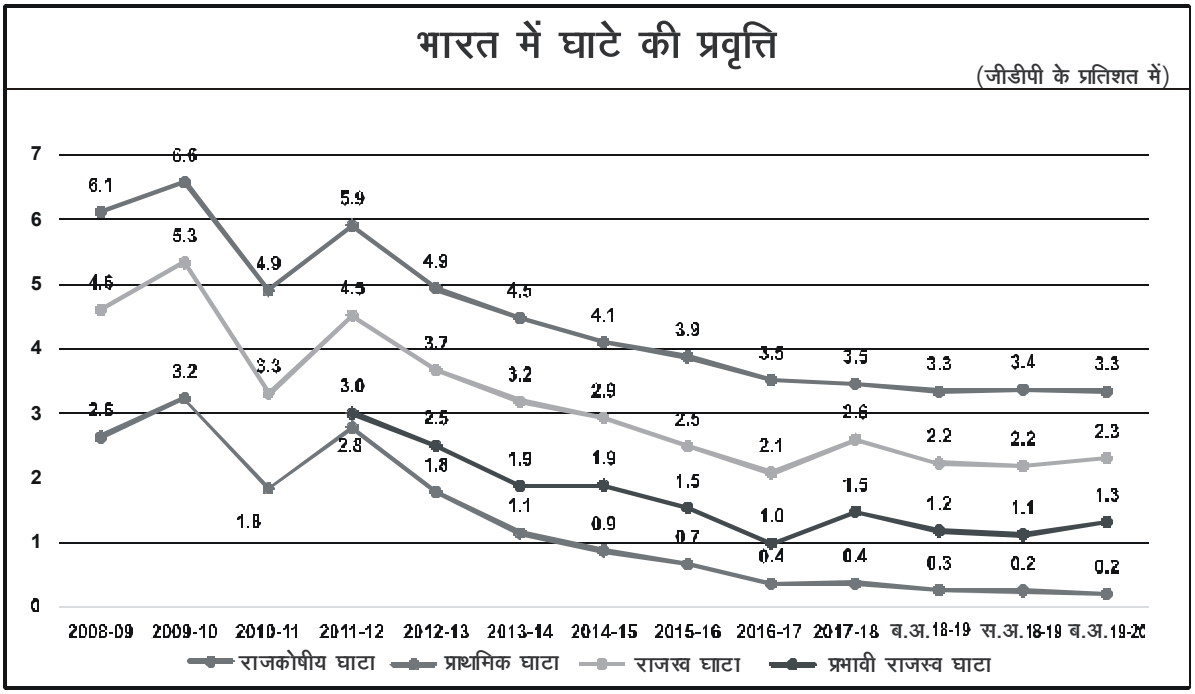
∴ ऋणगत पूंजी प्राप्तियां = व्यय - [राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां] = **राजकोषीय घाटा**

उपरोक्त समीकरणों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि किसी वर्ष विशेष में सरकार द्वारा लिए गए समस्त आंतरिक एवं बाह्य ऋणों का योग ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। अर्थात राजकोषीय घाटा उस राशि को प्रदर्शित करता है, जिसे सरकार अपने व्ययों को पूरा करने हेतु ऋण लेती है। वर्ष 2019-20 के बजट में लगभग 7 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा (सारिणी-1 की पंक्ति संख्या 16 देखें) अनुमानित है, जो इसी वर्ष की अनुमानित जीडीपी का 3.3 प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 हेतु अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा विगत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 69 हजार करोड़ रुपये अधिक है।

4. प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)

भारत में प्राथमिक घाटे की अवधारणा को वर्ष 1997-98 के बजट से प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य गणना वर्ष के राजकोषीय घाटे की वास्तविक स्थिति का आकलन करना है। इसकी गणना बेहद आसान है। इसकी गणना हेतु बस राजकोषीय घाटे में से उस वर्ष के ब्याज भुगतान की राशि को घटा दिया जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को ही क्यों घटाया जाता है? इसका उत्तर बेहद आसान है। ब्याज का भुगतान इसलिए घटाया जाता है क्योंकि ब्याज तो पिछले वर्ष लिए गए ऋण पर अदा किया गया है। ऐसे में इस वर्ष के घाटे की गणना में उसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि सारिणी-1 के पंक्ति संख्या 17 पर दृष्टिपात किया जाए, तो प्राथमिक घाटा वर्ष 2019-20 में जीडीपी का मात्र 0.2 प्रतिशत ही अनुमानित किया गया है। ध्यातव्य तथ्य यह भी है कि यह पिछले वर्ष के संशोधित प्राथमिक घाटे की तुलना में लगभग 3.5 हजार करोड़ रुपये कम है।

भारत के समस्त घाटों की प्रवृत्ति पर दृष्टिपात किया जाए, तो वर्ष 2009-10 के बाद से इनमें गिरावट की प्रवृत्ति रही है। यद्यपि वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटे एवं प्रभावी राजस्व घाटे में अपवादस्वरूप मामूली उछाल भी देखा गया है। इसे निम्न चित्र से स्पष्टता से देखा जा सकता है।

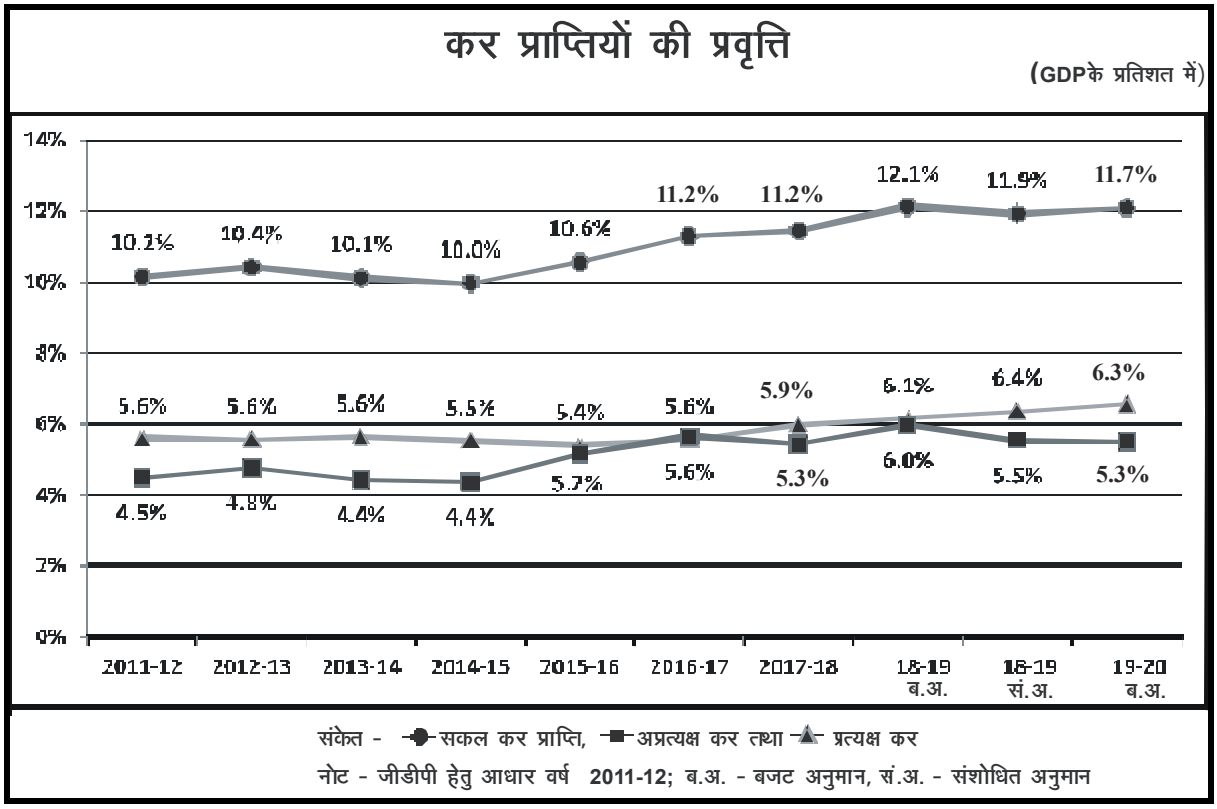


❑ कर

किसी भी वर्ष का बजट हो, कर (Tax) प्रायः बजट के केंद्र में ही दिखाई देता है और हो भी क्यों न यह जनता की गाढ़ी कमाई का ही एक हिस्सा होता है, जो सरकार ले लेती है। सरकार जनता से कर दो तरह से लेती है एक प्रत्यक्ष तरीके से सीधे करदाता से, तो दूसरे अप्रत्यक्ष तरीके से कर राशि को वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में जोड़कर। इस तरह हम यह समझ पाए हैं कि कर दो तरह के होते हैं- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का निर्धारण उनके टाले जाने (Shifting) के गुण के आधार पर किया जाता है। आइए इसे और स्पष्टता से समझते हैं। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं, जिनमें कर का भुगतान सीधे आय अर्जित करने वाला अदा करता है। आय अर्जक इसे किसी दूसरे पर नहीं टाल सकता। जैसे व्यक्ति की आय पर कर (आयकर), कंपनियों की आय पर कर (निगम कर) आदि। जबकि इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिन्हें टाला जा सकता है, अर्थात ये लगते तो किसी अन्य व्यक्ति/संस्था पर हैं परंतु इन्हें वस्तुओं/सेवाओं के मूल्य में समायोजित कर उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके अनेक उदाहरण हैं-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आयात/निर्यात पर कर आदि। वर्तमान में भारत में कुछ विशेष करों को छोड़कर शेष सभी करों को मिलाकर केवल एक कर 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) लगाया जा रहा है, जो अप्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है।

आइए अब जरा करों के योगदान पर नजर डालते हैं। वर्ष 2019-20 में करों से कुल 24.6 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। इसमें से लगभग 54 प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से, जबकि शेष अप्रत्यक्ष करों से प्राप्ति का अनुमान है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुल प्राप्त 24.6 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 8.1 लाख करोड़ रुपये राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा तथा लगभग 2.48 हजार करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में जमा हो जाएगा।

इस तरह केंद्र की शुद्ध कर आय लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपये ही रहेगी। यदि सकल करों को देश के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में देखें, तो यह वर्ष 2019-20 के लिए 11.7 प्रतिशत रहेगी, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 11.9 प्रतिशत से कम है। इसी तरह वर्ष 2019-20 के लिए प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात का 6.3 प्रतिशत, जबकि अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात का 5.3 प्रतिशत अनुमानित है। पिछले वर्षों में प्रत्यक्ष कर राजस्व में काफी वृद्धि देखी गई। वर्ष 2013-14 में जहां प्रत्यक्ष कर राजस्व 6.38 लाख करोड़ रुपये था, वहीं 2018-19 में यह 78 प्रतिशत बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये हो गया।



जहां तक करों के योगदान का प्रश्न है, तो कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा निगम कर (7.66 लाख करोड़ रुपये) का है। इसके बाद वस्तु एवं सेवा कर (6.63 लाख करोड़ रुपये) व आयकर (5.69 लाख करोड़ रुपये) शीर्ष हिस्सेदारी रखते हैं।

आइए प्रमुख करों पर और विस्तार से विचार करते हैं–

(i) निगम कर

वर्ष 2019-20 का बजट कंपनियों की दृष्टि से काफी लाभ देने वाला रहा। भारत में अब तक 250 करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25प्रतिशत की दर से निगम कर लगाया जाता है, जबकि शेष पर यह 30 प्रतिशत है। इस बजट में अधिक से अधिक कंपनियों को लाभ पहुंचाने हेतु 400 करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की दर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की गई। इससे भारत की 99.3 प्रतिशत कंपनियां 25 प्रतिशत के निगम कर के दायरे में आ जाएंगी तथा केवल 0.7 प्रतिशत कंपनियां ही इससे बाहर रहेंगी। निगम कर में इस सुधार से कंपनियों को पुनर्निवेश हेतु अधिक राशि बचेगी।

(ii) आयकर

आयकर की दृष्टि से यह बजट निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लिए तो राहत का पैगाम लेकर आया, तो वहीं उच्च आय वर्ग के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने वाला भी रहा। चुनाव पूर्व प्रस्तुत अंतरिम बजट में 5 लाख तक की आय वालों को कर से मुक्त रखने की घोषणा को फिर से दोहराया गया, तो वहीं 2 करोड़ से अधिक आय वालों पर कुछ अतिरिक्त भार डाला गया। आइए इसे और बेहतर ढंग से समझने हेतु भारत की कर संरचना को देखते हैं।

भारत में 2.5 लाख रुपये वार्षिक तक की आय तो कर मुक्त है परंतु इससे ऊपर की आय पर करारोपण हेतु कर के तीन स्लैब हैं-

(i) 2 लाख 50 हजार एक रुपये से 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कर की दर 5 प्रतिशत है।

(ii) 5 लाख एक रुपये से 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कर की दर 20 प्रतिशत है।

(iii) 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है।

(iv) ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक परंतु 80 वर्ष से कम है की 3 लाख रुपये तक की आय तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की 5 लाख तक की आय कर मुक्त है। इससे ऊपर की आय पर कर की दर सभी के लिए समान है।

(v) 50 लाख से अधिक की आय पर विभिन्न स्तरों पर अधिभार भी आरोपित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित सारिणी में है।

वर्ष 2019-20 हेतु आय कर की दर एवं अधिभार दर		
क्र. सं.	**आय स्लैब (वार्षिक)**	**कर की दर**
1.	2 लाख, 50 हजार रुपये तक	शून्य*
2.	2 लाख, 50 हजार, 1 रुपये से 5 लाख रुपये तक	5%
3.	5 लाख, 1 रुपये से 10 लाख रुपये तक	20%
4.	10 लाख रुपये से अधिक	30%
	अधिभार हेतु आय स्लैब (वार्षिक)	**कर एवं अधिभार की दर (30% की दर के अतिरिक्त)**
5.	50 लाख, 1 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक	10%
6.	1 करोड़, 1 रुपये से 2 करोड़ रुपये तक	15%
7.	2 करोड़, 1 रुपये से 5 करोड़ रुपये तक	25%
8.	5 करोड़ रुपये से अधिक	37%

*60-80 आयु वर्ग के लिए 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय, जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र के करदाता हेतु 5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है।

कर स्लैब की संरचना को देखने पर यह प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक ही है कि जब भारत में 2.5 लाख से अधिक एवं 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है, तो फिर 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले कर मुक्त कैसे हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है आयकर अधिनियम की धारा 87(A) के द्वारा। आयकर अधिनियम की धारा 87(A) भारत में निवासी किसी कर निर्धारिती को कर राशि में कटौती का प्रावधान करता है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, अब 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय (पहले 3.5 लाख रुपये थी) वाला निर्धारिती आय कर की राशि से 12500 रुपये (पहले यह मात्र 2500 रुपये था) की कटौती का हकदार होगा। इस प्रावधान से 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाला व्यक्ति जिसे कुल 12500 रुपये कर (2.5 लाख तक शून्य, जबकि शेष 2.5 लाख पर 5 प्रतिशत की दर से 12500 रुपये) देना होता था, अब उस पर कर भार शून्य होगा।

इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम की धारा 80(c) के तहत 1.5 लाख रुपये जो प्राविडेंट फंड बीमा आदि में व्यय किए जाते हैं, भी कर से मुक्त होते हैं।

❑ कर संबंधी अन्य घोषणाएं

➡ भारत में विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देने हेतु विद्युत चालित वाहन खरीदने हेतु लिए गए ऋण के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती प्रदान की जाएगी।

➡ 45 लाख रुपये तक के मूल्य का मकान खरीदने (31 मार्च, 2020 तक के लिए) हेतु लिए गए ऋण के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती की घोषणा की गई है। इस प्रकार अब मकान खरीद पर कुल 3.5 लाख (पूर्व का 2 लाख + वर्तमान का 1.5 लाख) तक ब्याज कटौती का लाभ मिलेगा।

➡ आयकर रिटर्न फाइल करने हेतु पैन-आधार अदला-बदली लागू किया जाएगा, जिससे पैन संख्या के न होने पर केवल आधार संख्या से ही रिटर्न फाइल हो जाएगा।

➡ कर रिटर्न को आसान बनाने हेतु करदाताओं के लिए पहले से ही भरा हुआ फार्म उपलब्ध होगा। करदाताओं के आय-व्यय की सूचना विभिन्न स्रोतों से पहले से ही प्राप्त कर ली जाएगी।

➡ कारोबार में नकद भुगतान को हतोत्साहित करने हेतु बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकदी निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

➡ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रक्रिया को और सरल बनाने हेतु एक सरलीकृत एकल मासिक विवरणी लाई जाएगी।

➡ जिन करदाताओं का वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है, वे तिमाही विवरणी फाइल कर सकेंगे।

➡ पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना उपकर में प्रति लीटर 1 रुपये की दर से बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव किया गया है।

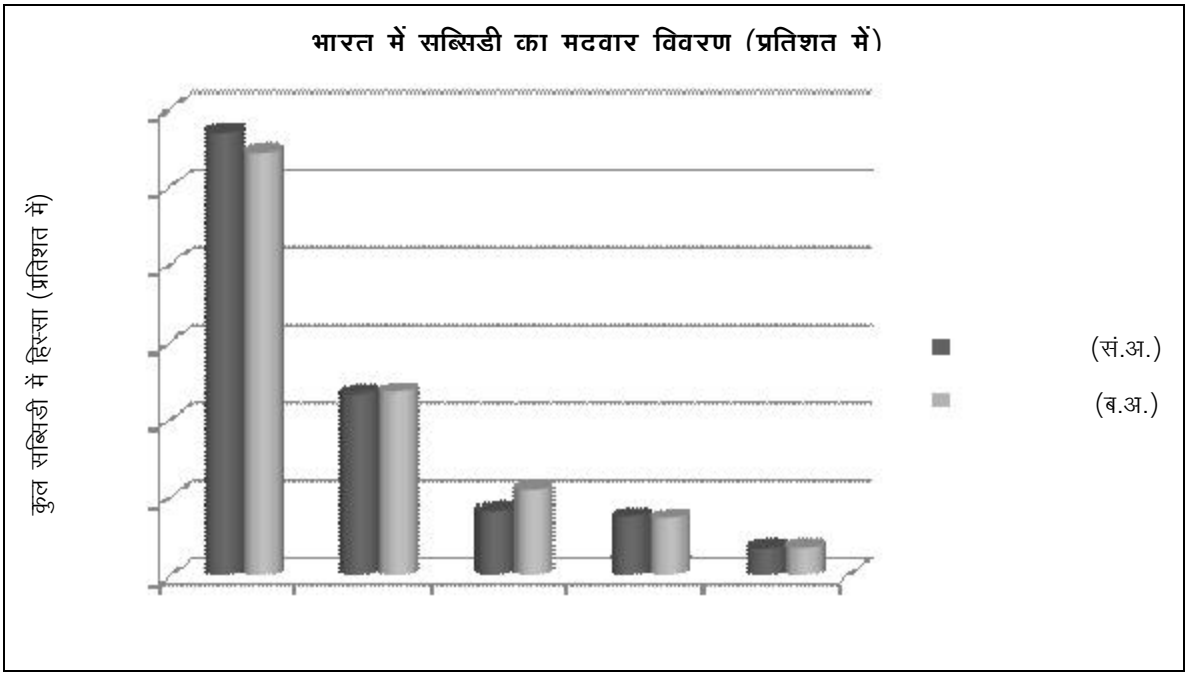
➡ जीएसटी से पूर्व के सेवा कर और उत्पाद शुल्क संबंधी मुकदमों, जिसमें 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि फंसी हुई है, के समाधान हेतु **विरासत विवाद समाधान योजना** की घोषणा की गई है।

विरासत समाधान योजना

- यह कर विवादों के समाधान की एक योजना है।
- यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और उपकरों के पिछले विवादों (जीएसटी से पूर्व के) को कवर करती है।
- सभी व्यक्ति जो उक्त करों के संदर्भ में वादी/आरोपी हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
- योजना में ब्याज के भुगतान और दंड से राहत की भी व्यवस्था है।

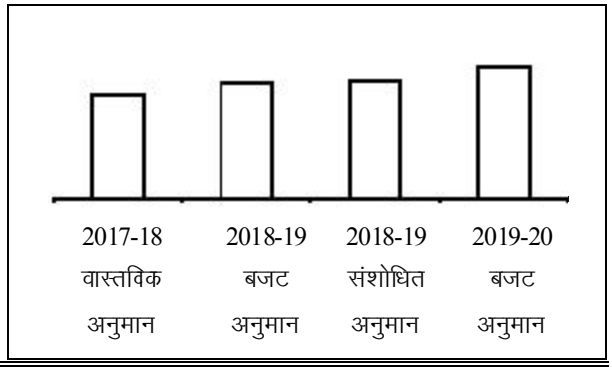
❑ सब्सिडी

भारत में सब्सिडी पर किया गया व्यय प्रत्यक्षत: कल्याण से जुड़ा हुआ है। यद्यपि विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मंचों से भारत पर सब्सिडी में कमी का दबाव बना हुआ है तथापि आज भी यह मद सकल बजटीय व्यय में महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। बजट 2019-20 में कुल 338949.5 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रस्तावित है, जो सकल व्यय का लगभग 12 प्रतिशत है। यह वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान (299221.11 करोड़ रुपये) की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित कुल सब्सिडी में खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम तथा ब्याज भुगतान सब्सिडी की प्रमुख मदें हैं। कुल सब्सिडी में इनका योगदान लगभग 96.5 प्रतिशत है। भारत में कुल सब्सिडी का आधे से अधिक (54.4%) अकेले खाद्य मद में व्यय का अनुमान है। मदवार सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी के बाद यूरिया सब्सिडी (15.8%), एलपीजी सब्सिडी (9.7%), पोषण आधारित सब्सिडी (7.8%) तथा किसानों के लघु अवधि ऋणों के ब्याज पर दी जाने वाली सब्सिडी (5.3%) अधिकतम हिस्सेदारी वाली मदें हैं। सब्सिडी का वितरण निम्न चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है–



❑ ब्याज भुगतान

भारत के लिए ब्याज भुगतान आज भी गंभीर चिंता का विषय है। सकल बजटीय व्यय अनुमान (2019-20) में ब्याज अदायगी का हिस्सा 18 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष (2018-19) में भी सकल व्यय का 18 प्रतिशत अनुमानित था। वर्ष 2019-20 में करों एवं शुल्कों में से राज्यों के हिस्से (23%) के बाद सकल व्यय में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान (18%) ही अनुमानित है। वर्ष 2018-19 में भी ब्याज भुगतान दूसरा सर्वाधिक बड़ा व्यय मद रहा। ब्याज भुगतान की विशालता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में इसे जीडीपी का लगभग 3.1 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। बजट 2019-20 में ब्याज भुगतान हेतु लगभग 6.6 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान (575795 करोड़ रुपये) से लगभग 14.7 प्रतिशत, जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान (587570 करोड़ रुपये) से लगभग 12.4 प्रतिशत अधिक है। विगत वर्षों में ब्याज भुगतान राशि में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक है। चूंकि, ब्याज भुगतान से न तो किसी परिसंपत्ति का सृजन होता है न ही किसी दायित्व में कमी, इस कारण ब्याज भुगतान अर्थव्यवस्था पर बोझ को दर्शाता है। ब्याज भुगतान (करोड़ रुपये में) की प्रवृत्ति को निम्न चित्र में दर्शाया गया है-



व्यय के शीर्ष पांच मद

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मद	2018-19 संशोधित अनुमान	2019-20 बजट अनुमान
1.	ब्याज	587570	660471
2.	रक्षा	285423	305296
3.	खाद्य सब्सिडी	171298	184220
4.	पेंशन	166618	174300
5.	परिवहन	145399	157437

सर्वाधिक आवंटन वाली 5 योजनाएं

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना	2018-19 संशोधित अनुमान	2019-20 बजट अनुमान
1.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	20000	75000
2.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	61084	60000
3.	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	32334	38547
4.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	31187	33651
5.	समन्वित बाल विकास योजना (ICDS)	23357	27584

❑ बजट के लक्ष्य

● 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री ने निकट भविष्य में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा। 1 जुलाई, 2019 को विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत 2.73 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व की सातवीं सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से अधिक जीडीपी केवल संयुक्त राज्य अमेरिका (20.49 ट्रिलियन डॉलर), चीन (13.61 ट्रिलियन डॉलर), जापान (4.97 ट्रिलियन डॉलर), जर्मनी (3.99 ट्रिलियन डॉलर), यू.के. (2.83 ट्रिलियन डॉलर) तथा फ्रांस (2.78 ट्रिलियन डॉलर) की है। चालू वित्त वर्ष में ही भारत की जीडीपी के 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। भारत की जीडीपी में सुधार हेतु अवसंरचना, संवर्द्धन, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों में व्यापक निवेश की रणनीति बनाई गई है। 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की प्राप्ति तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के समावेशी एवं धारणीय विकास हेतु 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है-

(i) भौतिक और सामाजिक अवसंरचना निर्माण;

(ii) डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाना;

(iii) हरित मातृभूमि एवं नीले आसमान के साथ प्रदूषण मुक्त भारत;

(iv) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, स्टार्ट-अप, रक्षा विनिर्माण, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैब्ज एवं बैटरीज एवं चिकित्सा उपकरणों पर विशेष जोर के साथ 'मेक इन इंडिया';

(v) जल, जल प्रबंधन एवं स्वच्छ नदियां;

(vi) ब्लू इकोनॉमी (मत्स्ययन एवं अन्य जलीय उत्पाद);

(vii) अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चंद्रयान और सैटेलाइट कार्यक्रम;

(viii) खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात;

(ix) स्वस्थ समाज-आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं एवं बच्चे तथा नागरिकों की सुरक्षा, एवं

(x) जन भागीदारी, न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन के साथ टीम इंडिया।

● बेहतर आधार संरचना

➡ अगले 5 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ का निवेश करने की घोषणा की गई है।

➡ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत 80250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अगले 5 वर्षों 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाएगा।

➡ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के द्वितीय चरण में वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि में योग्य लाभार्थियों को 1.95 करोड़ आवास उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

➡ उपनगरीय क्षेत्रों के रेल परिवहन को सुविधाजनक एवं दक्ष बनाने हेतु बड़ी मात्रा में निवेश किया जाएगा।

➡ रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

➡ भारत में वायुयानों के रख-रखाव, मरम्मत आदि से संबंधित उद्यमों की बड़ी संभावनाओं के आलोक में इस उद्योग के विकास हेतु आवश्यक नीतिगत कदम उठाए जाएंगे।

➡ पर्यावरण संरक्षण हेतु ई-वाहनों को प्रोत्साहन देने हेतु आधार संरचनात्मक निवेश (जैसे चार्जिंग आधार संरचना का विकास) किया जाएगा।

➡ रेलवे में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता (2018-30 के मध्य अनुमानित 50 लाख करोड़ रुपये) को देखते हुए रेलवे के तीव्र

विकास हेतु अनेक कार्यों जैसे पटरियां बिछाने, रेलिंग स्टॉक विनिर्माण आदि हेतु सरकारी-निजी भागीदारी मॉडल को अपनाया जाएगा।

➡ देश में आपसी संबद्धता को बढ़ाने हेतु **'एक देश एक ग्रिड'** मॉडल को अपनाने की बात रखी गई है। इसके तहत गैस ग्रिड, जल ग्रिड, आई-वे और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए इसी वर्ष एक ब्लूप्रिंट लाने का प्रस्ताव किया गया है।

➡ देश में निवेश जरूरतों हेतु प्रतिवर्ष अनुमानतः 20 लाख करोड़ रुपये (300 बिलियन डॉलर) की आवश्यकता है। भारतीय अवसंरचना जरूरतों के वित्तपोषण हेतु अनेक उपायों की घोषणा की गई है-

- ➲ वर्ष 2019-20 में क्रेडिट गारंटी वर्धन निगम स्थापित किया जाएगा।
- ➲ दीर्घावधिक बॉण्डों के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

● गांव एवं खेत-खलिहान

➡ परंपरागत व्यवसाय को मुख्य मूल्य श्रृंखला से जोड़ने हेतु देश में 100 नए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इससे 50 हजार दस्तकार/शिल्पकार लाभान्वित होंगे।

➡ कृषि-ग्रामीण उद्योग के क्षेत्र में 75 हजार कुशल उद्यमी के विकास हेतु वर्ष 2019-20 में 80आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और 20 प्रौद्योगिकी इंक्यूबेटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है।

➡ आगामी 5 वर्षों में 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की घोषणा की गई है।

➡ प्रत्येक गांव में स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी।

➡ मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ **'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना'** की घोषणा की गई है।

- ➲ यह योजना भारत में एक सुदृढ़ मात्स्यिकी ढांचे की स्थापना करने तथा मत्स्ययन मूल्य श्रृंखला में व्याप्त खामियों का समाधान (अवसंरचना निर्माण, आधुनिकीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकता संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण आदि) करेगा।

➡ किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु कृषि के साथ-साथ अन्य सहायक उद्यमों से आय सृजन की रणनीति अपनाई गई है। इसी के तहत पशु चारा विनिर्माण, दुग्ध की खरीद तथा विपणन हेतु अवसंरचना का सृजन करके सहकारिता के माध्यम से डेयरी कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।

➡ वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने हेतु **जीरो बजट फार्मिंग** (Zero Budget Farming) पर जोर दिया जाएगा।

● जल सुरक्षा

➡ जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा सभी भारतीयों को शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

➡ जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है।

➡ **जल जीवन मिशन** के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

➡ जल जीवन मिशन के तहत स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन हेतु अवसंरचना निर्माण किया जाएगा जिसमें वर्षा जल संचय, भूमि जल संभरण, पारिवारिक अपशिष्ट जल के कृषि हेतु पुनः प्रयोग आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

➡ 256 जिलों के 1592 विकास खंडों जहां जल की स्थिति दयनीय है, पर फोकस रहेगा।

● ऊर्जावान, दक्ष एवं कुशल युवा

➡ उच्च शिक्षा प्रणाली को सर्वोत्तम वैश्विक शिक्षा प्रणालियों के समकक्ष बनाने हेतु नई शिक्षा नीति लागू किए जाने की घोषणा की गई है।

➡ देश में शोध को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) के गठन की घोषणा की गई।

➡ भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने हेतु **भारत में अध्ययन कार्यक्रम** (Study in India Programme) प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई।

➡ बेहतर शैक्षणिक परिणामों की प्राप्ति तथा इस क्षेत्र में स्वायत्तता को बढ़ाने हेतु **भारतीय उच्च शिक्षा आयोग** की स्थापना की घोषणा की गई है।

➡ खेलो भारत योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों के विकास के लिए **राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड** (National Sport Education Board) का गठन किया जाएगा।



आरेखीय चित्र केंद्रीय बजट 2019-20

➡ भविष्य में वैश्विक स्तर पर कुशल मानव संसाधन की बड़ी संभावित मांग के अनुरूप भारतीय युवाओं को तैयार करने हेतु नवीन क्षेत्रों यथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर संबंधी उपकरण, बिग डाटा, 3डी प्रिंटिंग, आभासी वास्तविकता, रोबोटिक्स आदि क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

● लघु उद्यमी को प्रोत्साहन

➡ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) के नए एवं पुराने ऋणों पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना हेतु 350 करोड़ रुपये का आवंटन।

➡ छोटे कारोबारियों को पेंशन सहायता उपलब्ध कराने हेतु 1.5 करोड़ रुपये से कम का वार्षिक कारोबार करने वाले खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन सहायता उपलब्ध कराने हेतु **प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना** को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

➡ इस योजना के तहत 3 करोड़ खुदरा व्यापारी एवं छोटे दुकानदार लाभान्वित होंगे।

➡ स्टार्ट-अप के लिए एंजेल टैक्स मुद्दे पर किसी भी तरह की जांच नहीं की जाएगी तथा स्टार्ट-अप उद्यम के लिए ई-वेरीफिकेशन अपनाया जाएगा।

● खुशहाल मध्य वर्ग एवं सशक्त महिलाएं

➡ 45 लाख रुपये तक के मकान की खरीद हेतु लिए गए ऋण के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट।

➡ एक आदर्श किराया कानून बनाए जाने की घोषणा।

➡ महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु महिला स्वयं सहायता समूह ब्याज सहायता कार्यक्रम को सभी जिलों में विस्तारित करने की घोषणा की गई।

➡ स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य महिलाओं को जिनके पास जन धन बैंक खाता है, को 5 हजार रुपये के ओवरड्रॉफ्ट की अनुमति दी जाएगी।

➡ मुद्रा योजना के तहत प्रत्येक SHG की एक महिला को 1 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।



आरेखीय चित्र केंद्रीय बजट 2019-20

❑ विविध घोषणाएं

➡ भारतीय अंतरिक्ष क्षमता के वाणिज्यिक दोहन हेतु एक नए सरकारी क्षेत्र का उद्यम **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड** का गठन किया गया है, जो विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों (लांच व्हीकल का उत्पादन, प्रौद्योगिकियों का अंतरण, अंतरिक्ष उत्पादों का विपणन आदि) के वाणिज्यीकरण का नेतृत्व करेगी।

➡ स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ (वर्ष 2022 तक) पर प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार को बिजली तथा रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा।

➡ 2 अक्टूबर, 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी दर्शन राज घाट (नई दिल्ली) पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा।

➡ गांधीजी के सकारात्मक मूल्यों के बारे में युवाओं और समाज को व्यापक रूप से जागरूक बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा **गांधी विश्वकोश** भी विकसित किया जा रहा है।

➡ स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने, उनकी वृद्धि को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार-विमर्श करने, वित्त व्यवस्था तथा कर योजना पर विमर्श करने हेतु दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू किए जाने की घोषणा।

➡ स्टैंड-अप इंडिया योजना को 15वें वित्त आयोग (2020-25) तक की अवधि तक जारी रखा जाएगा।

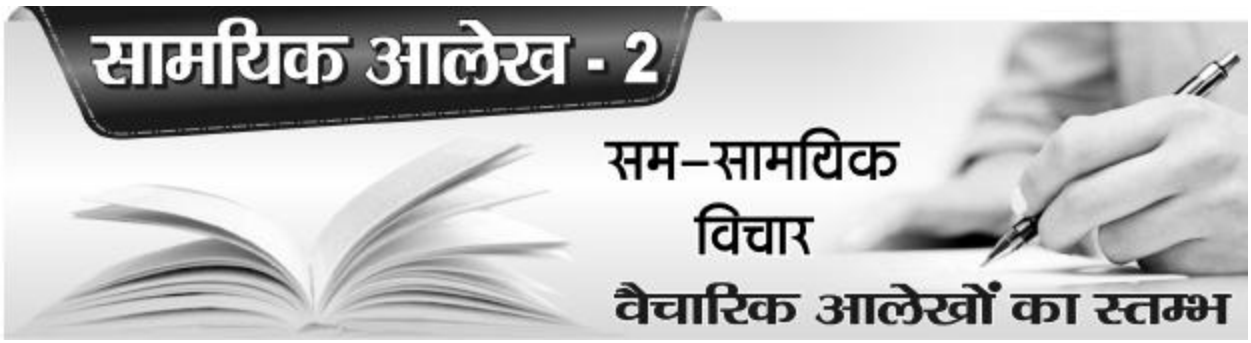
➡ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये की और राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

➡ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश से 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

❑ बजट विश्लेषण

वर्ष 2019-20 के बजट का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि इसमें लोक-लुभावन घोषणाओं से बचते हुए सुधारात्मक प्रयासों पर अधिक जोर दिया गया है। आधार संरचनात्मक विकास एवं संबद्धता बजट के केंद्र में दिखाई देती है। यह बजट एक बड़ा लक्ष्य (5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था) रखता है तथा उसकी प्राप्ति हेतु मार्ग की शुरुआत भी करता है। यद्यपि अमीरों पर कर भार बढ़ाने को लेकर इस बजट की आलोचना भी की जा रही है तथापि इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि सरकार को विकास करने हेतु धन तो चाहिए ही और इन सुधारात्मक प्रयासों से अमीर-गरीब सभी भविष्य में लाभान्वित होंगे। समग्रता में इसे एक प्रगतिशील बजट माना जा सकता है।

■■■



आर्थिक समीक्षा, 2018-19

आर्थिक समीक्षा (Economic Survey), केंद्रीय बजट (Union Budget) प्रस्तुत करने के पूर्व वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं। इसमें पूर्व वित्तीय वर्ष के बजट के संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं, जो वास्तविकता के निकट होते हैं और आगामी बजट निर्माण हेतु आधार का काम करते हैं। इस समीक्षा के आधार पर ही सरकार के विभिन्न विभाग अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं। आर्थिक समीक्षा में प्रायः 'केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय' (Central Statistical Office-CSO) द्वारा संकलित आंकड़ों को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 जुलाई, 2019 को संसद में प्रस्तुत किया। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी समीक्षा 2 खण्डों में प्रकाशित की गई है। खंड-1 में विश्लेषणात्मक सामग्री है। खंड-2 में हाल के वर्षों के विकास कार्यों की समीक्षा है, जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त एक सांख्यिकीय परिशिष्ट भी है।

इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा के मुख पृष्ठ का स्काई ब्लू रंग 'नीले गगन के समान' विस्तृत विचारधारा के प्रतीक के रूप में चुना गया है। यहां 'आर्थिक समीक्षा : 2018-19' के महत्वपूर्ण तथ्यों की संक्षिप्त बिंदुवार प्रस्तुति दी जा रही है।

➡ प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित -

➲ वित्त वर्ष 2025 तक अर्थव्यवस्था को-

5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने का उद्देश्य।

⇓

➲ इसके लिए **8% की वास्तविक GDP वृद्धि दर** की जरूरत।

➲ समीक्षा में **एंग्लो-सैक्सन संतुलनवादी दृष्टिकोण** का त्याग।

➲ ऐसे संवृद्धि प्रतिमान (Growth Model) की वकालत, जिसमें **सद्चक्र (Virtuous Cycle)** या **दुश्चक्र (Vicious Cycle)** चलता रहता है।

नोट - 1. एंग्लो-सैक्सन मध्यकालीन यूरोप की जर्मन भाषा बोलने वाली कुछ जातियां हैं।
2. **एंग्लो** जर्मनी के एंगॅल्न क्षेत्र से आए जिनके नाम पर इंग्लैंड का नाम पड़ा।
3. **सैक्सन** जर्मनी और नीदरलैंड्स के सैक्सनी क्षेत्र से आए
4. सद्चक्र या दुश्चक्र (Virtuous or Vicious cycle) एक ऐसा काल्पनिक या आभासी चक्र है, जिसमें एक बार प्रवेश कर जाने पर निकलना संभव नहीं होता है।
5. सद्चक्र में यदि आर्थिक उन्नति शुरू हो गई तो होती ही चली जाएगी, इसी प्रकार दुश्चक्र में यदि कोई दुखद स्थिति प्रारंभ हुई तो बनी ही रहेगी।

❑ 5 वर्ष की उपलब्धियां

➡ विश्व उत्पादन वृद्धि दर (World output growth rate)

2014 - 3.6% 2018 - 3.6%

➡ भारत की संवृद्धि विकास दर (Sustaining growth rate)- चीन से अधिक

चीन- 6.9% **भारत - 7.5%**

➡ 2014-18 के दौरान औसत मुद्रास्फीति दर विगत 5 वर्षों की तुलना में **आधे से भी कम**।

➲ प्रमुख मुद्रास्फीति (Headline Inflation)- 4% (2 प्रतिशतांक बैंड के साथ- with a band of 2 Percent points on either side)

➡ विदेशी विनिमय रिजर्व (Foreign exchange reserve)- उच्चतम स्तर पर।

➡ सकल राजकोषीय घाटा (GFD-Gross Fiscal Deficit) 2013-14 में GDP के 4.5 से घटकर 2018-19 में 3.4 प्रतिशत हो गया।

➡ वर्तमान में देश की 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आधार के कवरेज में आती है।

➡ बैंक खातों को आधार तथा मोबाइल से जोड़े जाने के बाद एक जैम (JAM- जन-धन, आधार, मोबाइल) त्रिमूर्ति (Trinity) तैयार की गई।

➡ **प्रधानमंत्री जन-धन योजना** (PMJDY) के अंतर्गत 35 करोड़ से अधिक के खाते खोले गए हैं।

➡ **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना**- वर्ष 2016 में प्रारंभ, सहायता राशि 1600 रु. प्रति कनेक्शन, 3 वर्ष के अंदर 5 करोड़ LPG कनेक्शन का मूल लक्ष्य।

➲ जून, 2019 तक 700 से अधिक जिलों में 70 मिलियन (7 करोड़) से अधिक LPG कनेक्शन दिए गए।

➡ **आयुष्मान भारत योजना (ABY)-** वर्ष 2018 में प्रारंभ, 100 रु. प्रतिमाह के प्रीमियम पर 100 मिलियन BPL परिवारों में प्रत्येक को नकद रहित उपचार (Cashless Treatment) के लिए 5 लाख रु. का बीमा कवर।

➲ वर्तमान में 15000 से ज्यादा अस्पतालों का पैनल, 346 मिलियन सूचीबद्ध लाभार्थी (Enlisted Beneficiaries), 2.6 मिलियन चिकित्सा लाभ प्राप्तकर्ता (Persons Admitted)

अवसंरचना (Infrastructure)

➲ अप्रैल, 2018 में भारत के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई।

➲ अब प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य।

➡ विगत 4 वर्ष में निर्मित सड़कें, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) लंबाई 132000 किमी. का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं।

➡ टियर 3 एवं टियर 4 नगरों में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए **'उड़ान'** योजना (UDAN Scheme) वर्ष 2017 में प्रारंभ।

➲ उड़ान के अंतर्गत 40 लाख अतिरिक्त सिटिंग क्षमता का निर्माण।

➡ दिसंबर, 2018 में असम में 4.94 किमी. लंबे बोगीवील पुल का उद्घाटन।

➲ यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल-सह-सड़क पुल है।

● संघीकरण (Federalism)

➡ 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool of Central Taxes) में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत

➲ जुलाई, 2017 में GST (माल एवं सेवाकर) प्रारंभ।

❑ आगामी 5 वर्ष : कार्य योजना

➡ वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना भारत का उद्देश्य है।

➲ यह भारत को विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा।

➲ इसके लिए GDP में 8 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर अपेक्षित है।

➡ निवेश, विशेषकर निजी निवेश मुख्य प्रेरक (Key Driver) है।

➲ यह मांग, क्षमता-निर्माण, श्रम उत्पादकता में वृद्धि करता है।

➲ यह नई प्रौद्योगिकी आरंभ करता है, सर्जनात्मक ध्वंस (Creative destruction) की अनुमति देता है तथा रोजगार का सृजन करता है।

➡ परंपरागत मॉडल (Traditional Model) के बजाय संवृद्धि प्रतिमान (Growth Model) मॉडल में हम अर्थव्यवस्था को निरंतर असंतुलन ग्रस्त (Constant Disequilibrium) मानते हैं। या तो यह सद्चक्र (Virtuous) में होगा या दुश्चक्र (Vicious) में।

➲ अर्थव्यवस्था जब सदचक्र में होती है, तो निवेश, उत्पादकता वृद्धि, रोजगार-सृजन, मांग और निर्यात सभी में ऊर्जा का संचार होता है।

➲ अर्थव्यवस्था जब दुश्चक्र होती है, तो प्रत्येक क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहती है।

➡ श्रम और निवेश एक -दूसरे के पूरक (Complementary) हैं। इसलिए रोजगार सृजन निवेश को प्रोत्साहित करके किया जा सकता है।

➡ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से शिशु लिंग अनुपातों को सुधारने में मदद मिली है।

➡ स्वच्छ भारत मिशन से ऐसे गांवों के प्रतिशत में वृद्धि करने में मदद मिली है, जो खुले में शौच जाने से मुक्त हैं।

➡ स्वच्छता में सुधार से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में मदद मिली है।

➡ भारत की कानूनी पद्धति (Legal System) पर 3.5 करोड़ लंबित मामलों (Pending Cases) का बोझ है।

➡ विश्व बैंक की व्यापार करने की सुगमता संबंधी नवीनतम रिपोर्ट में संविदा प्रवर्तन (Contract Enforcement) के लिए भारत 163वें स्थान पर है।

➡ निचली अदालतों में मात्र 2279 अतिरिक्त न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त 93 जजों की सहायता से 5 वर्षों में ही 100 प्रतिशत मामले निपटान की दर (शून्य संचय दर) प्राप्त की जा सकती है।

➡ भारत कार्यकारी आयु जनसंख्या के अधिकतम हिस्से के जनसंख्या चरण (Demographic phase of a high share of working age population) में है।

➲ भारत इस जनसंख्या भाग (Demographic Dividend) में अगले 2 दशकों तक रहेगा।

➲ कार्यकारी आयु जनसंख्या (20-59 वर्ष) 2011 में कुल जनसंख्या का 50.5 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2041 में बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो जाएगी।

➡ प्रजनन दर में गिरावट द्वारा आकलित कार्यकारी आयु जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है क्योंकि -

➲ प्रति कामगार उत्पादन (Output per worker) अपरिवर्तित होता है, परंतु युवा आश्रितों (Youth Dependents) की संख्या घट जाती है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

विश्व उत्पादन वृद्धि दर
(World output Growth)

2017	2018	2019 (अनुमानित)
3.8%	3.6 %	3.3%

स्थिर (आधार) कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (GVA)
वृद्धि दर (Gross Value Added Growth Rate)

2016 -17 द्वि.सं. अनुमान	2017-18 प्र.सं. अनुमान	2018-19 अनंतिम अनुमान
7.9%	6.9%	6.6%

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Incomes)
शीर्ष 3 राज्य (Top 3 States) 2016-17

गोवा	सिक्किम	हरियाणा
375550 रु.	270572 रु.	180174 रु.

दिल्ली - 298832 रु.

➡ सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़े वर्ष 2016-17 तक ही उपलब्ध हैं। वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 के आंकड़ों में सभी राज्यों की तुलना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि

2016-17	2017-18	2018-19
8.2%	8.9%	10.6%

स्थिर कीमतों पर
भारतीय अर्थव्यवस्था : वृद्धि दर (GDP)

2016-17	2017-18	2018-19 (अनंतिम अनुमान)
8.2 %	7.2 %	6.8 %

विश्व में सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था

वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय
(Per Capita Net National Incomes at Current Price)

	रु.	वृद्धि दर
2016-17 ⇒ (द्वि.सं. अनुमान)	104659	10.4%
2017-18 ⇒ (प्र.सं. अनुमान)	114958	9.8%
2018-19 ⇒ (अं.अनुमान)	126406	10.0%

खाद्यान्न उत्पादन
(Food Grains Production)
(मिलियन टन में)

2016 -17	275.1
2017-18	285.0
2018-19 (तीसरा अग्रिम अनुमान)	283.4

प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि, 2016-17
(वर्तमान कीमतों पर)
शीर्ष-3 राज्य
(Per Capita Net State Domestic Product Growth 2016-17)
Top -3 States

मध्य प्रदेश	आंध्र प्रदेश	बिहार
19.4%	15.2 %	13.9%

उत्तर प्रदेश - 8.2%

मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	2016-17	2017-18	2018-19
● थोक कीमत सूचकांक ⇒ (WPI) औसत	1.7	3.0	4.3
● उपभोक्ता कीमत सूचकांक ⇒ (CPI) औसत	2016-17 4.5	2017-18 3.6	2018-19 3.4

राजकोषीय घाटा
(FISCAL DEFICIT)
(GDP के प्रतिशत में)

2016-17	3.5
2017-18	3.5
2018-19 (अनंतिम वास्तविक)	3.4

विदेशी मुद्रा भंडार
(Foreign Exchange Reserves)
वर्ष अंत (End of the Year)
(बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

2016-17 ⇒	370.0
2017-18 ⇒	424.5
2018-19 ⇒	412.9

भारतीय अर्थव्यवस्था

➡ आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत अमेरिकी डॉलर में GDP के संदर्भ में विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

➡ क्रयशक्ति की समानता के समायोजन के साथ [With Purchasing Power Parity (PPP) Adjustment] अंतरराष्ट्रीय डॉलर में भारत की GDP का स्थान विश्व में तीसरा है।

➡ भारत विश्व में सबसे तेज विकास करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

➡ विगत 5 वर्षों में भारत की औसत GDP वृद्धि - 7.5 प्रतिशत

➡ रबी की फसल के लिए वर्ष 2018-19 में एकड़वार क्षेत्रफल गत वर्ष की तुलना में कम था।

➲ **कारण**-खाद्य कीमतों में कमी आने के कारण हतोत्साहित होकर किसान कम फसल उपजाने लगे।

➡ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में तिमाहीवार GVA प्रतिशत वृद्धि दर

	Q1	Q2	Q3	Q4
➲ वर्ष 2018-19	5.1	4.9	2.8	- 0.1

चालू खाता घाटा (Current Account Deficit)

वर्ष	
➲ 2016-17	GDP का 0.6%
➲ 2017-18	GDP का 1.9%
➲ 2018-19	GDP का 2.6%

(अप्रैल-दिसंबर)

➡ चालू खाता बढ़ने का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि है।

व्यापार-घाटा (Trade Deficit)

(बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वर्ष	
➲ 2017-18	162.1
➲ 2018-19	184

सकल घरेलू बचत (Gross Domestic Savings) GDP प्रतिशत के रूप में

➲ 2016-17 ⇒ 30.3

➲ 2017-18 ⇒ 30.5
सर्वाधिक घरेलू क्षेत्र में

सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation) GDP प्रतिशत के रूप में

➲ 2016-17 ⇒ 30.9
सर्वाधिक निजी क्षेत्र में ⇒ 22.1

➲ 2017-18 ⇒ 32.3
सर्वाधिक निजी क्षेत्र में ⇒ 22.4

प्रमुख फसल उत्पादन (Major Crop Production)

	वर्ष 2016-17	(मिलियन टन में) 2017-18 (च.अ.अनु.)
1. खाद्यान्न (अनाज, मोटे अनाज, दालें)	**275.1**	**284.8**
a खरीफ	138.3	140.7
b रबी	136.8	144.1
2. तिलहन	**31.3**	**31.3**
a खरीफ	21.5	21.0
b रबी	9.8	10.3
3. गन्ना	**306.1**	**376.9**
4. कपास (गाठें 170 किग्रा.)	**32.6**	**34.9**
5. जूट एवं मेस्ता (गाठें 180 किग्रा.)	**11.0**	**10.1**

खाद्यान्न उत्पादकता

वर्ष	किग्रा./हेक्टेयर
2010-11	1930
2011-12	2078
2012-13	2079
2013-14	2120
2014-15	2028
2015-16	2042
2016-17	2129
2017-18	2233
2018-19	2292

➡ प्राय: सभी खाद्यान्नों की उत्पादकता में वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति रही है।

➡ वर्ष 2018-19 में रुपये का मूल्य ह्रास

➲ अमेरिकी डॉलर की तुलना में - 7.8 %

➲ येन की तुलना में - 7.7 %

➲ स्टर्लिंग पाउण्ड की तुलना में - 6.8 %

➡ विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार मार्चांत, 2018 की तुलना में मार्चांत 2019 में घटा - 11.6 बिलियन डॉलर

➡ 14 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार - 422.2 बिलियन डॉलर

➡ निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 2018-19 में बढ़ा - 14.2 प्रतिशत

➡ एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्रों में थे- सेवाएं, ऑटोमोबाइल और रसायन

➡ 2018-19 में प्रत्यक्ष करों में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि।

➲ **कारण** - निगम कर में अच्छा प्रदर्शन

➡ 2018-19 में अप्रत्यक्ष करों में लगभग 16 प्रतिशत की कमी।

➲ **कारण** - माल एवं सेवा कर राजस्व में बजट अनुमान से लगभग 22 प्रतिशत की कमी।

➡ 2011-12 से 2013-14 की तुलना में 2014-15 से 2017-18 में उपभोग की संरचना में कुछ बदलाव हुआ है।

➲ खर्च करने की प्रवृत्ति खाद्य एवं पेय पदार्थ, परिवहन एवं संचार में कुछ कम होकर परिधान एवं जूते, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, आवासन एवं अनुरक्षण की ओर अंतरित हुई है।

सकल मूल्य वृद्धि में वास्तविक वृद्धि
(GVA-Gross Value Added)

	2016-17	2017-18	2018-19
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	6.3%	5.0%	2.9%
उद्योग	7.7%	5.9%	6.9%
सेवा	8.4%	8.1%	7.5%
कुल वृद्धि	7.9%	6.9%	6.6%

सकल मूल्य वृद्धि (GVA) में
वर्तमान कीमतों पर क्षेत्रवार हिस्सेदारी

	2016-17	2017-18	2018-19
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	17.9%	17.2%	16.1%
उद्योग	29.4%	29.3%	29.6%
सेवा	52.7%	53.5%	54.3%
कुल	**100%**	**100%**	**100%**

➡ सेवा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक गतिमान सेक्टर है।

➲ यह GVA का प्रमुख योगदानकर्ता और भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा निर्यातकर्ता है।

➲ सेवा निर्यात 2000-01 के 746 बिलियन रुपये से 2018-19 में 14389 बिलियन रुपये हो गया।

➲ कुल निर्यातों में इसका भाग 2018-19 में 38.4 प्रतिशत है।

➲ विश्व सेवा निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी 2005 के 2 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 3.5 प्रतिशत हो गई है।

➡ वित्त वर्ष 2020-21 तक GDP का 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा हासिल करने और केंद्रीय सरकार का ऋण 2024-25 तक GDP का 40 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई है।

➡ केंद्रीय सरकार का ऋण GDP अनुपात मार्चांत, 2019 में 48.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसके मार्चांत, 2020 तक गिरकर 46.7 प्रतिशत तथा मार्चांत, 2021 तक 44.6 प्रतिशत पहुंचने का लक्ष्य है।

➡ **केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व (GDP के प्रतिशत में)**

2017-18 - 11.2 %

2018-19 अनंतिम वास्तविक - 10.9 %

➡ **संधारणीय विकास के लक्ष्य (SDG) कंपोजिट इंडेक्स**

शीर्ष - 5 राज्य/के.शा.प्र.

हिमाचल प्रदेश - 69

केरल - 69

चंडीगढ़ - 68

तमिलनाडु - 66

पुडुचेरी - 65

➡ कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के समतुल्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में हिस्सा-

➲ ऊर्जा - 73 प्रतिशत

➲ औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं उत्पाद उपयोग - 8 प्रतिशत

➲ कृषि क्षेत्र - 16प्रतिशत

➡ वर्ष 2018-19, पेट्रोलियम उत्पाद देश के मूल्य के हिसाब से निर्यात अंश में 14.1 प्रतिशत हिस्से के साथ सर्वाधिक बड़ी वस्तु बनी रही।

➡ वर्ष 2018-19 के आयात अंश में सर्वाधिक हिस्सा पेट्रोलियमः कच्चे तेल का था।

➡ वर्ष 2018-19 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सर्वाधिक निर्यातोन्मुख देश बना हुआ है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, चीन और हांगकांग का स्थान है।

➡ निर्यात वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष राष्ट्र **नीदरलैंड्स** तथा आयात वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष राष्ट्र **सिंगापुर** है।

➡ भारत में लगभग 89 प्रतिशत भू-जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। स्रोत- एशिया जल विकास परिदृश्य, 2016

➲ वर्ष 2050 तक भारत विश्व में जल सुरक्षा हीनता का केंद्र बिंदु बन जाएगा।

➲ धान और गन्ना देश में सिंचाई हेतु उपलब्ध जल का 60 प्रतिशत से अधिक ले लेते हैं, जिससे अन्य फसलों के लिए कम पानी उपलब्ध रहता है।

➡ शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF) का मुख्य उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को समाप्त करना और अच्छी कृषि विज्ञान परिपाटियों को प्रोत्साहन देना है।

➡ कॉफी बोर्ड ने **ब्लॉक चेन आधारित ई-बाजार** का शुभारंभ किया है।

➲ इससे कॉफी उत्पादकों तथा क्रेताओं के मध्य बिचौलियों की लंबी श्रृंखला घट जाएगी तथा यह कृषकों को अपनी आय दो गुना करने में सहायता करेगी।

➡ विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है, जहां समग्र कॉफी को छाया में रखकर उगाया जाता है, हाथों से चुन-चुन कर एकत्र किया जाता है तथा धूप में सुखा दिया जाता है।

- ➲ यहां विश्व की सबसे **बेहतरीन कॉफी** का उत्पादन होता है।
- ➲ छोटे पैमाने पर खेती करने वाले जनजातीय कृषक कॉफी का उत्पादन करते हैं। इनके खेत अधिकांशत: राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों एवं वन्य प्राणी अभयारण्यों के निकटवर्ती क्षेत्रों में हैं।

➡ भारतीय कपड़ा उद्योग **दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक** है।

- ➲ कपड़ा और वस्त्र के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 5 प्रतिशत है।
- ➲ कपड़ा उद्योग कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो 4.5 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देता है और संबद्ध क्षेत्रों में अन्य **6 करोड़ लोगों को रोजगार** उपलब्ध कराता है।

➡ भारत में 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, लगभग 58.98 लाख किमी. का सड़क नेटवर्क है, जिसमें-

- ➲ ग्रामीण सड़कें - 70.65 प्रतिशत
- ➲ राष्ट्रीय राजमार्ग - 1.94 प्रतिशत
- ➲ राज्य राजमार्ग - 2.97 प्रतिशत

➡ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 को **'निर्माण वर्ष'** घोषित किया।

➡ वर्ष 2014-15 में प्रतिदिन 12 किमी. सड़क का निर्माण होता था, जबकि वर्ष 2018-19 में प्रतिदिन 30 किमी. की दर से सड़कों का निर्माण हुआ।

➡ 1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेलवे के पास विद्युत चालित 35488 किमी. मार्ग का नेटवर्क है, जो कुल नेटवर्क का 51.85 प्रतिशत है।

➡ वर्ष 2018-19 के अंतिम चरण में कुल 107 हवाई अड्डों पर निर्धारित एयरलाइन संचालन की व्यवस्था की गई है।

➡ पत्तनों के माध्यम से मात्रा की दृष्टि से लगभग 90 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 70 प्रतिशत आयात-निर्यात माल का आवागमन होता है।

➡ भारत की 19वीं पशुधन गणना के अनुसार, भारत के पास पशुधन के विशाल संसाधन हैं।

- ➲ इसमें 300 मिलियन मवेशी, 65.1 मिलियन भेड़ (विश्व का 6.4%), 135.2 मिलियन बकरियां (विश्व का 16.1%) और 10.3 मिलियन सुअर शामिल हैं।

➡ **दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर** है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत उत्पादन करता है।

- ➲ वर्ष 2017-18 में दुग्ध उत्पादन = 176.3 मिलियन टन।
- ➲ देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता पंजाब में 1120 ग्राम है।

➡ भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा **मछली उत्पादक** देश है।

- ➲ वर्ष 2018-19 में मछली उत्पादन = 13.7 मिलियन मीट्रिक टन।

➡ 31 अक्टूबर, 2018 को जारी वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, भारत 190 देशों में अपनी स्थिति को सुधारते हुए गत वर्ष के 100वें स्थान से 77वें स्थान पर पहुंच गया है।

➡ मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप संख्या की दृष्टि से 3 शीर्ष स्थल क्रमश: **महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं दिल्ली** हैं।

➡ सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा उद्योग में हैं।

➡ वैश्विक स्तर पर भारत जापान को पछाड़ते हुए 6 प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी के साथ **कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** हो गया है।

- ➲ चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत **तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता** रहा है।

➡ भारत **फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक**, **चमड़े के परिधानों** का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक तथा **चमड़े के सामान** का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक देश है।

➡ सकल संवर्धित मूल्य के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 2017-18 के 8.1 प्रतिशत से 2018-19 में कम होकर 7.5 प्रतिशत पर आ गई है।

➡ वर्ष 2017-18 में कुल GSVA में चंडीगढ़ और दिल्ली में सेवाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक (80% से अधिक) थी तथा सिक्किम में सबसे कम (30.2%) थी।

➡ वर्ष 2017 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में **भारत का स्थान विश्व में 8वां तथा आयात में 10वां** था।

➡ सेवा क्षेत्र में FDI इक्विटी अंतर्वाह भारत में होने वाले कुल FDI इक्विटी अंतर्वाह का 60 प्रतिशत से अधिक है।

➡ स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय ने विकास के लिए 15 सर्किट चुने हैं।

➡ चीन के बाद भारत विश्व में भुगतान-**टी.वी. का दूसरा सबसे बड़ा बाजार** है।

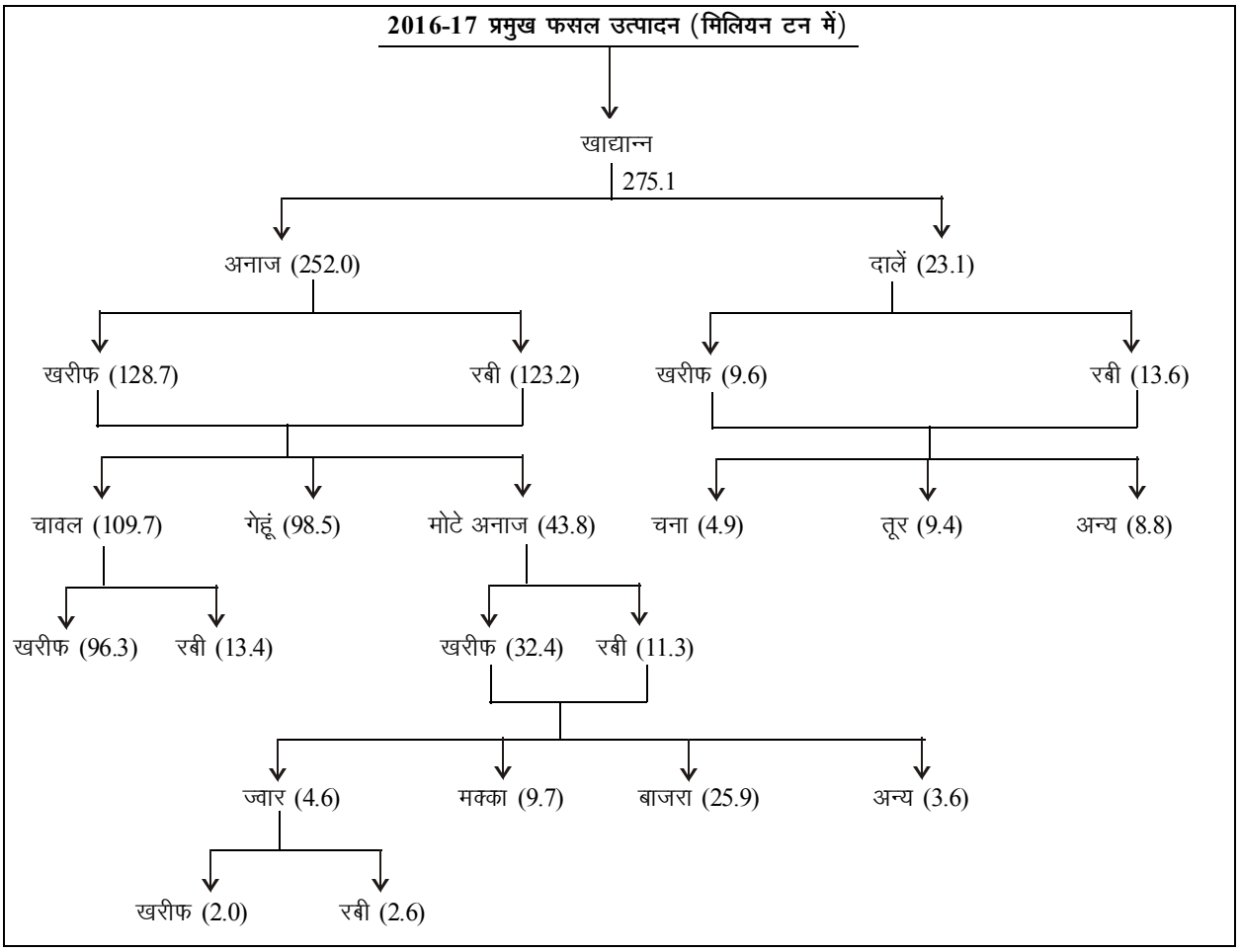
➡ वर्ष 2018 में 19.7 करोड़ टी.वी. वाले परिवारों के साथ देश में टी.वी. की पैठ 66 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

➡ वर्ष 2018 में 1776 घरेलू फिल्मों को जारी करने के साथ भारत **विश्व में फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता** है।

➡ UNDP के मानव विकास सूचकांक के अनुसार, भारत 189 देशों में 130वें स्थान पर है।

➡ संधारणीय विकास लक्ष्य (SDG) वर्ष 2030 तक निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों और अन्य 169 लक्ष्यों का एक संग्रह है।

➡ वर्ष 2018 SDG भारत सूचकांक में केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु शीर्ष 3 स्थानों पर विराजमान हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और असम सबसे निचले स्थान पर हैं।



प्रमुख फसल उत्पादन शीर्ष 3 राज्य (Production of Important Crops Top-3 States)
2017-18 (च.अ.अनुमान)

	आर्थिक समीक्षा अंग्रेजी संस्करण के अनुसार स्थान			आर्थिक समीक्षा हिंदी संस्करण के अनुसार स्थान		
	प्रथम	**द्वितीय**	**तृतीय**	**प्रथम**	**द्वितीय**	**तृतीय**
➡ चावल (Rice)	पश्चिम बंगाल	पंजाब	उ.प्र.	प. बंगाल	उ.प्र.	पंजाब
➡ गेहूं (Wheat)	उ.प्र.	पंजाब	म.प्र.	उ.प्र.	म.प्र.	पंजाब
➡ मक्का (Maize)	कर्नाटक	महाराष्ट्र	म.प्र.	महाराष्ट्र	कर्नाटक	म.प्र.
➡ मोटे अनाज (Coarse Cereals)	राजस्थान	कर्नाटक	महाराष्ट्र	राजस्थान	महाराष्ट्र	कर्नाटक
➡ चना (Gram)	म.प्र.	महाराष्ट्र	राजस्थान			
➡ दालें (Pulses)	म.प्र.	राजस्थान	महाराष्ट्र	म.प्र.	महाराष्ट्र	राजस्थान
➡ कुल खाद्यान्न (Foodgrains)	उ.प्र.	म.प्र.	पंजाब			
➡ मूंगफली (Ground Nut)	गुजरात	राजस्थान	आंध्र प्रदेश			
➡ सोयाबीन (Soyabean)	म.प्र.	महाराष्ट्र	राजस्थान			
➡ सूरजमुखी (Sunflower)	कर्नाटक	बिहार	ओडिशा	कर्नाटक	ओडिशा	आंध्र प्रदेश
➡ गन्ना (Sugarcane)	उ.प्र.	महाराष्ट्र	कर्नाटक			
➡ कपास (Cotton)	गुजरात	महाराष्ट्र	तेलंगाना	महाराष्ट्र	गुजरात	तेलंगाना
➡ जूट और मेस्ता (Jute & Mesta)	प. बंगाल	बिहार	असम			

नोट : शीर्ष क्रम में हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता है, किंतु अंग्रेजी संस्करण को सही मानना उचित है क्योंकि RBI की रिपोर्ट से यही क्रम मेल खाता है।

प्रति व्यक्ति निवल खाद्यान्न उपलब्धता
(Per Capita Net Availability of Foodgrains)
As on 19-11-2018

		किग्रा. प्रति वर्ष	ग्राम प्रतिदिन
चावल	2017	66.8	183.0
	2018(P)	69.0	188.9
गेहूं	2017	66.7	182.7
	2018 (P)	64.4	176.4
दालें	2017	20	54.7
	2018 (P)	20.4	55.9

P = Provisional

प्रति व्यक्ति उपलब्धता
(Per Capita Availability)
2015-16

चाय	–	758 ग्राम
कॉफी	–	100 ग्राम
बिजली (घरेलू)	–	189.1 किलोवॉट घंटा (P)
कपड़ा	–	40.5 मीटर

उर्वरकों का उत्पादन, आयात तथा उपभोग
(Production, Imports and Consumption of Fertilizers)

हजार टन पोषाहार

2017-18	उत्पादन	आयात	उपभोग
A. नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक (Nitrogenous Fertilizers)	13386	3588	16958
B. फॉस्फेटयुक्त उर्वरक (Phosphatic Fertilizers)	4723	2047	6854
C. पोटाशयुक्त उर्वरक (Potassic Fertilizers)	—	2895	2779
D. समस्त उर्वरक (All Fertilizers)	18109	8530	26591

दूध उत्पादन (मिलियन टन)		अंडा उत्पादन (मिलियन में)		मछली उत्पादन (हजार टन)	
2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
165.4	176.3	88137	95217	11420	12610

विद्युत आपूर्ति स्थापित संयंत्र क्षमता
(Installed Plant Capicity)
जनोपयोगी (Utilities)

2017-18 (हजार मेगावॉट में)

➡ जल विद्युत (Hydro)	-	45.3
➡ तापीय + नवीकरणीय ऊर्जा (Thermal + RES)	-	291.9
➡ नाभिकीय (Nuclear)	-	6.8
कुल स्थापित क्षमता	-	344.0

विद्युत आपूर्ति
उत्पादित ऊर्जा
(Energy Generated)
जनोपयोगी (Utilities)

2017-18 (बिलियन KWH में)

➡ जल विद्युत (Hydro)	-	126.1
➡ तापीय + नवीकरणीय ऊर्जा (Thermal + RES)	-	1139.0
➡ नाभिकीय (Nuclear)	-	38.3
कुल उत्पादित ऊर्जा	-	1303.5

भारतीय रेल मार्ग

2017-18 (हजार किमी.में)

विद्युत चालित (Electrified)	कुल
29.40	68.40

मेट्रो रेलवे/कोलकाता शामिल

सड़क परिवहन
सड़कों की लंबाई

2016-17 (P) (हजार किमी. में)

कुल	सतही (Surfaced)
5897.7	3729.8

कच्चा तेल (Crude Oil)

2017-18 (मिलियन टन में)

➡ रिफाइनरी उत्पादन		251.9
घरेलू उत्पादन		35.6
➲ जिसमें से	तटीय	17.5
	अपतटीय	18.1
➡ आयात		220.4

कच्चा तेल

तटीय उत्पादन

शीर्ष 3 राज्य

2017-18 (P) (हजार टन)

1. राजस्थान	-	7887
2. गुजरात	-	4591
3. असम	-	4345

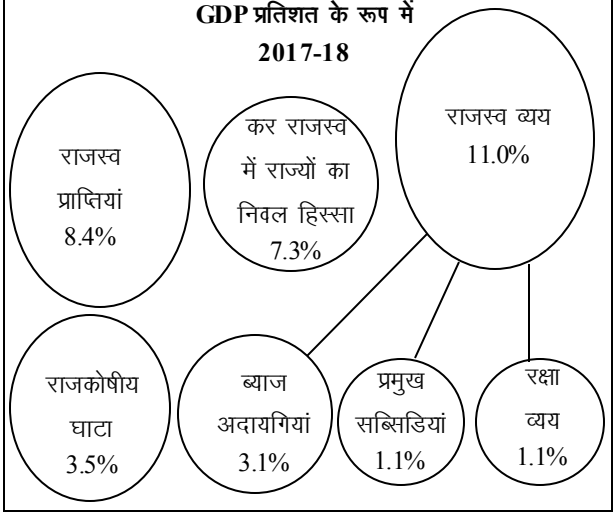
➡ बाम्बे हाई (अपतटीय क्षेत्र) भारत का सबसे बड़ा आयल एंड गैस फील्ड है।

केंद्र सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय

(Receipts and Expenditure of the Central Government)

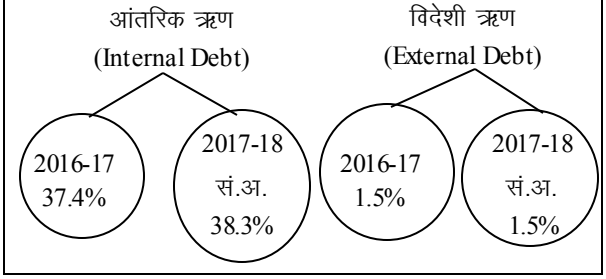
GDP प्रतिशत के रूप में

2017-18



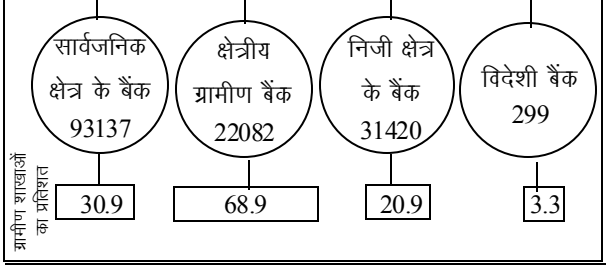
आंतरिक ऋण एवं विदेशी ऋण

(GDP प्रतिशत के रूप में)



वाणिज्यिक बैंकों की कार्यशील शाखाओं की संख्या

2018 (मार्च की स्थिति के अनुसार)



निर्यात, आयात तथा व्यापार शेष

(Export, Import and Trade Balance)

(करोड़ रु. में)

	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	प्रतिशत परिवर्तन निर्यात	प्रतिशत परिवर्तन आयात
2016-17	1849434	2577675	(-)728242	7.8	3.5
2017-18	1956515	3001033	(-)1044519	5.8	16.4
2018-19 (अनंतिम)	2307663	3594373	(-)1286710	18.0	19.8

निर्यात, आयात तथा व्यापार शेष

(Export, Import and Trade Balance)

(मिलियन डॉलर में)

	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	प्रतिशत परिवर्तन निर्यात	प्रतिशत परिवर्तन आयात
2016-17	275852	384357	(-)108505	5.2	0.9
2017-18	303526	465581	(-)162055	10.0	21.1
2018-19 (अनंतिम)	329536	514034	(-)184498	8.8	10.4

मुख्य आयातों का प्रतिशत हिस्सा

(Percentage Share of Major Imports)

वस्तु समूह	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
➡ खाद्य पदार्थ और संबंधित उत्पाद	4.4%	3.2%
जिसमें शामिल हैं -		
1. अनाज	0.1%	0%
2. दालें	0.6%	0.2%
3. काजू	0.3%	0.3%
4. खाद्य तेल	2.5%	1.9%
➡ ईंधन	28.3%	32.5%
5. कोयला	4.9%	5.1%
6. पेट्रोल, तेल और स्नेहक	23.3%	27.4%
➡ उर्वरक	1.2%	1.5%
➡ गत्ता-अखबारी कागज	0.9%	0.9%
➡ पूंजीगत वस्तुएं	13.6%	13.8%
7. मशीनरी (बिजली और मशीनरी औजारों के अतिरिक्त)	3.7%	3.8%
8. बिजली मशीनरी	3.4%	3.5%
9. परिवहन उपस्कर	4.9%	4.8%
10. परियोजना वस्तुएं	0.4%	0.5%

➡ अन्य	39.1%	36.6%
11. रसायन	6.5%	6.8%
12. मोती, बहुमूल्य एवं अर्द्ध-बहुमूल्य रत्न	7.4%	5.3%
13. लौह और इस्पात	2.2%	2.4%
14. अलौह धातुएं	2.8%	2.9%
15. सोना-चांदी	7.9%	7.1%
16. व्यावसायिक उपकरण, प्रकाशीय वस्तुएं आदि	1.0%	1.0%
17. इलेक्ट्रॉनिक सामान	11.4%	11.2%

मुख्य निर्यातों का प्रतिशत हिस्सा
(Percentage Share of Major Exports)

वस्तु समूह	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
➡ कृषि और संबंधित वस्तुएं	12.7%	11.8%
जिसमें शामिल प्रमुख मदें		
1. चाय	0.3%	0.3%
2. कॉफी	0.3%	0.2%
3. अनाज	2.7%	2.5%
4. सामुद्रिक उत्पाद	2.4%	2.1%
5. अपरिष्कृत कपास	0.6%	0.6%
➡ अयस्क और खनिज	1.9%	1.8%
इसमें लौह अयस्क	0.5%	0.4%
➡ विनिर्मित वस्तुएं	71.2%	70.3%
इसमें शामिल प्रमुख मदें		
1. रत्न एवं आभूषण	13.7%	12.2%
2. धातुओं के उत्पाद	5.8%	5.0%
3. मशीनरी और उपकरण	7.6%	8.3%
4. परिवहन उपस्कर	7.0%	7.3%
5. प्राथमिक एवं अर्ध निर्मित लौह और इस्पात	3.7%	2.9%
6. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	1.9%	2.4%
7. सूती धागे, वस्त्र और उससे निर्मित वस्तुएं	2.9%	3.0%
8. सिले-सिलाए वस्त्र	5.5%	4.9%
➡ कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद (कोयला सहित)	12.7%	14.5%
कुछ अन्य वर्ग		
➡ चावल (अनाज का भाग)	2.6%	2.3%
➡ मछली तथा मछली से बने खाद्य पदार्थ	2.4%	2.0%
➡ कपड़ा और उससे बनी वस्तुएं (हाथ से बने गलीचों के अतिरिक्त)	8.9%	8.3%
➡ रसायन एवं सबंधित उत्पाद	10.1%	11.47%
➡ मशीनरी, परिवहन एवं लोहा और इस्पात सहित धात्विक निर्मित सामान	28%	28%

आयातों की दिशा
क्षेत्र और प्रमुख देशों द्वारा आयात

क्षेत्र/देश	2018-19 के आयात में प्रतिशत हिस्सा
❑ यूरोप	15. 3
▲ यूरोपीय संघ	11. 3
● जर्मनी	2. 9
● बेल्जियम	2. 0
● यूनाइटेड किंगडम	1.5
● फ्रांस	1. 2
● इटली	1. 0
● नीदरलैंड्स	0. 8
▲ यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)	3. 6
● स्विट्जरलैंड	3.5
▲ अन्य यूरोपीय देश	0.5
● तुर्की	0.5
❑ अफ्रीका	8.0
▲ दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ	1.5
● दक्षिण अफ्रीका	1.3
● बोत्सवाना	0.2
▲ अन्य दक्षिण अफ्रीकी देश	1.1
● अंगोला	0.8
▲ पश्चिमी अफ्रीका	3.9
● नाइजीरिया	2.1
● घाना	0.7
❑ अमेरिका	12.7
▲ उत्तरी अमेरिका	8.6
● संयुक्त राज्य अमेरिका	6.9
● मेक्सिको	1.1
● कनाडा	0.7

▲ लैटिन अमेरिका	4.0
● वेनेजुएला	1.4
● ब्राजील	0.9
● पेरू	0.5
● अर्जेंटीना	0.4
❑ एशिया	62.1
▲ पूर्वी एशिया (ओशिनिया)	2.7
● ऑस्ट्रेलिया	2.6
● न्यूजीलैंड	0.1
▲ आसियान	11.6
● सिंगापुर	3.2
● इंडोनेशिया	3.1
● मलेशिया	2.1
● थाईलैंड	1.5
● वियतनाम	1.4
▲ पश्चिम एशियाई-GCC	15.5
● संयुक्त अरब अमीरात	5.8
● सऊदी अरब	5.6
● कतर	2.1
● कुवैत	1.4
▲ अन्य पश्चिम एशियाई देश	7.6
● इराक	4.4
● ईरान	2.6
● इस्राइल	0.4
▲ उत्तर-पूर्वी एशिया	23.9
● चीन जनवादी गणराज्य	13.7
● हांगकांग	3.5
● कोरिया गणराज्य	3.3
● जापान	2.5
● ताइवान	0.9
▲ दक्षिण एशिया	0.8
● श्रीलंका	0.3
● बांग्लादेश	0.2
▲ सीआईएस और बाल्टिक देश	1.8
● रूस	1.1
● उक्रेन	0.5

आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश	
1. चीन	13.7%
2. सं.रा. अमेरिका	6.9%
3. संयुक्त अरब अमीरात	5.8%
4. सऊदी अरब	5.6%
5. इराक	4.4%

निर्यात की दिशा क्षेत्र और प्रमुख देश	
क्षेत्र/देश	**2018-19 के निर्यात में प्रतिशत हिस्सा**
❑ यूरोप	19.5
▲ यूरोपीय संघ के देश	17.4
● यू.के.	2.8
● जर्मनी	2.7
● नीदरलैंड्स	2.7
● बेल्जियम	2.0
● इटली	1.7
● फ्रांस	1.6
● स्पेन	1.3
▲ यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ	0.5
● स्विट्जरलैंड	0.4
▲ अन्य यूरोपीय देश	1.7
● तुर्की	1.7
❑ अफ्रीका	8.7
▲ दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ	1.3
● दक्षिण अफ्रीका	1.2
▲ पश्चिमी अफ्रीका	2.3
● नाइजीरिया	0.9
▲ मध्य अफ्रीका	0.4
● युगांडा	0.2
▲ पूर्वी अफ्रीका	2.2
● केन्या	0.6
● तंजानिया	0.5
● मॉरीशस	0.4
▲ उत्तरी अफ्रीका	1.8
● मिस्र	0.9
❑ अमेरिका	20.9
▲ उत्तर अमेरिका	17.9
● सं.रा. अमेरिका	15.9
● मेक्सिको	1.2
● कनाडा	0.9
▲ लैटिन अमेरिका	3.0
● ब्राजील	1.2
❑ एशिया	48.8
▲ पूर्वी एशिया (ओशिनिया)	1.2
● ऑस्ट्रेलिया	1.1

▲ आसियान	11.4
● सिंगापुर	3.5
● वियतनाम	2.0
● मलेशिया	2.0
● इंडोनेशिया	1.6
▲ पश्चिम एशिया-GCC	12.6
● संयुक्त अरब अमीरात	9.1
● सऊदी अरब	1.7
● ओमान	0.7
▲ अन्य पश्चिम एशिया	3.3
● इस्राइल	1.1
● ईरान	1.1
▲ उत्तर-पूर्वी एशिया	12.7
● चीन	5.1
● हांगकांग	3.9
● जापान	1.5
● कोरिया गणराज्य	1.4
▲ दक्षिण एशिया	7.6
● बांग्लादेश	2.7
● नेपाल	2.3
● श्रीलंका	1.4
▲ CIS एवं बाल्टिक देश	1.1
● रूस	0.7

निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश	
1. सं.रा. अमेरिका	15.9%
2. संयुक्त अरब अमीरात	9.1%
3. चीन	5.1%
4. हांगकांग	3.9%
5. सिंगापुर	3.5%

विश्वव्यापी निर्यात में शीर्ष भारतीय हिस्सेदारी वाली वस्तुएं	
वस्तु	**2017 के निर्यात में प्रतिशत हिस्सा**
● चावल	29.4
● मोती, बहुमूल्य एवं अर्द्ध बहुमूल्य रत्न	17.9
● मसाले	17.0
● चाय और मेट	8.8

भारत का कुल बकाया विदेशी ऋण	
	(करोड़ रु. में)
मार्चांत, 2016	3219283
मार्चांत, 2017	3057013
मार्चांत, 2018	3444529

मानव विकास संकेतक

17 प्रमुख राज्यों में शीर्ष एवं न्यूनतम उपलब्धि वाले राज्य

17 प्रमुख राज्य-आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

नोट - 1. आंध्र प्रदेश में तेलंगाना शामिल है।

2. स्रोत-भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय

1. जन्म के समय आयु संभाविता प्रत्याशा

(वर्षों में) (2012-16)

➡ शीर्ष राज्य - केरल

पुरुष - 72.2, महिला - 77.9, कुल - 75.1

➡ फिसड्डी राज्य - उ.प्र.

पुरुष - 63.9, महिला - 65.6, कुल - 64.8

नोट - पुरुषों में न्यूनतम म. प्र. (63.7 वर्ष) है।

2. न्यूनतम शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म) 2017

➡ शीर्ष राज्य - केरल

पुरुष - 9, महिला 10, कुल - 10

➡ फिसड्डी राज्य - मध्य प्रदेश

पुरुष - 48, महिला - 45, कुल - 47

महिलाओं में अधिकतम असम (46) है।

3. जन्म दर (प्रति हजार) 2017

➡ शीर्ष राज्य - 1. बिहार (26.4), 2. उ.प्र. (25.9)

➡ न्यूनतम - केरल (14.2)

4. मृत्यु दर (प्रति हजार) 2017

➡ अधिकतम - उड़ीसा (7.4)

➡ न्यूनतम - जम्मू और कश्मीर (4.8)

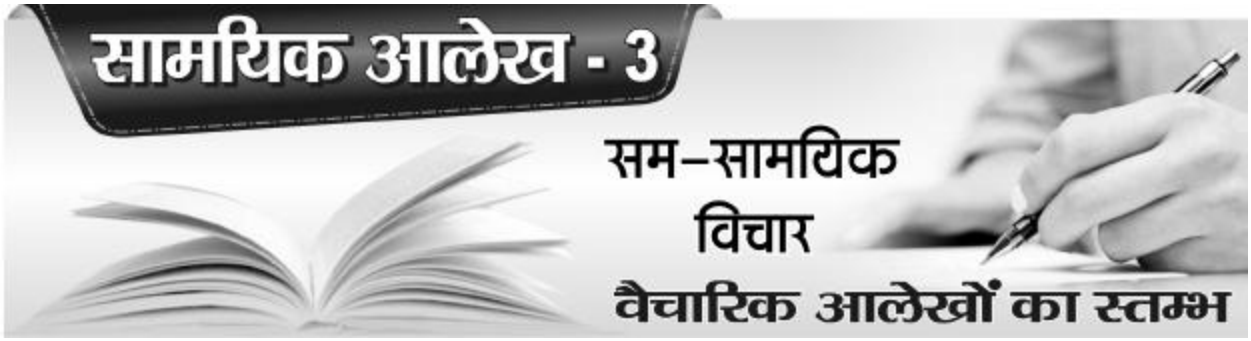
5. **कुल प्रजनन दर (2016)**

➡ सर्वाधिक 1. बिहार (3.3)

2. उ.प्र. (3.1)

➡ न्यूनतम - 1. तमिलनाडु (1.6)

2. पश्चिम बंगाल (1.6) ■■■



जी-20 शिखर सम्मेलन, 2019

✍ ललिन्द्र कुमार

मानव सभ्यता के इतिहास में संघर्ष एक अनिवार्य तत्व के रूप में विद्यमान रहा है। यह संघर्ष की चरम परिणति ही थी, जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण विश्व को दो विश्व युद्धों के रूप में भीषण त्रासदी को सहना पड़ा था। वस्तुतः वार्ता एवं संवादहीनता के अभाव में संघर्ष की सामान्य स्थिति भी भयंकर रूप धारण कर लेती है। अतः ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु तथा वैश्विक स्तर पर वार्ता एवं संवाद कायम करने हेतु अंतरराष्ट्रीय मंचों की स्थापना पर जोर दिया गया। परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे मंच अस्तित्व में आए। इसके पश्चात आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे आर्थिक संगठन भी अस्तित्व में आए। धीरे-धीरे समय बीतने के बाद जैसे-जैसे विकसित देशों की आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगीं, वैसे-वैसे विकसित देश अपने आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु एक मंच की अनिवार्यता महसूस करने लगे तथा उन्होंने G-7 जैसे विकसित देशों के समूह को स्थापित किया। आगे इन विकसित देशों ने अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हेतु विकासशील देशों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बल प्रदान किया। परंतु इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने जहां अर्थव्यवस्था के विकास के नए द्वार खोले, वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक-दूसरे से प्रभावित होने का मार्ग भी प्रशस्त किया।



आरेखीय चित्र G-20 शिखर सम्मेलन, 2019

❑ पृष्ठभूमि

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने का एक उदाहरण एशियाई वित्तीय संकट के रूप में सामने आया। वर्ष 1997-98 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रमुख उभरते बाजार देशों अर्थात प्रमुख विकासशील देशों की सहभागिता की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। तत्पश्चात वर्ष 1999 में G-7 देशों के वित्त मंत्री, G-20 देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की स्थापना हेतु सहमत हुए। इस प्रकार G-20 को G-7 के विस्तार के रूप में देखा जाता है।

G-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठकें वैश्विक वित्तीय प्रणाली में प्रमुख देशों के मध्य प्रमुख आर्थिक एवं मौद्रिक नीति के मुद्दों पर केंद्रित थीं। इसका उद्देश्य सभी देशों के लाभ हेतु स्थिर एवं स्थायी वैश्विक आर्थिक विकास प्राप्त करने की दिशा में सहयोग को बढ़ावा देना था। वर्ष 2008 में 'लेहमन ब्रदर्स' के पतन एवं उससे उपजे वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए G-20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक को G-20 राष्ट्र प्रमुखों की बैठक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसके साथ वैश्विक मंच पर 'G-20' रूपी समूह सशक्त रूप से सामने आया। G-20 का प्रथम शिखर सम्मेलन नवंबर, 2008 में वाशिंगटन डी.सी. में हुआ तथा सितंबर, 2009 में पिट्सबर्ग में आयोजित हुए तीसरे शिखर सम्मेलन में G-20 को 'अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच' का दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 2010 तक G-20 की बैठकें अर्द्धवार्षिक रूप से तथा वर्ष 2011 से वार्षिक रूप से आयोजित की जाती रहीं। इसी क्रम में वर्ष 2019 में G-20 के 14वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया गया।

क्या है जी-20 ?

जी-20 (G-20 : Group of Twenty) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सहयोग एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंच है। यह वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु विश्व की प्रमुख विकसित तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित करता है। इसमें सदस्य के रूप में 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसमें शामिल 19 सदस्य देश हैं-अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अतिरिक्त, आमंत्रित अतिथि देशों के नेता और आमंत्रित अतिथि अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि जी-20 सदस्यों के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं।

'वित्तीय बाजारों एवं विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन' के औपचारिक नाम से ज्ञात G-20 शिखर सम्मेलन ने सुदृढ़ वैश्विक आर्थिक संवृद्धि को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं। 'अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच' के रूप में G-20 वैश्विक जीडीपी के 80 प्रतिशत से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है।

● उद्देश्य

G-20 के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं-

(1)वैश्विक आर्थिक स्थिरता एवं सतत आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने के लिए अपने सदस्य देशों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना।

(2)जोखिमों को कम करने एवं भावी वित्तीय संकट को रोकने हेतु वित्तीय विनियमन को बढ़ावा देना।

(3)एक नया अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ऑर्किटेक्चर निर्मित करना।

● संगठनात्मक संरचना

G-20 एक स्थायी सचिवालय या कर्मचारियों के बिना कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष चक्रीय आधार पर सदस्यों के मध्य स्थानांतरित होती रहती है। यह अध्यक्षता एक त्रिसदस्यीय प्रबंधन समूह-पिछले सम्मेलन का अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष एवं आगामी सम्मेलन के अध्यक्ष का हिस्सा होती है। G-20 शिखर सम्मेलन की तैयारी की प्रक्रिया शेरपाओं के इर्द-गिर्द घूमती है। शेरपा G-20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधि होता है, जो सम्मेलन के एजेंडे के बीच समन्वय बनाता है। शेरपा गैर-आर्थिक एवं वित्तीय मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है।

● पिछले G-20 शिखर सम्मेलन

◆ वाशिंगटन डी.सी. (नवंबर, 2008), लंदन (अप्रैल, 2009), पिट्सबर्ग, U.S.A. (सितंबर, 2009), टोरंटो (जून, 2010), सियोल (नवंबर, 2010), कांस (Cannes) , फ्रांस (नवंबर, 2011), लॉस कैबोस, मेक्सिको (जून, 2012), सेंट पीटर्सबर्ग, रूस (सितंबर, 2013), ब्रिसबेन, ऑस्ट्रेलिया (नवंबर, 2014), अंताल्या, तुर्की (नवंबर, 2015), होंगझोऊ, चीन (सितंबर, 2016), हैम्बर्ग, जर्मनी (जुलाई, 2017) एवं ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना (नवंबर, 2018)।

◆ अगला G-20 शिखर सम्मेलन नवंबर, 2020 में सऊदी अरब के रियाद में, वर्ष 2021 में इटली में एवं वर्ष 2022 में भारत में आयोजित होगा।

❑ जी-20 का 14वां शिखर सम्मेलन

G-20 का 14वां शिखर सम्मेलन 28-29 जून, 2019 के मध्य जापान के ओसाका शहर के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में संपन्न हुआ। यह प्रथम अवसर था, जब G-20 का शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ समेत सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि नीदरलैंड्स, सिंगापुर, स्पेन तथा वियतनाम ने मेहमान देश के रूप में सम्मेलन में भागीदारी की। इस सम्मेलन में थाईलैंड ने आसियान अध्यक्ष, मिस्र ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष, चिली ने एपेक (APEC) अध्यक्ष एवं सेनेगल ने नेपाड (NEPAD) अध्यक्ष के रूप में भागीदारी की। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, ओईसीडी (OECD), एशियाई विकास बैंक एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों ने भी भागीदारी की।

इस सम्मेलन के प्रारंभ होने से पूर्व चीन एवं अमेरिका के मध्य छिड़ा ट्रेड वार, भारत एवं अमेरिका के मध्य एक-दूसरे की व्यापारिक वस्तुओं के टैरिफ में वृद्धि तथा ईरान एवं अमेरिका के मध्य निरंतर बढ़ता तनाव जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में थे एवं इन पर वार्ता होने की संभावना थी। इसके अतिरिक्त चूंकि इस सम्मेलन की थीम वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश, नवाचार, पर्यावरण और ऊर्जा, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, विकास और स्वास्थ्य थे, अतः इन मुद्दों से संबंधित विषयों पर भी सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मध्य अनौपचारिक वार्ता हुई एवं सम्मेलन के अंत में 'ओसाका घोषणा-पत्र' जारी किया गया।

❑ ओसाका घोषणा-पत्र

परस्पर विरोधी मतों के लोगों का एक मंच पर बैठकर साझा घोषणा-पत्र तैयार करना अत्यंत ही कठिन है। फिलहाल G-20 के सदस्य देशों ने आपसी सहमति बनाकर शिखर सम्मेलन के अंतिम

दिन एक घोषणा-पत्र जारी किया। इस घोषणा-पत्र में G-20 के संयुक्त उद्देश्य के अंतर्गत सतत विकास के लिए एजेंडा-2030 में परिकल्पित लक्ष्यों के अनुरूप एक समावेशी एवं सतत विश्व के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करना एवं वैश्विक आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने को सर्वाधिक प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया गया। G-20 के सदस्य देश वैश्विक समुदाय के समक्ष आम चुनौतियों का सामना करने हेतु संकल्पित हैं। इन चुनौतियों में आतंकवाद, विस्थापन, गरीबी, डेटा प्रवाह, भूख और स्वास्थ्य खतरे, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और लैंगिक समानता आदि शामिल हैं। घोषणा-पत्र में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं-

- सुदृढ़, सतत, संतुलित एवं समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए सभी नीतिगत साधनों का उपयोग करने तथा नकारात्मक जोखिमों से बचाव करने पर बल दिया गया। इसके लिए लचीली एवं विकासपरक राजकोषीय नीति निर्मित करने, आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने वाली मौद्रिक नीति निर्मित करने एवं संरचनात्मक सुधारों के निरंतर कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता जताई गई।
- वृद्ध समाज में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए, उम्रवृद्धि (Aging) और वित्तीय समावेशन पर G-20 फुकुओका नीति संबंधी प्राथमिकताओं का समर्थन किया गया।
- विश्व व्यापार संगठन के कार्यों में आवश्यक सुधार हेतु समर्थन की पुष्टि की गई। साथ ही त्सुकुबा (Tsukuba) में व्यापार एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था पर आयोजित G-20 मंत्रिस्तरीय वक्तव्य का स्वागत किया गया।
- डिजिटलाइजेशन के माध्यम से समावेशी, सतत, सुरक्षित, विश्वसनीय एवं नवप्रवर्तनशील समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने पर बल दिया गया। साथ ही समूह का उद्देश्य डाटा की पूर्ण क्षमता का दोहन करने हेतु अंतरराष्ट्रीय नीति चर्चाओं को बढ़ावा देना है।
- सम्मेलन में विश्वास के साथ निर्बाध डाटा प्रवाह (Data Free Flow with Trust) के विचार को प्रसारित किया गया।
- गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना निवेश पर बल दिया गया।
- डिजिटल डिवाइड को कम करने एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा समाज के विशेष रूप से कमजोर समूहों के बीच डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने पर सहमति बनी।
- वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को अधिक मजबूत करने के वादे की पुष्टि की गई तथा इस दिशा में IMF एवं विश्व बैंक समूह के प्रयासों की सराहना की गई।
- विश्व स्तर पर निष्पक्ष, टिकाऊ और आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कर प्रणाली के लिए सहयोग की पुष्टि की गई।
- 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (FATF) व्याख्यात्मक नोट एवं दिशा-निर्देश को अपनाने का स्वागत किया गया। साथ ही वित्तीय सुधारों के पूर्ण, समयबद्ध और सुसंगत कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई।
- संबंधित अंतरराष्ट्रीय उपकरणों और तंत्रों के बीच ताल-मेल को सुदृढ़ करते हुए 'G-20 एंटी-करप्शन एक्शन प्लान, 2019-2021' को लागू करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार को रोकने हेतु वैश्विक प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई।
- घोषणा-पत्र में रोजगार सृजन और लचीली कार्य व्यवस्था को बढ़ावा देने, रोजगार की गुणवत्ता बढ़ाने, बाल श्रम का उन्मूलन करने, मानव तस्करी एवं आधुनिक दासता को रोकने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
- महिला सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा एवं प्रशिक्षण को समर्थन प्रदान करने की घोषणा की गई।
- जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए पेरिस समझौते के अनुसार, शमन और अनुकूलन दोनों के संबंध में विकासशील देशों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने के महत्व पर बल दिया गया।
- ऊर्जा प्रणालियों को सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ एवं ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन करने वाली प्रणालियों में रूपांतरित करने हेतु '3E+S' (ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक दक्षता एवं पर्यावरण+सुरक्षा) का अनुभव कराने वाले ऊर्जा संक्रमणों के महत्व को स्वीकार किया गया।
- समुद्री प्रदूषण को दूर करने एवं समुद्री पर्यावरण के संरक्षण हेतु कदम उठाए जाने का भी समर्थन किया गया।

❑ G-20 सम्मेलन और भारत

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिवसीय ओसाका शिखर सम्मेलन में भागीदारी की। भारत की ओर से पूर्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को G-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का शेरपा नियुक्त किया गया था। इस शिखर सम्मेलन के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने अपने प्रमुख साझेदार देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय तथा विश्व के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं की। प्रधानमंत्री ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ-साथ रूस, भारत और चीन (RIC) के अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तथा ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) एवं जेएआई (जापान, अमेरिका और भारत) के नेताओं की अनौपचारिक बैठकों में भाग लिया।

G-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपने अभिभाषण में डिजिटल तकनीक के अधिकतम उपयोग हेतु '5-I' विजन को प्रस्तुत किया। इस विजन में

'5-I' समावेशी (Inclusiveness), देशीकरण (Indigenisation), नवाचार (Innovation), अंतरराष्ट्रीय सहयोग (International Co-operation) एवं अवसंरचना में निवेश (Investment in Infrastructure) को प्रदर्शित करते हैं। परंतु भारत ने ओसाका घोषणा-पत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु 'विश्वास के साथ निर्बाध डाटा प्रवाह' विषय पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। वस्तुत: यह विषय भारत के 'डाटा स्थानीयकरण' के विचार के विपरीत था। इसके साथ ही इस शिखर सम्मेलन में भारत ने आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े कोष हेतु अधिक वैश्विक सहयोग की अपेक्षा की है। ज्ञातव्य है कि विगत कुछ वर्षों से भारत में आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों की समस्या एक गंभीर मुद्दे के रूप में सामने आयी है।

❑ ब्रिक्स नेताओं की अनौपचारिक बैठक

G-20 शिखर सम्मेलन से इतर 5 ब्रिक्स देशों के नेताओं ने अनौपचारिक बैठक की। यह बैठक अगले (11 वें) ब्रिक्स सम्मेलन के संबंध में थी। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन नवंबर, 2019 में ब्राजीलिया (ब्राजील) में आयोजित होगा। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख किया- विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी और अनिश्चितता, विकास और प्रगति को समावेशी और सतत बनाना तथा आतंकवाद। इन समस्याओं के निराकरण हेतु प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के मध्य ताल-मेल विकसित करने, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को प्रमुख प्राथमिकता में रखने, विश्वभर में कुशल कारीगरों का आवागमन सरल करने एवं न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा सदस्य देशों के भौतिक और सामाजिक अवसंरचना तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में निवेश को और प्राथमिकता प्रदान करने जैसे सुझाव दिए।



आरेखीय चित्र G-20 शिखर सम्मेलन, 2019

❑ विभिन्न नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता

RIC की अनौपचारिक बैठक में आतंकवाद विरोधी संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय हॉट-स्पॉट मुद्दे, बहुलवाद, जलवायु परिवर्तन तथा RIC के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। वहीं JAI की अनौपचारिक बैठक में प्रधानमंत्री शिंजो अबे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र, कनेक्टिविटी सुधार एवं अवसंरचना विकास के मुद्दे पर बातचीत की गई। वहीं अमेरिका के साथ बैठक में आपसी हितों से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ 5G रक्षा, सुरक्षा एवं व्यापार पर विशेष रूप से चर्चा की गई। जापान के साथ चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जापान से आपदा के बाद पुनर्वास हेतु देशों का गठबंधन बनाने के प्रस्ताव पर समर्थन मांगा। बैठक के दौरान भारत और जापान ने रक्षा, अवसंरचना, अंतरिक्ष, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।

G-20 बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया के नेताओं के मध्य मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अर्थव्यवस्था, रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा में भी आपसी सहयोग बढ़ाने के विषय पर चर्चा की। भारत और इंडोनेशिया ने अगले 6 वर्षों यानी वर्ष 2025 तक दोनों देशों के बीच व्यापार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने G-20 शिखर सम्मेलन में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन से भी मुलाकात की।

❑ निष्कर्ष

G-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ओसाका (जापान) पहुंचे प्रत्येक नेता का अपना तय एजेंडा था। जिस प्रकार की पृष्ठभूमि में इस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, उससे इसकी सफलता के प्रति बहुत उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। चीन-अमेरिका का ट्रेड वॉर, ईरान-अमेरिका का संकट एवं भारत-अमेरिका टैरिफ व्यापार से संबंधित विषम परिस्थितियों के बावजूद यह सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ एवं इसके नतीजों से संतुष्ट हुआ जा सकता है। तमाम नकारात्मकताओं को दरकिनार करते हुए यह दो दिवसीय सम्मेलन न केवल गंभीर विचार-विमर्श का केंद्र बना, बल्कि इसने निराशा के माहौल में आशाओं के दीप जलाए। किंतु जैसे-जैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे विभिन्न मुद्दे और जटिल होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हुए एक समावेशी एवं टिकाऊ विश्व का निर्माण करने की दिशा में G-20 एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अत: भविष्य में G-20 को इस दिशा में पूरे मन से कारगर प्रयास करने हेतु प्रयासरत होना चाहिए। ■■■



क्रिकेट विश्व कप, 2019

✍ अर्पित मिश्रा

यह अंतहीन बहस है कि भाग्य बड़ा या कर्म। इस संबंध में सबके अपने तर्क हैं। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, जैसी क्रिया होती है वैसी ही प्रतिक्रिया। क्रिया, कर्मस्वरूप पुरुषार्थ होती है और प्रतिक्रिया, फल के रूप में भाग्य होती है। कर्म अध्ययन के समान है, तो भाग्य परिणाम (Result) के समान। लेकिन जब दो समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक समान कार्य को समान श्रम के साथ करें और उनमें से एक ही सफल हो, तो फिर इसे क्या कहेंगे?

फिलहाल कर्म और भाग्य के खेल के रोमांच की पराकाष्ठा उस दौरान देखने को मिली जब क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में इंग्लैंड की टीम ने अंततः भाग्य के ही सहारे न्यूजीलैंड को पटखनी दे दी। इससे पूर्व दोनों टीमों ने कर्म की पराकाष्ठा प्रदर्शित करते हुए मैच को अत्यंत ही रोमांचपूर्ण स्थिति (पहले टाई, फिर सुपर ओवर भी टाई) में ला दिया था। फाइनल मैच के दौरान घटित विभिन्न घटनाक्रमों के आधार पर कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड के भाग्य में जीतना नहीं लिखा था।

क्रिकेट विश्व कप, 2019 का फाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर लंदन में खेला गया था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मार्टिन गप्टिल के रूप में टीम का पहला विकेट 29 रन पर गिरा। इसके बाद हेनरी निकोल्स ने न्यूजीलैंड की तरफ से अर्द्धशतकीय पारी खेली। कप्तान केन विलियमसन ने 30 रनों की पारी खेली और टीम का स्कोर 50 ओवर में 241 रनों तक पहुंचाया। 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम का पहला विकेट महज 28 रन पर गिर गया। एक समय पर इंग्लैंड के 90 रनों के भीतर 4 विकेट गिर गए थे। लेकिन इसके बाद हरफनमौला क्रिकेटर बेन स्टोक्स और जोस बटलर ने पारी को संभाला और दोनों ने अपने अर्द्धशतक पूरे किए। स्टोक्स नाबाद 84 रन बनाकर अंत तक मैदान में डटे रहे। इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी दो ओवरों में 24 रनों की दरकार थी और अंतिम ओवर में 15 रनों की, लेकिन टीम 14 रन ही बना सकी और मुकाबला टाई हो गया। फिर मैच के परिणाम हेतु सुपर ओवर खेला गया। सुपर ओवर में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बनाए, इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भी 15 रन ही बना सकी और एक बार फिर मुकाबला टाई पर छूटा, लेकिन बाउंड्री काउंट नियम के आधार पर ज्यादा इंग्लैंड को विश्व विजेता घोषित किया गया। इंग्लैंड ने इस मैच में कुल 26 बाउंड्री लगाई थी, जबकि न्यूजीलैंड ने सिर्फ 17 बाउंड्री लगाई थी, जिसके चलते इंग्लैंड ने विश्व कप, 2019 का खिताब जीत लिया। विश्व कप तथा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के इतिहास में यह पहला मौका था, जब विजेता का निर्णय बाउंड्री काउंट नियम के आधार पर किया गया।

❑ 12वें विश्व कप की मेजबानी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 30 अप्रैल, 2006 को इंग्लैंड एवं वेल्स को विश्व कप, 2019 का मेजबान घोषित किया था। यह पांचवीं बार था, जब इंग्लैंड को विश्व कप की मेजबानी दी गई थी। इससे पहले इंग्लैंड ने 1975 विश्व कप, 1979 विश्व कप, 1983 विश्व कप एवं 1999 विश्व कप की मेजबानी की थी। वर्ष 1983 में क्रिकेट विश्व कप के मैच वेल्स में भी खेले गए थे, जबकि वर्ष 1999 में इंग्लैंड के अतिरिक्त वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड तथा नीदरलैंड्स में भी क्रिकेट विश्व कप के कुछ मैचों का आयोजन हुआ था।



फाइनल मैच 14 जुलाई, को लॉर्ड्स लंदन में इंग्लैंड व न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया



इंग्लैंड विश्व कप, 2019 का विजेता

आरेखीय चित्र : क्रिकेट विश्व कप : 2019

❑ क्रिकेट विश्व कप, 2019 का प्रारूप

इस बार की विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता का प्रारूप (Format) पिछले विश्व कप के समान ही था, किंतु प्रतिभागी देशों को इस बार अलग-अलग ग्रुप (Groups) में नहीं बांटा गया। 12वीं विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में 10 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का पहला चरण राउंड रॉबिन आधार पर खेला गया, जिसके तहत सभी टीमों ने एक-दूसरे के विरुद्ध एक-एक मैच खेले। पहले चरण के मुकाबलों के आधार पर अंक तालिका में शीर्ष चार स्थानों पर काबिज टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल तथा फाइनल मुकाबले नॉकआउट आधार पर खेले गए।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के तुरंत बाद आईसीसी ने यह निर्णय लिया था कि अगले विश्व कप में केवल आईसीसी के 10 पूर्णकालिक सदस्य देश ही प्रतिभाग करेंगे, जिसका कई एसोसिएट देशों द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। बाद में आईसीसी ने अपने निर्णय को वर्ष 2015 विश्व कप हेतु रद्द कर दिया और आईसीसी के 4 एसोसिएट या एफिलिएट देशों को भी 11वें विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लेने की मंजूरी प्राप्त हो गई। 12वें विश्व कप के आयोजन से पहले बारबाडोस में हुई आईसीसी की वार्षिक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि आईसीसी विश्व कप, 2019 में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता सिर्फ 10 टीमों को मिलेगी, जिनमें मेजबान देश के अलावा ऐसी 7 टीमें जो अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में (30 सितंबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार) शीर्ष पर होंगी, वे स्वत: ही विश्व कप हेतु क्वालीफाई कर जाएंगी, जबकि शेष 2 टीमों को क्वालीफायर्स मुकाबले खेल कर अपनी जगह पक्की करनी होगी। 12वें विश्व कप में 8 टीमें जो स्वत: क्वालीफाई हुईं, वे हैं-इंग्लैंड (मेजबान), भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं ऑस्ट्रेलिया। क्वॉलीफायर्स मुकाबलों में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को तथा अफगानिस्तान ने आयरलैंड को पराजित कर विश्व कप, 2019 में अपना स्थान पक्का किया।

उल्लेखनीय है कि विश्व कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब ICC के सभी पूर्णकालिक सदस्य देशों के बगैर प्रतियोगिता आयोजित की गई। वर्ष 1983 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, जब जिम्बाब्वे, जो ICC का पूर्णकालिक सदस्य देश है, विश्व कप हेतु क्वालीफाई नहीं कर सका। साथ ही यह पहला ऐसा विश्व कप टूर्नामेंट था, जिसमें ICC के किसी भी एसोसिएट सदस्य देश की टीम शामिल नहीं थी।

आईसीसी की क्रिकेट विश्व कप, 2019 की टीम

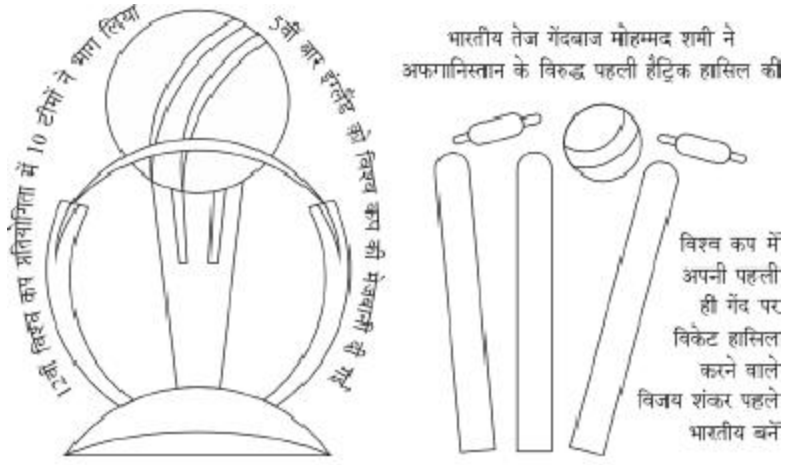
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, 2019 के समापन के पश्चात 15 जुलाई, 2019 को 'अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने विश्व कप, 2019 की टीम' (CWC 19 : Team of the Tournament) की घोषणा की। इस टीम का कप्तान न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को चुना गया है। विलियमसन ने 45 दिन तक चली इस प्रतियोगिता के दौरान आक्रामक, प्रयोगधर्मी एवं प्रेरक नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें यह सम्मान दिया गया है। इस टीम का चुनाव विशेषज्ञों के एक विशिष्ट समूह द्वारा किया गया है, जिन्हें प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर एक संतुलित टीम के चयन की जिम्मेदारी दी गई थी। आईसीसी की इस 11 सदस्यीय टीम में विलियमसन सहित न्यूजीलैंड के 2, इंग्लैंड के 4, ऑस्ट्रेलिया के 2, भारत के 2 तथा बांग्लादेश का 1 खिलाड़ी शामिल है।

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, 2019 की टीम (बल्लेबाजी क्रम में)

रोहित शर्मा (भारत), जेसन रॉय (इंग्लैंड), केन विलियमसन (न्यूजीलैंड-कप्तान), जो रूट (इंग्लैंड), शाकिब अल हसन (बांग्लादेश), बेन स्टोक्स (इंग्लैंड), एलेक्स कैरी (ऑस्ट्रेलिया-विकेटकीपर), मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया), जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड), लॉकी फर्ग्युसन (न्यूजीलैंड), जसप्रीत बुमराह (भारत), ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड-12वां खिलाड़ी)।

❑ 12वें विश्व कप टूर्नामेंट का शुभारंभ

30 मई, 2019 से प्रारंभ हुए क्रिकेट के इस महाकुंभ का उद्घाटन समारोह 29 मई को बकिंघम पैलेस के पास स्थित 'द माल' रोड में आयोजित किया गया। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ, इंग्लैंड के एंकर पैडी मैकगिनेस एवं भारतीय अभिनेत्री एवं एंकर शिबानी दांडेकर ने उद्घाटन समारोह की मेजबानी की। यह पहला मौका था, जब विश्व कप के उद्घाटन समारोह का आयोजन किसी



आरेखीय चित्र : क्रिकेट विश्व कप : 2019

स्टेडियम में नहीं किया गया। उद्घाटन समारोह में पहले एक-एक कर सभी प्रतिभागी देशों के कप्तानों को मंच पर आमंत्रित किया गया। आईसीसी ने घोषणा की थी कि क्रिकेट विश्व कप, 2019 का उद्घाटन समारोह अब तक संपन्न सभी विश्व कपों के उद्घाटन समारोह से बेहतरीन होगा। समारोह में 4000 खेल प्रेमियों के लिए लाइव गेम्स, संगीत और भी बहुत से मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध थे। उद्घाटन समारोह का समापन विश्व कप क्रिकेट, 2019 के आधिकारिक गीत स्टैंड बाय के द्वारा हुआ, जिसकी प्रस्तुति लॉरेन एवं रूडिमेंटल बैंड द्वारा की गई। उद्घाटन समारोह से एक दिन पूर्व महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सभी टीमों के कप्तानों को इंग्लैंड के राजमहल में शाही भोज पर भी आमंत्रित किया था। 30 मई से 14 जुलाई, 2019 (45 दिन) तक चले क्रिकेट के इस महाकुंभ के दौरान पाकिस्तान-श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज, बांग्लादेश-श्रीलंका एवं भारत-न्यूजीलैंड के मध्य खेले गए कुल 4 मैच वर्षा के कारण रद्द कर दिए गए।

नॉकआउट चरण में विभिन्न टीमों का प्रदर्शन

सेमीफाइनल		फाइनल
9-10 जुलाई, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर		
भारत	221	
न्यूजीलैंड	239/8	
		14 जुलाई, लॉर्ड्स, लंदन
		न्यूजीलैंड 241/8
		इंग्लैंड (विजेता) 241
11 जुलाई, एजबेस्टन, बर्मिंघम		
ऑस्ट्रेलिया	223	
इंग्लैंड	226/2	

रोहित शर्मा

भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा वर्ष 2019 की विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 9 मैचों की 9 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए कुल 648 रन बनाए, जिनमें 5 शतक एवं 1 अर्द्धशतक शामिल है। रोहित ने विश्व कप में 5 शतक लगाए, जो किसी एक विश्व कप में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक शतक हैं। ज्ञातव्य है कि रोहित से पूर्व यह रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज कुमार संगाकारा के नाम दर्ज था, जिन्होंने वर्ष 2015 के विश्व कप में 4 शतक लगाए थे।



रोहित शर्मा के द्वारा विश्व कप, 2019 में लगाए गए शतकों का विवरण निम्नवत है –

क्रम	तिथि	आयोजन स्थल	बनाम	प्रदर्शन
1.	5 जून, 2019	साउथैम्पटन	द. अफ्रीका	122 रन नाबाद
2.	16 जून, 2019	मैनचेस्टर	पाकिस्तान	140 रन
3.	30 जून, 2019	बर्मिंघम	इंग्लैंड	102 रन
4.	2 जुलाई, 2019	बर्मिंघम	बांग्लादेश	104 रन
5.	6 जुलाई, 2019	लीड्स	श्रीलंका	103 रन

विजय शंकर

भारत के ऑलराउंडर विजय शंकर ने इस विश्व कप में अपना पदार्पण मैच 16 जून, 2019 को भारत के चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के विरुद्ध खेला। इस मैच में अपने गेंदबाजी स्पेल की पहली गेंद पर ही वे पाकिस्तान के बल्लेबाज इमाम-उल-हक को पगबाधा (एलबीडब्ल्यू) आउट करने में सफल रहे। इस प्रकार विजय विश्व कप क्रिकेट में अपनी पहली गेंद पर विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय तथा विश्व के तीसरे गेंदबाज बने। ध्यातव्य है कि विजय से पहले यह उपलब्धि इयान हार्वे (ऑस्ट्रेलिया, 2003 विश्व कप) व मलाची जोंस (बरमूडा, 2007 विश्व कप) ने हासिल की थी।



मोहम्मद शमी

इस विश्व कप में दो गेंदबाजों द्वारा हैट्रिक लगाई गई। क्रिकेट विश्व कप, 2019 में पहली हैट्रिक भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने साउथैम्पटन में अफगानिस्तान के विरुद्ध हासिल की। विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले शमी भारत के दूसरे गेंदबाज हैं। शमी से पूर्व चेतन शर्मा ने वर्ष 1987 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध यह उपलब्धि हासिल की थी। विश्व कप, 2019 की दूसरी हैट्रिक ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड) ने लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लगाई।



❑ 12वें विश्व कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन

भारतीय टीम सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इस बार खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। विश्व कप शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर थी, जिसमें भारत का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था, इसके बावजूद विश्व कप में भारतीय टीम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद थी, क्योंकि भारतीय टीम सभी स्तरों, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी अथवा क्षेत्ररक्षण हो, में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। आईसीसी की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ी विराट कोहली,

एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तथा विश्व के सर्वश्रेष्ठ आक्रामक बल्लेबाजों में शुमार रोहित शर्मा ये सभी विश्व कप, 2019 में प्रतिभाग हेतु चुनी गई भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। भारतीय टीम ने इस विश्व कप में अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेला। पहले ही मैच में भारतीय टीम ने सभी स्तरों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट पर मात्र 227 रन ही बना सकी। इस मैच में भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने चार विकेट अपने नाम किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 15 गेंद शेष रहते ही यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेटों से पराजित किया। इस मैच में भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 122 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली। भारत जो विश्व कप के आरंभ से ही इस प्रतियोगिता को जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, उसने अपने पहले ही मैच में इसे साबित भी कर दिया कि क्यों वो सर्वश्रेष्ठ है।

विश्व कप, 2019 में सेमीफाइनल तक भारत के सभी मैचों का विवरण एक दृष्टि में -

क्रम.	आयोजन स्थल	बनाम	परिणाम
1.	साउथैम्पटन	दक्षिण अफ्रीका	भारत 6 विकेट से विजयी
2.	द ओवल	ऑस्ट्रेलिया	भारत 36 रनों से विजयी
3.	नॉटिंघम	न्यूजीलैंड	बारिश के कारण मैच रद्द
4.	ओल्ड ट्रैफर्ड	पाकिस्तान	भारत 89 रनों से विजयी (डकवर्थ लुइस के नियमतः)
5.	साउथैम्पटन	अफगानिस्तान	भारत 11 रनों से विजयी
6.	ओल्ड ट्रैफर्ड	वेस्टइंडीज	भारत 125 रनों से विजयी
7.	बर्मिंघम	इंग्लैंड	भारत 31 रनों से विजयी
8.	बर्मिंघम	बांग्लादेश	भारत 28 रनों से विजयी
9.	लीड्स	श्रीलंका	भारत 7 विकेट से विजयी
10.	मैनचेस्टर (सेमीफाइनल)	न्यूजीलैंड	न्यूजीलैंड 18 रन से विजयी

विश्व कप क्रिकेट, 2019 में भारतीय टीम का मुकाबला 16 जून, 2019 को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से था। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय लिया। रोहित शर्मा ने इस मैच में 140 रनों की शानदार पारी खेली।

फिर गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने यह मैच डकवर्थ लुइस के नियमानुसार 89 रनों से जीत लिया और विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ अजेय रहने के अपने रिकॉर्ड को कायम रखा। विश्व कप इतिहास में भारत और पाकिस्तान की टीमें अब तक कुल मिलाकर सात बार आमने-सामने हुई हैं और हर बार बाजी भारत के हाथ लगी है। ग्रुप चरण की समाप्ति पर भारतीय टीम अंक तालिका में शीर्ष पर रही। भारत ने ग्रुप चरण में खेले गए 9 मुकाबलों में से 7

प्लेयर ऑफ द सीरीज : केन विलियमसन

विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता, 2019 में बेहतरीन बल्लेबाजी एवं कप्तानी का प्रदर्शन करने वाले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' के पुरस्कार से नवाजा गया। भद्र जनों के इस खेल में विलियमसन ने जिस तरीके की खेल भावना का प्रदर्शन किया उससे सारा खेल जगत उनका मुरीद बन गया। हार के बाद भी इतने शांत, इतने भद्र कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नियमों की आलोचना करने के बजाए नए विश्व विजेता इंग्लैंड को मुस्कुराते हुए बधाई देते रहें। केन विलियमसन ने इस विश्व कप में 10 मैचों की 9 पारियों में कुल 578 रन बनाए। विलियमसन विश्व कप के इतिहास में बतौर कप्तान एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। इससे पूर्व यह कीर्तिमान श्रीलंका के तत्कालीन कप्तान महेला जयवर्धने के नाम था, जिन्होंने 2007 विश्व कप में 11 पारियों में बतौर कप्तान 548 रन बनाए थे।



में जीत हासिल की, जबकि वर्षा प्रभावित एक मैच अनिर्णित रहा। सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ था। 9 जुलाई, 2019 को भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल खेला गया। सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जब न्यूजीलैंड का स्कोर 46.1 ओवरों की समाप्ति पर 211 रन था, उसके बाद भारी बारिश के कारण उस दिन मैच नहीं हो सका। बारिश की आशंका के चलते सेमीफाइनल मैच के लिए अगला दिन रिजर्व रखा गया था। अगले दिन न्यूजीलैंड ने बचे हुए ओवरों में 28 रन बनाकर कुल 240 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि विश्व कप में पांच शतक लगाकर जबरदस्त फार्म में चल रहे रोहित एवं विराट के सामने 240 रनों का लक्ष्य विशाल साबित होगा। लेकिन ग्रुप मैचों में अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, के.ए.एल. राहुल और कप्तान विराट मात्र एक-एक रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद भारतीय टीम की उम्मीदों को बड़ा झटका दिनेश कार्तिक के विकेट के बाद लगा। इसके बाद रवींद्र जडेजा एवं महेंद्र सिंह धौनी की अर्द्धशतकीय पारियां भी भारत को इस मैच में जीत नहीं दिला सकी और भारतीय टीम मात्र 221 रनों पर सिमट गई। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने लगातार दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जबकि भारत का एक बार और विश्व विजेता बनने का सपना टूट चुका था।



आरेखीय चित्र : क्रिकेट विश्व कप : 2019

विश्व कप क्रिकेट, 2019 : अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े

- **सर्वोच्च टीम स्कोर :** 397/6 इंग्लैंड द्वारा, विरुद्ध अफगानिस्तान, मैनचेस्टर में।
- **न्यूनतम टीम स्कोर :** 105/10 पाकिस्तान द्वारा, विरुद्ध वेस्टइंडीज, नॉटिंघम में।
- **रनों के आधार पर सबसे बड़ी जीत :** 150 रनों से, इंग्लैंड द्वारा अफगानिस्तान के विरुद्ध।
- **विकेटों के आधार पर सबसे बड़ी जीत :** 10 विकेट से, न्यूजीलैंड द्वारा, श्रीलंका के विरुद्ध।
- **प्रतियोगिता में एक पारी में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाला खिलाड़ी :** डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया, 166 रन)
- **प्रतियोगिता में लगे कुल चौके**-1983
- **सर्वाधिक चौके लगाने वाला खिलाड़ी**-रोहित शर्मा (भारत) एवं जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड), दोनों 67-67 चौके।
- प्रतियोगिता में लगे कुल छक्के - 359
- **सर्वाधिक छक्के लगाने वाला खिलाड़ी** - ओइन मॉर्गन (इंग्लैंड, 22 छक्के)
- प्रतियोगिता के दौरान बल्लेबाजों ने **कुल 31 शतक** लगाए।
- **सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी** - रोहित शर्मा (भारत, 5 शतक)
- **सर्वाधिक अर्द्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी** - शाकिब उल हसन (बांग्लादेश - 5 अर्द्धशतक)
- **किसी एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन**-शाहीन अफरीदी (पाकिस्तान), 10 ओवर में 35 रन देकर 6 विकेट, विरुद्ध बांग्लादेश।
- **हैट्रिक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी :** मुहम्मद शमी (भारत), विरुद्ध अफगानिस्तान एवं ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड), विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया
- **प्रतियोगिता में सर्वाधिक कैच लेने वाला खिलाड़ी**-जो रूट (इंग्लैंड), 11 मैचों में 13 कैच।

भले ही भारत की दृष्टि से इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम चयनकर्ताओं द्वारा चुनी गई थी, किंतु नंबर 4 पर एक स्थायी बल्लेबाज, जो विषम स्थितियों में टीम को उबार सके की कमी अवश्य खली।

❑ अगला क्रिकेट विश्व कप

विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता का अगला आयोजन वर्ष 2023 में भारत में होगा। यह 13वां क्रिकेट विश्व कप होगा और पूर्ण रूप से केवल भारत में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा। हालांकि इससे पूर्व भारत में 1987, 1996 तथा 2011 में भी विश्व कप के मैचों का आयोजन किया जा चुका है, किंतु भारत तब संयुक्त मेजबान की भूमिका में था।

■■■



45वां जी-7 शिखर सम्मेलन, 2019

❑ पृष्ठभूमि

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में मानव ने नए संसाधनों की खोज एवं दोहन करते हुए विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परंतु विकास की यह प्रक्रिया संपूर्ण विश्व में एकसमान नहीं रही है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विश्व के कुछ देशों ने अधिक प्रगति की तो कुछ देश विकास की दौड़ में पीछे रह गए। विकास की दौड़ में अग्रणी देशों ने पारस्परिक आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु एक वैश्विक मंच की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके फलस्वरूप कथित रूप से विश्व की सात सबसे बड़ी विकसित एवं उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का वर्तमान 'जी-7' समूह अस्तित्व में आया। 'ग्रुप ऑफ सेवन' के नाम से अभिहित इस समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

एक समूह के रूप में 'जी-7' का गठन फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वलेरी जिस्कार्ड डी' स्टेयिंग (Valery Giscard d'Estaing) के मस्तिष्क की उपज है। उन्होंने वर्ष 1973-74 के तेल संकट (Oil Shock) से उत्पन्न आर्थिक एवं वित्तीय समस्याओं पर चर्चा करने हेतु सर्वप्रथम वर्ष 1975 में विश्व के सर्वाधिक औद्योगिकीकृत विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पेरिस के निकट रमबोइलेट (Rambouillet) में एक बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया। इस बैठक में फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूनाइटेड किंगडम तथा इटली ने भाग लिया था। वर्ष 1976 में इस समूह में कनाडा के शामिल होने के पश्चात समूह का नाम 'जी-7' हो गया। वर्ष 1998 में रूस के इस समूह में शामिल होने के पश्चात समूह का नाम 'जी-8' हो गया था, परंतु वर्ष 2014 में इस समूह से रूस के निलंबन के पश्चात पुनः यह समूह 'जी-7' बन गया। यह एक अनौपचारिक संगठन है, जिसका कोई मुख्यालय/सचिवालय एवं चार्टर नहीं है। समूह के सदस्य देशों के मध्य इसकी अध्यक्षता चक्रीय प्रणाली पर घूमती रहती है। इसी क्रम में वर्ष 2019 में 'जी-7' शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस द्वारा की गई।



आरेखीय चित्र 45वां जी-7 शिखर सम्मेलन, 2019

❑ वर्तमान संदर्भ

➡ 24-26 अगस्त, 2019 के मध्य 45वें 'जी-7' शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिणी-पश्चिमी फ्रांस के बिआरिट्ज (Biarritz) में किया गया।

➡ यह सातवां अवसर है, जब फ्रांस ने इस सम्मेलन की मेजबानी की है।

➡ वर्ष 2018 में यह सम्मेलन कनाडा में आयोजित हुआ था, जबकि आगामी (46वां) सम्मेलन वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होगा।

❑ शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी

➡ जी-7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, बुर्किना फासो, चिली, भारत, रवांडा, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के प्रतिनिधियों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, ओईसीडी, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी विकास बैंक आदि अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

➡ सम्मेलन में जी-7 के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (मेजबान), कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, इटली के प्रधानमंत्री गिउसेपे कोंटे (Giuseppe Conte), जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शामिल हुए।

➲ सम्मेलन में यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष ज्यां क्लॉड जंकर (Jean-Claude Juncker) ने स्वास्थ्य कारणों से भाग नहीं लिया, जबकि यूरोपीय काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क सम्मेलन में शामिल हुए।

❑ शिखर सम्मेलन में भारत

➡ भारत जी-7 समूह का सदस्य नहीं है, बावजूद इसके जी-7 शिखर सम्मेलन में 'बिआरिट्ज साझीदार' (Biarritz Partner) के तौर पर भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के आमंत्रण पर बिआरिट्ज, फ्रांस का दौरा किया।

➡ इस दौरान प्रधानमंत्री ने पर्यावरण, जलवायु, महासागरों और डिजिटल रूपांतरण पर आयोजित सत्रों को संबोधित करने के साथ-साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों सहित अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लिया।

- ➲ बियारिट्ज में जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत ने उन नई पहलों को आवश्यक सहयोग देने पर सहमति व्यक्त की, जिनका लक्ष्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है।

❑ सम्मेलन का विषय एवं घोषणा-पत्र

➡ इस बार शिखर सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय ''असमानता के खिलाफ लड़ाई'' (Fight is against Inequality) था।

➡ इस सम्मेलन में असमानता के विरुद्ध संघर्ष, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण, अफ्रीका की प्रगति, भ्रष्टाचार, डिजिटल रूपांतरण (Transformation), जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता एवं पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके पश्चात एक घोषणा-पत्र जारी किया गया। घोषणा-पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं-

- ➲ जी-7 देशों ने मुक्त एवं निष्पक्ष विश्व व्यापार के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके साथ ही जी-7 ने वर्ष 2020 तक OECD के फ्रेमवर्क के अंतर्गत विनियामक बाधाओं को सरलीकृत करने एवं अंतरराष्ट्रीय कराधान प्रणाली को आधुनिक करने के प्रति भी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- ➲ जी-7 समूह ने ईरान के संबंध में भी घोषणा-पत्र जारी करते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार प्राप्त नहीं कर पाए एवं इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता स्थापित हो सके।
- ➲ यूक्रेन के संबंध में चर्चा करते हुए कहा गया कि फ्रांस एवं जर्मनी मूर्त परिणाम प्राप्त करने हेतु शीघ्र ही एक नॉरमैंडी प्रारूप शिखर सम्मेलन (Normandy Format Summit) का आयोजन करेंगे।
- ➲ ध्यातव्य है कि नॉरमैंडी फॉर्मेट या नॉरमैंडी फोर (Normandy Four) जर्मनी, फ्रांस, रूस एवं यूक्रेन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों का एक राजनयिक समूह है, जिसका उद्देश्य पूर्वी यूक्रेन में युद्ध की समस्या को हल करना है।
- ➲ जी-7 ने लीबिया में शांति स्थापना हेतु युद्धविराम की स्थिति का समर्थन किया।
- ➲ हांगकांग के ताजा घटनाक्रम (संघर्ष) के संबंध में घोषणा-पत्र में उल्लेख करते हुए कहा गया कि जी-7 हांगकांग पर वर्ष 1984 के सिनो-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा-पत्र के अस्तित्व एवं महत्व की पुष्टि करता है एवं वहां हिंसा की गतिविधियों से बचने का आह्वान है।

❑ सम्मेलन की उपलब्धियां

➡ सम्मेलन में अमेजन वनों की आग पर सार्थक चर्चा हुई, जिसके पश्चात अमेजन वनों की आग की घटना को रोकने हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई।

- ➲ इसके अंतर्गत वनों की आग को रोकने हेतु तत्काल वित्तपोषण के अतिरिक्त आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराना एवं मध्यम अवधि का वनीकरण कार्यक्रम चलाना प्रमुख उपाय निर्धारित किए गए। इसी प्रकार की पहल उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में भी संचालित किए जाने की बात कही गई।

➡ यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं डेनिस मुकवेगे (Denis Mukwege) एवं नादिया मुराद द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय निधि (फंड) की स्थापना की गई है। जी-7 देश इस निधि (Fund) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे।

➡ इस सम्मेलन में **'बिजनेस फॉर इन्क्लूसिव ग्रोथ** (Business for Inclusive Growth : B4IG) गठबंधन लांच किया गया, जिसका उद्देश्य समावेशी परियोजनाओं का वित्तपोषण है।

➡ इस सम्मेलन में अफ्रीकी महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु 'AFAWA' अर्थात 'Affirmative Finance Action for Women in Africa' नामक पहल लांच की गई, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए ऋण प्राप्त करना सुलभ किया जाएगा।

➡ सम्मेलन में जैव-विविधता के संरक्षण हेतु जैव-विविधता पर एक चार्टर हस्ताक्षरित किया गया।

➡ सम्मेलन में एक गठबंधन प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करना एवं "HFCs' (Hydrofluorocarbons) को समाप्त करने के लिए प्रयास करना है।

➡ वर्तमान में फैशन उद्योग भी प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत बनता जा रहा है। अतः फैशन उद्योग को सतत (Sustainable) बनाने हेतु सम्मेलन के दौरान एक 'फैशन पैक्ट' लांच किया गया।

❑ निष्कर्ष

वर्तमान में जी-7 के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी के 40 प्रतिशत एवं विश्व जनसंख्या के 10 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि कुछ आलोचक इस आधार पर इस संगठन की आलोचना करते हैं कि यह कभी भी प्रभावी नहीं रहा है। वहीं समूह यह दावा करता रहता है कि उसने वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने हेतु वैश्विक कोष की शुरुआत शामिल है एवं वर्ष 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने में भी इसकी भूमिका रही है। परंतु वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भुखमरी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु और सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में विकसित देशों का यह नैतिक उत्तरदायित्व बन जाता है कि वे संपूर्ण विश्व में सतत विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा प्रदान करने का प्रयास करें।

सं. ललिन्द्र कुमार

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0

❑ भूमिका

भारत में विश्व की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यहां विश्व के मात्र 4 प्रतिशत ताजे जल के संसाधन (Fresh water resources) ही विद्यमान हैं। वर्तमान में, भारत के 12 प्रमुख नदी बेसिनों के अंतर्गत निवासित लगभग 820 मिलियन लोग जल की अत्यधिक कमी की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इनमें से लगभग 495 मिलियन लोग गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 40 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी हैं। जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के निष्पादन (Performance) के आकलन एवं उसमें सुधार के एक उपयोगी साधन के रूप में नीति आयोग ने वर्ष 2018 में 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' का पहला संस्करण जारी किया था।

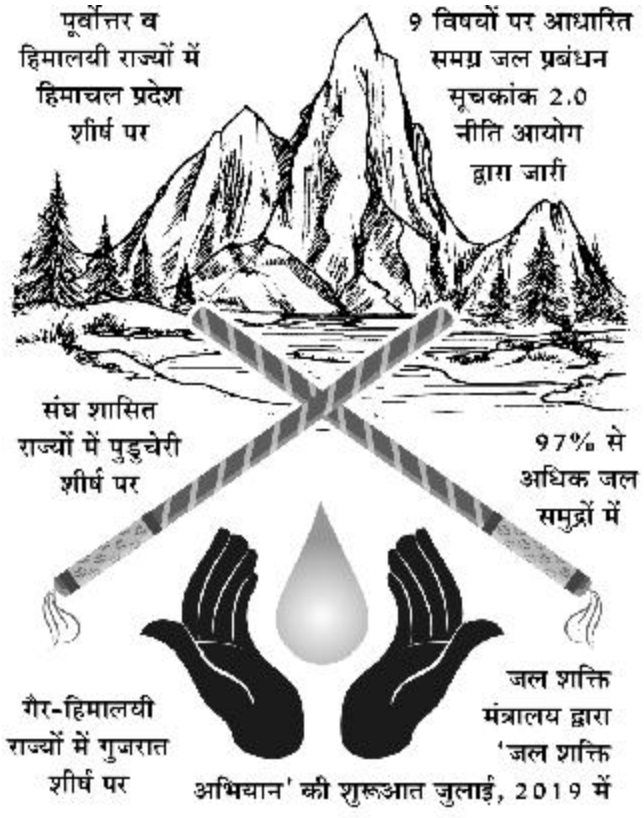
❑ समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI)

➡ भारतीय राज्यों में प्रभावी जल प्रबंधन को सक्षम बनाने हेतु नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का विकास किया है।

- ➲ यह भारत में जल के लिए डाटा-आधारित निर्णय-निर्माण की संस्कृति का सृजन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश में जल प्रशासन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक एवं सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहित कर सकता है।

❑ समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0

➡ 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0' 9 विषयों (Nine themes) पर आधारित है, जिनमें शामिल हैं- भू-जल तथा सतही जल पुनर्भरण, प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई, जल-संभर विकास, सिंचाई प्रबंधन, खेतों पर जल-प्रयोग, ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्ति और नीति एवं प्रशासन।



आरेखीय चित्र समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0

- ➲ इन 9 विषयों को पुनः 28 संकेतकों में विभाजित किया गया है।

➡ समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में राज्यों को तीन विशेष समूहों यथा- गैर-हिमालयी राज्य, पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) में विभाजित किया गया है।

❑ वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0' (CWMI 2.0) नीति आयोग द्वारा 23 अगस्त, 2019 को जारी किया गया, जिसमें 25 राज्यों तथा दो केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।

➡ समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 में आधार वर्ष 2016-17 के समान संदर्भ वर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न राज्यों को स्कोर (Score) प्रदान किए गए हैं।

❑ परिणाम

➡ समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 में गैर-हिमालयी राज्यों में गुजरात ने संदर्भ वर्ष 2017-18 में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।

- ➲ तत्पश्चात क्रमशः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है।

➡ पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश वर्ष 2017-18 में शीर्ष पर रहा।

- ➲ इसके बाद क्रमशः उत्तराखंड, त्रिपुरा और असम का स्थान है।

➡ संघ-शासित राज्यों ने पहली बार अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पुडुचेरी 39 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद दिल्ली का स्थान है, जिसका स्कोर 20 है।

➡ सूचकांक में 2015-16 एवं 2017-18 के मध्य सूचकांक स्कोर में परिवर्तन के मामले में गैर-हिमालयी राज्यों में हरियाणा तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा।

➡ 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0' (CWMI 2.0) में विभिन्न राज्यों की रैंकिंग एवं स्कोर -

गैर-हिमालयी राज्यों की रैंकिंग एवं स्कोर			
स्कोर 2017-18	राज्य	वर्ष 2017-18	वर्ष 2016-17
75	गुजरात	1	1
74	आंध्र प्रदेश	2	3
71	मध्य प्रदेश	3	2
60	गोवा	4	11
59	कर्नाटक	5	4
58	तमिलनाडु	6	7
58	हरियाणा	7	16
56	महाराष्ट्र	8	5
52	पंजाब	9	6
50	तेलंगाना	10	8
47	राजस्थान	11	10
45	केरल	12	12
45	छत्तीसगढ़	13	9
39	ओडिशा	14	13
39	उत्तर प्रदेश	15	15
38	बिहार	16	14
34	झारखंड	17	17

➡ सूचकांक में शामिल 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से 16 ने निर्धारित 100 अंकों में से 50 अंक से भी कम स्कोर प्राप्त किया है, जिससे वे निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हैं।

➲ जबकि इन निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों का योगदान देश की कुल जनसंख्या में 48 प्रतिशत, कृषि उपज में 40 प्रतिशत तथा आर्थिक उत्पादन में 35 प्रतिशत है।

पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य			
स्कोर 2017-18	राज्य	वर्ष 2017-18	वर्ष 2016-17
67	हिमाचल प्रदेश	1	2
49	उत्तराखंड	2	6
47	त्रिपुरा	3	1
44	असम	4	4
42	सिक्किम	5	3
30	नगालैंड	6	5
26	मेघालय	7	7
22	अरुणाचल प्रदेश	8	लागू नहीं

➡ झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, नगालैंड और मेघालय का स्कोर अभी भी 40 अंक (Point) से कम है और ये विगत तीन वर्षों से निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हैं।

➡ देश के आर्थिक उत्पादन में शामिल शीर्ष 10 योगदानकर्ता राज्यों में से 4 राज्यों यथा-उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल तथा दिल्ली ने 20 अंक से लेकर 47 अंक तक का स्कोर प्राप्त किया है।

➡ भारत के शीर्ष 10 कृषि उत्पादक राज्यों में से गुजरात और मध्य प्रदेश को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य ने 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' (CWMI) में 60 अंक से अधिक का स्कोर नहीं प्राप्त किया है।

❑ निष्कर्ष

➡ भारत के विकास और पर्यावरणीय प्रणाली को बनाए रखने तथा जल के वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता महसूस करते हुए सरकार ने जल प्रबंधन से अंतर-संबंधित कार्यों के एकीकरण हेतु हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। नवगठित जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए जुलाई, 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत करके जल चुनौतियों से निपटने का एक सार्थक प्रयास किया है।

सं. शिवशंकर कुमार तिवारी

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019

❑ पृष्ठभूमि

➡ सड़क परिवहन, माल एवं यात्री दोनों संदर्भों में, परिवहन के सर्वाधिक किफायती तथा पसंदीदा साधनों में से एक है।

➡ भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सड़क परिवहन क्षेत्र का हिस्सा लगभग 4.5 प्रतिशत है।

➡ सड़क परिवहन क्षेत्र देश में 87 प्रतिशत यात्री यातायात तथा 60 प्रतिशत माल यातायात गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है।

➡ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 में भारत में 4,64,910 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,47,913 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

➡ उल्लेखनीय है कि भारत सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा (Brasilia Declaration on Road Safety) का हस्ताक्षरकर्ता है।

➲ इसके तहत (ब्रासीलिया घोषणा) भारत ने वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं एवं इससे होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

➡ भारत सरकार ने भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को मजबूत करने हेतु मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 को पिछली लोक सभा (16वीं लोक सभा) में भी प्रस्तुत किया था, किंतु सदन का कार्यकाल समाप्त होने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका था।

❑ वर्तमान परिदृश्य

➡ 23 जुलाई, 2019 को लोक सभा द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया।

➡ राज्य सभा द्वारा इस विधेयक को 31 जुलाई, 2019 को पारित किया गया।

➡ 9 अगस्त, 2019 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई।

➡ मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधान 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी हुए।

- ➲ इस अधिनियम में सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि को कई गुना तक बढ़ाया गया है।
- ➲ ध्यातव्य है कि इससे पूर्व मोटर वाहन और सड़क सुरक्षा को लेकर मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act), 1988 अस्तित्व में था।

❑ संशोधन अधिनियम के प्रावधान

➡ संशोधन अधिनियम के तहत नशे में गाड़ी चलाने पर न्यूनतम जुर्माने को 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

- ➲ बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने पर पूर्व के 100 रुपये के मुकाबले अब 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
- ➲ इसके अलावा तय सीमा से अधिक गति से गाड़ी चलाने (Over Speeding) पर 400 रुपये के स्थान पर 1000 (LMV के लिए) से 2000 रुपये (MPV के लिए) तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- ➲ संशोधन अधिनियम में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।
- ➲ नवीनतम संशोधन के तहत बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो अभी तक 500 रुपये था।
- ➲ नए संशोधन के तहत यदि किसी नाबालिग द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है, तो उसके अभिभावक (Parents) को जिम्मेदार माना जाएगा। इसके साथ ही नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।



आरेखीय चित्र मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019

- ➲ हिट एंड रन (Hit and Run) के मामलों में सरकार मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करेगी, जो अभी तक केवल 25,000 रुपये थी।
- ➲ इस अधिनियम में आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

➡ इसके अतिरिक्त **मोटर वाहन दुर्घटना कोष** (Motor Vehicle Accident fund) भी बनाया जाएगा, जो देश के सभी सड़क उपयोगकर्ताओं (Road Users) को बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा।

❑ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ गौरतलब है कि नए कानून के तहत, 'गोल्डेन ऑवर' का विचार दिया गया है।

➡ गोल्डेन ऑवर का अभिप्राय, किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट लगने के बाद से अगले एक घंटे तक के समय से है, जब तुरंत चिकित्सकीय सहायता के माध्यम से उस व्यक्ति की जान बचाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है।

➡ संशोधन अधिनियम में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को गोल्डेन ऑवर के दौरान नकद-रहित उपचार प्रदान करने की योजना प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है।

➡ ध्यातव्य है कि यातायात एवं परिवहन व्यवस्था राज्यों का विषय है, इसलिए नए कानून को लागू करना राज्यों की इच्छा पर निर्भर है।

SDG जेंडर इंडेक्स

❑ लैंगिक समानता

लैंगिक समानता (Gender Equality) न केवल मानव का एक मूल अधिकार है, बल्कि एक शांतिपूर्ण, समृद्ध तथा सतत विश्व के लिए भी एक आवश्यक आधार है। लिंग के आधार पर विभेद (Discrimination) मानवाधिकारों से संबंधित लगभग प्रत्येक संधि के अंतर्गत प्रतिबंधित है, चाहे वो 'इंटरनेशनल कोवनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स' (International Covenant on Civil & Political Rights) हो या 'इंटरनेशनल कोवनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स' (International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights)। हालांकि विश्व के 195 देशों में से 143 देशों ने अपने- अपने संविधान में महिलाओं एवं पुरुषों के मध्य समानता के प्रावधान को स्थान दिया है फिर भी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव अनेक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अभी भी विद्यमान है।

❑ SDG एवं लैंगिक समानता

सतत विकास हेतु वर्ष 2030 के एजेंडे में लैंगिक समानता और बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। सतत विकास लक्ष्य-5 (SDG-5) मुख्य रूप से लैंगिक समानता की स्थिति को प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 14 लक्ष्यों के अंतर्गत ऐसी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों से निपटने संबंधी प्रावधान शामिल हैं, जिनसे लैंगिक असमानता (Gender Inequality) उत्पन्न होती है।

❑ SDG जेंडर इंडेक्स

➡ वर्ष 2018 में सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में लैंगिक समानता के लिए सरकारों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूके स्थित संस्था 'ईक्वल मेजर्स 2030' (EM2030 : Equal Measures 2030) द्वारा प्रायोगिक आधार पर 'SDG जेंडर इंडेक्स' (SDGGender Index) लांच किया गया था।

➲ इस प्रायोगिक सूचकांक में सुधार कर वर्ष 2019 में प्रथम SDG जेंडर इंडेक्स, 2019 प्रस्तुत किया गया है।

❑ इंडेक्स, 2019

➡ हाल ही में 'ईक्वल मेजर्स 2030' द्वारा 'हारनेसिंग द पॉवर ऑफ डाटा फॉर जेंडर इक्वालिटी' (Harnessing the Power of data for Gender Equality) नामक रिपोर्ट जारी की गई।

➲ इस रिपोर्ट के अंतर्गत 'SDG जेंडर इंडेक्स, 2019' प्रकाशित किया गया है।

➡ यह सूचकांक लैंगिक समानता से संबंधित 'सतत विकास लक्ष्य-5' (SDG-5) पर तो ध्यान केंद्रित करता ही है, साथ ही कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 14 लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल उन मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है, जो लैंगिक समानता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

➡ यह सूचकांक विश्व के 129 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का पता लगाने का सबसे व्यापक साधन है।

➲ स्पष्ट है कि, इस प्रकार इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व की 95 प्रतिशत बालिकाओं एवं महिलाओं की जनसंख्या आच्छादित है।

➡ यह सूचकांक स्वास्थ्य, लिंग- आधारित हिंसा, जलवायु परिवर्तन जैसे 51 संकेतकों पर आधारित है।

➲ प्रत्येक संकेतक के संबंध में किसी देश को 0-100 के पैमाने पर स्कोर प्रदान किया जाता है, जहां 'स्कोर : 100' यह प्रदर्शित करता है कि उस संकेतक से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

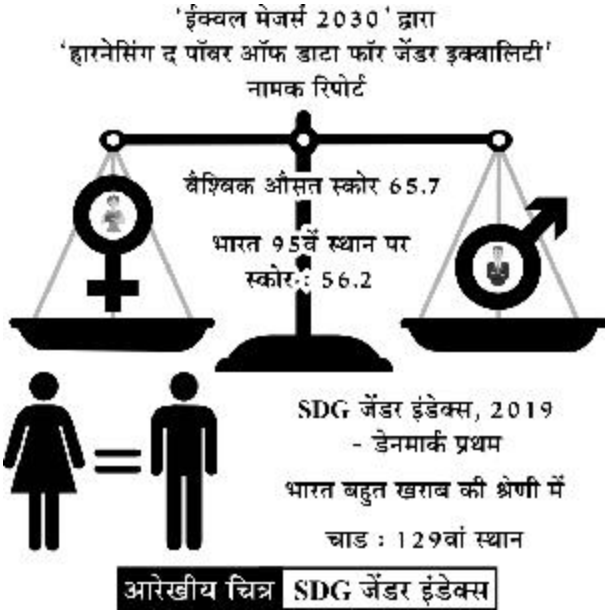
➲ सभी 51 संकेतकों में प्राप्त स्कोर के औसत द्वारा SDG जेंडर इंडेक्स में किसी देश का समग्र स्कोर निर्धारित होता है।

❑ रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

➡ SDG जेंडर इंडेक्स, 2019 के अनुसार, विश्व के 129 देशों में से कोई भी देश महत्वाकांक्षी 2030 एजेंडे में परिकल्पित लैंगिक समानता के लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सका है।

➡ लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक औसत स्कोर 65.7 है, जो खराब (Poor) की श्रेणी में है।

➡ इस सूचकांक में कोई भी देश 90 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त कर उत्कृष्ट (Excellent) की श्रेणी में स्थान नहीं बना सका है।



आरेखीय चित्र SDG जेंडर इंडेक्स

❑ रैंकिंग

SDG जेंडर इंडेक्स, 2019 : शीर्ष 5 देश		
रैंक	देश	स्कोर
1.	डेनमार्क	89.3
2.	फिनलैंड	88.8
3.	स्वीडन	88.0
4.	नॉर्वे	87.7
5.	नीदरलैंड्स	86.8

SDG जेंडर इंडेक्स, 2019 : अंतिम 5 देश		
रैंक	देश	स्कोर
129.	चाड	33.4
128.	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	38.2
127.	कांगो	44.0
126.	यमन	44.7
125.	नाइजर	44.9

❑ भारत की स्थिति

➡ SDG जेंडर इंडेक्स, 2019 में भारत (स्कोर : 56.2) 95वें स्थान पर है।

➲ भारत लैंगिक समानता प्राप्त करने के संदर्भ में 'बहुत खराब' (Very Poor) की श्रेणी में शामिल है।

➡ भारत ने स्वास्थ्य (स्कोर : 79.91), भुखमरी एवं पोषण (स्कोर : 76.20) तथा वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा (स्कोर : 71.84) के सर्वाधिक अंक अर्जित किए हैं।

❑ निष्कर्ष

➡ सद्यः रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के बावजूद विश्व की लगभग 40 प्रतिशत (1.4 बिलियन) बालिकाएं एवं महिलाएं ऐसे देशों में निवास कर रही हैं, जो लैंगिक समानता प्राप्त करने की दृष्टि से असफल साबित हुए हैं। स्पष्ट है कि विश्व में अभी लैंगिक सामनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है।

सं. सौरभ मेहरोत्रा

कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय

❑ वर्तमान संदर्भ

➡ 17 जुलाई, 2019 को भारतीय नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधव के मामले में नीदरलैंड्स के द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए जाधव की फांसी पर रोक को जारी रखा है।

❑ क्या है मामला?

➡ कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान सरकार द्वारा दायर आरोप-पत्र में कहा गया है कि 3 मार्च, 2016 को पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम प्रांत बलूचिस्तान में पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूसी करते हुए पकड़ा गया था।

➡ 10 अप्रैल, 2017 को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को पाकिस्तान में जासूसी एवं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी।

➡ इस संबंध में भारत, पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करता रहा है कि जाधव को 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था।

➲ भारत सरकार के अनुसार, कुलभूषण भारतीय नागरिक एवं पूर्व नौसेना अधिकारी तो हैं, परंतु किसी भी प्रकार की जासूसी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं।

➲ भारत सरकार का दावा है कि कुलभूषण ईरान में रहते हुए कानूनी रूप से अपना निजी व्यापार चला रहे थे। जाधव को तालिबान द्वारा ईरान से अगवा कर पाकिस्तान को सौंप दिया गया तथा आई.एस.आई. द्वारा इनके जाली दस्तावेज बनाए गए हैं।



आरेखीय चित्र — कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय

➲ भारत ने जाधव को फांसी दिए जाने के निर्णय का विरोध करते हुए इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ) के समक्ष प्रस्तुत किया।

➲ भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में यह दलील दी थी कि जाधव को 'कॉन्सुलर एक्सेस' यानी भारतीय दूतावास के अधिकारियों से बात करने का अधिकार न देकर पाकिस्तान ने 'वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस (Vienna Convention on Consular Relations), 1963' का उल्लंघन किया है।

➲ वहीं पाकिस्तान का कहना था कि जासूसी के मामले में दोषी व्यक्ति को 'कॉन्सुलर एक्सेस' नहीं दिया जा सकता।

❑ क्या है ICJ का निर्णय?

➡ जाधव मामले में निर्णय सुनाते हुए ICJ के 16 न्यायाधीशों की पीठ ने 15-1 से भारत के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए जाधव की फांसी पर रोक को जारी रखा है एवं इस विषय पर पाकिस्तान को पुनर्विचार तथा पुनर्समीक्षा करने को कहा है।

➡ केवल तदर्थ (Adhoc) न्यायाधीश तस्सदुक हुसैन जिलानी (पाकिस्तान) ने विरोध में निर्णय दिया है।

- ➲ ध्यातव्य है कि जाधव मामले की सुनवाई पीठ में पाकिस्तान के एक भी न्यायाधीश के शामिल नहीं होने के कारण पाकिस्तान ने ICJ के अधिनियम के अनुच्छेद 31, पैरा 2 के तहत एक तदर्थ न्यायाधीश को मामले की सुनवाई पीठ में शामिल होने के अधिकार का प्रयोग किया था।

➡ पाकिस्तान ने इस मामले पर ICJ के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न उठाए थे। ICJ ने इस आपत्ति को रद्द करते हुए अपने निर्णय में कहा कि वर्ष 1963 के 'वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस' के अनुसार, ICJ दो देशों के बीच उत्पन्न विवादों का अनिवार्य निपटान कर सकती हैं।

- ➲ ICJ ने अपने निर्णय में भारत के इस तर्क को सही माना है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत का जाधव के विरुद्ध दिया गया निर्णय 'वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस' का उल्लंघन था।
- ➲ ICJ ने यह भी माना है कि कुलभूषण जाधव को इतने दिनों तक कानूनी सहायता नहीं देकर पाकिस्तान ने 'वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस' के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है।
- ➲ ICJ ने अपने निर्णय में कहा कि पाकिस्तान ने जाधव तक 'कॉन्सुलर एक्सेस' से इंकार करके और उनके अधिकारों की जानकारी नहीं देकर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है।

➡ हालांकि ICJ ने भारत की इस अपील कि पाकिस्तान अपनी सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने हेतु कदम उठाए, पर पाकिस्तान को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया।

➡ ICJ ने जाधव को रिहा करने और उसे सुरक्षित रूप से भारत वापस भेजे जाने संबंधी भारत के अनुरोध को नहीं माना।

➡ ध्यातव्य है कि जाधव मामले में भारत की ओर से हरीश साल्वे ने जाधव की निःशुल्क पैरवी की है।

❑ आगे की राह

➡ ICJ के निर्णय को भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में अपनी-अपनी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। परंतु यहां प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि निर्णय तो मिल गया परंतु जाधव मामले में अब आगे क्या हो सकता है?

➡ जाधव को फांसी दिए जाने के निर्णय की पुनर्समीक्षा से ICJ का तात्पर्य एक ऐसा मंच के गठन से हो सकता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए या फिर पाकिस्तान के कानून के विशेषज्ञ सजा की समीक्षा करें।

- ➲ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के अनुसार, जाधव से पाकिस्तानी कानून के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।
- ➲ इसका तात्पर्य है कि कुलभूषण जाधव का मामला अब सिविल कोर्ट में चलेगा जहां उनको कानूनी सहायता प्राप्त हो सके एवं वे अपना पक्ष सही तरीके से रख सकें।

❑ वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस

➡ स्वतंत्र और संप्रभु देशों के मध्य आपसी राजनयिक संबंधों से संबंधित एक अभिसमय 'वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस' (Vienna Convention on Diplomatic Relations) 18 अप्रैल, 1961 को हस्ताक्षरित हुआ था एवं यह 24 अप्रैल, 1964 से लागू हुआ।

➡ इसके आधार पर ही राजनयिकों की सुरक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय कानूनों का प्रावधान किया गया है।

➡ इस अभिसमय के प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी देश दूसरे देश के राजनयिकों को किसी भी कानूनी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता है। साथ ही राजनयिक के ऊपर मेजबान देश में किसी तरह का कस्टम टैक्स नहीं लगेगा।

➡ इसके पश्चात 24 अप्रैल, 1963 को 'वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस' हस्ताक्षरित हुआ एवं यह 19 मार्च, 1967 को लागू हुआ।

➡ इस अभिसमय (Convention) में कुल 79 अनुच्छेद (Articles) हैं। इस अभिसमय के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मेजबान देश के प्राधिकारी दूसरे देश के दूतावास में प्रवेश करने से पूर्व दूतावास के प्रमुख या संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

- ◆ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा जून, 1945 में की गई थी तथा इसने अप्रैल, 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। यह न्यायालय 'द हेग' (नीदरलैंड्स) के पीस पैलेस (Peace Palace) में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंगों में से यही एकमात्र ऐसा अंग है, जो न्यूयॉर्क (सं.रा. अमेरिका) में स्थित नहीं है।
- ◆ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, राज्यों द्वारा प्रस्तुत विवादों का समाधान करता है तथा अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी सवालों पर सलाह देने का कार्य करता है।
- ◆ वर्तमान में सोमालिया के अब्दुलकवी अहमद यूसुफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं।
- ◆ न्यायाधीश दलवीर भंडारी (भारत) वर्ष 2012 से ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं।

- अभिसमय के अनुच्छेद 36 के अंतर्गत यदि किसी विदेशी नागरिक को कोई देश अपनी राजनीतिक सीमा के भीतर गिरफ्तार करता है, तो संबंधित देश के दूतावास को तुरंत इसकी सूचना देनी पड़ेगी।
- गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक के आग्रह पर पुलिस को संबंधित दूतावास या राजनयिक को इसकी सूचना भी देनी पड़ेगी, जिसमें पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति के विषय में, गिरफ्तारी का कारण एवं स्थान आदि बताना होगा अर्थात गिरफ्तार विदेशी नागरिक को राजनयिक पहुंच देनी होगी।
- भारत ने इसी नियम का हवाला देते हुए जाधव का मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया था।

❑ निष्कर्ष

यद्यपि कुलभूषण जाधव मामले का अंतिम रूप से समाधान तो नहीं हो पाया है, परंतु इतना तो अवश्य है कि ICJ का यह निर्णय केवल भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह निर्णय संपूर्ण विश्व के देशों एवं मानवाधिकारों के लिए भी है। भविष्य में इस निर्णय के आधार पर किसी एक देश के नागरिकों से किसी और देश में इसी प्रकार का व्यवहार किए जाने पर उसे ICJ में चुनौती दी जा सकेगी एवं इस निर्णय का संदर्भ दिया जा सकेगा। यह इस निर्णय का ही प्रभाव है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 'कॉन्सुलर एक्सेस' की सुविधा प्रदान की एवं इसके परिणामस्वरूप 2 सितंबर, 2019 को इस्लामाबाद में भारतीय उप-उच्चायुक्त (Deputy High Commissioner) गौरव अहलूवालिया की मुलाकात कुलभूषण जाधव से संभव हो पाई।

सं. ललिन्द्र कुमार

स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया-2018

❑ बाघ एवं उनका संरक्षण

बाघ (Tiger) एक ऐसा अद्वितीय पशु है, जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य एवं विविधता को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका अदा करता है। 'सबसे बड़ा परभक्षी' (Top predator) होने के कारण यह पारिस्थितिकी संतुलन एवं खाद्य शृंखला को बनाए रखने में मदद करता है। पारंपरिक रूप से बाघों की आठ उप-प्रजातियों (Sub-species) की पहचान हुई है, जिनमें से तीन विलुप्त हो चुकी हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बाघों की जो उप-प्रजाति पाई जाती है, उसे 'बंगाल टाइगर' (वैज्ञानिक नाम : **पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस**) कहते हैं। IUCN की रेड डाटा सूची में इसे 'संकटग्रस्त' (Endangered) की श्रेणी में शामिल किया गया है। चूंकि बाघों के संरक्षण के परिणामस्वरूप ही किसी पारिस्थितिकी तंत्र में 'सभी पोषण स्तरों' (All tropic levels) का संरक्षण संभव होता है, अतः इन्हें संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

❑ भारत में बाघों की स्थिति

➡ विश्व में बाघों की कुल आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा भारत में ही निवास करता है।

➡ जंगली बाघ (Wild Tigers) भारत के जिन 20 राज्यों में पाए जाते हैं, वे हैं– आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा तथा नगालैंड।

➡ राष्ट्रीय पशु 'बाघ' को संरक्षित करने की एक अग्रणी पहल के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 1973 में **'प्रोजेक्ट टाइगर'** (Project Tiger) को लांच किया था।

➡ प्रोजेक्ट टाइगर के लांच होने के बाद प्रारंभ में देश में 9 बाघ अभयारण्य (Tiger Reserves) स्थापित किए गए थे, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 50 तक पहुंच चुकी है।

- ये 50 बाघ अभयारण्य देश के 18 राज्यों में विस्तृत हैं और कुल 72,749.02 वर्ग किमी. क्षेत्र को आच्छादित करते हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.21 प्रतिशत है।

❑ अखिल भारतीय बाघ आकलन

➡ बाघ संरक्षण के प्रयासों की सफलता का आकलन करने के साथ बाघों की संख्या तथा उनके पारितंत्र पर नजर रखने के उद्देश्य से **'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण'** (NTCA : National Tiger Conservation Authority), राज्य वन विभागों, गैर-सरकारी संगठनों तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल पर बाघों की स्थिति एवं उनके प्राकृतिक आवास के राष्ट्रीय आकलन का कार्य संचालित करता है।

➡ बाघों का प्रथम राष्ट्रीय आकलन वर्ष 2006 में किया गया था।

- वर्ष 2006 में देश भर में हुई बाघ गणना के आंकड़े चौकाने वाले थे, जिसके अनुसार भारत में मात्र 1411 बाघ ही शेष थे।



आरेखीय चित्र स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया - 2018

➡ इसके बाद वर्ष 2010 में हुई अखिल भारतीय बाघ गणना में बाघों की संख्या के 1411 से बढ़कर 1706 तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया था।

➡ जबकि वर्ष 2014 में जारी अखिल भारतीय बाघ आकलन के तीसरे चक्र के परिणामों के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या 2226 दर्ज की गई।

❑ अखिल भारतीय बाघ गणना-2018

➡ 29 जुलाई, 2019 को **'अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस'** (International Tiger Day) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'अखिल भारतीय बाघ आकलन' के चौथे चरण के परिणाम जारी किए।

- ➲ इन परिणामों को 'स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया-2018' (Status of Tigers in India-2018) नामक रिपोर्ट में संकलित कर प्रस्तुत किया गया है।

➡ भारत का राष्ट्रीय बाघ आकलन, 'आच्छादन' (Coverage), नमूना एकत्रण की प्रक्रिया की गहनता (Intensity of Sampling) तथा कैमरा ट्रैपिंग के परिमाण की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण है।

➡ अखिल भारतीय बाघ आकलन के चौथे चरण के दौरान आंकड़ों का एकत्रीकरण डिजिटल रूप से एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन **'एम-स्ट्राइप्स'** (M-STrIPES : Monitoring System for Tigers-Intensive Protection & Ecological Status) के प्रयोग द्वारा किया गया।

❑ नवीनतम बाघ गणना के परिणाम

➡ नवीनतम बाघ गणना के परिणाम दर्शाते हैं कि वर्ष **2018 में** भारत में **बाघों की संख्या बढ़कर 2967 तक** पहुंच चुकी है।

- ➲ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 से वर्ष 2018 के मध्य बाघों की संख्या में **33 प्रतिशत वृद्धि** दर्ज की गई।
- ➲ बाघ गणना के दो क्रमागत (Consecutive) चरणों के मध्य दर्ज यह अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है।
- ➲ ज्ञातव्य है कि वर्ष 2006 से 2010 के मध्य बाघों की संख्या में 21 प्रतिशत, जबकि वर्ष 2010 से 2014 के मध्य 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

➡ भारत में **बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में** (526 बाघ) दर्ज की गई।

- ➲ इसके बाद क्रमशः कर्नाटक (524 बाघ) एवं उत्तराखंड (442 बाघ) का स्थान रहा।
- ➲ पिछले वर्ष की तुलना में छत्तीसगढ़ एवं मिजोरम में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई, जबकि ओडिशा में बाघों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- ➲ अन्य सभी राज्यों में बाघों की संख्या के संदर्भ में सकारात्मक प्रवृत्ति (Positive Trend) देखी गई।
- ➲ बक्सा, डम्पा एवं पलामू बाघ अभयारण्यों में बाघों की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई।

भारत में बाघों की संख्या

राज्य	वर्ष 2014	वर्ष 2018
शिवालिक की पहाड़ियां एवं गंगा का मैदान क्षेत्र		
बिहार	28(25-31)	31(26-37)
उत्तराखंड	340(299-381)	442(393-491)
उत्तर प्रदेश	117(103-131)	173(148-198)
शिवालिक की पहाड़ियां एवं गंगा का मैदान	**485(427-543)**	**646(567-726)**
मध्य भारतीय क्षेत्र एवं पूर्वी घाट		
आंध्र प्रदेश	68(58-78)	48(40-56)#
तेलंगाना	-	26(23-30)#
छत्तीसगढ़	46(39-53)*	19(18-21)
झारखंड	3*	5
मध्य प्रदेश	308(264-352)*	526(441-621)
महाराष्ट्र	190(163-217)*	312(270-354)
ओडिशा	28(24-32)*	28(26-30)
राजस्थान	45(39-51)	69(62-76)
मध्य भारत एवं पूर्वी घाट	**688(596-780)**	**1,033(885-1,193)**
पश्चिमी घाट क्षेत्र		
गोवा	5*	3
कर्नाटक	406(360-452)	524(475-573)
केरल	136(119-150)	190(166-215)
तमिलनाडु	229(201-253)	264(227-302)
पश्चिमी घाट	**776(685-861)**	**981(871-1,093)**
उत्तर-पूर्वी पहाड़ियां एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान क्षेत्र		
अरुणाचल प्रदेश	28*	29*
असम	167(150-184)	190(165-215)
मिजोरम	3*	0
नगालैंड	-	0
पूर्वी-पश्चिमी बंगाल	3*	0
उत्तर-पूर्वी पहाड़ियां एवं ब्रह्मपुत्र क्षेत्र	**201(174-212)**	**219(194-244)**
सुंदरबन	76(62-96)	88(86-90)
कुल	**2,226**	**2,967**
	(1,945-2,491)	**(2,603-3,346)**

नोट : कोष्ठक की संख्याएं मानक त्रुटि सीमा (Standard Error Limits) को प्रदर्शित करती हैं।

❑ बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा

➡ 21-24 नवंबर, 2010 के मध्य सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में **'अंतरराष्ट्रीय बाघ संरक्षण फोरम'** (International Tiger Conservation Forum) का आयोजन किया गया था।

- ➲ इस फोरम में 13 टाइगर रेंज देशों यथा-बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड तथा वियतनाम के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया था।
- ➲ इस फोरम में इन देशों ने 'ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम' (Global Tiger Recovery Program) के कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
- ➲ साथ ही, ये देश अपनी रेंज में वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने पर भी सहमत हुए थे।

➡ सेंट पीटर्सबर्ग में इस फोरम के आयोजन के समय भारत में बाघों की संख्या 1411 अनुमानित थी और अखिल भारतीय बाघ गणना-2010 के आंकड़े जारी नहीं किए गए थे।

- ➲ वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 तक पहुंच चुकी है।
- ➲ स्पष्ट है कि भारत ने वर्ष 2022 की अंतिम समय-सीमा से काफी पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर लिया है।

❑ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ बाघ संरक्षण से संबंधित भारत की सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ टाइगर रेंज के अन्य मित्र देशों को भी प्राप्त हो रहा है।

- ➲ इस संबंध में रूस एवं चीन सहित पांच देशों ने 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण' के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ➲ ग्वाटेमाला भी अपने यहां 'जगुआर' (Jaguar) संरक्षण हेतु भारत से तकनीकी सहायता प्राप्त करने का इच्छुक है।

➡ भारत के अतिरिक्त **मलेशिया एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बाघ** ही है।

➡ चीनी संस्कृति में 'बाघ वर्ष' (Tiger Year) मनाया जाता है।

❑ निष्कर्ष

देश में बाघों एवं संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि मात्र एक आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पर्यटन एवं रोजगार के साधनों पर पड़ना तय है। स्पष्ट है कि बाघों के संरक्षण के माध्यम से केंद्र सरकार पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ पारिस्थितिकी पर्यटन अवसंरचना के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2019

❑ बहुआयामी गरीबी

विश्व के अधिकांश देशों में गरीबी (Poverty) को प्राय: धन की कमी के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। हालांकि गरीब व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक व्यापक रूप में गरीबी का अनुभव करते हैं। उदाहरणस्वरूप, किसी गरीब व्यक्ति को एक ही समय पर खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, स्वच्छ जल एवं विद्युत के अभाव, खराब गुणवत्ता के कार्य में संलग्नता जैसी विविध प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। स्पष्ट है कि केवल एक ही घटक जैसे-आय के आधार पर गरीबी की वास्तविक स्थिति को समझना पर्याप्त नहीं है। गरीबी की बहुआयामी स्थिति को समझने के लिए गरीबों द्वारा अनुभव की जाने वाली विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है।

❑ बहुआयामी गरीबी सूचकांक

➡ वर्ष 2030 तक सभी जगहों से सभी रूपों में गरीबी की समाप्ति ही 'सतत विकास लक्ष्यों' (SDGs) के अंतर्गत प्रथम लक्ष्य (Goal-1) है।

➡ सतत विकास लक्ष्य-1 (SDG-1) को प्राप्त करने की दिशा में हो रही प्रगति को मापने का एक साधन **'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक'** (Global Multidimensional Poverty Index) है।

➡ इस सूचकांक के अंतर्गत वैश्विक जनसंख्या के 76 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक देशों में चरम बहुआयामी गरीबी (Acute Multidimensional Poverty) की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

➡ वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास वर्ष 2010 में **'ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल'** (OPHI : Oxford Poverty & Human Development Initiative) तथा **'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम'** (UNDP) के 'मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय' (HDRO) द्वारा किया गया था।

➡ OPHI तथा UNDP ने बहुआयामी गरीबी को मापने के लिए एक प्रविधि विकसित की है, जिसे **'अल्कीरे-फॉस्टर विधि'** (Alkire-Foster Method) के नाम से जाना जाता है।



आरेखीय चित्र वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2019

❑ वर्ष 2019 की रिपोर्ट

➡ 11 जुलाई, 2019 को **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम** (UNDP) तथा **'ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल'** (OPHI) द्वारा **'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2019'** (Global Multidimensional Poverty Index, 2019) जारी किया गया।

➡ यह सूचकांक वैश्विक जनसंख्या के 76 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले **101 देशों में बहुआयामी गरीबी की स्थिति का व्यापक विवरण** उपलब्ध कराता है।

➡ नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में **विश्व के 101 देशों में 1.3 बिलियन लोग (23.1%) बहुआयामी गरीबी की स्थिति में** हैं।

- ➲ इन 1.3 बिलियन लोगों में **आधी संख्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की** है।

➡ बहुआयामी गरीबी की स्थिति वाले लगभग दो-तिहाई लोग (886 मिलियन) मध्यम-आय वाले देशों में निवास करते हैं।

➡ विश्व के 84.5 प्रतिशत बहुआयामी गरीबी की स्थिति वाले लोग उप-सहारा अफ्रीका एवं दक्षिण एशिया में निवास करते हैं।

➡ इस रिपोर्ट में ऐसे **10 देशों की पहचान की** गई है, जिनकी संयुक्त जनसंख्या लगभग 2 बिलियन है और इन देशों ने 'सतत विकास लक्ष्य-1' (SDG-1 : सभी जगह से सभी रूपों में गरीबी की समाप्ति) को प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

- ➲ ये 10 देश हैं - बांग्लादेश, पेरू, कंबोडिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, वियतनाम, कांगो, इथियोपिया तथा हैती।

❑ भारत की स्थिति

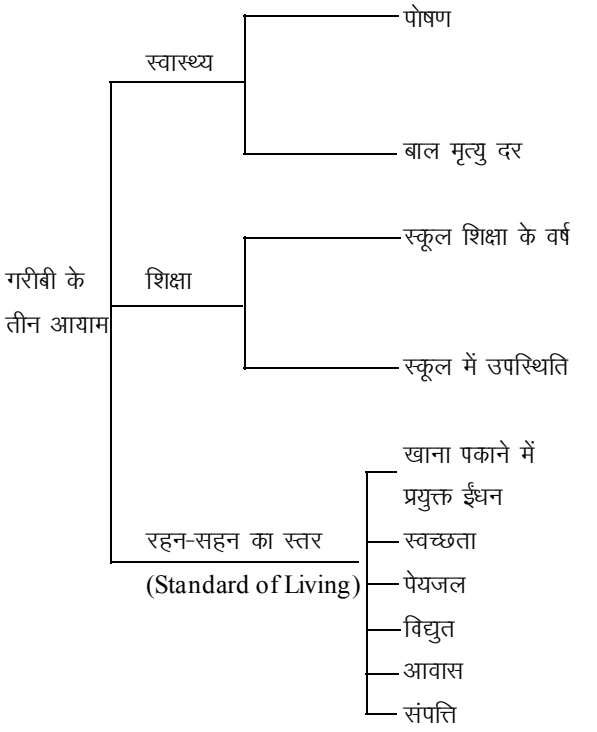
➡ बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य (MPI Value) में सबसे तेज निरपेक्ष कमी भारत, कंबोडिया एवं बांग्लादेश में दर्ज की गई।

- ➲ भारत का MPI मूल्य वर्ष 2005-06 के 0.283 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.123 हो गया।
- ➲ **वर्ष 2005-06 में भारत में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या 640 मिलियन (55.1%) थी, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 369 मिलियन (27.9%) हो गई।**
- ➲ स्पष्ट है कि वर्ष 2005-06 एवं 2015-16 के मध्य **भारत ने 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला** है।

➡ भारत की 8.8 प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी की गंभीर स्थिति में निवास कर रही है, जबकि 19.3 प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के प्रति सुभेद्य (Vulnerable) है।

- ➲ भारत के झारखंड प्रांत में बहुआयामी गरीबी के मामले वर्ष 2005-06 के 74.9 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2015-16 में 46.5 प्रतिशत दर्ज किए गए।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की संरचना



जयपुर : विश्व धरोहर स्थल घोषित

❑ विश्व धरोहर समिति की 43वीं बैठक

➡ यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति (World Heritage Committee) की 43वीं वार्षिक बैठक 30 जून से 10 जुलाई, 2019 के मध्य अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुई।

➡ इस बैठक के दौरान समिति द्वारा विश्वभर के कुल 29 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।

- ➲ इन 29 स्थलों में से 24 सांस्कृतिक स्थल, 4 प्राकृतिक तथा 1 मिश्रित स्थल है।
- ➲ नए स्थलों को शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 167 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 1121 हो गई है, जिनमें से 869 सांस्कृतिक स्थल, 213 प्राकृतिक स्थल तथा 39 मिश्रित स्थल के रूप में शामिल हैं।

❑ जयपुर को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा

➡ विश्व धरोहर समिति की 43वीं बैठक के दौरान 6 जुलाई, 2019 को भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्य राजस्थान में स्थित जयपुर शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की गई।

➡ यह विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 38वां स्थल है।

- ➲ ज्ञातव्य है कि जयपुर सांस्कृतिक स्थल के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है।

➲ इससे पूर्व 8 जुलाई, 2017 को गुजरात के ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।

➡ विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के 38 स्थलों में से 30 को सांस्कृतिक श्रेणी, 7 को प्राकृतिक श्रेणी तथा 1 स्थल को मिश्रित श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है।

➡ जयपुर को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करने हेतु भारत के नामांकन (Nomination) का समर्थन करने वाले देश/क्षेत्र इस प्रकार हैं- ब्राजील, बहरीन, क्यूबा, इंडोनेशिया, अजरबैजान, कुवैत, किर्गिजस्तान, जिम्बाब्वे, चीन, ग्वाटेमाला, युगांडा, ट्यूनीशिया, बुर्किना फासो, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, अंगोला, सेंट किट्स एवं नेविस।

➲ ऑस्ट्रेलिया एवं नॉर्वे भी विचार-विमर्श के बाद जयपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर सहमत हुए।

❑ जयपुर : ऐतिहासिक शहर

➡ जयपुर के किलेबंद शहर की स्थापना 1727 ई. में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी।

➡ जयपुर शहर तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है।

➲ इस शहर की पहचान यहां की समृद्ध भवन निर्माण परंपरा तथा सांस्कृतिक उत्कृष्टता है।

➲ वर्ष 1878 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने जयपुर का दौरा किया था और उनके स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजवाया गया था।

➲ तभी से जयपुर को 'गुलाबी शहर' के नाम से जाना जाता है।

➡ ऐसी मान्यता है कि जयपुर, भारत का प्रथम नियोजित शहर (First planned city of India) है।

➲ जयपुर भारत के टूरिस्ट सर्किट गोल्डेन ट्रायंगल (Golden Triangle) का हिस्सा है।

➲ इस गोल्डेन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल हैं।

❑ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ ज्ञातव्य है कि जयपुर से पूर्व वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों (चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथम्भौर किला, जैसलमेर किला, अजमेर किला तथा गागरोन किला), वर्ष 2010 में जंतर-मंतर (जयपुर) तथा वर्ष 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है।



आरेखीय चित्र जयपुर : विश्व धरोहर स्थल घोषित

➲ स्मरणीय है कि विश्व धरोहर समिति की 42वीं बैठक के दौरान जून, 2018 में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको शैली के भवनों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।

❑ विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल प्रमुख विदेशी स्थल

➡ विश्व धरोहर समिति की 43वीं बैठक के दौरान भारत के अतिरिक्त जिन विदेशी स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया उनमें प्रमुख हैं-

सांस्कृतिक स्थल :

1. बुर्किना फासो के प्राचीन लौह धातु विज्ञान स्थल
2. लिआंगझू शहर (चीन) के पुरातात्विक खंडहर
3. दिलमुन समाधि के टीले (बहरीन)
4. खान के महल के साथ शेकी का ऐतिहासिक केंद्र (अजरबैजान)
5. फ्रैंक लॉयड राइट की 20वीं शताब्दी की वास्तुकला (संयुक्त राज्य अमेरिका)
6. ऑग्सबर्ग की जल प्रबंधन प्रणाली (जर्मनी)

प्राकृतिक स्थल :

1. फ्रेंच ऑस्ट्रल भूमि और समुद्र (फ्रांस)
2. हिरकानियन वन (ईरान)

मिश्रित स्थल :

1. पैराटी और इलाहा ग्रांडे-संस्कृति और जैव-विविधता (ब्राजील)

❑ संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल

➡ विश्व धरोहर समिति की 43वीं बैठक के दौरान ही मेक्सिको के कैलिफोर्निया की खाड़ी के द्वीप समूह और संरक्षित क्षेत्र को 'विश्व की संकटग्रस्त' धरोहरों (World Heritage in Danger) की सूची में शामिल किया गया।

➡ ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में विश्व धरोहर समिति की 42वीं बैठक में तुर्काना झील राष्ट्रीय उद्यान (केन्या) को विश्व की संकटग्रस्त धरोहरों की सूची में शामिल किया गया था।

➲ इस प्रकार वर्तमान में विश्व की संकटग्रस्त धरोहरों की सूची में कुल 53 स्थल शामिल हैं।

➲ विश्व की संकटग्रस्त धरोहरों की सूची में भारत का कोई भी स्थल शामिल नहीं है।

सं. पवन कुमार तिवारी

नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) : मई, 2019 बुलेटिन

❑ नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System : SRS)

➡ नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर शिशु जन्म दर (Birth Rate), मृत्यु दर (Death Rate) तथा अन्य प्रजनन एवं मृत्यु संबंधी संकेतकों (Indicators) के विश्वसनीय वार्षिक अनुमानों को उपलब्ध कराने वाला एक बृहद-स्तरीय जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है।

➡ वर्ष 1964-65 में कुछ चुनिंदा राज्यों में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया गया यह सर्वेक्षण वर्ष 1969-70 के दौरान पूर्णतः क्रियाशील हुआ।

➡ यह जनसांख्यिकी सर्वेक्षण प्रत्येक 10 वर्ष बाद नवीनतम जनगणना ढांचे के आधार पर परिवर्तित कर दिया जाता है।

➲ वर्तमान में एस.आर.एस. (SRS) देश के सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 8850 नमूना इकाइयों (4961 ग्रामीण + 3889 शहरी) में परिचालित है, जिसमें 7.9 मिलियन जनसंख्या को शामिल किया गया है।

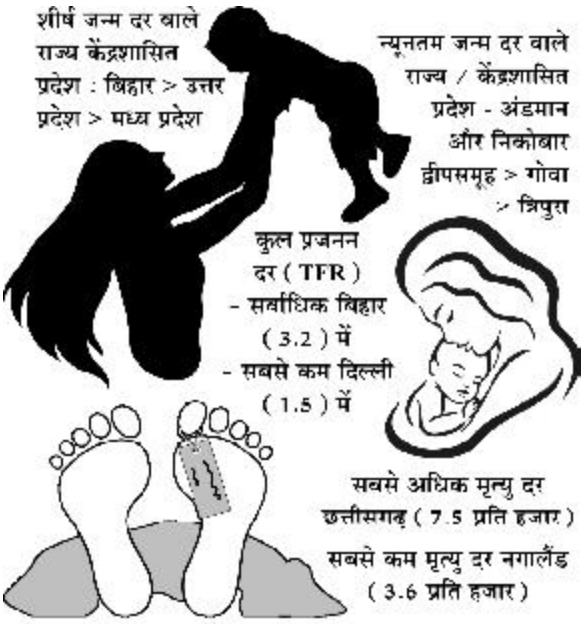
❑ वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ मई, 2019 में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन (Sample Registration System Bulletin : SRS Bulletin) जारी किया गया।

➡ बुलेटिन में जारी आंकड़े (राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए) वर्ष 2017 के संदर्भ में हैं।

➲ सर्वेक्षण में बड़े राज्यों (Big States), छोटे राज्यों (Small States) तथा केंद्रशासित प्रदेशों को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर आंकड़े जारी किए गए हैं। यहां बड़े राज्यों से तात्पर्य उन राज्यों से है, जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 10 मिलियन से अधिक है।

➲ बुलेटिन में जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्यों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate : IMR) नगालैंड (7/1000) में रही, जबकि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश (47/1000) में रही।



आरेखीय चित्र नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) : मई, 2019 बुलेटिन

❑ सर्वेक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

● जन्म दर (Birth Rate)

➡ जन्म दर जननक्षमता (Fertility) का एक अशोधित (Crude) पैमाना है, जो जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।

➡ विगत चार दशकों में देश में जन्म दर में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है और यह वर्ष 1971 के 36.9 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2017 में 20.2 प्रतिशत पर आ गई है।

➲ हालांकि इन चार दशकों में शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर अधिक दर्ज की गई है।

➲ वर्ष 2017 में भारत के शहरी क्षेत्रों में जन्म दर 16.8 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 21.8 प्रतिशत दर्ज की गई।

➡ भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार (26.4%) में, तो सबसे कम केरल (14.2%) में है, जबकि सभी भारतीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे कम जन्म दर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (11.4) में रही।

➲ सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2017 में सभी भारतीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में शीर्ष जन्म दर एवं न्यूनतम जन्म दर वाले पांच राज्य/केंद्रशासित प्रदेश क्रमशः निम्न हैं-

शीर्ष जन्म दर वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश : बिहार (26.4), उत्तर प्रदेश (25.9), मध्य प्रदेश (24.8), राजस्थान (24.1) तथा दादरा और नगर हवेली (23.6)।

न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश : अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (11.4), गोवा (12.5), त्रिपुरा (13), पुडुचेरी (13.2), नगालैंड (13.5) एवं चंडीगढ़ (13.5)।

❑ मृत्यु दर (Death Rate)

➡ मृत्यु दर (Death Rate) जनसंख्या परिवर्तन के मूल घटकों में से एक है और इससे संबंधित डाटा जनसांख्यिकी अध्ययन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के लिए आवश्यक है। यह मृतकों की संख्या को मापने का सबसे सरल उपाय है, जो कि निश्चित अवधि तथा क्षेत्र में प्रति हजार जनसंख्या पर मापी जाती है।

➡ भारत में पिछले चार दशकों में मृत्यु दर में काफी अधिक गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 1971 के 14.9 प्रति हजार से गिरकर वर्ष 2017 में 6.3 प्रति हजार हो गई है।

अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर तथा शिशु मृत्यु दर, 2017												
भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जन्म दर			मृत्यु दर			प्राकृतिक वृद्धि दर			शिशु मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत	20.2	21.8	16.8	6.3	6.9	5.3	13.9	15.0	11.6	33	37	23
बड़े राज्य												
1. आंध्र प्रदेश	16.2	16.5	15.5	7.2	8.1	5.3	8.9	8.4	10.2	32	36	23
2. असम	21.2	22.4	14.7	6.5	6.7	5.3	14.7	15.7	9.4	44	46	21
3. बिहार	26.4	27.2	20.9	5.8	5.9	5.4	20.6	21.3	15.6	35	36	31
4. छत्तीसगढ़	22.7	24.1	18.0	7.5	8.1	5.6	15.1	16.0	12.4	38	40	32
5. एन.सी.टी. ऑफ देलही	15.2	16.5	15.2	3.7	4.2	3.7	11.5	12.4	11.5	16	12	16
6. गुजरात	19.9	21.8	17.6	6.2	6.9	5.5	13.7	14.9	12.1	30	36	22
7. हरियाणा	20.5	21.9	18.2	5.8	6.3	5.0	14.7	15.6	13.2	30	32	25
8. जम्मू एवं कश्मीर	15.4	17.1	11.6	4.8	5.1	4.3	10.5	12.0	7.4	23	24	19
9. झारखंड	22.7	24.2	18.2	5.5	5.8	4.6	17.2	18.3	13.6	29	30	24
10. कर्नाटक	17.4	18.2	16.1	6.5	7.6	4.9	10.9	10.6	11.3	25	27	22
11. केरल	14.2	14.1	14.2	6.8	7.2	6.5	7.3	6.9	7.7	10	9	10
12. मध्य प्रदेश	24.8	26.8	19.4	6.8	7.3	5.5	18.0	19.5	13.9	47	51	32
13. महाराष्ट्र	15.7	16.0	15.4	5.7	6.6	4.6	10.1	9.4	10.9	19	23	14
14. ओडिशा	18.3	19.3	13.5	7.4	7.7	6.0	10.9	11.6	7.5	41	42	32
15. पंजाब	14.9	15.5	14.1	7.0	7.7	6.0	7.9	7.8	8.1	21	22	19
16. राजस्थान	24.1	25.0	21.5	6.0	6.3	5.1	18.1	18.7	16.3	38	42	28
17. तमिलनाडु	14.9	15.0	14.9	6.7	7.6	5.9	8.3	7.4	9.0	16	19	14
18. तेलंगाना	17.2	17.5	16.8	6.6	8.0	4.5	10.6	9.5	12.3	29	33	23
19. उत्तर प्रदेश	25.9	27.0	22.6	6.7	7.2	5.4	19.2	19.9	17.2	41	44	33
20. उत्तराखंड	17.3	17.6	16.4	6.7	7.1	5.6	10.6	10.5	10.8	32	33	30
21. पश्चिम बंगाल	15.2	16.7	11.7	5.8	5.7	6.0	9.4	11.0	5.7	24	24	22
छोटे राज्य												
1. अरुणाचल प्रदेश	18.3	18.8	15.5	6.1	6.4	4.9	12.1	12.4	10.6	42	44	34
2. गोवा	12.5	12.1	12.9	6.2	7.2	5.4	6.4	4.9	7.5	9	10	8
3. हिमाचल प्रदेश	15.8	16.3	10.3	6.6	6.8	4.0	9.2	9.4	6.3	22	23	15
4. मणिपुर	14.6	14.8	14.1	5.3	5.3	5.3	9.3	9.5	8.8	12	13	9
5. मेघालय	22.8	24.8	13.7	6.1	6.3	4.8	16.7	18.5	8.8	39	41	25
6. मिजोरम	15.0	17.7	12.2	4.0	4.0	4.1	11.0	13.8	8.0	15	20	7
7. नगालैंड	13.5	14.0	12.7	3.6	4.2	2.7	9.9	9.8	9.9	7	7	7
8. सिक्किम	16.4	15.2	18.3	4.5	5.3	3.4	11.9	9.9	14.9	12	13	9
9. त्रिपुरा	13.0	14.1	10.3	5.2	5.2	5.2	7.8	9.0	5.1	29	28	32
संघ शासित क्षेत्र												
1. अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	11.4	12.1	10.3	5.1	5.8	4.2	6.2	6.4	6.1	14	12	18
2. चंडीगढ़	13.5	19.1	13.4	4.5	2.7	4.5	9.1	16.4	8.9	14	3	14
3. दादरा-नगर हवेली	23.6	20.4	26.0	4.4	5.7	3.4	19.3	14.8	22.6	13	19	10
4. दमन-दीव	20.2	16.1	21.1	4.7	5.7	4.5	15.4	10.4	16.6	17	18	17
5. लक्षद्वीप	15.0	18.4	14.1	6.5	8.3	6.0	8.5	10.1	8.1	20	16	21
6. पुडुचेरी	13.2	13.7	13.1	7.3	7.8	7.1	5.9	5.9	5.9	11	13	10

नोट :-छोटे और संघ शासित राज्यों में शिशु मृत्यु दर (IMR) तीन वर्षों की अवधि (2015-17) पर आधारित है।

- ➲ वर्ष 2017 में भारत के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर भिन्न-भिन्न है। शहरी क्षेत्रों में यह 5.3 प्रति हजार है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह 6.9 प्रति हजार है।
- ➲ बड़े राज्यों, छोटे राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना करने पर मृत्यु दर सबसे कम नगालैंड (3.6 प्रति हजार) में है, तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़ (7.5 प्रति हजार) में है।
- ➲ सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2017 में सभी भारतीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में शीर्ष मृत्यु दर वाले पांच राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश क्रमशः हैं : छत्तीसगढ़ (7.5), ओडिशा (7.4), पुडुचेरी (7.3), आंध्र प्रदेश (7.2) तथा पंजाब (7)।
- ➲ सभी भारतीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में न्यूनतम मृत्यु दर वाले पांच राज्य/केंद्रशासित प्रदेश हैं : नगालैंड (3.6), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (3.7), मिजोरम (4), दादरा और नगर हवेली (4.4), चंडीगढ़ (4.5) और सिक्किम (4.5)।

❑ शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate : IMR)

➡ शिशु मृत्यु दर किसी देश या क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य परिदृश्य हेतु अशोधित संकेतक (Crude Indicator) के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह एक निश्चित समयावधि में और किसी दिए गए क्षेत्र में प्रति हजार जीवित जन्मों में शिशु मृत्यु (एक वर्ष से कम आयु के) के रूप में परिभाषित किया जाता है।

➡ राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर (IMR) का वर्तमान स्तर (वर्ष 2017 में 1000 जीवित जन्म पर 33 शिशुओं की मृत्यु) वर्ष 1971 के स्तर (1000 जीवित जन्म पर 129 शिशुओं की मृत्यु) की तुलना में घटकर एक-चौथाई हो गया है।

➡ राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में शिशु मृत्यु दर (IMR) का आंकड़ा जहां नगालैंड में सबसे कम (7) दर्ज किया गया है, वहीं मध्य प्रदेश में यह सर्वाधिक (47) है।

➡ सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2017 में सभी भारतीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले शीर्ष 5 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश क्रमशः हैं : मध्य प्रदेश (47), असम (44), अरुणाचल प्रदेश (42), उत्तर प्रदेश (41) तथा ओडिशा (41)।

- ➲ सबसे कम मृत्यु दर वाले 5 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश क्रमशः हैं: नगालैंड (7), गोवा (9), केरल (10), पुडुचेरी (11), मणिपुर (12) एवं सिक्किम (12)।

➡ जन्म के समय लिंगानुपात (Sex Ratio) वर्ष 2015-17 के दौरान 2 प्रतिशत घटकर 896 हो गया है। वर्ष 2014-16 में यह 898 था।

- ➲ जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात छत्तीसगढ़ (961) में, जबकि सबसे कम हरियाणा (833) में है।
- ➲ वर्ष 2017 में कुल प्रजनन दर (TFR) सर्वाधिक बिहार (3.2) में, तो सबसे कम दिल्ली (1.5) में दर्ज की गई है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

❑ पृष्ठभूमि

➡ देश में मासूम बच्चों के साथ अमानवीय कृत्यों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर मौजूदा कानूनों को और अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से संसद द्वारा पॉक्सो कानून में संशोधन किया गया है। ध्यातव्य है कि बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण हेतु संसद द्वारा पॉक्सो अधिनियम, 2012 पारित किया गया था। यह अधिनियम बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने का प्रयास करता है।

❑ वर्तमान परिदृश्य

➡ 24 जुलाई, 2019 को राज्य सभा द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया गया।

➡ 1 अगस्त, 2019 को लोक सभा द्वारा भी यह विधेयक पारित कर दिया गया।

➡ 5 अगस्त, 2019 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी भी प्राप्त हो गई।

- ➲ यह विधेयक 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (POCSO Act, 2012: Protection of Children From Sexual Offences Act, 2012) में संशोधन प्रस्तावित करता है।

❑ भेदक यौन हमला (Penetrative Sexual Assault)

➡ अधिनियम, 2012 के तहत यदि कोई व्यक्ति 'भेदक यौन हमला' करता है, तो इस तरह के अपराध के लिए सजा 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना है।

- ➲ जबकि संशोधन अधिनियम, 2019 में न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रावधान है।
- ➲ अगर कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है, तो उसके लिए जुर्माने के साथ 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड प्रस्तावित है।

❑ गंभीर भेदक यौन हमला (Aggravated Penetrative Sexual Assault)

➡ अधिनियम, 2012 के तहत कुछ कृत्यों को गंभीर भेदक यौन हमले के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें ऐसे मामले शामिल हैं, जब एक पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बलों का कोई सदस्य या एक लोक सेवक एक बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है।

- ➲ इसमें उन मामलों को भी शामिल किया गया है, जहां अपराधी बच्चे का रिश्तेदार है या अगर हमले से बच्चे के यौनांगों को चोट पहुंचती है या बच्ची गर्भवती हो जाती है।

➡ संशोधन अधिनियम द्वारा गंभीर भेदक यौन हमले की परिभाषा में दो और आधारों को जोड़ा गया है-(i) हमले के कारण बच्चे की मौत और (ii) प्राकृतिक आपदा या हिंसा की किसी भी अन्य समान स्थितियों में किया गया हमला।

पोर्नोग्राफिक उद्देश्य के लिए बच्चों के प्रयोग से संबंधित अपराध एवं दंड			
	अपराध	दंड	
		पॉक्सो अधिनियम, 2012	संशोधन अधिनियम, 2019
1.	पोर्नोग्राफिक उद्देश्य के लिए बच्चों का प्रयोग	अधिकतम - 5 वर्ष	न्यूनतम - 5 वर्ष
2.	परिणाम, भेदक यौन हमला	न्यूनतम - 10 वर्ष अधिकतम - आजीवन कारावास	न्यूनतम - 10 वर्ष (बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम होने पर - 20 वर्ष) अधिकतम-आजीवन कारावास
3.	परिणाम, गंभीर भेदक यौन हमला	आजीवन कारावास	न्यूनतम - 20 वर्ष, अधिकतम - आजीवन कारावास या मृत्युदंड
4.	परिणाम, यौन हमला	न्यूनतम - 6 वर्ष, अधिकतम - 8 वर्ष	न्यूनतम - 3 वर्ष, अधिकतम - 5 वर्ष
5.	परिणाम, गंभीर यौन हमला	न्यूनतम - 8 वर्ष, अधिकतम - 10 वर्ष	न्यूनतम - 5 वर्ष, अधिकतम - 7 वर्ष
नोट : पोर्नोग्राफिक उद्देश्य के लिए बच्चे का प्रयोग करने पर, जिसका परिणाम किसी भी तरह का यौन हमला हो, दंड, यौन उद्देश्यों के लिए बच्चे के प्रयोग के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की सजा के अतिरिक्त है।			

➡ अधिनियम, 2012 के तहत इस प्रकार के अपराधों के लिए 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

➡ संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत न्यूनतम सजा 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष और अधिकतम सजा मृत्युदंड किए जाने का प्रावधान है।

❑ गंभीर यौन हमले (Aggravated Sexual Assault)

➡ अधिनियम, 2012 के तहत 'यौन हमले' में ऐसी क्रियाएं शामिल हैं, जहां एक व्यक्ति यौन भावना से बच्चे को छूने का प्रयास करता है।



आरेखीय चित्र यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

➲ 'गंभीर यौन हमले' में ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें अपराधी, बच्चे का रिश्तेदार है या यदि वह (बच्चे के) यौनांगों को क्षति पहुंचाता है।

➡ संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा इसमें दो और अपराधों को शामिल किया गया है- (i) प्राकृतिक आपदा के दौरान किए गए हमले (ii) शीघ्र यौन परिपक्वता प्राप्त करने के उद्देश्य से बच्चों में किसी हॉर्मोन या रासायनिक तत्व को प्रविष्ट कराना या इस कृत्य में सहायता करना।

❑ पोर्नोग्राफिक उद्देश्य (Pornographic purposes)

➡ संशोधन अधिनियम बाल पोर्नोग्राफी को यौन व्यवहार के ऐसे दृश्य चित्रण (फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित छवि) के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें कोई बच्चा शामिल हो।

❑ बच्चों से संबंधित अन्य अधिनियम

➡ बच्चों की देखभाल, उनके संरक्षण आदि से संबंधित अन्य अधिनियम इस प्रकार हैं–

(1) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
(2) बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
(3) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
(4) बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
(5) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005

❑ निष्कर्ष

➡ निःसंदेह किसी भी अपराध के लिए कानून कठोर होने चाहिए, साथ ही उनका क्रियान्वयन भी उतनी ही तत्परता से होना चाहिए। संसद में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि बच्चों एवं महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध और दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने 1023 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे अपने खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के बारे में निडर होकर शिकायत कर सकें और अपने अभिभावकों को बता सकें।

सं. कालीशंकर 'शारदेय'

गाफा टैक्स : तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल कर

❑ वर्तमान संदर्भ

➡ जुलाई, 2019 में फ्रांस की संसद द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों पर एक नया डिजिटल कर 'गाफा टैक्स' (GAFA Tax) लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया।

❑ क्या है गाफा टैक्स?

➡ गाफा टैक्स में 'गाफा' (GAFA) शब्द गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजॉन कंपनियों के नामों के प्रथम अक्षरों से निर्मित है।

➡ यह टैक्स भूतकालिक प्रभाव अर्थात 1 जनवरी, 2019 से फ्रांस में इन डिजिटल कंपनियों द्वारा अर्जित किए गए उनके डिजिटल टर्नओवर पर लगेगा।

- ➲ प्रस्तावित कानून के अंतर्गत ऐसी डिजिटल कंपनियां, जो एक वर्ष के दौरान वैश्विक स्तर पर डिजिटल सेवाओं के माध्यम से 750 मिलियन यूरो से अधिक एवं जो फ्रांस में 25 मिलियन यूरो से अधिक का राजस्व अर्जित करती हैं, उन कंपनियों से कुल राजस्व का 3 प्रतिशत कर के रूप में वसूला जाएगा।

❑ टैक्स लगाने का कारण

➡ फ्रांस सरकार का मानना है कि उपर्युक्त कर के दायरे में आने वाली कंपनियां या तो बहुत कम कर देती हैं या फिर कर देती ही नहीं हैं।

➡ वैश्विक तकनीकी कंपनियों पर कर से बचने के तरीके खोजने का आरोप भी लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये कंपनियां अपना अधिकांश कर ऐसे देशों में अदा करती हैं, जहां उनके मुख्यालय हैं, न कि वहां जहां ये बिक्री या सेवा के माध्यम से राजस्व की उगाही करती हैं।

➡ प्राय: ऐसा देखा गया है कि यूरोप में आयरलैंड एवं लक्जमबर्ग के साथ अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों का कर-मुक्त अनुबंध है।

- ➲ इसका लाभ उठाते हुए ये कंपनियां इन देशों में स्थित अपने कार्यालय में, जहां बहुत ही कम कर दर है, अधिकांश कर का भुगतान कर देती हैं।
- ➲ ये कंपनियां फ्रांस या यूके जैसे देशों में बहुत ही कम कर चुकाती हैं, जबकि इनके अधिकांश ग्राहक इन्हीं देशों से हैं।

❑ लक्ष्य

➡ फ्रांस सरकार द्वारा इस कर को लगाने के दो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं–

(i) फ्रांस में एक निष्पक्ष कर वातावरण का निर्माण करना।

(ii) फ्रांस में सार्वजनिक सेवाओं के वित्तीयन हेतु डेटा पर करारोपण करना।

➡ फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ली मायरे (Bruno Le Maire) के अनुसार, इस नए कर के माध्यम से वर्ष 2020 तक 500 मिलियन यूरो तक की वार्षिक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

❑ कर का दायरा (Scope)

➡ यह कर ऐसी कंपनियों पर लागू होगा, जो-

(i) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए एक डिजिटल इंटरफेस की आपूर्ति करती हैं। इसके अंतर्गत ऐसी कंपनियां आती हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अन्य उपयोगकर्ताओं से संबंध या संपर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करती हैं।

- ➲ ये कंपनियां इन उपयोगकर्ताओं (Users) के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं को सीधे पहुंचाने का कार्य करती हैं या फिर ग्राहकों एवं कंपनियों को संपर्क में रखने हेतु कमीशन प्राप्त करती हैं।

(ii) ऑनलाइन विज्ञापन या विज्ञापन उद्देश्यों हेतु व्यक्तिगत डेटा का पुनर्विक्रय करती हैं।

- ➲ फ्रांस में स्थित उपयोगकर्ताओं को लक्षित विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ये कंपनियां उपयोगकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर विज्ञापनदाताओं या उनके एजेंटों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुलभ डिजिटल इंटरफेस पर स्थित विज्ञापन स्थान (Space) खरीदने के लिए सक्षम सेवाएं प्रदान करती हैं।

❑ कर का प्रभाव

➡ यद्यपि यह टैक्स समान रूप से फ्रांस में स्थित सभी देशों जैसे भारत, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस आदि की बड़ी डिजिटल/तकनीकी कंपनियों को प्रभावित करेगा, तथापि इससे सर्वाधिक अमेरिकी (USA) कंपनियां ही प्रभावित होंगी।

➡ फ्रांस के वित्त मंत्री के अनुसार, इससे लगभग 30 कंपनियां प्रभावित होंगी, जिनमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सर्वाधिक कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों में भी विशेष तौर पर गूगल, एप्पल, फेसबुक एवं अमेजॉन जैसी कंपनियां अधिक प्रभावित होंगी।



आरेखीय चित्र : गाफा टैक्स : तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल कर

फ्रांस में प्रस्थान उड़ानों पर ग्रीन-टैक्स

- 9 जुलाई, 2019 को फ्रांस की परिवहन मंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने फ्रांस से प्रस्थान करने वाली सभी नागरिक विमानों पर इको-टैक्स/ग्रीन-टैक्स लगाने का निर्णय लिया।
- यूरोपीय यूनियन से बाहर जाने वाली उड़ानों पर इकोनॉमी श्रेणी के टिकटों पर 3 यूरो एवं व्यावसायिक श्रेणी के टिकटों पर 18 यूरो तक का कर लगाया जाएगा।
- वहीं यूरोपीय यूनियन एवं फ्रांस की घरेलू उड़ानों पर इकोनॉमी श्रेणी के टिकटों पर 1.50 यूरो एवं बिजनेस श्रेणी के टिकटों पर 9 यूरो का कर लगाया जाएगा।
- इस कर के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 182 मिलियन यूरो तक की धनराशि संग्रहीत करने का लक्ष्य है।
- यह कदम वर्ष 2020 से प्रभावी होगा।
- इस कर के माध्यम से संग्रहीत धनराशि का उपयोग फ्रांस में कम प्रदूषण फैलाने वाली परिवहन परियोजनाओं को विकसित करने हेतु किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि ऐसा ही एक कर अप्रैल, 2018 में स्वीडन में आरोपित किया गया था।

❑ निष्कर्ष

फ्रांस की राह पर चलते हुए यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और इटली सभी एक डिजिटल कर के स्वयं के संस्करण को प्रस्तुत करने पर विचार कर रहे हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में यूरोपियन यूनियन ने भी इसी प्रकार के एक टैक्स को लाने का प्रस्ताव रखा था। वहीं भारत, जापान और सिंगापुर भी कथित तौर पर इस संबंध में अपनी योजनाएं बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक देश द्वारा प्रारंभ 'कर उपाय' (Tax Measure) किसी वैश्विक समझौते पर एकमत होने तक लागू रहेंगे।

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

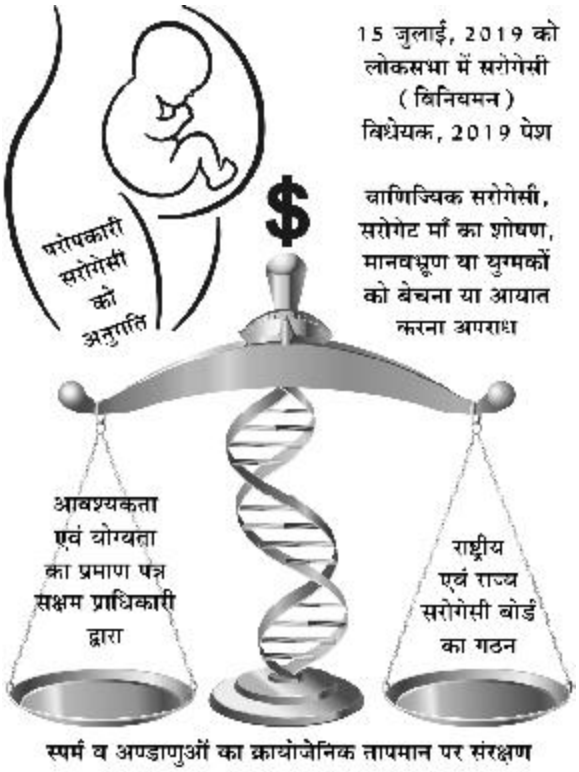
❑ पृष्ठभूमि

➡ सरोगेसी वह प्रक्रिया है, जिसके तहत एक महिला किसी अन्य दम्पति के बच्चे को जन्म देने हेतु गर्भवती होने के लिए स्वीकृति प्रदान करती है। ऐसी महिला 'सरोगेट मदर' (Surrogate Mother) कहलाती है। सरोगेट का शाब्दिक अर्थ है - स्थानापन्न (Substitute)।

➡ स्थानापन्न मातृत्व/किराए की कोख (Surrogacy) निःसंतान लोगों के लिए एक बेहतरीन चिकित्सकीय विकल्प है, जिसके माध्यम से वह संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है, जब किसी स्त्री को या तो गर्भाशय का संक्रमण हो या फिर किसी अन्य कारण (जिसमें बांझपन भी शामिल है) से वह गर्भधारण करने में सक्षम न हो।

❑ व्यावसायिक सरोगेसी

➡ व्यावसायिक सरोगेसी (Commercial Surrogacy) का अर्थ है-सरोगेट मां को चिकित्सकीय खर्च के अलावा बच्चे को जन्म देने के एवज में धनराशि का भुगतान किया जाना। भारत में व्यावसायिक सरोगेसी को वर्ष 2002 में विधिक मान्यता दी गई थी।



आरेखीय चित्र सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

➡ हालांकि वर्ष 2015 में एक सरकारी अधिसूचना के द्वारा भारत में विदेशी दम्पतियों हेतु सरोगेसी को प्रतिबंधित कर दिया गया।

➡ भारत के **विधि आयोग** ने अपनी 228वीं रिपोर्ट में व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, क्योंकि भारत विगत कुछ वर्षों में विदेशी दम्पतियों हेतु सरोगेसी का केंद्र बनता जा रहा था तथा अनैतिक संव्यवहार, सरोगेट मां का शोषण, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों का परित्याग तथा मानव भ्रूणों के आयात के मामले सामने आए थे।

➲ उपयुक्त कानून के अभाव के कारण सरोगेसी क्लीनिकों में सरोगेसी का दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण व्यावसायिक सरोगेसी का एक वीभत्स रूप सामने आया है।

➡ सरोगेसी के विनियमन हेतु सरोगेसी

(विनियमन) विधेयक, 2016 को 19 दिसंबर, 2018 को लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया था, लेकिन संसद के भंग हो जाने के कारण यह विधेयक राज्य सभा में पारित नहीं हो सका।

❑ सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

➡ 15 जुलाई, 2019 को लोक सभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 पेश किया गया, जो सदन द्वारा 5 अगस्त, 2019 को पारित कर दिया गया।

➡ इस विधेयक में शामिल विभिन्न प्रावधानों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है–

- ➲ विधेयक सरोगेसी को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित करता है, जहां एक महिला किसी इच्छुक दम्पति के बच्चे को जन्म के पश्चात उसे उन्हें सौंपने के इरादे से गर्भधारण करती है।
- ➲ विधेयक वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है, लेकिन परोपकारी (Altruistic) सरोगेसी की अनुमति देता है।
- ➲ परोपकारी सरोगेसी में गर्भावस्था के दौरान चिकित्सकीय व्यय एवं बीमा कवरेज के अतिरिक्त सरोगेट मां के लिए कोई मौद्रिक प्रतिकर (Monetary Compensation) शामिल नहीं होता।
- ➲ जबकि वाणिज्यिक सरोगेसी के तहत मूल चिकित्सा व्यय एवं बीमा कवरेज के अतिरिक्त मौद्रिक लाभ या पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।
- ➲ सरोगेसी की अनुमति उस स्थिति में दी जाएगी, जब–
  - (i) इच्छुक दम्पति सिद्ध बांझपन से पीड़ित हों,
  - (ii) वह परोपकारी हो,
  - (iii) वह वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं हो,
  - (iv) बिक्री/वेश्यावृत्ति या शोषण के किसी अन्य रूप के लिए बच्चा पैदा करने के लिए नहीं हो।
- ➲ इच्छुक दम्पति के पास **''आवश्यकता का प्रमाण-पत्र''** (Certificate of Essentiality) एवं **''योग्यता का प्रमाण-पत्र''** (Certificate of Eligibility), जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हो, होना चाहिए।
- ➲ **आवश्यकता का प्रमाण-पत्र** - निम्न शर्तों को पूरा करने पर जारी किया जाएगा -
  - (i) जिला मेडिकल बोर्ड से इच्छुक दम्पति के एक या दोनों सदस्यों को सिद्ध बांझपन का प्रमाण।
  - (ii) मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा पारित सरोगेट बच्चे के पालन-पोषण एवं सुपुर्दगी (Custody) का आदेश।
  - (iii) सरोगेट के लिए प्रसवोत्तर जटिलताओं को कवर करने वाला 16 महीनों की अवधि हेतु बीमा कवरेज।
- ➲ **योग्यता का प्रमाण-पत्र**-इच्छुक दम्पति को निम्न शर्तों को पूरा करने के उपरांत निर्गत किया जाएगा-
  - (i) दम्पति भारतीय नागरिक हो एवं कम-से-कम पांच वर्ष से शादी-शुदा हो।
  - (ii) पत्नी की आयु 23-50 वर्ष एवं पति की आयु 26-55 वर्ष हो।
  - (iii) इच्छुक दम्पति के पास कोई जीवित बच्चा न हो (जैविक, दत्तक या सरोगेट)। इसमें वह बच्चा शामिल नहीं होगा, जो मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या जानलेवा/घातक बीमारी से पीड़ित हो।
- ➲ सरोगेट मां बनने हेतु आवश्यक शर्तें हैं-
  - (i) सरोगेट मां इच्छुक दम्पति की करीबी रिश्तेदार हो,
  - (ii) एक विवाहित महिला जिसका स्वयं का बच्चा हो,
  - (iii) उसकी आयु 25-35 वर्ष की हो,
  - (iv) कोई महिला अपने जीवनकाल में केवल एक बार सरोगेट मां की भूमिका निभा सकती है,
  - (v) सरोगेसी के लिए वह मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय रूप से फिट हो,
  - (vi) सरोगेसी के लिए वह अपने स्वयं के अण्डाणु (Ovum) को प्रदान नहीं कर सकती।

❑ राष्ट्रीय एवं राज्य सरोगेसी बोर्ड

➡ केंद्र एवं राज्य सरकारें क्रमशः राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड (NSB) एवं राज्य सरोगेसी बोर्ड (SSB) का गठन करेंगी।

➡ राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का कार्य होगा–

- (i) सरोगेसी से संबंधित नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना।
- (ii) सरोगेसी क्लीनिक्स की आचार संहिता का निर्धारण करना।
- (iii) राज्य सरोगेसी बोर्ड के कार्यों की निगरानी करना।

❑ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ सरोगेसी प्रक्रिया से पैदा हुआ बच्चा इच्छुक दम्पति का जैविक बच्चा (Biological Child) माना जाएगा।

- ➲ विधेयक के अंतर्गत शामिल अपराध हैं–
  - (i) वाणिज्यिक सरोगेसी में संलिप्तता या उसका प्रचार,
  - (ii) सरोगेट मां का शोषण,
  - (iii) सरोगेट बच्चे का परित्याग, शोषण इत्यादि।
  - (iv) सरोगेसी के लिए मानव भ्रूण या युग्मकों (Gametes) को बेचना या आयात करना।

➡ ऐसे अपराधों के लिए 10 लाख रुपये तक जुर्माना या 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

❑ अन्य देशों में सरोगेसी की स्थिति

➡ यू.के., बेल्जियम, ग्रीस, नीदरलैंड्स में वाणिज्यिक सरोगेसी प्रतिबंधित है, जबकि परोपकारी सरोगेसी कुछ रूपों में चालू है, जबकि इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में समस्त प्रकार की सरोगेसी प्रक्रिया प्रतिबंधित है।

बोरिस जॉनसन : यूनाइटेड किंगडम के नवनियुक्त प्रधानमंत्री

❑ पृष्ठभूमि

➡ जुलाई, 2016 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद से डेविड कैमरून के इस्तीफे के पश्चात बिना किसी आम चुनाव के कंजरवेटिव नेता 'थेरेसा मे' ने पदभार ग्रहण किया था। परंतु ब्रिटेन की इस दूसरी महिला प्रधानमंत्री ने 24 मई, 2019 को 'ब्रेक्जिट डील' के विषय पर अपनी विफलता को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। इसके पश्चात बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं।

❑ वर्तमान संदर्भ

➡ 24 जुलाई, 2019 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कंजरवेटिव पार्टी के नवनियुक्त नेता बोरिस जॉनसन को यूनाइटेड किंगडम (ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड) का प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

➡ ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी के नेता के लिए हुए चुनाव में बोरिस जॉनसन ने जेरेमी हंट को पराजित किया।

➡ 23 जुलाई, 2019 को घोषित हुए परिणाम के अनुसार, कुल 87.4 प्रतिशत कंजरवेटिव सदस्यों ने मतदान किया।

- ➲ इनमें से जॉनसन को 92,153 (66.4%) एवं हंट को 46, 656(33.6%) मत प्राप्त हुए।

❑ कौन हैं बोरिस जॉनसन?

➡ कंजरवेटिव नेता बोरिस जॉनसन का जन्म 19 जून, 1964 को न्यूयॉर्क (अमेरिका) में हुआ था एवं बाद में वे ब्रिटेन में बस गए थे।

➡ बोरिस जॉनसन ने एक पत्रकार, सांसद, मेयर और विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है।

➡ वे दो बार लंदन के मेयर रह चुके हैं एवं थेरेसा मे की सरकार में वर्ष 2016 से 2018 तक विदेश मंत्री पद पर थे।

- ➲ उन्होंने ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने (वोट लीव कैंपेन) का प्रतिनिधित्व किया था।

❑ नई कैबिनेट

➡ प्रधानमंत्री बनने के पश्चात बोरिस जॉनसन द्वारा किए गए कैबिनेट के गठन में 23 लोगों (प्रधानमंत्री सहित) को पूर्ण सदस्य के रूप में स्थान दिया गया है।

- ➲ नई कैबिनेट में भारतीय मूल की प्रीति पटेल को गृह सचिव (Home Secretary), पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद को वित्त मंत्री (Chancellor of the Exchequer) एवं डोमिनिक राब को विदेश सचिव (Foreign Secretery) नियुक्त किया गया है।
- ➲ इसके अतिरिक्त स्टीफन बारक्ले को 'ब्रेक्जिट सेक्रेटरी' नियुक्त किया गया है।
- ➲ 31 कैबिनेट मंत्रियों में से 8 महिलाएं (26%) हैं।

❑ जॉनसन की टीम में शामिल भारतीय मूल के व्यक्ति

➡ कैबिनेट में गृह सचिव के रूप में शामिल 47 वर्षीय प्रीति पटेल का जन्म लंदन में हुआ था। उनके माता-पिता मूल रूप से गुजरात के हैं।

➡ वर्ष 2017 में अपनी निजी इस्राइल यात्रा को लेकर उत्पन्न हुए विवादों के कारण प्रीति पटेल ने 'इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी' के पद से त्याग-पत्र दे दिया था।

- ➲ प्रीति पटेल वर्ष 2010 से विटहम (Witham) से सांसद हैं।

➡ जॉनसन की टीम में एक और भारतीय मूल के सांसद आलोक शर्मा को भी स्थान प्राप्त हुआ है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय विकास का राज्य सचिव (Secretery of State for International Development) बनाया गया है।

- ➲ 52 वर्षीय आलोक शर्मा का जन्म आगरा में हुआ था एवं वे पेशे से एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट हैं। आलोक वर्ष 2010 से रीडिंग वेस्ट के सांसद हैं।

➡ 39 वर्षीय भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ट्रेजरी मुख्य सचिव बनाया गया है।

- ➲ ऋषि सुनक रिचमंड से सांसद हैं।

❑ नए प्रधानमंत्री के समक्ष चुनौतियां

➡ प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पश्चात बोरिस जॉनसन ने देश से 'ब्रेक्जिट' मुद्दे का समाधान करने एवं 31 अक्टूबर, 2019 को यूरोपियन यूनियन से अलग होने का वादा किया।

➡ 'ब्रेक्जिट', 'ब्रिटेन' (Britain) एवं 'एक्जिट' (exit) का मिश्रित रूप है।

➡ वस्तुतः यूनाइटेड किंगडम में 23 जून, 2016 को हुए जनमत संग्रह में यह सवाल पूछा गया था, कि आप यूरोपीय संघ में बने रहना चाहते हैं, या यूरोपीय संघ से बाहर निकलना चाहते हैं?



आरेखीय चित्र — बोरिस जॉनसन : यूनाइटेड किंगडम के नव नियुक्त प्रधानमंत्री

- तब यूके के 51.9 प्रतिशत लोगों ने कहा था कि वो यूरोपीय संघ से बाहर निकलना चाहते हैं, जबकि 48.1 प्रतिशत लोगों ने यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्ष में मतदान किया था।
- यूरोपीय संघ छोड़ने के पक्ष में मत देने वाले 'फ्रीडम ऑफ मूवमेंट' को बंद कराना चाहते थे, ताकि यूरोप के अन्य देशों से लोग काम करने हेतु यूनाइटेड किंगडम न आ सकें।

❑ ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था

➡ ब्रिटेन में द्विसदनात्मक संसद होती है-हाउस ऑफ लॉर्ड्स (उच्च सदन) एवं हाउस ऑफ कॉमन्स (निम्न सदन)।

➡ दोनों सदनों से ऊपर एक अनिवार्य औपचारिक भूमिका में एक संप्रभु राजा या रानी होता/होती है, जिसे 'द क्राउन' कहा जाता है।

- 'द क्राउन' के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है एवं 'द स्टेट ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट' समारोह के द्वारा संसद के सत्र की शुरुआत की जाती है।
- हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लगभग 800 सदस्य होते हैं।
- वहीं हाउस ऑफ कॉमन्स में यूनाइटेड किंगडम की जनता द्वारा चुने हुए कुल 650 सदस्य होते हैं।
- ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन है।

❑ निष्कर्ष

ब्रेक्जिट मसले पर डेविड कैमरून सरकार द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह ने आगामी प्रधानमंत्रियों के लिए नवीनतम समस्याओं का पिटारा खोल दिया है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की राजनीति में नवनियुक्त प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा उपस्थित चुनौतियों से निपटने हेतु सूझ-बूझ भरे कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन

❑ टाइटन

➡ डच खगोलविद् 'क्रिश्चियन हाइगेंस' (Christiaan Huygens) ने 25 मार्च, 1655 को शनि ग्रह (Saturn) के सबसे बड़े उपग्रह 'टाइटन' (Titan) की खोज की थी।

- टाइटन, शनि ग्रह के 62 ज्ञात उपग्रहों (Moons) में सबसे बड़ा है।
- टाइटन, बृहस्पति (Jupiter) के उपग्रह 'गैनीमीड' (Ganymede) के बाद हमारी सौर प्रणाली (Solar System) का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है।
- इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह 'बुध ग्रह' (Mercury) से भी बड़ा है।
- डच-अमेरिकी खगोलविद् 'गेरार्ड कुईपर' (Gerard Kuiper) ने वर्ष 1944 में टाइटन में 'वायुमंडल' (Atmosphere) की उपस्थिति की पुष्टि की थी और इसकी यही विशेषता इसे अद्वितीय बनाती है।
- वास्तव में, हमारी सौर प्रणाली के 150 से अधिक ज्ञात उपग्रहों में से टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है, जहां पर्याप्त मात्रा में सघन वायुमंडल उपस्थित है।
- पृथ्वी की ही तरह टाइटन का वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन (लगभग 95%) से निर्मित है, हालांकि इसमें अल्प मात्रा में मीथेन (लगभग 5%) भी उपस्थित है।



आरेखीय चित्र नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन

➡ सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा टाइटन एकमात्र ऐसा स्थान है, जिसकी सतह पर नदियों, झीलों तथा समुद्रों के रूप में तरल (Liquids) की उपस्थिति ज्ञात हुई है।

➡ सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इसकी सतह का तापमान -290 डिग्री फॉरेनहाइट (-179 डिग्री सेल्सियस) के आस-पास रहता है।

❑ अन्वेषण (Exploration)

➡ अप्रैल, 1973 में नासा द्वारा प्रक्षेपित 'पायनियर 11' (Pioneer 11) टाइटन का अन्वेषण करने वाला पहला अंतरिक्षयान था।

➡ इसके बाद बाह्य सौरमंडल के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित नासा के वॉयजर-1 तथा वॉयजर-2 (Voyager-2) अंतरिक्षयान क्रमशः वर्ष 1980 एवं 1981 में शनि प्रणाली (Saturn System) के निकट से होकर गुजरे थे।

➡ अक्टूबर, 1997 में नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त तत्वावधान में 'कैसिनी-हाइगेंस' (Cassini-Huygens) मिशन के तहत प्रक्षेपित 'कैसिनी' वर्ष 2004 में शनि ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्षयान बना था।

- इस मिशन के तहत कैसिनी अंतरिक्षयान के साथ भेजा गया हाइगेंस लैंडर, कैसिनी से अलग होकर पैराशूट के माध्यम से टाइटन के वायुमंडल से होता हुआ 14 जनवरी, 2005 को उसकी सतह पर उतरा।

➲ यह बाह्य सौरमंडल में किसी अंतरिक्षयान की प्रथम लैंडिंग थी।

➡ लगभग 13 वर्षों तक शनि ग्रह की कक्षा में रहने के दौरान कैसिनी अंतरिक्षयान 127 बार टाइटन के निकट से होकर गुजरा (127 Fly bys)।

➡ ईंधन खत्म हो जाने के कारण कैसिनी अंतरिक्षयान का मिशन 15 सितंबर, 2017 को समाप्त घोषित कर दिया गया।

❑ ड्रैगनफ्लाई मिशन

➡ 27 जून, 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के अन्वेषण हेतु वर्ष 2026 में 'ड्रैगनफ्लाई' (Dragonfly) नामक मिशन प्रक्षेपित किया जाएगा।

➲ यह नासा के 'न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम' (New Frontiers Program) के तहत प्रक्षेपित किया जाने वाला चौथा मिशन होगा।

❑ मिशन का विवरण

➡ इस मिशन के तहत ड्रैगनफ्लाई नामक एक ऑक्टोकॉप्टर लैंडर (एक रोवर के आकार का ड्रोन की तरह का वाहन) टाइटन पर भेजा जाएगा।

➲ यह लैंडर टाइटन के विभिन्न स्थलों के जैविक संगठन का अन्वेषण करेगा तथा नमूने एकत्र करेगा।

➡ यह प्रथम अवसर होगा, जब नासा एक 'बहु-रोटर वाहन' (Multi-rotor vehicle) को वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु किसी अन्य ग्रह/उपग्रह पर भेजेगी।

➡ ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट वर्ष 2034 में टाइटन पर पहुंचेगा।

➡ अपने 2.7 वर्षीय वैज्ञानिक मिशन के दौरान यह टाइटन पर 108 मील (175 किमी.) से अधिक दूरी तक उड़ान भरेगा।

❑ न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम

➡ 'न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम' नासा द्वारा संचालित अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों की एक शृंखला है, जिसका उद्देश्य बौने ग्रह प्लूटो सहित सौरमंडल के विभिन्न पिण्डों का अन्वेषण करना है।

➡ वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत निम्न तीन मिशन संचालित हो रहे हैं–

(i) न्यू होराइजंस मिशन (New Horizons Mission)

➡ प्लूटो तथा कुईपर बेल्ट (Kuiper Belt) के अध्ययन हेतु यह मिशन जनवरी, 2006 में प्रक्षेपित किया गया था।

(ii) जूनो मिशन

➡ बृहस्पति ग्रह की संरचना एवं इसकी उत्पत्ति से संबंधित तथ्यों को उद्घाटित करने हेतु जूनो मिशन अगस्त, 2011 में लांच किया गया था।

(iii) ओसिरिस-रेक्स (OSIRIS-REx) मिशन

➡ पृथ्वी के निकट स्थित एक क्षुद्रग्रह (near-Earth asteroid) बेनू (Bennu) से नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर लाने हेतु यह मिशन सितंबर, 2016 में प्रक्षेपित किया गया था।

❑ निष्कर्ष

वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान में शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर परिस्थितियां ठीक वैसी ही हैं, जैसी जीवन की उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी पर थीं। अतः यह उपग्रह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

सं. सौरभ मेहरोत्रा

स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत रिपोर्ट

❑ भूमिका

नीति आयोग एक स्वास्थ्य सूचकांक (Health Index) का विकास कर उसे एक ऐसे वार्षिक सुव्यवस्थित साधन के रूप में स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है, जिसके माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम प्राप्त करने पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। स्वास्थ्य सूचकांक न केवल स्वास्थ्य के संबंध में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति को दर्शाता है, बल्कि यह स्वास्थ्य में देश के निष्पादन (Performance) की जटिलताओं को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। फरवरी, 2018 में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक का प्रथम संस्करण 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था।

❑ वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ हाल ही में नीति आयोग द्वारा 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' (Healthy States Progressive India) रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया गया।

➡ यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है।



आरेखीय चित्र स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत रिपोर्ट

❑ रिपोर्ट का विवरण

➡ इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके वर्ष-दर-वर्ष वृद्धिमान परिवर्तन तथा समग्र प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की गई है।

- ➲ रिपोर्ट के इस दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दो वर्षों की अवधि (2016-17 तथा 2017-18) के दौरान हुए वृद्धिशील सुधारों एवं समग्र प्रदर्शन को मापने और उन पर प्रकाश डालने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ➲ यह स्वास्थ्य सूचकांक (Health Index) 23 संकेतकों (Indicators) पर आधारित है।

➡ समान तत्वों के मध्य तुलना को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को निम्न तीन श्रेणियों-(i) बड़े राज्य, (ii) छोटे राज्य तथा (iii) केंद्रशासित प्रदेश में रैंकिंग प्रदान की गई है।

➡ राज्यों को 'संदर्भ वर्ष में सूचकांक स्कोर के आधार पर 3 वर्गों -फ्रंट-रनर, अचीवर्स तथा एस्पाइरेंट्स (Aspirants) में वर्गीकृत किया गया है।

- ➲ जबकि वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर चार समूहों यथा-कोई सुधार नहीं (<=0 वृद्धिशील बदलाव), न्यूनतम सुधार (0.01-2 अंक तक), मामूली सुधार (2.01-4 अंक तक) और सर्वाधिक सुधार (>4 अंकों की वृद्धि) में बांटा गया है।

वृद्धिशील प्रदर्शन और समग्र प्रदर्शन के आधार पर बड़े राज्यों का वर्गीकरण

वृद्धिशील प्रदर्शन	समग्र प्रदर्शन		
	एस्पाइरेंट्स (Aspirants)	अचीवर्स	फ्रंट-रनर्स
कोई सुधार नहीं (0 या कम)	मध्य प्रदेश ओडिशा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार	पश्चिम बंगाल	केरल पंजाब तमिलनाडु
न्यूनतम सुधार (0.01-2)	–	छत्तीसगढ़	गुजरात हिमाचल प्रदेश
मामूली सुधार (2.01.- 4.0)	–	–	महाराष्ट्र जम्मू-कश्मीर कर्नाटक तेलंगाना
सर्वाधिक सुधार (4.0 से अधिक)	राजस्थान	हरियाणा झारखंड असम	आंध्र प्रदेश

❑ परिणाम

➡ संदर्भ वर्ष 2017-18 के लिए बड़े राज्यों में क्रमशः केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष तीन राज्य हैं।

➡ जबकि हरियाणा, राजस्थान और झारखंड वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन की दृष्टि से क्रमशः शीर्ष तीन राज्य हैं।

- ➲ हरियाणा, राजस्थान और झारखंड ने विभिन्न संकेतकों के मामले में आधार वर्ष 2015-16 से संदर्भ वर्ष 2017-18 तक स्वास्थ्य परिणामों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

➡ छोटे राज्यों में समग्र प्रदर्शन के आधार पर मिजोरम को शीर्ष रैंकिंग दी गई है। तत्पश्चात मणिपुर का स्थान है।

➡ जबकि वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर त्रिपुरा को शीर्ष रैंकिंग दी गई है और उसके बाद मणिपुर का स्थान है।

वृद्धिशील प्रदर्शन और समग्र प्रदर्शन के आधार पर छोटे राज्यों का वर्गीकरण

वृद्धिशील प्रदर्शन	समग्र प्रदर्शन		
	एस्पाइरेंट्स	अचीवर्स	फ्रंट-रनर्स
कोई सुधार नहीं (0 या कम)	अरुणाचल प्रदेश सिक्किम	मेघालय गोवा	–
न्यूनतम सुधार (0.01-2)	नगालैंड	–	मिजोरम
मामूली सुधार (2.01-4.0)	त्रिपुरा	मणिपुर	-
सर्वाधिक सुधार (4.0 से अधिक)	-	-	-

➡ केंद्रशासित प्रदेशों में समग्र प्रदर्शन के आधार पर चंडीगढ़ प्रथम और दादरा एवं नगर हवेली दूसरे स्थान पर है, जबकि वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर दादरा एवं नगर हवेली प्रथम और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है।

वृद्धिशील प्रदर्शन और समग्र प्रदर्शन के आधार पर केंद्रशासित प्रदेशों का वर्गीकरण

वृद्धिशील प्रदर्शन	समग्र प्रदर्शन		
	एस्पाइरेंट्स	अचीवर्स	फ्रंट-रनर्स
कोई सुधार नहीं (0 या कम)	अंडमान और निकोबार	दिल्ली लक्षद्वीप	-
न्यूनतम सुधार (0.01-2)			-
मामूली सुधार (2.01- 4.0)		पुडुचेरी	-
सर्वाधिक सुधार (4.0 से अधिक)	दमन और दीव	-	चंडीगढ़ दादरा और नगर हवेली

- ➲ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के मोर्चे पर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं ओडिशा का प्रदर्शन आधार वर्ष 2015-16 की तुलना में संदर्भ वर्ष 2017-18 में खराब रहा है, जबकि इसके विपरीत हरियाणा, राजस्थान और झारखंड में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है।

सं. शिवशंकर कुमार तिवारी

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन-2019

❑ पृष्ठभूमि

➡ अप्रैल, 1996 में चीन, रूस, किर्गिजस्तान, कजाख्स्तान और ताजिकिस्तान ने आपसी सहयोग के माध्यम से नस्लीय एवं धार्मिक तनावों से निपटने के लिए 'शंघाई फाइव' नामक संगठन का निर्माण किया था।

➡ 15 जून, 2001 को इस संगठन में उज्बेकिस्तान को शामिल करते हुए इसका नाम बदलकर 'शंघाई सहयोग संगठन' (Shanghai Cooperation Organisation) कर दिया गया।

- ➲ ज्ञातव्य है कि 9 जून, 2017 को भारत और पाकिस्तान को इस संगठन की सदस्यता देने से कुल सदस्य संख्या वर्तमान में आठ हो गई है।

➡ शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।

- ➲ इस संगठन का सचिवालय बीजिंग में स्थित है एवं इसकी आधिकारिक भाषा रशियन और चाइनीज है।
- ➲ इस संगठन के दो स्थायी निकाय-बीजिंग स्थित एससीओ सचिवालय और ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorrist Structure : RATS) की कार्यकारी समिति है।

➡ वर्तमान में एससीओ सचिवालय के महासचिव (SCO Secretary-General) व्लादिमीर नोरोव हैं।

❑ वर्तमान परिदृश्य

➡ 13-14 जून, 2019 के मध्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के 19वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिजस्तान की राजधानी बिश्केक की यात्रा पर रहे।

➡ गौरतलब है कि, इस सम्मेलन में SCO के अन्य सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों यथा-रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कजाख्स्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, किर्गिजस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने भी प्रतिभाग किया।

- ➲ ध्यातव्य है कि आठ स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त चार पर्यवेक्षक देशों-अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एवं मंगोलिया और छः वार्ता भागीदार देशों (Dialouge Partners) - आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।
- ➲ उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने संगठन के सदस्यों के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 'HEALTH' शब्द के संक्षिप्त रूप का विस्तार करते हुए H से स्वास्थ्य सेवा सहयोग (Healthcare Cooperation), E से आर्थिक सहयोग (Economic Cooperation), A से वैकल्पिक ऊर्जा (Alternate Energy), L से साहित्य एवं संस्कृति (Literature and Culture), T से आतंक मुक्त समाज (Terrorism Free Society) और H से मानवीय सहयोग (Humanitarian Cooperation) बढ़ाने पर जोर दिया।
- ➲ सम्मेलन के अंत में बिश्केक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

❑ सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित सहयोग-समझौते

➡ इस सम्मेलन के दौरान निम्न सहयोग-समझौतों पर हस्ताक्षर हुए-

1. जनसंचार माध्यमों (Mass Media) के क्षेत्र में सहयोग-समझौता।
2. शारीरिक सौष्ठव (Physical Fitness) और खेल के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता।
3. सदस्य देशों के मध्य स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग के विकास हेतु कार्ययोजना, 2019-2021 पर सहयोग-समझौता।
4. एससीओ सचिवालय और विश्व पर्यटन संगठन (World Tourism Organisation) के मध्य समझौता-ज्ञापन।
5. एससीओ सचिवालय और मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) के मध्य समझौता-ज्ञापन।
6. एससीओ सचिवालय और अस्ताना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के मध्य समझौता-ज्ञापन।
7. एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह की भविष्य की कार्यवाही के रोडमैप पर सहयोग-समझौता।



आरेखीय चित्र शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन, 2019



❑ भारत और शंघाई सहयोग संगठन

➡ भारत, शंघाई सहयोग संगठन के मंच के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के मुद्दे को उठाकर उसको आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने हेतु बाध्य कर सकता है।

➡ अमेरिका द्वारा प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली (Generalized System of Preferences) के तहत भारतीय उत्पादों को अमेरिकी सीमा शुल्क में दी जा रही छूट बंद हो जाने से भारत के लिए नए बाजार के रूप में मध्य एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध महत्वपूर्ण हैं।

- ➲ इसके अतिरिक्त भारत की यूरेशियाई क्षेत्र में आसान पहुंच हेतु अश्गाबात समझौता, उत्तर-दक्षिण आर्थिक गलियारा योजना (North-South Economic Corridor) और शंघाई सहयोग संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- ➲ अफगानिस्तान में शांति की स्थापना इस क्षेत्र सहित भारत के भी हित में है। भारत इस संगठन के माध्यम से अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता की स्थापना में मदद करने के साथ ही अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका को भी सीमित कर सकता है।

❑ निष्कर्ष

शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश विश्व की जनसंख्या के लगभग 42 प्रतिशत, भू-क्षेत्र के 22 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 20 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 2017 में भारत एवं पाकिस्तान को शामिल किए जाने के बाद से आयोजित होने वाला यह शंघाई सहयोग संगठन का दूसरा शिखर सम्मेलन था। वर्ष 2020 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में प्रस्तावित है।

विज्ञापन

डोनाल्ड ट्रम्प की उत्तर कोरिया यात्रा

❑ वर्तमान परिदृश्य

➡ 30 जून, 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उत्तर कोरिया की यात्रा करने वाले पहले पदासीन राष्ट्रपति बने।

- ➲ गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रम्प की यह उत्तर कोरियाई यात्रा पूर्व-निर्धारित नहीं थी, क्योंकि दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन से मुलाकात हेतु संदेश भेजा, जिसे उत्तर कोरियाई शासक ने मंजूर कर लिया।
- ➲ हालांकि यह मुलाकात महज कुछ घंटों की थी, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमावर्ती असैन्यीकृत क्षेत्र (Demilitarised Zone) में संपन्न हुई।

➡ इस मुलाकात के स्मरण में उत्तर कोरिया द्वारा एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया।

❑ डोनाल्ड ट्रम्प की नई उत्तर कोरियाई नीति

➡ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी नई उत्तर कोरियाई विदेश नीति के तहत इस देश के साथ बेहतर संबंधों के निर्माण को प्रमुखता दी है।

➡ इसी नीति के परिणामस्वरूप दोनों देशों के शीर्ष नेता (ट्रम्प और किम जोंग उन) पिछले एक वर्ष में तीन बार द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं।

- ➲ ध्यातव्य है कि पहली वार्ता जून, 2018 में सिंगापुर और दूसरी फरवरी, 2019 में वियतनाम की राजधानी हनोई में संपन्न हो चुकी है।

➡ गौरतलब है कि द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रयास है कि उत्तर कोरिया अपने विध्वंसक नाभिकीय हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास कार्यक्रम को रोक दे।

- ➲ जबकि उत्तर कोरिया अपने ऊपर लगे कठोर आर्थिक प्रतिबंधों में ढील चाहता है।
- ➲ इसके अतिरिक्त विगत वर्षों में अमेरिका के विरोधी रहे वियतनाम जैसे देश इस महाशक्ति (अमेरिका) से अपने संबंध सुधार कर आज आर्थिक प्रगति की राह में काफी आगे बढ़ चुके हैं। इस कारण से भी उत्तर कोरिया, अमेरिका से बेहतर संबंध बनाना चाहता है।



आरेखीय चित्र डोनाल्ड ट्रंप की उत्तर कोरिया यात्रा

❑ दोनों देशों के मध्य तनाव का कारण

➡ दोनों देशों के मध्य तनाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए घटनाक्रम के समय ही उत्पन्न हो गए थे।

➡ गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों के मध्य हुए समझौते के अनुसार, सोवियत संघ को कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से की, जबकि अमेरिका को दक्षिणी हिस्से की निगरानी का दायित्व मिला।

- ➲ 25 जून, 1950 को सोवियत संघ और साम्यवादी चीन का समर्थन पाकर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया।
- ➲ इस आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों की सेनाओं ने उत्तर कोरिया पर आक्रमण कर जान-माल को भारी क्षति पहुंचाई।
- ➲ 27 जुलाई, 1953 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध संधि होने से शांति स्थापित हुई, किंतु उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य आपसी तनाव जारी रहा।
- ➲ गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान एवं दक्षिण कोरिया की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रखा है।
- ➲ इस संदर्भ में उत्तर कोरिया अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नाभिकीय हथियारों और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है।

❑ उत्तर कोरिया द्वारा विध्वंसक हथियारों का विकास

➡ विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर कोरिया के पास वर्तमान में 20 से 30 विध्वंसक परमाणु हथियारों का जखीरा है। इसके साथ ही 30 से 60 अतिरिक्त परमाणु हथियारों के निर्माण हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

➡ इसके अतिरिक्त उत्तर कोरिया के पास पर्याप्त मात्रा में रासायनिक एवं जैविक हथियारों का भंडार होने का भी अनुमान है।

- ➲ गौरतलब है कि वर्ष 2003 में उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि एनपीटी (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) से स्वयं को अलग कर लिया था।
- ➲ इसके बाद वर्ष 2006 से उत्तर कोरिया ने क्रमशः वृद्धिमान क्षमता वाले 6 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किए, जिसके बाद वह संयुक्त राष्ट्र संघ के कठोर प्रतिबंधों के दायरे में आ गया।

वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, 2019

❑ पृष्ठभूमि

वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स (World Population Prospects) का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग (Department of Economic and Social Affairs) के जनसंख्या प्रभाग (Population Division) द्वारा प्रत्येक दो वर्ष पर किया जाता है। यह रिपोर्ट वैश्विक जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों और भावी संभावनाओं का व्यापक विवरण प्रदान करती है।

➡ इस रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 1951 से किया जा रहा है।

❑ वर्तमान संदर्भ

➡ 17 जून, 2019 को 'वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, 2019' नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

➡ यह वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स शृंखला की 26वीं रिपोर्ट है।

➡ इस रिपोर्ट में वर्ष 1950 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान 235 देशों/क्षेत्रों के जनसंख्या संबंधी आकलनों (Population Estimates) को प्रस्तुत किया गया है।

➲ साथ ही, इस रिपोर्ट में वर्ष 2020-2100 की अवधि के दौरान जनसंख्या संबंधी प्रक्षेपण (Population Projections) भी शामिल किए गए हैं।



आरेखीय चित्र वर्ल्ड पापुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, 2019

❑ रिपोर्ट की खास बातें

➡ इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में विश्व की जनसंख्या 7.7 बिलियन है, जिसके वर्ष 2030 तक बढ़कर 8.5 बिलियन (10% की वृद्धि) हो जाने की संभावना है।

➡ वैश्विक जनसंख्या के वर्ष 2050 तक 9.7 बिलियन (26% की वृद्धि) तथा वर्ष 2100 तक 10.9 बिलियन (42% की वृद्धि) हो जाने की संभावना है।

➡ वर्ष 2020 से 2050 के मध्य होने वाली जनसंख्या वृद्धि में आधे से अधिक जनसंख्या वृद्धि जिन नौ देशों में अनुमानित है, वे हैं- भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, तंजानिया, इंडोनेशिया, मिस्र और अमेरिका।

➲ इन देशों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भारत में एवं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि अमेरिका में अनुमानित है।

वर्ष 2019 और 2050 के बीच विभिन्न क्षेत्रों की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर

क्षेत्र	जनसंख्या वृद्धि दर
उपसहारा- अफ्रीका	99%
ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया/न्यूजीलैंड को छोड़कर)	56%
उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया	46%
ऑस्ट्रेलिया / न्यूजीलैंड	28%
मध्य और दक्षिण-एशिया	25%
लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	18%
पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया	3%
यूरोप और उत्तरी अमेरिका	2%

❑ वैश्विक प्रजनन दर

➡ वैश्विक प्रजनन दर (Global Fertility Rate) में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।

➡ वर्ष 1990 में वैश्विक प्रजनन दर 3.2 प्रति महिला थी, जो कम होकर वर्ष 2019 में 2.5 जन्म प्रति महिला हो गई है।

➡ वर्ष 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर के घटकर 2.2 तक पहुंचने का अनुमान है।

❑ जीवन प्रत्याशा

➡ वर्ष 1990 के मुकाबले वर्ष 2019 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy at Birth) 64.2 वर्ष से बढ़कर 72.6 वर्ष हो गई है, जिसके वर्ष 2050 तक बढ़कर 77.1 वर्ष हो जाने का अनुमान है।

➡ उच्च बाल और मातृ मृत्यु दर तथा हिंसा, संघर्ष और एचआईवी जैसी महामारी के चलते विश्व के सबसे गरीब देशों में जीवन प्रत्याशा औसत वैश्विक स्तर से 7.4 वर्ष कम है।

➡ वैश्विक जनसंख्या में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की आबादी में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है।

➡ ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2050 तक विश्व में प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति (16%) 65 वर्ष से अधिक आयु का होगा।

➡ वर्ष 2018 में, इतिहास में यह प्रथम अवसर रहा, जब विश्व में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या, पांच वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की संख्या से अधिक दर्ज की गई।

❑ रिपोर्ट में भारत

➡ ऐसा अनुमान है, कि वर्ष 2027 तक भारत, चीन को पीछे छोड़कर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।

➡ वर्ष 2019 एवं 2050 के मध्य, भारत की जनसंख्या में 273 मिलियन की वृद्धि अनुमानित है।

➡ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में, चीन की जनसंख्या 1.43 बिलियन (वैश्विक जनसंख्या का 19%) तथा भारत की जनसंख्या 1.37 बिलियन (वैश्विक जनसंख्या का 18%) है।

➡ ऐसा अनुमान है कि इस शताब्दी के अंत तक भी भारत लगभग 1.5 बिलियन जनसंख्या के साथ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा।

विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश (1990-2100) (कुल जनसंख्या मिलियन में)

क्रम	1990	2019	2050 (अनुमान)	2100 (अनुमान)
1.	चीन (1,177)	चीन (1,434)	भारत (1,639)	भारत (1,450)
2.	भारत (873)	भारत (1,366)	चीन (1,402)	चीन (1,065)
3.	अमेरिका (252)	अमेरिका (329)	नाइजीरिया (401)	नाइजीरिया (733)
4.	इंडोनेशिया (181)	इंडोनेशिया (271)	अमेरिका (379)	अमेरिका (434)
5.	ब्राजील (149)	पाकिस्तान (217)	पाकिस्तान (338)	पाकिस्तान (403)

सं. अनुज तिवारी

वैश्विक शांति सूचकांक, 2019

❑ पृष्ठभूमि

विश्व में शांति की स्थापना करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी और समाजसेवी स्टीव किल्लेलिया ने वर्ष 2007 में 'इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस' (Institute for Economics and Peace-IEP) की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि IEP विश्व का एक अग्रणी विचार-मंच (Think tank) है, जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति का विश्लेषण करना तथा इसके आर्थिक लाभों की मात्रा का निर्धारण करते हुए विभिन्न प्रणालियों का विकास करना है। IEP का मुख्यालय सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में स्थित है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय न्यूयॉर्क, द हेग, मेक्सिको सिटी, ब्रुसेल्स तथा हरारे में स्थित हैं। IEP द्वारा ही प्रतिवर्ष वैश्विक शांति सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है।

❑ सूचकांक का विवरण

➡ वैश्विक शांति सूचकांक विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 99.7 प्रतिशत भाग को आच्छादित करता है।

➡ इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया जाता है।

➡ इन 23 संकेतकों को जिन तीन विस्तृत विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, वे निम्न हैं -

(i) समाज में बचाव एवं सुरक्षा का स्तर (The level of Societal Safety & Security)

(ii) घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार (The Extent of Ongoing Domestic & International Conflict)

(iii) सैन्यीकरण का स्तर (The Degree of Militarisation)



आरेखीय चित्र वैश्विक शांति सूचकांक, 2019

❑ वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 12 जून, 2019 को IEP द्वारा 'वैश्विक शांति सूचकांक, 2019' (GPI-2019 : Global Peace Index, 2019) जारी किया गया।

➲ यह इस सूचकांक का 13वां वार्षिक संस्करण है।

➡ इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों/क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है।

❑ रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

➡ वैश्विक शांति सूचकांक, 2019 के अनुसार, वर्ष 2018 में वैश्विक शांति के औसत स्तर में कुछ सुधार देखने को मिला।

➲ पिछले पांच वर्षों में यह प्रथम अवसर है, जब वैश्विक शांति के स्तर में सुधार दर्ज किया गया।

➡ हालांकि अगर पिछले एक दशक की बात की जाए, तो वर्ष 2008 के बाद से वैश्विक शांति के स्तर में 3.78 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

➡ इस रिपोर्ट के अनुसार, 'मध्य-पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका' (Middle East & North Africa) 'विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र' (World's Least Peaceful Region) है।

➲ जबकि यूरोप विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र (Most Peaceful Region) है।

➲ इस सूचकांक में विश्व के 25 सर्वाधिक शांतिमय देशों में से 17 यूरोप के ही हैं।

➲ पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 में यूक्रेन के शांति के स्तर में सर्वाधिक सुधार देखने को मिला।

➲ जबकि निकारागुआ के शांति के स्तर में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई।

➡ वर्ष 2019 में शांति के स्तर में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले पांच देश (Five Largest Improvements in Peace) क्रमशः हैं - यूक्रेन, सूडान, मिस्र, उत्तरी मेसीडोनिया तथा रवांडा।

➲ जबकि शांति के स्तर में सर्वाधिक गिरावट दर्ज करने वाले पांच देश (Five Largest Deteriorations in Peace) क्रमशः हैं - निकारागुआ, बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, ईरान तथा ब्राजील।

➡ वर्ष 2018 में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर 'हिंसा का आर्थिक प्रभाव' (Economic Impact of Violence) 14.1 ट्रिलियन डॉलर [क्रय-शक्ति समता (PPP) के पदों में] दर्ज किया गया, जो 'सकल वैश्विक उत्पाद' (Gross World Product) का 11.2 प्रतिशत या 1853 डॉलर प्रति व्यक्ति है।

❑ रैंकिंग

➡ वैश्विक शांति सूचकांक, 2019 के अनुसार, आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश है।

➲ यह वर्ष 2008 से ही इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।

➡ वैश्विक शांति सूचकांक, 2019 के अनुसार, अफगानिस्तान विश्व का सर्वाधिक अशांत देश (Least Peaceful Country in the World) है।

वैश्विक शांति सूचकांक, 2019 : सर्वाधिक शांतिमय 5 देश

रैंक	देश	स्कोर
1.	आइसलैंड	1.072
2.	न्यूजीलैंड	1.221
3.	पुर्तगाल	1.274
4.	ऑस्ट्रिया	1.291
5.	डेनमार्क	1.316

वैश्विक शांति सूचकांक, 2019 : सर्वाधिक अशांत 5 देश

रैंक	देश	स्कोर
163.	अफगानिस्तान	3.574
162.	सीरिया	3.566
161.	दक्षिण सूडान	3.526
160.	यमन	3.412
159.	इराक	3.369

❑ भारत की स्थिति

➡ वैश्विक शांति सूचकांक, 2019 में भारत को 163 देशों की सूची में 141वां स्थान (स्कोर : 2.605) प्राप्त हुआ है।

➲ ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में भारत 136वें स्थान पर था।

वैश्विक शांति सूचकांक, 2019 : दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति

क्षेत्रीय रैंक	समग्र रैंक	देश	स्कोर
1	15	भूटान	1.506
2	72	श्रीलंका	1.986
3	76	नेपाल	2.003
4	101	बांग्लादेश	2.128
5	141	भारत	2.605
6	153	पाकिस्तान	3.072
7	163	अफगानिस्तान	3.574



बाल कल्याण सूचकांक

वर्तमान परिदृश्य

➡ 27 अगस्त, 2019 को गैर-सरकारी संगठनों वर्ल्ड विजन इंडिया और IFMR लीड द्वारा नई दिल्ली में 'भारत बाल कल्याण रिपोर्ट' (India Child Well-Being Report) जारी की गई।

➲ इस रिपोर्ट में बाल कल्याण सूचकांक के माध्यम से भारत में बाल कल्याण की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

बाल कल्याण सूचकांक

➡ बाल कल्याण सूचकांक बच्चों के कल्याण को व्यापक रूप से मापने हेतु डिजाइन किया गया एक साधन है। बाल कल्याण सूचकांक के निम्न तीन आयाम हैं : -

(i) स्वस्थ व्यक्तित्व विकास (Healthy Individual Development)

(ii) सकारात्मक रिश्ते (Positive Relationships)

(iii) सुरक्षात्मक संदर्भ (Protective Contexts)

➡ उपर्युक्त तीन आयामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाल कल्याण सूचकांक के विकास हेतु 24 संकेतकों का चयन किया गया है।

➡ एक कंपोजिट बाल कल्याण स्कोर के आधार पर प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के प्रदर्शन को मापा गया है।

उद्देश्य

➡ इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में बाल कल्याण के विषय पर ध्यानाकर्षण और संबंधित मुद्दों पर अकादमिक और नीतिगत बातचीत को प्रेरित करना है।

➡ वर्ल्ड विजन इंडिया और आईएफएमआर लीड के प्रयासों ने बाल कल्याण की मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करते हुए भविष्य में अध्ययन करने की आवश्यकता वाले कुछ प्रमुख संकेतकों की खोज की है, जिनमें शामिल हैं- माता-पिता/साथियों और बच्चों के बीच मोबाइल उपयोग, डिजिटल पहुंच, वित्तीय साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि।

सूचकांक



➡ बाल कल्याण सूचकांक में केरल (स्कोर : 0.76), तमिलनाडु (स्कोर : 0.67) और हिमाचल प्रदेश (स्कोर: 0.67) ने क्रमशः शीर्ष तीन स्थान हासिल किया है।

➡ सिक्किम, गोवा, पंजाब एवं मिजोरम क्रमशः चौथे, पांचवें, छठे एवं सातवें स्थान पर हैं।

➡ नगालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्यों ने सूचकांक के मानकों और संकेतकों के आधार पर औसत प्रदर्शन किया है।

➡ औसत से निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र हैं।

➡ सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर स्थित राज्यों में गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश हैं, जिन्हें बाल कल्याण के मुद्दों पर सर्वाधिक ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है।

➡ केंद्रशासित प्रदेशों में पुडुचेरी का प्रदर्शन संतोषजनक है।

भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित कुछ योजनाएं

➡ भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित सर्वप्रमुख योजना समेकित बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services) है, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम और बाल संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) में समेकित बाल विकास सेवा पर 23356.50 करोड़ रुपये व्यय हुए थे, जबकि 31मार्च, 2019 तक इन सेवाओं पर हुआ वास्तविक व्यय 21640.93 करोड़ रुपये रहा।

प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा

वर्तमान परिदृश्य

➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे शेरिंग के निमंत्रण पर 17-18 अगस्त, 2019 के मध्य भूटान की राजकीय यात्रा पर रहे।

➡ मई, 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली द्विपक्षीय भूटान यात्रा थी।

➡ सद्यः यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक से मुलाकात की।

➡ प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भूटान नरेश और महारानी को अपनी

सुविधानुसार शीघ्र ही भारत की यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया।

यात्रा विवरण

➡ प्रधानमंत्री श्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. शेरिंग ने तय मुद्दों के साथ-साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ताओं में भाग लिया।

- ➲ डॉ. शेरिंग ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय भोज का भी आयोजन किया।

➡ भूटान नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष डॉ. पेमा ग्यामत्शो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

उद्घाटित परियोजनाएं

➡ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हाल में निर्मित 720 मेगावॉट क्षमता के मांगदेछू पनबिजली संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन किया।

- ➲ मांगदेछू पनबिजली संयंत्र मांगदेछू नदी पर ट्रोंग्सा (Trongsa), (भूटान) में स्थित है।
- ➲ इस परियोजना के पूरा हो जाने से भूटान में बिजली की उत्पादन क्षमता 2000 मेगावॉट से अधिक हो गई है।

➡ साथ में पुनातसांगछू-1, पुनातसांगछू-2 और खोलोंगछू जैसी अन्य परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का मंतव्य व्यक्त किया गया।

➡ दोनों प्रधानमंत्रियों ने भूटान में औपचारिक रूप से भारतीय रुपे कार्ड की शुरुआत की, जिससे भूटान जाने वाले भारतीय पर्यटकों को ज्यादा नकदी ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

- ➲ इसके साथ ही भूटान के बैंकों द्वारा भी रुपे कार्ड जारी करने पर सहमति बनी।

➡ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के समर्थन से निर्मित थिम्पू में स्थित दक्षिण-एशियाई उपग्रह के लिए ग्राउंड अर्थ स्टेशन का उद्घाटन भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने किया।

➡ भूटान के लिए एक छोटा उपग्रह संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमति बनी।

प्रमुख समझौते

➡ यात्रा के दौरान निम्नलिखित सहमति-पत्रों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

1. दक्षिण-एशियाई उपग्रह के उपयोग के लिए सैटकॉम नेटवर्क की स्थापना पर भूटान तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच एमओयू।
2. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) और भूटान के ड्रुक रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क (DrukREN) के बीच समकक्ष व्यवस्था के लिए एमओयू।



3. विमान हादसों की जांच के लिए भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) और भूटान की विमान दुर्घटना जांच इकाई (AAIU) के बीच समझौता-ज्ञापन।
4. रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान और IIT कानपुर, IIT दिल्ली तथा IIT बॉम्बे के मध्य अलग-अलग तीन समझौता-ज्ञापन।
5. कानूनी शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलुरू और जिग्मे-सिंग्ये वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ, थिम्पू के बीच सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर।
6. न्यायिक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और आपसी आदान-प्रदान के लिए भूटान राष्ट्रीय विधि संस्थान और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के बीच सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
7. पीटीसी इंडिया लिमिटेड और ड्रुक ग्रीन पॉवर कॉर्पोरेशन, भूटान के मध्य मांगदेछू पनबिजली परियोजना के लिए विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर।
8. रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलचर के मध्य समझौता-ज्ञापन।

अन्य उल्लेखनीय तथ्य

➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान को दी जाने वाली सस्ती एलपीजी की मौजूदा मात्रा वर्तमान के 700 एमटी प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 एमटी प्रतिमाह करने की भी घोषणा की।

➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले भूटान के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 करने की भी घोषणा की।

निष्कर्ष

➡ निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा से दोनों देशों के न केवल द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ होंगे, अपितु वैश्विक स्तर पर विभिन्न मंचों पर संबंध मजबूत होंगे, साथ ही रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृषि इत्यादि क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि होगी।

जल जीवन मिशन

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 15 अगस्त, 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में 'जल जीवन मिशन' की घोषणा की थी।

➡ 26 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में जल जीवन मिशन पर राज्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

- ➲ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की।

➡ इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों तक पाइप के द्वारा पानी पहुंचाना (हर घर जल) है।



मिशन का विवरण

➡ आगामी वर्षों में इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी।

➡ उल्लेखनीय है कि वर्तमान में देश के लगभग 50 प्रतिशत परिवारों को पाइप के जरिए जल नहीं मिल पा रहा है।

➲ अत: हर घर में पेय जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही जल जीवन मिशन प्रारंभ किया जा रहा है।

➡ इस मिशन पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य करेंगी।

➡ इस मिशन के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जाएगा-

- वर्षा जल का संचयन
- सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा
- जल संरक्षण अभियान
- आमजन को जागरूक करना
- बच्चों को जल के महत्व की शिक्षा देना आदि।

जल जीवन मिशन के लाभ

➡ पिछले कुछ वर्षों में देश के कई भागों में भू-जल का स्तर काफी नीचे हो गया है। अत: भू-जल स्तर में वृद्धि हेतु प्रयासों की दृष्टि से जल जीवन मिशन बेहद उपयोगी सिद्ध होगा।

अन्य लाभ

- घरेलू पाइप लाइन से जल आपूर्ति
- स्वच्छ और पीने योग्य जल की उपलब्धता
- भूजल स्तर का पुनर्भरण
- बेहतर स्थानीय बुनियादी ढांचा
- जल की कम बर्बादी

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ भारत में वैश्विक जनसंख्या का 16 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, परंतु यहां विश्व के मात्र 4 प्रतिशत ताजे जल के संसाधन ही स्थित हैं।

➡ 24-28 सितंबर, 2019 के मध्य विज्ञान भवन, नई दिल्ली में '6वें भारत जल सप्ताह, 2019' (6^{th} India Water Week, 2019) का आयोजन किया गया।

➡ गौरतलब है कि देश में उभरे जल संकट से निपटने के लिए सरकार कृतसंकल्प है और इस हेतु 'जलशक्ति मंत्रालय' के गठन के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल प्रबंधन जैसे कई कदम उठाए जा चुके हैं।

फिट इंडिया अभियान

वर्तमान परिप्रेक्ष्य



➡ 29 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 'फिट इंडिया अभियान' (Fit India Movement) की शुरुआत की।

➡ ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

➡ फिट इंडिया अभियान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है।

सलाहकारी समिति

➡ केंद्र सरकार द्वारा फिट इंडिया अभियान के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया है।

➲ इस समिति में सरकारी अधिकारी, भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघों आदि के सदस्यों तथा फिटनेस को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

➡ केंद्रीय खेत्र मंत्री किरेन रिजिजू इस 28 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं।

➡ निजी निकायों जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), रिलायंस फाउंडेशन, JSW सीमेंट तथा JSW पेंट्स, टाटा ट्रस्ट्स, एसोचैम इंडिया, फिक्की आदि के प्रतिनिधि भी इस समिति में शामिल हैं।

समस्याएं

➡ ज्ञातव्य है कि फिटनेस का संबंध स्वास्थ्य से है, एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।

➡ लेकिन भारत में आज खराब जीवन-शैली के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, जिससे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के मामले बढ़ रहे हैं।

समाधान

➡ स्वस्थ जीवन का मूलमंत्र है- स्वस्थ जीवन-शैली को अपनाना।

➲ फिट इंडिया अभियान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

➲ खेलों में भाग लेकर, जनजागरूकता अभियान चलाकर पूरे समाज को स्वस्थ और सुंदर बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

➡ यह प्रथम अवसर नहीं है, जब केंद्र सरकार ने किसी फिटनेस अभियान की शुरुआत की है।

➲ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में तत्कालीन खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने सोशल मीडिया के माध्यम से '#हम फिट तो इंडिया फिट' (#HumFitTohIndiaFit) नामक अभियान की शुरुआत की थी।

➡ निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि फिट इंडिया अभियान से स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत का सपना साकार होगा, जो श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सहयोग देगा।

10वीं मेकांग-गंगा सहयोग मंत्रिस्तरीय बैठक

वर्तमान परिदृश्य

➡ 1 अगस्त, 2019 को बैंकॉक, थाईलैंड में 10वीं मेकांग-गंगा सहयोग मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।

➡ इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से वियतनाम के उपप्रधानमंत्री फॉम बिन्ह मिन्ह तथा भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की।

मेकांग-गंगा सहयोग

➡ मेकांग-गंगा सहयोग (MGC) एक उपक्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसमें भारत तथा 5 आसियान देश यथा- म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं।

➡ यह नाम इस क्षेत्र की दो बड़ी नदियों गंगा और मेकांग के नाम पर रखा गया है।

- ➲ इसका लक्ष्य इन दो नदी घाटियों में रहने वाले लोगों के बीच घनिष्ठ संपर्क बढ़ाना और सदस्य देशों के बीच पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन तथा संचार के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि करना है।

➡ इसकी स्थापना 10 नवंबर, 2000 को विएनतिएन (लाओस) में की गई थी।

बैठक का विवरण

➡ बैठक के दौरान नई मेकांग-गंगा सहयोग (MGC) कार्ययोजना, 2019-2022 को अपनाया गया।

➡ इस कार्ययोजना के अंतर्गत मेकांग-गंगा सहयोग के 7 क्षेत्रों नामत: पर्यटन और संस्कृति, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, परिवहन, संचार, तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के साथ-साथ सहयोग के तीन नए क्षेत्रों (जल संसाधन प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और क्षमता निर्माण) में परियोजना आधारित सहयोग की परिकल्पना की गई है।



भारत के परिप्रेक्ष्य में

➡ बैठक के दौरान सदस्य देशों के मंत्रियों ने मेकांग-गंगा सहयोग की एक वेबसाइट विकसित करने के भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया, जो इस क्षेत्रीय समूह की ब्रांडिंग (Branding) में योगदान देगी और विभिन्न संयुक्त कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करेगी।

➡ आसियान में कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण (Line of Credit) की भारत की घोषणा का स्वागत किया गया।

➡ कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम में भारतीय निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एक परियोजना विकास कोष के अंतर्गत 5 बिलियन भारतीय रुपये के योगदान की भारत की प्रतिबद्धता का स्वागत किया गया।

➡ भारत ने जल संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक खेती (Community Farming) में प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव किया।

➡ भारत ने मशीनीकरण के माध्यम से राइस जर्मप्लाज्म (Rice germplasm) के संरक्षण और उत्पादकता को बढ़ाने तथा मत्स्यपालन और डेयरी क्षेत्रों में सतत अभ्यासों पर कार्यशालाओं के आयोजन का प्रस्ताव किया।

➡ ध्यातव्य है कि 11वीं मेकांग-गंगा सहयोग मंत्रिस्तरीय बैठक वर्ष 2020 में वियतनाम में प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन, 2019

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 8-9 अगस्त, 2019 को ई-गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन (22nd National Conference on e-Governance : NCeG) का आयोजन मेघालय की राजधानी शिलांग में किया गया।

➡ इस सम्मेलन का मुख्य विषय (Theme)-''डिजिटल इंडिया : सफलता से उत्कृष्टता'' (Digital India : Success to Excellence) है।

संबंधित तथ्य

➡ ई-गवर्नेंस सम्मेलन, 2019 का आयोजन प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग (DARPG), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा मेघालय सरकार द्वारा मिलकर किया गया।

➡ यह प्रथम अवसर है, जब इस सम्मेलन का आयोजन देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया।



➡ यह सम्मेलन नई सरकार में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की 100 दिवसीय पहलों का हिस्सा है।

➡ इस सम्मेलन में 28 राज्यों तथा 8 केंद्रशासित प्रदेशों ने भागीदारी की।

सम्मेलन में शामिल विषय

➡ सम्मेलन के दौरान पूर्ण सत्र (Plenary Session) में निम्नलिखित उप-विषयों पर विचार-विमर्श किया गया-

- इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर (INDEA)
- डिजिटल बुनियादी ढांचा
- समावेशन और क्षमता निर्माण
- पेशेवरों (Practitioners) के लिए उभरती प्रौद्योगिकी
- सचिवालय सुधार
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन (NeSDA)

➡ 4 ब्रेकआउट सत्र उप निम्न विषयों पर आयोजित किए गए-

- वन नेशन-वन प्लेटफॉर्म
- नवाचारियों और उद्योगों के साथ तालमेल
- सभी तरह की डिजिटल सेवाएं
- राज्य सरकारों की सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

➡ सम्मेलन में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, साथ ही पुरस्कार विजेताओं पर हॉल ऑफ फेम/फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ 22वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान 'शिलांग घोषणापत्र' (Shillong Declaration) जारी किया गया।

➡ उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1997 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

क्या है ई-गवर्नेंस?

➡ ई-गवर्नेंस को सामान्यतः नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने, व्यावसायिक उद्यमों के साथ बातचीत करने तथा सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच तीव्र, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से संप्रेषण और आदान-प्रदान करने हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है।

अटल समुदाय नवाचार केंद्र

वर्तमान परिदृश्य

➡ 31 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 'अटल समुदाय नवाचार केंद्र' (Atal Community Innovation Centre-ACIC) कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

➡ भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल नवाचार मिशन (AIM) के तहत इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है।

उद्देश्य

➡ इसका उद्देश्य देश के अल्प विकसित क्षेत्रों, जहां नवाचार हेतु अवसंरचना एवं उपयुक्त परिवेश का अभाव है, में सामुदायिक नवाचार को बढ़ावा देना है।

महत्वपूर्ण बिंदु

➡ इस कार्यक्रम के तहत जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, वे हैं- श्रेणी-II (Tier-II) तथा श्रेणी-III (Tier-III) शहरों के क्षेत्र, श्रेणी-I (Tier-I) शहरों के अल्प विकसित क्षेत्र, उत्तर-पूर्व, जम्मू एवं कश्मीर, स्मार्ट शहर, आकांक्षी जिले, ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्र।

➡ उपर्युक्त वर्णित क्षेत्रों के व्यक्ति ही अटल समुदाय नवाचार केंद्र की स्थापना हेतु आवेदन कर सकते हैं।



➡ एसीआईसी की स्थापना निजी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP मॉडल) पद्धति से अथवा सार्वजनिक लोक उपक्रमों एवं अन्य अभिकरणों के सहयोग से की जाएगी।

➡ इस कार्यक्रम को अटल नवाचार मिशन के द्वारा अधिकतम 2.5 करोड़ रुपये तक की सहायता 5 वर्षों की अवधि में प्रदान की जाएगी।

➡ उपर्युक्त सहयोग राशि में प्रस्तावित ACIC का पूंजीगत एवं संचालनगत व्यय शामिल होगा, जो कुल परियोजना लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक होगा।

अटल नवाचार/नवप्रवर्तन मिशन

➡ अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग द्वारा परिकल्पित, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति तथा देश में नवाचार पारितंत्र (Innovation Ecosystem) को पर्याप्त बढ़ावा देना एवं उद्यमशीलता की भावना को उत्प्रेरित करना है।

निष्कर्ष

➡ बजट 2019-20 में वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 'अटल नवाचार मिशन' तथा 'अटल समुदाय नवाचार केंद्र' की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया

वर्तमान संदर्भ

➡ 3 जुलाई, 2019 को यूनेस्को, नई दिल्ली द्वारा भारत में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति से संबंधित 'द 2019 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया : चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज' (The 2019 State of the Education Report for India : Children with Disabilities) जारी की गई।

उद्देश्य

➡ वर्तमान में शीर्ष वैश्विक प्राथमिकताओं में ऐसी समावेशी शिक्षा

प्रणालियों को स्थान दिया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शैक्षिक प्रगति का समान अवसर प्राप्त हो।



➡ इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने 'यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड' (UNCRC) और 'यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज' (UNCRPD) का अनुसमर्थन (Ratification) करके दिव्यांग बच्चों को शामिल करने का एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया है।

➡ यह रिपोर्ट दिव्यांग बच्चों (Children with Disabilities) के शिक्षा के अधिकार का संरक्षण करने हेतु देश में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों का प्रलेखीकरण करती है।

रिपोर्ट का विवरण

➡ इस रिपोर्ट का प्रकाशन वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

➡ यह यूनेस्को, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है, जिसमें दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के अधिकार के संबंध में उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

➡ 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज' द्वारा तैयार एवं यूनेस्को, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त यह रिपोर्ट राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साहित्य के व्यापक शोध और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर व्यापक जानकारी प्रदान करने के प्रयासों पर आधारित है।

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति

➡ वर्तमान स्थिति का विश्लेषण इंगित करता है कि 19 वर्ष से कम आयु के अनुमानित 7.8 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं।

➡ 5 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों में से तीन-चौथाई किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते हैं।

➡ 5-19 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों में से एक-चौथाई विद्यालय नहीं जाते हैं।

सिफारिशें

➡ रिपोर्ट दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु निम्न दस सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं :-

(1) दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की विशिष्ट समस्याओं को शामिल करते हुए दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ बेहतर मिलान करने हेतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में संशोधन करना।

(2) दिव्यांग बच्चों के सभी शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी संकेंद्रण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक समन्वय तंत्र स्थापित करना।

(3) दिव्यांग बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने हेतु शिक्षा बजट में विशिष्ट और पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित करना।

(4) नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु डेटा प्रणालियों का सशक्तीकरण करना ताकि उन्हें मजबूत, विश्वसनीय और उपयोगी बनाया जाए।

(5) विद्यालय पारिस्थितिकी प्रणालियों को समृद्ध बनाना और दिव्यांग बच्चों के समर्थन में सभी हितधारकों को शामिल करना।

(6) दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का व्यापक विस्तार करना।

(7) प्रत्येक बच्चे को अवसर देना और किसी भी बच्चे को दिव्यांगता के कारण पीछे न छोड़ना।

(8) विविध शिक्षार्थियों को शामिल करने में सहायता करने वाली शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन।

(9) रूढ़िवादिता से बाहर निकलकर कक्षा एवं उसके परे दोनों ही स्थानों पर दिव्यांग बच्चों के प्रति सकारात्मक निपटान का निर्माण करना।

(10) दिव्यांग बच्चों के लाभ हेतु सरकार, नागरिक, समाज, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों को शामिल करने वाली प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

निष्कर्ष

➡ भारत ने विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की नामांकन दर में सुधार हेतु एक मजबूत कानूनी ढांचा तथा कार्यक्रमों और योजनाओं को एक जगह रखने के मामले में बहुत प्रगति की है। फिर भी SDG-4 एवं एजेंडा-2030 के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा समावेशी शिक्षा के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता है।

➡ उल्लेखनीय है कि एजेंडा-2030 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG-4) सभी के लिए समावेशी एवं समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 26 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह अधिनियम 2 मार्च, 2019 से ही प्रभावी माना जाएगा।

➡ ज्ञातव्य है कि इस विधेयक को लोक सभा में 3 जुलाई, 2019 को पेश किया गया था, जिसे लोक सभा द्वारा 10 जुलाई, 2019 को पारित कर दिया गया था।



➲ राज्य सभा द्वारा इसे 18 जुलाई, 2019 को पारित किया गया था।

पृष्ठभूमि

➡ वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने सिफारिश की थी, कि सरकार सार्वजनिक धन का उपयोग करते हुए वर्ष 1995 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (ICADR) का कार्य अपने हाथों में ले सकती है तथा इसका पुनरुत्थान कर इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है।

➡ इसी परिप्रेक्ष्य में 5 जनवरी, 2018 को लोक सभा में नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2018 को पेश किया गया, जिसे लोक सभा ने 4 जनवरी, 2019 को पारित कर दिया, लेकिन यह राज्य सभा में पारित न हो सका और 13 फरवरी, 2019 को संसदीय कामकाज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

- ➲ फलस्वरूप, इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अध्यादेश, 2019 जारी किया गया।

उद्देश्य

➡ यह अधिनियम संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है।

- ➲ साथ ही इस अधिनियम के द्वारा NDIAC को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC)

➡ अधिनियम के अनुसार, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र में कुल सात सदस्य शामिल होंगे। इनमें-

i. एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या मध्यस्थता के प्रशासन या व्यवहार में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो,
ii. दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनके पास संस्थागत मध्यस्थता में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो,
iii. तीन पदेन सदस्य, जिनमें वित्त मंत्रालय से एक नामिती और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा
iv. एक अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त, वाणिज्य और उद्योग के एक मान्यता प्राप्त निकाय का प्रतिनिधि शामिल है।

निष्कर्ष

➡ वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था पर विवाद निपटान प्रक्रिया का एक गहरा प्रभाव है। देश में तेजी से बदलती आर्थिक गतिविधियों की वजह से विवादों के शीघ्रातिशीघ्र निपटान तथा सांस्थानिक मध्यस्थता के सृजन एवं उसकी स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई है। देश के न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की बड़ी संख्या के कारण भी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई है। उम्मीद है, इस संदर्भ में नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र प्रभावी साबित होगा।

5वां अंतरराष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 27-28 जुलाई, 2019 के मध्य बिहार के राजगीर में 5वें 'अंतरराष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन (5th International Dharma-Dhamma Conference), 2019' का आयोजन किया गया।

➡ सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किया, जो कि सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी थे।

➡ सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में श्रीलंका के गृह मंत्री गामिनी जयविक्रमा परेरा, भूटान के गृह व संस्कृति मंत्री ल्योनपो शेरूब ग्येल्तशेन, जूना अखाड़ा के अवधेशानंद गिरि जी महाराज, भाजपा के वरिष्ठ नेता राम माधव और नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति सुनैना सिंह आदि ने हिस्सा लिया।

सम्मेलन से संबंधित तथ्य

➡ यह दूसरा अवसर था, जब अंतरराष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का आयोजन राजगीर में किया गया।

➡ इस सम्मेलन का मुख्य विषय (Theme) धर्म-धम्म परंपराओं में 'सत-चित-आनंद एवं निर्वाण' (Sat-Chit-Anand & Nirvana) था।

➡ इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व में बढ़ते वैश्विक तापन (Global Warming) तथा आतंक और हिंसा के बारे में वैश्विक समुदाय को जागरूक करना था।



➡ इस सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन (India Foundation) ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया।

➡ सम्मेलन में श्रीलंका, भूटान, कोरिया, चीन और मालदीव जैसे 15 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

➡ किरेन रिजिजू ने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन भारतीय संस्कृति की दो धाराओं हिंदू और बौद्ध के बीच बुनियादी समानता को रेखांकित करने का एक प्रयास है।

➡ गौरतलब है कि यह सम्मेलन हिंदू व बौद्ध चिंतकों के लिए विचार-विमर्श हेतु एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां वे अपने विचार व्यक्त करते हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय उन विचारों को आत्मसात कर अपनी उन्नति कर सके।

➡ ज्ञातव्य है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन सितंबर, 2012 में भोपाल (मध्य प्रदेश) में आयोजित हुआ था।



हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, 2019

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 25 सितंबर, 2019 को 'हुरुन रिपोर्ट इंडिया' और 'आईआईएफएल (IIFL) वेल्थ द्वारा 'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, 2019' जारी की गई।

➡ यह इस रिपोर्ट का 8वां संस्करण है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2012 में जारी किया गया था।

➡ इस रिपोर्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की वार्षिक रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 8वें वर्ष सबसे अमीर भारतीयों की सूची में शीर्ष पर हैं।

सूची का विवरण

➡ इस सूची में भारत में जन्में या भारत में पले-बढ़े ऐसे भारतीयों को शामिल किया जाता है, जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

➡ इस सूची को 31 जुलाई, 2019 तक की कुल संपत्ति के आधार पर तैयार किया गया है।

➡ इस वर्ष की सूची में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 953 हो गई है, जबकि वर्ष 2018 की सूची में 831 लोग शामिल थे।

➡ हालांकि अमेरिकी डॉलर मूल्यों के संदर्भ में अरबपतियों की संख्या विगत वर्ष (2018) के 141 से घटकर वर्ष 2019 में 138 हो गई है।

➡ जहां इस वर्ष अमीरों की कुल संपत्ति में संचयी (Cumulative) रूप से 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं औसत संपत्ति में 11 प्रतिशत की कमी हुई है।

➡ सूची में शामिल 344 अमीरों की संपत्ति में इस वर्ष कमी दर्ज की गई है।

- ➲ जबकि 112 अमीर ऐसे रहे जो 1000 करोड़ रुपये के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके और इस प्रकार उन्हें इस वर्ष की सूची में स्थान प्राप्त नहीं हुआ।

सर्वाधिक अमीर भारतीय

➡ 380700 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी लगातार 8वें वर्ष इस सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं।

➡ 186500 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ एस.पी. हिंदुजा एवं परिवार इस वर्ष भी 'अनिवासी भारतीयों' (NRI) में सर्वाधिक अमीर (समग्र रूप से दूसरा स्थान) बने हुए हैं।



➡ जहां महिलाओं में 36800 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ रोशनी नडार (HCL) सर्वाधिक अमीर भारतीय (Richest Indian Woman) महिला हैं।

➡ वहीं 380700 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ अंबानी परिवार सबसे अमीर भारतीय परिवार (Richest Indian Family) है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ इस रिपोर्ट के अनुसार, देश के शीर्ष 25 अमीरों की संपत्ति का मूल्य देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 10 प्रतिशत के बराबर है।

➡ 7500 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ ओयो रुम्स के रितेश अग्रवाल सबसे कम उम्र (25 वर्ष) के अरबपति हैं।

➡ मीडिया डॉट नेट के दिव्यांक तुराखिया (उम्र 37 वर्ष) 40 साल से कम उम्र के सबसे अमीर भारतीय हैं।

शीर्ष 5 अमीर भारतीय

रैंक	नाम	संपत्ति (करोड़ रुपये में)	कंपनी
1	मुकेश अंबानी	380700	रिलायंस इंडस्ट्रीज
2	एस.पी. हिंदुजा एवं परिवार	186500	हिंदुजा
3	अजीम प्रेमजी	117100	विप्रो
4	लक्ष्मी निवास मित्तल एवं परिवार	107300	आर्सेलर मित्तल
5	गौतम अडानी एवं परिवार	94500	अडानी पोर्ट्स एवं SEZ

➡ इस सूची में शामिल कुल 953 व्यक्तियों में से सर्वाधिक 246 व्यक्ति (26%) मुंबई के हैं।

- ➲ इसके बाद क्रमशः दिल्ली (175) एवं बंगलुरू (77) का स्थान है।

शीर्ष 5 अमीर अनिवासी भारतीय			
रैंक	नाम	शहर	कंपनी
1	एस.पी. हिंदुजा एवं परिवार	लंदन	हिंदुजा
2	लक्ष्मी निवास मित्तल एवं परिवार	लंदन	आर्सेलर मित्तल
3	शापूर पाल्लोन जी मिस्त्री	मोनाको	शापूर पाल्लोन जी
4	श्री प्रकाश लोहिया	लंदन	इन्डोरमा (Indorma)
5	जय चौधरी	सैन जोस	जस्कालर (Zscaler)

➡ अमोद मालवीय (कंपनी : उड़ान) को इस वर्ष की सूची में सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ता (Biggest Gainer) के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।

➲ पिछले वर्ष की तुलना में उनकी संपत्ति में 218 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सर्वाधिक मूल्यवान 5 भारतीय कंपनियां			
		बाजार पूंजी (Market cap)	
क्रम संख्या	कंपनी	करोड़ रु. में	बिलियन डॉलर में
1	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज	804517	117
2	रिलायंस इंडस्ट्रीज	776891	113
3	एचडीएफसी बैंक	617161	90
4	हिंदुस्तान यूनिलीवर	390705	57
5	एचडीएफसी	360063	52

विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति, 2019

पृष्ठभूमि

'विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति' (The State of Food Security and Nutrition in the World) एक वार्षिक रिपोर्ट है, जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), कृषि संबंधी विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय कोष (IFAD), यूनिसेफ (UNICEF), डब्ल्यूएफपी (World Food Programme) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है।

वर्तमान संदर्भ

➡ 15 जुलाई, 2019 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (UNFAO) द्वारा 'विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति, 2019' नामक रिपोर्ट जारी की गई।

➡ इस रिपोर्ट का उद्देश्य भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने, पोषण में सुधार लाने, पोषण के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक प्रगति की सूचना उपलब्ध कराने के साथ-साथ ही सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों से लोगों को अवगत कराना है।

रिपोर्ट के प्रमुख आंकड़े

➡ गौरतलब है कि वर्ष 2018 में 820 मिलियन से अधिक लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था।

➡ यह हाल तब है जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक शून्य भुखमरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

➲ यह आंकड़ा वर्ष 2030 तक भूख (Hunger) को समाप्त करने के लक्ष्य के सामने एक बड़ी चुनौती है।

➡ लगभग एक दशक तक निरंतर कमी होने के बाद विगत तीन वर्षों (वर्ष 2015 से) में भुखमरी से ग्रस्त लोगों की संख्या में सतत रूप से वृद्धि (लगभग 11% के आस-पास) देखी गई।

➡ भुखमरी के मामलों में अफ्रीका के लगभग सभी उपक्षेत्रों में वृद्धि हुई है।

➲ अफ्रीका में अल्पपोषण (Undernourishment) के मामले सर्वाधिक (लगभग 20%) हैं।



➡ लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन क्षेत्र में भी भुखमरी के मामलों में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है, हालांकि यहां अल्पपोषण के मामलों की संख्या 7 प्रतिशत से कम है।

➲ एशिया में 11 प्रतिशत जनसंख्या अल्पपोषण की चपेट में है।

विश्व भर में अल्प पोषित/न्यून पोषित लोगों की संख्या (मिलियन में)				
	2015	2016	2017	2018
विश्व	785.4	796.5	811.7	821.6
अफ्रीका	217.9	234.6	248.6	256.1
एशिया	518.7	512.3	512.4	513.9
लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन	39.1	40.4	41.7	42.5
ओशिनिया	2.3	2.4	2.5	2.6

➡ इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्वभर में प्रत्येक नौवां व्यक्ति भुखमरी से ग्रस्त है, जबकि अफ्रीका में तो हर पांचवां व्यक्ति भूख से पीड़ित है।

➡ विश्व में लगभग 2 बिलियन लोग (वैश्विक जनसंख्या का 26.4%) खाद्य सुरक्षा के मध्यम स्तर (Moderate Level) और गंभीर स्तर (Severe Level) से प्रभावित हैं।

➡ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में मातृत्व और बाल कुपोषण का योगदान 45 प्रतिशत है।

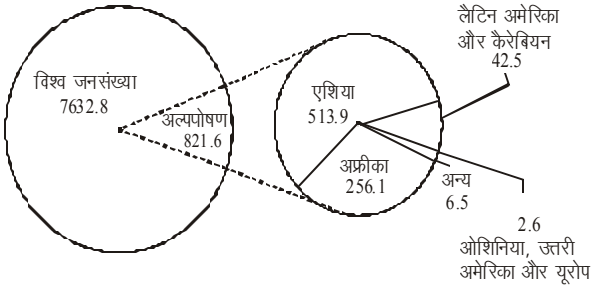
➡ पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापन (Stunting) अर्थात उम्र के सापेक्ष छोटा कद की समस्या में कमी पाई गई।

➲ वर्ष 2012 में ऐसे बच्चों की संख्या 165.8 मिलियन थी, जो वर्ष 2018 में कम होकर 148.9 मिलियन हो गई।

➡ वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष तक के 40.1 मिलियन बच्चे अधिक वजन (Overweight) की समस्या से ग्रस्त हैं।

विश्व में अल्पपोषण की व्यापकता/फैलाव (प्रतिशत में)				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
विश्व	10.6	10.7	10.8	10.8
अफ्रीका	18.3	19.2	19.8	19.9
एशिया	11.7	11.5	11.4	11.3
लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	6.2	6.3	6.5	6.5
ओशिनिया	5.9	6.0	6.1	6.2
उत्तरी अमेरिका और यूरोप	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5

वैश्विक स्तर पर अल्पपोषण का वितरण (मिलियन में), 2018



खाद्य सुरक्षा एवं पोषण रिपोर्ट : भारत

➡ भारत में पिछले कुछ वर्षों से भुखमरी से ग्रस्त लोगों की संख्या में कमी पाई गई।

- ➲ यह कमी लोक कल्याणकारी योजनाओं यथा- पीडीएस के द्वारा मुफ्त या नाममात्र के मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, मनरेगा या दूसरी योजनाओं के द्वारा निम्न मध्यम वर्ग को नियमित कार्य प्राप्त होने से आम-आदमी के खान-पान एवं जीवन शैली में सुधार होने के कारण हुई है, जिससे कुपोषण की समस्या से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या में कमी देखी गई।

➡ दूसरी तरफ विकास प्रक्रिया के द्वारा मध्यम आय वर्ग के आय में वृद्धि होने से उनके जीवन शैली (खान-पान) में बदलाव आया, जिससे मोटापे के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई।

निष्कर्ष

➡ स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा की समस्या को हल किए बगैर सतत विकास लक्ष्य-2030 को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा इच्छा शक्ति की कमी, विशेष रूप से मानव निर्मित कारण अर्थात आपसी संघर्ष, आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन आदि के चलते भुखमरी की समस्या पिछले कुछ वर्षों से बढ़ती जा रही है।

मॉरितानिया में पहला लोकतांत्रिक सत्ता हस्तांतरण

वर्तमान परिदृश्य

➡ हाल ही में मॉरितानिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद अहमद औल्द गजौनी ने 52 प्रतिशत मत प्राप्त कर विजय हासिल की।

➡ 1 अगस्त, 2019 को मोहम्मद अहमद औल्द गजौनी ने मॉरितानिया के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पद भार ग्रहण किया।

➡ गौरतलब है कि वर्ष 1960 में मॉरितानिया को फ्रांस से आजादी मिली थी, उसके बाद से क्रमशः वर्ष 1978, 1984, 2005 और वर्ष 2008 में सैन्य तख्तापलट के द्वारा ही इस देश में सत्ता हस्तांतरण हुआ है।

➡ उल्लेखनीय है कि सद्यः राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 15 लाख 44 हजार पंजीकृत मतदाताओं में से 62.66 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

➡ इस चुनाव में कुल छः उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे।

- ➲ चुनाव परिणामों के अनुसार, मुख्य विपक्षी उम्मीदवारों बीरम औल्द दाह औल्द आबिद को 18.58 प्रतिशत और सिदी मोहम्मद औल्द बौउबाकर को 17.87 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

➡ हालांकि बौउबाकर समेत तीन अन्य उम्मीदवारों ने सत्ता पक्ष पर चुनाव में धांधली कराने के साथ ही कई अन्य अनियमितताओं का आरोप लगाकर चुनाव परिणामों को खारिज कर दिया है।

➡ ध्यातव्य है कि विजयी उम्मीदवार गजौनी, तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद औल्द अब्देल अजीज के घनिष्ठ सहयोगी एवं उनकी सरकार में रक्षा मंत्री रहे हैं।

➡ मॉरितानिया के संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पांच वर्ष के केवल दो कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति चुना जा सकता है।



चुनाव में प्रमुख मुद्दे

➡ इस चुनाव के प्रमुख मुद्दों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना (Improve Living Standard) और दासता मुक्ति शामिल थे।

➡ गौरतलब है कि मॉरितानिया वर्ष 1981 में देश में दासता समाप्त करने वाला अंतिम देश है। हालांकि यहां दासता/गुलामी प्रथा आज भी बदस्तूर जारी है।

➡ वर्ष 2007 में दासता को बढ़ावा देने वाले तत्वों के विरुद्ध आपराधिक कानून पास किया गया था, लेकिन अभी तक यह कानून पूरी तरह से और प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका है।

मॉरितानिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ पश्चिम अफ्रीकी देश मॉरितानिया की आबादी लगभग 43 लाख और क्षेत्रफल लगभग 4 लाख वर्ग मील है।

➡ इस देश की प्रमुख भाषाएं अरबी (आधिकारिक) एवं फ्रेंच हैं।

➡ इसके साथ ही देश की बहुसंख्यक आबादी इस्लाम धर्म को मानती है।

➡ ध्यातव्य है कि मॉरितानिया प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद गरीबी और भुखमरी से पीड़ित देश है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2019

पृष्ठभूमि

➡ 'वैश्विक नवाचार सूचकांक' का प्रकाशन वर्ष 2007 से प्रति वर्ष INSEAD (The Business School for the World), कॉरनेल विश्वविद्यालय (न्यूयॉर्क) तथा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization : WIPO) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

➡ वैश्विक नवाचार सूचकांक का लक्ष्य नवाचार के बहुआयामी पहलुओं का अवलोकन करना तथा ऐसे साधन (Tools) उपलब्ध कराना है, जो दीर्घकालिक उत्पादन, उत्पादकता तथा रोजगार को वृद्धि प्रदान कर सकें।

वर्तमान संदर्भ

➡ 24 जुलाई, 2019 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 'वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2019' जारी किया।

- ➲ यह इस सूचकांक का 12वां वार्षिक संस्करण है।

➡ यह पहला अवसर है, जब 'वैश्विक नवाचार सूचकांक' को किसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में जारी किया गया।

➡ वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2019 का मुख्य विषय (Theme) है- ''स्वस्थ जीवन का सृजन : चिकित्सा में नवाचार का भविष्य'' (Creating Healthy Lives : The Future of Medical Innovation)।

➡ वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2019 में 129 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापने के लिए 80 संकेतकों का प्रयोग किया गया है।

रैंकिंग

➡ इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड (स्कोर : 67.24) को विश्व का 'सर्वाधिक नवाचारी देश' घोषित किया गया है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2019 : शीर्ष 5 देश

रैंक	देश	स्कोर
1	स्विट्जरलैंड	67.2
2	स्वीडन	63.7
3	अमेरिका	61.7
4	नीदरलैंड्स	61.4
5	यूनाइटेड किंगडम	61.3

वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2019 : अंतिम तीन देश

रैंक	देश	स्कोर
129	यमन	14.5
128	बुरुंडी	17.6
127	नाइजर	18.1



GLOBAL INNOVATION INDEX 2019

वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2019 : विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष देश

क्षेत्र	देश	GII–2019 रैंक
उत्तरी अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	3
उप-सहारा अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका	63
लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	चिली	51
मध्य एवं दक्षिण एशिया	भारत	52
यूरोप	स्विट्जरलैंड	1
उत्तरी अफ्रीका एवं पश्चिमी एशिया	इस्राइल	10
दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया तथा ओशिनिया	सिंगापुर	8

भारत की स्थिति

➡ वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2019 में भारत को 52वां स्थान (स्कोर : 36.6) प्राप्त हुआ है, जबकि विगत वर्ष (2018) भारत को 57वां स्थान प्राप्त हुआ था।

➡ यदि क्षेत्रीय संदर्भ में देखा जाए तो भारत मध्य एवं दक्षिण एशिया (Central & Southern Asia) में शीर्ष नवाचारी देश है।

➡ भारत को विश्व के शीर्ष वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स की GII रैंकिंग में भी शामिल किया गया है।

➡ बंगलुरू, मुंबई तथा नई दिल्ली विश्व के शीर्ष 100 क्लस्टर्स में शामिल हैं।

➡ ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा अन्य देशों की स्थिति - ब्राजील (66वां स्थान), चीन (14वां), रूस (46वां) तथा दक्षिण अफ्रीका (63वां स्थान) ।

जीआईआई रूपरेखा (Framework)

➡ वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII : Global Innovation Index) दो उप-सूचकांकों पर आधारित है- (1) नवाचार निवेश (Input) और (2) नवाचार निर्गत (Output)।

➡ नवाचार निवेश के अंतर्गत पांच संकेतक हैं-

(1) संस्थान (Institutions)
(2) मानव पूंजी और अनुसंधान (Human Capital and Research)
(3) बुनियादी ढांचा (Infrastructure)
(4) बाजार विशेषज्ञता (Market Sophistication)

(5) व्यावसायिक विशेषज्ञता (Business Sophistication)

➡ नवाचार निर्गत के अंतर्गत दो संकेतक हैं-

(1) ज्ञान और प्रौद्योगिकी निर्गत (Knowledge and Technology Outputs)

(2) क्रिएटिव आउटपुट (Creative Output)

निष्कर्ष

➡ पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीति के अंतर्गत नवाचार (Innovation) पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। इसी का परिणाम है कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में वर्ष 2015 की 81वीं रैंक से छलांग लगाते हुए वर्ष 2019 में 52वें स्थान पर पहुंच गया है।

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, 2019 (Q3 Update)

वर्तमान परिदृश्य

➡ जुलाई, 2019 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स (Henley Passport Index), 2019 के अनुसार, जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली हैं।

➡ गौरतलब है कि यहां पर शक्तिशाली पासपोर्ट (Powerful Passport) से आशय है कि किसी देश के नागरिकों को पूर्व-स्वीकृत वीजा के बिना कितने देशों में आने-जाने की छूट होती है।

➡ इस सूची में पहले स्थान पर काबिज दो देशों- जापान और सिंगापुर का स्कोर 189 है।

- इसका तात्पर्य है कि इन दो देशों के नागरिकों को 189 देशों में जाने के लिए पहले से वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है।

➡ ध्यातव्य है कि इस सूचकांक में 199 देशों के पासपोर्ट और सूक्ष्म राज्यों (Micro-states) एवं क्षेत्रों (Territories) सहित 227 यात्रा गंतव्य स्थानों (Travel Destinations) को शामिल किया गया है।

भारत की स्थिति

➡ भारत को इस सूचकांक में मॉरितानिया एवं साओ टोमे और प्रिंसिपे (Sao Tome and Principe) के साथ 86वां स्थान (स्कोर : 58) प्राप्त हुआ है।

➡ भारत के अतिरिक्त ब्रिक्स (BRICS) समूह के अन्य देशों की स्थिति इस प्रकार है : - ब्राजील (18वां स्थान), रूस (51वां स्थान), दक्षिण अफ्रीका (54वां स्थान) और चीन (74वां स्थान)।

➡ दक्षिण एशिया में स्थित भारत के पड़ोसी देश- भूटान 92वें (स्कोर : 52), श्रीलंका 99वें (स्कोर : 42), बांग्लादेश 101वें (स्कोर : 39), नेपाल 102वें (स्कोर : 38) और पाकिस्तान 106वें (स्कोर : 30) स्थान पर है।

रैंकिंग



➡ इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से तीन देश यथा- फिनलैंड, जर्मनी और दक्षिण कोरिया स्थित हैं। इन देशों का स्कोर 187 है।

➡ इसी क्रम में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से डेनमार्क, इटली और लक्जमबर्ग (स्कोर : 186) स्थित हैं।

➡ गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम पांच अन्य देशों (बेल्जियम, कनाडा, ग्रीस, आयरलैंड तथा नॉर्वे) के साथ 6वें स्थान (स्कोर : 183) पर हैं।

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, 2019 : अंतिम पांच देश

रैंक	देश	स्कोर
109	अफगानिस्तान	25
108	इराक	27
107	सीरिया	29
106	पाकिस्तान	30
105	सोमालिया	31

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ ध्यातव्य है कि किसी देश के नागरिक को किसी अन्य देश की यात्रा के लिए पहले से वीजा की आवश्यकता न होने पर 1 का स्कोर दिया जाता है, जबकि वीजा की जरूरत होने पर 0 (शून्य) स्कोर प्रदान किया जाता है।

➡ उल्लेखनीय है कि इस सूचकांक के लिए आंकड़े इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) से जुटाए गए हैं, जो हवाई यात्रा से संबंधित सबसे विश्वसनीय एवं सटीक डाटाबेस (Database) प्रस्तुत करता है।

सऊदी अरब : FATF की सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश

वर्तमान परिदृश्य

➡ 21 जून, 2019 को सऊदी अरब 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (FATF) की पूर्णकालिक सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बन गया है।

➡ गौरतलब है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विकसित देशों की अगुवाई में गठित एक अंतर-सरकारी संस्था है, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) और आतंकी फंडिंग (Terror Funding) पर लगाम लगाना है।

सऊदी अरब और एफएटीएफ



➡ ध्यातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरलैंडो, फ्लोरिडा में इस संस्था की 30वीं वार्षिक बैठक में सऊदी अरब को इसका 39वां सदस्य बनाया गया।

➡ इसके पहले नवंबर, 2004 से सऊदी अरब, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सहयोगी संस्था 'मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका' (MENA) का संस्थापक सदस्य रहा।

➡ वर्ष 2015 के आरंभ में सऊदी अरब को एफएटीएफ की ओर से बतौर पर्यवेक्षक सदस्य (Observer Member) के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।

➡ गौरतलब है कि एफएटीएफ का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (FATF's Guidelines) को लागू करना होता है।

➡ एफएटीएफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब ने संस्था के दिशा-निर्देशों के पालन में ठोस प्रगति की है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स

➡ वर्ष 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है।

➡ वर्तमान में इस संस्थ में 37 देशों और दो क्षेत्रीय संगठनों यथा- खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council) एवं यूरोपीय आयोग (European Commission) सहित कुल 39 पूर्णकालिक स्थायी सदस्य हैं।

➡ उल्लेखनीय है कि भारत सहित विश्व के सभी प्रभावशाली देश यथा-सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और अधिकांश जी-20 के देश इस संस्था के सदस्य हैं।

➡ एफएटीएफ की पूर्ण बैठक वर्ष में तीन बार होती है। इसकी कार्य पद्धति, एक निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में संपादित होती है।

➡ यह संस्था मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने में नाकाम देशों की दो लिस्ट – पहली ग्रे एवं दूसरी ब्लैक तैयार करती है।

➡ गौरतलब है कि ग्रे लिस्ट (Grey List) में शामिल देशों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक मदद मिलने में मुश्किल होती है, जबकि ब्लैक लिस्ट में आने वाले देशों की आर्थिक सहायता पूरी तरह बंद हो जाती है।

पाकिस्तान एवं FATF

➡ आतंकी वित्तपोषण एवं मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन नहीं करने और गैर-अनुपालन के कारण 23 अगस्त, 2019 को पाकिस्तान को FATF के एशिया-प्रशांत समूह की काली सूची (Black List) में डाल दिया गया।

➡ उल्लेखनीय है कि जून, 2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे-लिस्ट में शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो

भूमिका

➡ आंतरिक सुरक्षा प्रत्येक राष्ट्र की प्राथमिकता होती है। वर्तमान परिदृश्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, सामूहिक टकराव, साइबर अपराध जैसी अनेक समस्याएं राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बलों को अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों एवं नवीनतम तकनीकों की आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में 'अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो, 2019' का आयोजन किया गया।

वर्तमान परिदृश्य

➡ 19-20 जुलाई, 2019 के मध्य नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो, 2019 (International Police Expo, 2019) का आयोजन किया गया।

➡ यह अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का पांचवां संस्करण था। इसका आयोजन नेक्सजेन एक्जीबिशन (Nexgen Exhibitions) द्वारा किया गया।

थीम

➡ इस एक्सपो की थीम थी- 'शांति व सुरक्षा को मजबूत करने की चुनौतियां।'

संबंधित तथ्य

➡ अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो में भारत, सिंगापुर, इस्राइल, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, यू.के., यूएसए, मलेशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड सहित 25 से अधिक देशों की 100 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया।

➡ इन कंपनियों ने एक्सपो में अपने- अपने अत्याधुनिक आग्नेयास्त्रों, गोला-बारूद, ड्रोन, दंगा नियंत्रण उपकरणों, बख्तरबंद वाहनों जैसे अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों एवं बचाव तकनीकों का प्रदर्शन किया।



भाभा कवच

➡ अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो में आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने मिलकर देश की सबसे कम वजन की बुलेटप्रूफ जैकेट 'भाभा कवच' को लांच किया।

➡ इस जैकेट का वजन 9.2 किग्रा. है।

➡ यह अत्याधुनिक जैकेट एके -47, मिनी इंसास और एसएलआर से चली हुई गोलियों और 7.62 एमएम हार्ड स्टील कोर गोलियों का सामना करने में सक्षम है।

पुलिस एक्सपो

➡ उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो एक संवादात्मक मंच है, जहां विभिन्न राष्ट्रों के पुलिस प्रतिनिधियों ने पुलिसिंग व्यवस्था पर अपने विचार साझा किए।

➡ इस एक्सपो में निम्नलिखित बिंदुओं पर फोकस किया गया-

- पुलिस कल्याण।
- स्वास्थ्य और फिटनेस पर बल।
- बेहतर कानून अनुपालन के लिए प्रशिक्षण।
- समाज में जागरूकता पैदा करने के तरीके।
- समाज को सुरक्षा और संरक्षण।
- पुलिसिंग के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी और उपकरण।



कृषिगत उत्पादन, 2018-19 : चतुर्थ अग्रिम अनुमान

पृष्ठभूमि



➡ विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का भारत के पास लगभग 2.4 प्रतिशत हिस्सा ही आता है, जबकि उसे विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 17.5 प्रतिशत हिस्से को पोषण प्रदान करना होता है।

- ➲ भारतीय कृषि में बेहतर निष्पादन मानसून पर निर्भर करता है। यदि मानसूनी वर्षा सामान्य से कम हुई, तो कृषिगत उत्पादन में कमी देखी जाती है, जबकि मानसूनी वर्षा सामान्य अथवा अधिक होने पर कृषिगत उत्पादन में वृद्धि देखी जाती है।

➡ कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी मुख्य फसलों के उत्पादन के अग्रिम अनुमानों का मूल्यांकन राज्यों से प्राप्त प्रतिपुष्टियों (Feedback) तथा इसकी वैधता, अन्य स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित होती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 19 अगस्त, 2019 को वर्ष 2018-19 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के 'चौथे अग्रिम अनुमान' (4th Advance Estimates) जारी किए गए।

➡ सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए जारी किए गए चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल 284.95 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है।

कृषिगत उत्पादन के अग्रिम अनुमान

➡ वर्ष 2018-19 के लिए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 284.95 मिलियन टन अनुमानित है।

- ➲ यह विगत पांच वर्षों (2013-14 से 2017-18) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 19.20 मिलियन टन अधिक है।

➡ वर्ष 2018-19 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 116.42 मिलियन टन अनुमानित है।

- ➲ यह वर्ष 2017-18 के उत्पादन (112.76 मिलियन टन) की तुलना में 3.66 मिलियन टन अधिक है।
- ➲ साथ ही यह विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन 107.80 मिलियन टन की तुलना में भी 8.62 मिलियन टन अधिक है।

➡ वर्ष 2018-19 में गेहूं का उत्पादन 102.19 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त उत्पादन 99.87 मिलियन टन की तुलना में 2.32 मिलियन टन अधिक है।

मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन(मिलियन टन में)

फसल	वर्ष 2017-18 अंतिम अनुमान	लक्ष्य	वर्ष 2018-19 चतुर्थ अग्रिम अनुमान
चावल	112.76	114.0	116.42
गेहूं	99.87	102.20	102.19
ज्वार	4.80	4.90	3.76
बाजरा	9.21	9.50	8.61
मक्का	28.75	28.70	27.23
रागी	1.99	2.30	1.22
छोटे अनाज	0.44	0.60	0.37
जौ	1.78	2.10	1.75
मोटे अनाज	46.97	48.10	42.95
अरहर (तूर)	4.29	4.50	3.59
चना	11.38	11.50	10.13
उड़द	3.49	3.60	3.26
मूंग	2.02	2.25	2.35
मसूर	1.62	–	1.56
अन्य खरीफ दालें	0.83	1.00	0.61
अन्य रबी दालें	1.78	3.10	1.90
कुल दालें	25.42	25.95	23.40
कुल खाद्यान्न	285.01	290.25	284.95
मूंगफली	9.25	9.07	6.70
रैपसीड और सरसों	8.43	8.49	9.34
सोयाबीन	10.93	14.82	13.79
अन्य तिलहन	2.85	3.62	2.44
कुल नौ तिलहन	31.46	36.00	32.26
गन्ना	379.91	385.00	400.16
कपास#	328.05	355	287.08
जूट और मेस्ता##	100.33	112	97.68

लाख गांठें प्रत्येक 170 किग्रा., ## लाख गांठें प्रत्येक 180 किग्रा.

➡ वर्ष 2018-19 में गेहूं का अनुमानित उत्पादन विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन 94.61 मिलियन टन की तुलना में 7.58 मिलियन टन अधिक है।

➡ वर्ष 2018-19 में पौष्टिक/मोटे अनाजों (Nutri/Coarse Cereals) का उत्पादन 42.95 मिलियन टन अनुमानित है।

➡ वर्ष 2018-19 में दलहनों (Pulses) का कुल उत्पादन 23.40 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन (20.26 मिलियन टन) की तुलना में 3.14 मिलियन टन अधिक है।

➡ वर्ष 2018-19 के दौरान देश में तिलहनों (Oilseeds) का कुल उत्पादन 32.26 मिलियन टन अनुमानित है।

➲ यह वर्ष 2017-18 के उत्पादन (31.46 मिलियन टन) की तुलना में अधिक तो है ही साथ ही विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में भी 2.61 मिलियन टन अधिक है।

➡ वर्ष 2018-19 की अवधि में गन्ने का कुल उत्पादन 400.16 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2017-18 की तुलना में 20.25 मिलियन टन अधिक है।

➲ इसके अलावा यह विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन 349.78 मिलियन टन की तुलना में भी 50.38 मिलियन टन अधिक है।

➡ वर्ष 2018-19 के दौरान कपास का उत्पादन 28.71 मिलियन गांठें (प्रति 170 किग्रा.) अनुमानित है।

➡ वर्ष 2018-19 में पटसन एवं मेस्ता (Jute & Mesta) का उत्पादन 9.77 मिलियन गांठ (प्रति 180 किग्रा.) अनुमानित है।

बागवानी फसलें : तृतीय अग्रिम अनुमान, 2018-19

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ देश में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 29 अगस्त, 2019 को बागवानी फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संदर्भ में वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान तथा वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम अनुमान जारी किए गए।

➡ तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों तथा शहद के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है, जबकि सुगंधित और ओषधीय फसलों के उत्पादन में विगत वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई है।

बागान एवं बागवानी फसलें (Plantation and Horticulture Crops)

➡ कृषि मंत्रालय के अनुसार, 'बागान फसलों' (Plantation crops) के अंतर्गत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, 'बागान फसलों' के तहत चाय, कॉफी एवं रबर को रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी एवं रबर 'बागान फसलें' हैं।

➡ जबकि 'बागवानी' (Horticulture) के तहत 'फलों की कृषि' (Pomology), 'फूलों की कृषि' (Floriculture) तथा 'सब्जियों की कृषि' (Olericulture) की जाती है।

➡ वर्तमान में ओषधीय एवं सजावटी पौधे, मशरूम, बांस, मसाला, बागान फसलों आदि को भी बागवानी कृषि के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी बागान फसल बागवानी फसलें जरूर होंगी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी बागवानी फसलें भी बागान फसल होंगी।

बागवानी फसलों का अर्थव्यवस्था में योगदान

➡ भारत जैसे जलवायविक विविधता वाले देश में बागवानी कृषि का अत्यधिक महत्व है। राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ यह पोषण, रोजगार, गरीबी निवारण, औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय असंतुलन में कमी तथा पर्यावरणीय संतुलन आदि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

मुख्य विशेषताएं

तृतीय अग्रिम अनुमान

➡ वर्ष 2018-19 के तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में बागवानी फसलों का कुल अनुमानित उत्पादन 313.85 मिलियन टन है, जो वर्ष 2017-18 के उत्पादन (311.71 मिलियन टन) की तुलना में 0.69 प्रतिशत अधिक है।



➡ वर्ष 2018-19 में फलों का उत्पादन लगभग 98.57 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो विगत वर्ष के उत्पादन (97.36 मिलियन टन) की तुलना में 1.21 मिलियन टन अधिक है।

बागवानी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन
(क्षेत्रफल=हजार हेक्टेयर में, उत्पादन=हजार मि. टन में)

	2017-18 अंतिम		2018-19 (तृतीय अग्रिम अनुमान)	
बागवानी फसलें	**क्षेत्रफल**	**उत्पादन**	**क्षेत्रफल**	**उत्पादन**
सेब	301	2327	314	2503
केला	884	30808	898	31747
आम	2258	21822	2293	20798
कुल फल	**6506**	**97358**	**6648**	**98579**
प्याज	1285	23262	1263	23485
आलू	2142	51310	2161	53027
टमाटर	789	19759	778	19397
कुल सब्जियां	**10259**	**184394**	**10100**	**185883**
कुल फूल	**324**	**2785**	**313**	**2865**
कुल बागानी फसलें	**3744**	**18082**	**3880**	**16368**
इलायची	84	28	78	22
मिर्च (सूखी)	752	2149	721	1690
धनिया	532	710	468	567
हल्दी (सूखी)	238	1133	246	931
कुल मसाले	**3878**	**8124**	**3895**	**9216**
कुल बागवानी	**25431**	**311714**	**25492**	**313851**

➡ वर्ष 2018-19 में सब्जियों का उत्पादन लगभग 185.88 मिलियन टन होना अनुमानित है, जो वर्ष 2017-18 के उत्पादन (184.39 मिलियन टन) की तुलना में लगभग 0.81 प्रतिशत अधिक है।

➡ प्याज का उत्पादन लगभग 23.48 मिलियन टन अनुमानित है।

➲ यह वर्ष 2017-18 में प्राप्त उत्पादन की तुलना में 0.95 प्रतिशत अधिक है।

➡ आलू का उत्पादन लगभग 53.03 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत वर्ष के उत्पादन की तुलना में 3.4 प्रतिशत अधिक है।

➡ टमाटर का उत्पादन लगभग 19.39 मिलियन टन अनुमानित है। यह वर्ष 2017-18 के उत्पादन की तुलना में 1.8 प्रतिशत कम है।

➡ मसाले का उत्पादन वर्ष 2018-19 में लगभग 9.22 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो विगत वर्ष के उत्पादन (8.12 मिलियन टन) से अधिक है।

तृतीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 7 अगस्त, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 'मौद्रिक नीति समिति' (MPC) ने 'तृतीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20' (Third Bi-Monthly Monetary Policy Statement, 2019-20) जारी किया।

➡ समिति द्वारा जारी इस मौद्रिक नीति वक्तव्य में 'चलनिधि समायोजन सुविधा' (LAF) के तहत नीतिगत दरों में 35 आधार अंकों (Basis Points) की कमी करने का निर्णय लिया गया।

➡ अगस्त, 2017 से वर्तमान मौद्रिक नीति तक यह लगातार चौथा अवसर है, जब समिति ने नीतिगत दरों में कमी करने का निर्णय लिया है, जबकि इस अवधि के दौरान दो बार (जून एवं अगस्त, 2018 में) ब्याज दरों में वृद्धि की गई थी। शेष समय के नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय

➡ मौद्रिक नीति समिति द्वारा 'चलनिधि समायोजन सुविधा' के अंतर्गत 'रेपो दर' (Repo Rate) में तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंकों की कमी करते हुए इसे 5.40 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।

➲ ध्यातव्य है कि द्वितीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में 'रेपो दर' 5.75 प्रतिशत निर्धारित थी।

➡ रेपो दर में परिवर्तन (कमी) करने के परिणामस्वरूप 'रिवर्स रेपो दर' (Re-Repo Rate) भी पूर्व के स्तर (5.50%) से परिवर्तित (कमी) होकर 5.15 प्रतिशत पर समायोजित हो गई।

➡ 'सीमांत स्थायी सुविधा दर' (MSF) तथा बैंक दर भी 35 आधार अंकों की कमी के साथ पूर्व के स्तर (6%) से परिवर्तित (कमी) होकर प्रत्येक 5.65 प्रतिशत पर समायोजित हो गए।

➡ नकद आरक्षित अनुपात (CRR) तथा एस.एल.आर. (SLR) को पूर्व के स्तर क्रमशः 4 प्रतिशत एवं 18.75 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा गया है।

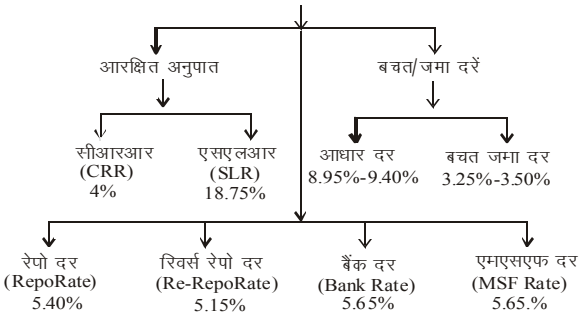
संभावनाएं

➡ जून, 2019 की दूसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति में संतुलित जोखिम के साथ वर्ष 2019-20 की पहली छमाही हेतु सीपीआई मुद्रास्फीति 3-3.1 प्रतिशत तथा दूसरी छमाही हेतु 3.4-3.7 प्रतिशत अनुमानित थी, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक हेडलाइन मुद्रास्फीति परिणाम 3.1 प्रतिशत रहा।



➡ वर्तमान नीतिगत दरों में कटौती के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संतुलित जोखिम के साथ वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए 3.1 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए 3.5-3.7 प्रतिशत सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया गया है।

मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नीतिगत दरें



➡ वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 3.6 प्रतिशत अनुमानित है।

➡ मौद्रिक नीति समिति द्वारा जून, 2019 की मौद्रिक नीति में वर्ष 2019-20 के लिए संतुलित जोखिम के साथ वर्ष 2019-20 की पहली तथा दूसरी छमाही के लिए क्रमशः 6.4-6.7 तथा 7.2-7.5 प्रतिशत की सीमा में 7 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमानित की गई थी।

➡ जबकि वर्तमान मौद्रिक नीति में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को संशोधित करते हुए 6.9 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। साथ ही वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 7.4 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

➡ भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का नरम रुख (Accomodative) बरकरार रखा है, जिससे यह संभावना बनती है कि आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर और कटौती हो सकती है।

कृषि अर्थव्यवस्था सुधार : मुख्यमंत्रियों की समिति

पृष्ठभूमि

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत सरकार कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनुसंधान, विकास एवं क्रियान्वयन के लिए प्रयत्नशील है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्रियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High Powered



Committee) का गठन किया गया।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 1 जुलाई, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि एवं किसानों की उन्नति के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

➡ समिति के संयोजक (Convenor) के रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नियुक्त किया गया है।

➲ इसके अतिरिक्त इस समिति में सात सदस्यों के साथ एक सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया है।

➡ 'भारतीय कृषि में सुधार' हेतु मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति नीति आयोग से संबंधित होगी।

समिति की संरचना

(1)	देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र	- संयोजक
(2)	कनार्टक के मुख्यमंत्री	- सदस्य
(3)	मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री, हरियाणा	- सदस्य
(4)	पेमा खाण्डू, मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश	- सदस्य
(5)	विजय रूपाणी, मुख्यमंत्री, गुजरात	- सदस्य
(6)	योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	- सदस्य
(7)	कमलनाथ, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश	- सदस्य
(8)	नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि, ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री	- सदस्य
(8)	श्री रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग	- सदस्य सचिव

समिति के कार्य

➡ कृषि में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करना तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा समयबद्ध कार्यान्वयन के तरीके के बारे में सुझाव देना।

➡ अनिवार्य वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के विभिन्न प्रावधानों का पता लगाना जब अनिवार्य वस्तु अधिनियम की आवश्यकता हो।

➡ कृषि विपणन एवं बुनियादी ढांचे में निजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अनिवार्य वस्तु अधिनियम में बदलाव के लिए सुझाव देना।

➡ ई-नाम, ग्राम और अन्य संबंधित केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के साथ बाजार सुधारों को जोड़ने के लिए उपाय सुझाना।

➡ कृषि निर्यात बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण के विकास में तेजी लाने, आधुनिक विपणन सुविधा के लिए निवेश आकर्षित करने और मूल्य श्रृंखलाओं तथा साजोसामान हेतु नीतिगत उपाय सुझाना।

➡ वैश्विक मानदंडों के अनुसार, कृषि प्रौद्योगिकी विकसित करने और किसानों को उन्नत बीज, पौधे के लिए पोषण सामग्री तथा कृषि के क्षेत्र खेती की मशीनें उपलब्ध कराने के बारे में सुझाव देना।

➡ कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किसी अन्य सुधारों के बारे में बताना।

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, वर्ष 2019-20

पृष्ठभूमि

➡ वर्ष 2019-20 सत्र के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price-MSP) में वृद्धि अखिल भारतीय भारांकित औसत उत्पादन लागत (All India weighted average Cost of Production) के कम-से-कम 1.5 गुना स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018-19 के बजट में की गई थी।

➲ किसानों को लाभ का कम-से-कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने तथा किसानों के कल्याण में ठोस सुधार करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है।

➡ न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था किसानों को उनके उत्पाद के लिए मूल्य गारंटी का प्रावधान करती है। इसे पूरे देश में लागू किया गया है, क्योंकि लगभग 86 प्रतिशत किसान छोटे और मझौले श्रेणी (कृषि गणना 2015-16) के हैं। यह प्रणाली समानता सुनिश्चित करती है, साथ ही बाजार में मूल्य को स्थिर रखने में मदद करते हुए उपभोक्ताओं की सेवा भी करती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ किसानों की आमदनी को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3 जुलाई, 2019 को वर्ष 2019-20 हेतु सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की।



➡ धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 65 रुपये प्रति क्विंटल तक, ज्वार का 120 रुपये प्रति क्विंटल तक, रागी का 253 रुपये प्रति क्विंटल तक, मूंगफली तथा सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमशः 200 रुपये एवं 311 रुपये प्रति क्विंटल तक वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई।

➡ सरकार के इस कदम से जहां निवेश में वृद्धि होगी, वहीं किसानों को निश्चित लाभ प्राप्त होने के माध्यम से उत्पादन में बढ़ोत्तरी भी होगी।

विवरण

➡ वर्ष 2018-19 के खरीफ मौसम में सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार बढ़ाया गया है -

➡ सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए खरीफ फसल के तौर पर सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 311 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजमुखी में 262 रुपये प्रति क्विंटल और तिल में 236 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

➡ सरकार ने तूर दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 125 रुपये और उड़द दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है।

➲ इससे दालों की आवश्यकता के तहत देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की पोषण सुरक्षा और प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

➡ सरकार ने ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 120 रुपये प्रति क्विंटल और रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 253 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है।

- ➲ यह कदम देश में पोषणयुक्त अनाज के उत्पादन और उपभोग की जरूरतों के तहत उठाया गया है।
- ➲ अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय ज्वार दिवस के रूप में मनाए जाने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करने तथा भारत द्वारा वर्ष 2018 को राष्ट्रीय ज्वार दिवस के रूप में मनाए जाने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय काफी अहम माना जा रहा है।

➡ मध्यम और लंबे रेशे वाले कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमश: 105 रुपये प्रति क्विंटल और 100 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

➡ न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों को बाजरा, उड़द और तूर के उत्पादन लागत की तुलना में क्रमश: 85 प्रतिशत, 64 प्रतिशत और 60 प्रतिशत का सर्वाधिक प्रतिफल (Return) प्राप्त होगा।

कार्यान्वयन

➡ पोषणयुक्त अनाज सहित अनाजों के मामले में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य की अन्य निर्दिष्ट एजेंसियां किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान करना जारी रखेंगी।

➡ नाफेड, एसएफएसी और अन्य निर्दिष्ट केंद्रीय एजेंसियां दालों और तिलहनों की खरीद का कार्य जारी रखेंगी।

➡ सीसीआई (CCI) कपास के लिए समर्थन मूल्य संबंधी संचालनों का कार्य हाथ में लेने के लिए प्रमुख केंद्रीय एजेंसी होगी।

- ➲ कपास की खरीद के लिए सीसीआई के प्रयासों में नाफेड अतिरिक्त प्रयास करेगा।

➡ यदि एजेंसियों को किसी तरह का नुकसान होता है, तो शीर्ष एजेंसियों द्वारा किए गए खर्च की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

➡ किसानों को आय सुरक्षा देने की नीति पर पर्याप्त बल देने के आशय से सरकार ने उत्पादन केंद्रित दृष्टिकोण से अपना ध्यान हटाकर आय पर केंद्रित कर दिया है।

➡ प्रधानमंत्री किसान सम्मान (पीएम-किसान) की कवरेज सभी किसानों तक बढ़ाने के लिए 31 मई, 2019 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक अन्य प्रमुख कदम उठाया गया है।

➡ पीएम किसान योजना की घोषणा वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में की गई थी।

- ➲ इसमें छोटे और सीमांत भूमि धारक किसान परिवारों को, जिनके पास पूरे देश में दो हेक्टेयर खेती योग्य जमीन है, उन्हें छह हजार रुपये प्रतिवर्ष की गारंटी दी गई थी।

➡ सरकार द्वारा वर्ष 2018 में घोषित नई अंब्रेला योजना [प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)] किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

- ➲ इस अंब्रेला योजना में पायलट आधार पर तीन उप-योजनाएं यानी मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीददारी एवं स्टोकिस्ट योजना (पीपीएसएस) शामिल हैं।

वर्ष 2019-20 सीजन की सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये में)

फसल	एमएसपी 2018-19	एमएसपी 2019-20	उत्पादन लागत* 2019-20 (रुपये प्रति क्विंटल)	एमएसपी में वृद्धि	लागत पर रिटर्न (प्रतिशत में)
धान (सामान्य)	1750	1815	1208	65	50
धान (किस्म ए)	1770	1835	—	65	—
ज्वार (संकर)	2430	2550	1698	120	50
ज्वार (मलडांडी)	2450	2570	—	120	—
बाजरा	1950	2000	1083	50	85
रागी	2897	3150	2100	253	50
मक्का	1700	1760	1171	60	50
तूर (अरहर)	5675	5800	3636	125	60
मूंग	6975	7050	4699	75	50
उड़द	5600	5700	3477	100	64
मूंगफली	4890	5090	3394	200	50
सूरजमुखी बीज	5388	5650	3767	262	50
सोयाबीन (पीला)	3399	3710	2473	311	50
तिल	6249	6485	4322	236	50
नाइजर बीज	5877	5940	3960	63	50
कपास (मध्यम रेशा)	5150	5255	3501	105	50
कपास (लंबा रेशा)	5450	5550	—	100	—

* वर्ष 2019-20 के लिए जारी किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में सभी चुकता लागत जैसे कि अनुबंधित मानव श्रम, बैल/मशीन श्रम पर किया गया खर्च, पट्टे पर दी गई भूमि पर अदा किया गया किराया, सामग्री संबंधी कच्चे माल जैसे कि बीज, उर्वरकों, खाद के उपयोग पर किया गया खर्च, सिंचाई प्रभार, उपकरणों एवं कृषि भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेटों के परिचालन के लिए डीजल/बिजली इत्यादि विविध खर्च और पारिवारिक श्रम का आकलित मूल्य आदि शामिल है।

उत्कर्ष, 2022

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 23 जुलाई, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 'उत्कर्ष, 2022' (Utkarsh, 2022) का शुभारंभ किया।

- ➲ उत्कर्ष, 2022 भारतीय रिजर्व बैंक के जनादेशों के निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा नागरिकों एवं अन्य संस्थानों के विश्वास को मजबूत करने हेतु 'भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि नीतिगत रूपरेखा' (Reserve Bank of India's Medium Term Strategy Framework) है।

ध्येय (Mission)

➡ उत्कर्ष, 2022 के निम्नलिखित ध्येय हैं-

- ➲ मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता
- ➲ वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक एवं न्यायोचित पहुंच, तथा
- ➲ एक सुदृढ़, गतिशील तथा संवेदी वित्तीय मध्यस्थता ढांचे के माध्यम से भारत के लोगों के आर्थिक और वित्तीय कल्याण को बढ़ावा देना।

मूल उद्देश्य

➡ उत्कर्ष, 2022 का उद्देश्य धारणीय आर्थिक संवृद्धि के लिए अनुकूल मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना तथा एक प्रभावी एवं समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना है।

➡ उत्कर्ष, 2022 के मूल उद्देश्य राष्ट्र के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो निम्न हैं-



1. रुपये के आंतरिक एवं बाह्य मूल्य में विश्वास को बढ़ावा देना एवं समष्टि-आर्थिक स्थिरता में योगदान देना।
2. वित्तीय प्रणाली में स्थिरता एवं उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बाजारों एवं संस्थाओं को विनियमित करना।
3. वित्तीय एवं भुगतान प्रणाली की सत्यनिष्ठा, कार्यक्षमता, समावेशन एवं प्रतिस्पर्धात्मक गुणों को प्रोत्साहित करना।
4. सरकार तथा बैंकों हेतु बैंकिंग सेवाओं तथा मुद्रा का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना।
5. राष्ट्र के संतुलित, निष्पक्ष एवं धारणीय आर्थिक विकास का समर्थन करना।

निष्कर्ष

➡ विश्वभर के सभी केंद्रीय बैंक अपने विनियामक एवं पर्यवेक्षी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु प्रयासरत हैं तथा इस हेत वे दीर्घावधिक एवं मध्यावधिक योजना का निर्माण कर रहें हैं। भारत के केंद्रीय बैंक RBI ने भी अपने विनियमन एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों में सुधार करने के लिए 'उत्कर्ष 2022' नामक एक तीन वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया है।

राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 7 जून, 2019 को भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक पेश किया गया।

- ➲ इस सूचकांक के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत बजट की गुणवत्ता का आकलन किया गया है।

➡ यह सूचकांक सीआईआई (CII) द्वारा विकसित किया गया एक अभिनव साधन है, जिसमें केंद्र और राज्य स्तर पर बजट की गुणवत्ता के आकलन के लिए कई घटकों का प्रयोग किया गया है।

- ➲ इन घटकों में पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता, राजस्व व्यय की गुणवत्ता, राजकोषीय समझदारी, राजस्व गुणवत्ता और कर्ज सूचकांक शामिल है।

➡ सी.आई.आई. (CII) के अनुसार, इस रिपोर्ट में राजकोषीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय स्थितियों के ऐसे व्यापक क्रम को समाहित किया गया है, जो सरकार के सामाजिक और पूंजीगत व्यय को लक्षित करने में मदद कर सकता है। साथ ही यह आर्थिक विकास के लिए रणनीति तैयार करने में भी योगदान देगा।

➡ रिपोर्ट के अनुसार जहां बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च को आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद माना जा सकता है। वहीं एक ही समय में आय के स्रोतों की तुलना में कर राजस्व सरकार के लिए राजस्व के स्थायी स्रोत हैं।

पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता



➡ पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का आकलन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में (रक्षा को छोड़कर) पूंजी व्यय की हिस्सेदारी से किया गया है।

राजस्व व्यय की गुणवत्ता

➡ राजस्व व्यय की गुणवत्ता का आकलन सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन और रक्षा मद में भुगतान की तुलना में राजस्व व्यय की हिस्सेदारी से किया गया है।

राजकोषीय समझदारी-I

➡ इसके स्तर का आकलन जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटा के स्तर से किया गया है।

राजकोषीय समझदारी-II

➡ इसके स्तर का आकलन जीडीपी के अनुपात में राजस्व घाटा के स्तर से किया गया है।

राजस्व गुणवत्ता का आकलन जीडीपी के अनुपात में शुद्ध कर राजस्व (राज्यों के मामलों में स्वयं कर राजस्व) के आधार पर किया गया है। **कर्ज सूचकांक** का आकलन जीडीपी के अनुपात में ऋण और गारंटी में परिवर्तन के आधार पर किया गया है।

➡ सूचकांक को तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की मानव विकास सूचकांक प्रक्रिया को आधार बनाया गया है।

सूचकांक के प्रमुख बिंदु

➡ भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2004-05 से वर्ष 2017-18 (राज्यों के लिए 2016-17) की अवधि के लिए राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक तैयार किया है।

➡ सूचकांक में गैर-विशेष श्रेणी में आने वाले 18 राज्यों को शामिल किया गया है।

केंद्रीय स्थिति

➡ वर्ष 2007-08 में केंद्र में राजकोषीय समेकन उच्चतम था, जबकि इस दृष्टि से वर्ष 2009-10 सबसे खराब वित्तीय वर्ष रहा।

➡ वर्ष 2010-11 में वित्तीय घाटे में सुधार के बावजूद वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक (FPI) की स्थिति अच्छी नहीं रही।

- ➲ यह स्थिति मुख्य रूप से कर राजस्व और व्यय गुणवत्ता सूचकांकों (राजस्व और पूंजी दोनों) के खराब प्रदर्शन के कारण थी।

➡ वर्ष 2015-16 से सूचकांक में सुधार होने के बाद यह वर्ष 2016-17 में उच्च स्तर पर पहुंच गया। लेकिन वर्ष 2017-18 में पुनः प्रदर्शन में गिरावट आ गई।

- ➲ यह गिरावट वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा सूचकांक में सुधार होने के बावजूद पूंजीगत व्यय में तेज बदलाव के कारण रही।

राज्यों की स्थिति

➡ व्यय की गुणवत्ता और राजस्व गुण में आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों की स्थिति कमजोर रही, जैसे- महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और उच्च आय वर्ग में आते हैं।

- ➲ ये राज्य समग्र राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक में आवश्यकता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए।

➡ कम आय वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश ने व्यय गुणवत्ता में सुधार किया और पिछले कुछ वर्षों में राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक में निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया।

- ➲ जबकि राजकोषीय घाटा सूचकांक में इन राज्यों का प्रदर्शन औसत से कम रहा।

मार्चांत, 2019 : भारत का विदेशी ऋण

पृष्ठभूमि

➡ भारत में विदेशी ऋण के आंकड़े त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। मानक प्रथा के अनुसार, कैलेंडर वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों (जनवरी-मार्च तथा अप्रैल-जून) के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा, जबकि अंतिम दो तिमाहियों (जुलाई-सितंबर तथा अक्टूबर-दिसंबर) के आंकड़े वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 28 जून, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत के विदेशी ऋण/बाह्य ऋण (External Debt) के तिमाही आंकड़े जारी किए गए।

➡ जारी किए गए तिमाही आंकड़ों के अनुसार, मार्चांत, 2019 में भारत का विदेशी ऋण 543 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

विदेशी ऋण की स्थिति

➡ मार्चांत, 2019 में भारत के विदेशी ऋण की तुलना अगर मार्चांत, 2018 से की जाए, तो यह मार्चांत, 2018 की तुलना में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है, जिसका मुख्य कारण वाणिज्यिक उधार (Commercial Borrowing), लघुकालिक ऋण (Short Term Debts) तथा अनिवासी भारतीयों (NRIs) की जमाराशियों में वृद्धि है।

➡ बाह्य ऋण की मात्रा में वृद्धि मुख्य रूप से भारतीय रुपया और प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर में मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले मूल्य निर्धारण लाभ के कारण हुई है।

➡ सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात मार्चांत, 2019 में 19.7 प्रतिशत रहा, जो मार्चांत, 2018 के 20.1 प्रतिशत के स्तर से थोड़ा ही कम है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ मार्चांत, 2019 में भारत का विदेशी ऋण 543 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो मार्चांत, 2018 की तुलना में 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2.6%) अधिक है।



➡ भारतीय रुपया और प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मूल्य वृद्धि के कारण मूल्य निर्धारण लाभ 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

- ➲ अतः यदि मूल्य निर्धारण प्रभाव को छोड़ दिया जाए, तो मार्चांत, 2019 में विदेशी ऋण में वृद्धि मार्चांत, 2018 की तुलना में 13.7 बिलियन डॉलर न होकर बल्कि 30.4 बिलियन डॉलर होगी।

➡ वाणिज्यिक उधार विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा, जिसकी हिस्सेदारी 38 प्रतिशत है।

- ➲ इसके बाद अनिवासी भारतीयों की जमाएं 24 प्रतिशत तथा अल्पावधिक व्यापार क्रेडिट 18.9 प्रतिशत रहा।

➡ मार्चांत, 2019 में दीर्घावधिक ऋण (एक वर्ष से ऊपर की मूल परिपक्वता के साथ) 434.6 बिलियन डॉलर रहा, जो मार्चांत, 2018 की तुलना में 7.5 बिलियन डॉलर अधिक है।

➡ कुल विदेशी ऋण में दीर्घावधिक ऋण (मूल परिपक्वता) की हिस्सेदारी मार्चांत, 2019 में 80 प्रतिशत थी, जो मार्चांत, 2018 के स्तर 80.7 प्रतिशत से कम है।

➡ विदेशी ऋण में लघुकालिक ऋण (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ) की हिस्सेदारी मार्चांत, 2018 के 19.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्चांत, 2019 में 20 प्रतिशत हो गई।

➡ विदेशी मुद्रा भंडारों की तुलना में अल्पावधिक ऋण (मूल परिपक्वता) का अनुपात मार्चांत, 2019 में बढ़कर 26.3 प्रतिशत हो गया, जबकि मार्चांत, 2018 में यह 24.1 प्रतिशत था।

➡ अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अल्पावधिक ऋण (अर्थात ऐसी ऋण देयताएं जिसमें मूल परिपक्वता के साथ दीर्घावधिक ऋण जो एक वर्ष के लिए देय है, मूल परिपक्वता वाला अल्पावधिक ऋण शामिल है) की मार्चांत, 2019 में कुल विदेशी ऋण तथा विदेशी मुद्रा भंडार में हिस्सेदारी

क्रमश: 43.4 प्रतिशत तथा 57 प्रतिशत रही, जबकि मार्चांत, 2018 में यह क्रमश: 42 प्रतिशत तथा 52.3 प्रतिशत रही।

➡ मार्चांत, 2019 में भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी (50.5%), अमेरिकी डॉलर की रही। उसके बाद क्रमश: भारतीय रुपया (35.7%), येन (5%), एस.डी.आर. (4.9%) तथा यूरो (3%) रहे।

➡ ऋण सेवा भुगतान मार्चांत, 2018 के 7.5 प्रतिशत की तुलना में मार्चांत, 2019 में घटकर चालू प्राप्तियों का 6.4 प्रतिशत हो गया, जो बाह्य वाणिज्यिक उधारों की कम अदायगी को दर्शाता है।

भारत के विदेशी ऋण की संरचना

घटक	(बिलियन डॉलर में)			प्रतिशत परिवर्तन		
	मार्चांत, 2017 (संशोधित)	मार्चांत, 2018 अंशत: संशोधित	मार्चांत, 2019 (अनंतिम)	मार्च, 2017-2018 तक में	मार्च, 2018-2019 तक में	कुल ऋण में हिस्सेदारी (% में)
1. बहुपक्षीय ऋण	54.5	57.2	57.4	5.0	0.3	10.57
2. द्विपक्षीय ऋण	23.2	25.4	25.7	9.3	1.2	4.73
3. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	5.4	5.8	5.5	6.9	- 4.5	1.01
4. व्यापार ऋण	9.6	9.5	7.9	-1.5	-16.2	1.45
5. वाणिज्यिक उधार	172.0	201.8	206.4	17.3	2.3	38.01
6. एनआरआई जमाराशियां	116.9	126.2	130.4	8.0	3.4	24.01
7. रुपया ऋण	1.2	1.2	1.2	-1.2	–4.5	0.22
A. दीर्घावधिक ऋण @ (मूल परिपक्वता)	382.9	427.1	434.6	11.6	1.7	80.04
B. अल्पावधिक ऋण # (मूल परिपक्वता)	88.1	102.2	108.4	15.9	6.1	19.96
कुल ऋण	**471.0**	**529.3**	**543.0**	**12.4**	**2.6**	**100.00**

@ : (एक वर्ष से ऊपर की मूल परिपक्वता के साथ ऋण)

: (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ ऋण)

राष्ट्रीय आय : अनंतिम अनुमान, 2018-19

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (NSO) द्वारा 31 मई, 2019 को जारी किए गए।

➡ राष्ट्रीय आय के अनुमान 'सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय', भारत सरकार के 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (NSO) द्वारा स्थिर कीमतों (2011-12) एवं चालू कीमतों पर जारी किए जाते हैं।

➡ क्ति वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर कीमतों (2011-12) पर राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों (Provisional Estimates : P.E.) के अनुसार, क्ति वर्ष 2018-19 में जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

➲ जबकि फरवरी, 2019 में जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों में यह 7.2 प्रतिशत थी।

अनंतिम अनुमान, 2018-19 (संबंधित तथ्य)

➡ वर्ष 2018-19 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, स्थिर कीमतों (2011-12) पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 140.78 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2017-18 के प्रथम संशोधित अनुमानों (131.80 लाख करोड़ रुपये) की तुलना में 6.8 प्रतिशत अधिक है।

➡ वर्ष 2018-19 में चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2017-18 के प्रथम संशोधित अनुमानों (170.95 लाख करोड़ रुपये) की तुलना में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 190.10 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर अनुमानित है।



➡ वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों (2011-12) पर वास्तविक सकल मूल्यवर्धन (Real GVA) वर्ष 2017-18 के प्रथम संशोधित अनुमानों (121.04 लाख करोड़ रुपये) की तुलना में 6.6 प्रतिशत वृद्धि के साथ 129.07 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।

➡ वर्ष 2018-19 में सकल राष्ट्रीय आय (GNI) स्थिर कीमतों (2011-12) पर 139.32 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि वर्ष 2017-18 में यह 130.34 लाख करोड़ रुपये अनुमानित थी।

➡ चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय वर्ष 2018-19 में 188.17 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। यह वर्ष 2017-18 के 169.10 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 11.3 प्रतिशत अधिक है।

➡ वर्ष 2018-19 में स्थिर (2011-12) एवं चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमश: 92565 रुपये एवं 126406 रुपये अनुमानित है। जबकि वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011-12) एवं चालू कीमतों पर क्रमश: 87623 रुपये एवं 114958 रुपये थी।

राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान, 2018-19 (लाख करोड़ रुपये में)						
मद	स्थिर कीमतों (2011-12) पर			चालू कीमतों पर		
	2017-18	2018-19 (P.E.)	गत वर्ष की तुलना में % परिवर्तन	2017-18	2018-19 (P.E.)	गत वर्ष की तुलना में % परिवर्तन
सकल घरेलू उत्पाद (GDP)	131.80	140.78	6.8	170.95	190.10	11.2
शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP)	116.77	124.75	6.8	153.13	170.31	11.2
सकल मूल्यवर्धन (GVA)	121.04	129.07	6.6	154.83	172.00	11.1
सकल राष्ट्रीय आय (GNI)	130.34	139.32	6.9	169.10	188.17	11.3
शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI)	115.31	123.30	6.9	151.28	168.37	11.3
प्रति व्यक्ति आय (रुपये में)	87623	92565	5.6	114958	126406	10.0

P.E. = Provisional Estimate (अनंतिम अनुमान)

सकल मूल्यवर्धन (GVA) में क्षेत्रवार वृद्धि (प्रतिशत में)					
	क्षेत्र	स्थिर कीमतों (2011-12) पर		चालू कीमतों पर	
		2017-18	2018-19 (P.E.)	2017-18	2018-19 (P.E.)
1	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यिकी	5.0	2.9	7.0	4.0
2	खनन एवं उत्खनन	5.1	1.3	9.1	16.8
3	विनिर्माण	5.9	6.9	8.9	10.9
4	बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य सेवाएं	8.6	7.0	19.7	13.4
5	निर्माण	5.6	8.7	12.1	13.4
6	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं	7.8	6.9	11.2	11.6
7	वित्त, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं	6.2	7.4	11.7	12.7
8	लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	11.9	8.6	16.4	14.3
	सकल मूल्यवर्धन (GVA)	6.9	6.6	11.1	11.1

P.E. = Provisional Estimate (अनंतिम अनुमान)

सी.एस.ओ. तथा एन.एस.एस.ओ. का विलय

- 23 मई, 2019 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार मंत्रालय ने 'केंद्रीय सांख्यिकी संगठन' (CSO) तथा 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन' (NSSO) का 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (NSO) में विलय करने का निर्णय लिया।
- मंत्रालय द्वारा यह निर्णय 'भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली' के संबंध में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के काम-काज को सुव्यवस्थित और मजबूत करने तथा मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत करके अधिक तालमेल बैठाने हेतु लिया गया।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के आंतरिक पुनर्गठन (CSO एवं NSSO का विलय) का उद्देश्य इसकी स्वायत्तता बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करना है।
- वर्ष 2005 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अन्य बातों के अलावा एक राष्ट्रीय सांख्यिकीविद की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन करने की सिफारिश की थी, जिसे अधिकारिक आंकड़े पेश करने के लिए समुचित स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जैसा कि अन्य देशों में प्रचलित है।
- सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते समय मई, 2005 में तत्कालीन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का विलय कर भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की अध्यक्षता में एनएसओ का गठन करने की मंजूरी दी थी।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण : वार्षिक रिपोर्ट

पृष्ठभूमि

➡ रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार एवं बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों को सुलझाना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता होती है। देश में विभिन्न स्वरूपों में रोजगार संबंधी आंकड़ों (Datas) को एकत्र करने एवं उनका प्रचार-प्रसार करने में जो प्रमुख एजेंसियां संलग्न हैं, उनमें प्रमुख रूप से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो तथा गृह मंत्रालय में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत सरकार शामिल हैं।

➡ रोजगार एवं बेरोजगारी की गणना परिवारों के बीच किए जाने वाले व्यापक सर्वेक्षण के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर श्रम बाजार आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत भी है।

➡ इस तरह का पहला सर्वेक्षण वर्ष 1955 में 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' (NSS) के नवें दौर में किया गया था।

➡ प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर किया जाने वाला यह सर्वेक्षण वर्ष 1972-73 के 27वें दौर में शुरू किया गया था, जो एम.एल. दांतवाला समिति की रिपोर्ट पर आधारित था।

➡ एनएसएसओ (NSSO) द्वारा अभी तक इस प्रकार के कुल नौ व्यापक सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, जिसमें अंतिम सर्वेक्षण एनएसएस (NSS) के 68वें दौर (जुलाई, 2011-जून, 2012) में किया गया था।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 31 मई, 2019 को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा जुलाई, 2017-जून, 2018 के दौरान किए गए 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (Periodic Labour Force Survey : PLFS) पर आधारित पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई।

➡ इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर रोजगार तथा बेरोजगारी के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आकलन प्रस्तुत किए गए हैं।

➡ इस वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक बेरोजगारी दर नगालैंड (21.4%) में, तो सबसे कम दादरा एवं नगर हवेली (0.4%) में है।

➡ जहां उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.4 प्रतिशत है, वहीं बिहार तथा मध्य प्रदेश में क्रमशः 7.2 प्रतिशत तथा 4.5 प्रतिशत है।

➡ यह सर्वेक्षण प्रथम चरण की 12773 इकाइयों (7014 ग्रामों +5759 नगरीय खंडों) में विस्तारित था, जिसमें 102113 परिवारों को शामिल किया गया।

➡ इस रिपोर्ट में श्रम बल संकेतक का प्राक्कलन सर्वेक्षण में अपनाए गई वर्तमान साप्ताहिक स्थिति एवं सामान्य स्थिति (PS + SS) पर आधारित है।

➡ सामान्य स्थिति हेतु संदर्भ अवधि 1 वर्ष तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति हेतु 1 सप्ताह है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

➡ अपेक्षाकृत अधिक निरंतर अंतराल पर श्रम बल के आंकड़ों की उपलब्धता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' (MOSPI), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' का शुभारंभ किया गया था।

➡ इस सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में श्रम बाजार के विभिन्न सांख्यिकीय संकेतकों के तिमाही परिवर्तनों को मापने के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में श्रम बल संबंधी विभिन्न संकेतकों के वार्षिक अनुमानों को सृजित करना था।



परिणाम

➡ भारत में औसत परिवार आकार लगभग 4.2 प्रतिशत था। यह लगभग 4.3 प्रतिशत ग्रामीण भारत में और लगभग 3.9 प्रतिशत नगरीय भारत में था।

➡ वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 52.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के आय का प्रमुख स्रोत स्व-नियोजन था, जबकि **NSS** के **68वें दौर** के सर्वेक्षण में 49.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के आय का प्रमुख स्रोत स्व-नियोजन था।

➡ **PLFS (2017-18)** के दौरान 25 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के आय का प्रमुख स्रोत आकस्मिक मजदूरी (Casual Labour) था और 12.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत नियमित मजदूरी/वेतन था।

➡ **NSS** के **68वें दौर** (2011-12) के अनुसार, 34.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत आकस्मिक मजदूरी था और 9.6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत नियमित मजदूरी/वेतन था।

➡ **PLFS (2017-18)** के दौरान लगभग 32.4 प्रतिशत नगरीय परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत स्व-नियोजन था, जबकि **NSS** के **68वें दौर** में यह आंकड़ा 35.3 प्रतिशत था।

➡ NSS के 68वें दौर एवं PLFS (2017-18) दोनों में ही 11.8 प्रतिशत शहरी परिवारों के आय का प्रमुख स्रोत आकस्मिक मजदूरी था, जबकि नियमित मजदूरी/वेतन प्राप्त करने वाले परिवारों की प्रतिशतता आवधिक सर्वेक्षण (2017-18) के लिए 41.4 प्रतिशत एवं NSS के 68वें दौर के लिए 41.7 प्रतिशत थी।

➡ आवधिक सर्वेक्षण (2017-18) के नतीजे दर्शाते हैं कि लगभग 54.9 प्रतिशत ग्रामीण पुरुष, 18.2 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं, 57 प्रतिशत नगरीय पुरुष और 15.9 प्रतिशत नगरीय महिलाएं सामान्य स्थिति (PS+SS) में श्रम बल में थे।

➡ जबकि NSS 68वें दौर के सर्वेक्षणों (2011-12) में 55.3 प्रतिशत ग्रामीण पुरुष, 25.3 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं, 56.3 प्रतिशत नगरीय पुरुष और 15.5 प्रतिशत नगरीय महिलाएं सामान्य स्थिति (PS+SS) में श्रम बल में थे।

➡ इस रिपोर्ट में बेरोजगारी दर के आंकड़े भी जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत है।

➡ सामान्य स्थिति (PS + SS) में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष एवं महिला बेरोजगारी दर क्रमशः 5.8 प्रतिशत एवं 3.8 प्रतिशत थी, जबकि नगरीय क्षेत्रों में यही दर क्रमशः 7.1 प्रतिशत एवं 10.8 प्रतिशत थी।

➡ भारतीय राज्यों में शीर्ष बेरोजगारी दर वाले 5 राज्य/केंद्रशासित क्रमशः नगालैंड (21.4%), लक्षद्वीप (21.3%), अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (15.8%), गोवा (13.9%) तथा मणिपुर (11.6%) हैं।

➡ भारतीय राज्यों में न्यूनतम बेरोजगारी दर वाले 5 राज्य/केंद्रशासित क्रमशः दादरा और नगर हवेली (0.4%), मेघालय (1.5%), दमन और दीव (3.1%), छत्तीसगढ़ (3.3%) तथा सिक्किम (3.5%) हैं।



INS खंदेरी नौसेना में शामिल

INS खंदेरी

➡ खंदेरी (Khanderi) भारतीय नौसेना हेतु 'निर्माणाधीन' कलवरी श्रेणी (Kalvari Class) की 6 पनडुब्बियों की शृंखला की दूसरी पनडुब्बी है।

➡ यह एक डीजल-इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बी है, जो रडार से बचकर निकल सकती है।

➡ INS खंदेरी का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली (Sword Tooth Fish) के नाम से प्रेरित है।

➡ उल्लेखनीय है कि खंदेरी, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित एक द्वीपीय किले (Island Fort) का भी नाम है।

➡ उल्लेखनीय है कि इसी नाम की एक पनडुब्बी भारतीय नौसेना में वर्ष 1968 से 1989 के मध्य तैनात थी, जो तत्कालीन सोवियत संघ की 'फॉक्सट्रोट (Foxtrot) श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित थी।

➡ INS खंदेरी की लंबाई 67.5 मीटर तथा ऊंचाई 12.3 मीटर है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 28 सितंबर, 2019 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह पर आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित पनडुब्बी 'आई.एन.एस. खंदेरी' को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

➡ ध्यातव्य है कि जनवरी, 2017 में INS खंदेरी का जलावतरण किया गया था।

प्रोजेक्ट-75

➡ वर्तमान में मुंबई स्थित माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप (Naval Group) के सहयोग से प्रोजेक्ट-75 के तहत कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है।

➡ ये डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां फ्रांस की स्कॉर्पीन श्रेणी (Scorpene Class) की पनडुब्बियों पर आधारित हैं।

- ये 6 पनडुब्बियां हैं :- कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर ओर वागशीर।

➡ स्कॉर्पीन श्रेणी की इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अक्टूबर, 2005 में भारत और फ्रांस के मध्य 3-5 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।



अन्य पनडुब्बियां

➡ स्कॉर्पीन श्रेणी की पहली पनडुब्बी 'आईएनएस कलवरी' है, जिसे दिसंबर, 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।

➡ इस श्रेणी की तृतीय पनडुब्बी INS करंज (Karanj) का जलावतरण जनवरी, 2018 में किया गया था।

➡ इस श्रेणी की चतुर्थ पनडुब्बी आईएनएस वेला (INS Vela) का जलावतरण मई, 2019 में किया गया।

स्कॉर्पीन पनडुब्बी

➡ स्कॉर्पीन वास्तव में 1500 टन भार-वर्ग की पारंपरिक पनडुब्बियां होती हैं।

- यह पनडुब्बियां जल में 300 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं।
- इस श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप (पूर्व में DCNS) द्वारा किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ गौरतलब है कि वर्ष 1999 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय नौसेना के 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी।

- उक्त कार्यक्रम के तहत वर्ष 2029 तक 24 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है।
- परियोजना-75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण उक्त कार्यक्रम का पहला भाग है।
- परियोजना-75 के साथ ही 6 अतिरिक्त पनडुब्बियों का स्वदेश में निर्माण परियोजना-75-I के तहत किया जाना है।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा 'सामरिक भागीदार नीति' के अंतर्गत परियोजना-75-I के तहत निर्मित की जाने वाली पनडुब्बियों का निर्माण निजी क्षेत्र को आवंटित किया गया है।

मोजैइक मिशन

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 20 सितंबर, 2019 को **जर्मनी का अनुसंधान जलपोत 'पोलरस्टर्न'** (Polarstern) आर्कटिक जलवायु के अध्ययन हेतु ट्रॉम्सो, नॉर्वे से रवाना हुआ।



➡ यह पोत आर्कटिक महासागर में समुद्री बर्फ (Sea Ice) के बहाव के सहारे धीरे-धीरे गति कर अनुसंधान संचालित करेगा।

➡ इस अभियान को मोजैइक (MOSAIC :

The Multidisciplinary Observatory for the Study of Arctic Climate) नाम दिया गया है।

अभियान का विवरण

➡ 19 देशों के कुल 600 अनुसंधानकर्ता इस अभियान में भाग ले रहे हैं।

➡ यह अभियान जर्मनी स्थित **'अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट, हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर पोलर एंड मरीन रिसर्च' के नेतृत्व में संचालित** किया जा रहा है।

➡ आर्कटिक जलवायु प्रणाली के अन्वेषण हेतु मध्य आर्कटिक महासागर में संचालित होने वाला यह पहला एकवर्षीय अभियान है।

➡ 'अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समिति' (IASC: International Arctic Science Committee) के तत्वावधान में 'विश्व के अग्रणी ध्रुवीय अनुसंधान संस्थानों' के एक अंतरराष्ट्रीय कंर्सोटियम ने इस परियोजना को डिजाइन किया है।

➡ यह मिशन आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तथा समुद्री बर्फ में कमी के क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रभावों को समझने में मदद करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ पोलरस्टर्न विश्व के सबसे अत्याधुनिक ध्रुवीय अनुसंधान पोतों में से एक है।

➡ मूलतः इस पोत की तैनाती वर्ष 1982 में हुई थी।

➡ वर्ष 1999 एवं 2001 के मध्य इस पोत का पूर्ण रूप से कायाकल्प कर इसे नवीनतम उपकरणों एवं प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित किया गया।

➡ मोजैइक मिशन की कुल अवधि 390 दिन प्रस्तावित है।

➡ इस मिशन के दौरान अनुसंधान पोत पोलरस्टर्न लगभग 2500 किमी. की दूरी तय करेगा।

ब्लैक गोल्ड विकसित

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा प्रकाशित एक वैज्ञानिक जर्नल 'केमिकल साइंस' (Chemical Science) द्वारा 3 जुलाई, 2019 को जारी एक शोध-पत्र के अनुसार, मुंबई स्थित **'टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान'** के वैज्ञानिकों ने नैनोप्रौद्योगिकी की तकनीकों का प्रयोग कर 'सुनहरे स्वर्ण' (Golden Gold) को 'ब्लैक गोल्ड' (Black Gold) में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की है।

ब्लैक गोल्ड

➡ अनुसंधानकर्ताओं ने स्वर्ण नैनोकणों (Gold Nanoparticles) के आकार एवं उनके मध्य अंतराल (Gaps) को परिवर्तित किया, जिससे यह पदार्थ सूर्य के प्रकाश के समस्त दृश्य (Visible) एवं निकट-अवरक्त (Near-Infrared) क्षेत्र को अवशोषित कर ब्लैक गोल्ड में परिवर्तित हो गया।

➡ काले रंग का होने के कारण इस स्वर्ण को ब्लैक गोल्ड नाम दिया गया है।

विशेषताएं

➡ सौर ऊर्जा के अतिरिक्त **ब्लैक गोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को भी अवशोषित कर सकता है**।

- ➲ कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को अवशोषित कर यह उसे मीथेन (ईंधन) में परिवर्तित करने में सक्षम है।



- ➲ स्पष्ट है कि जिस प्रकार प्राकृतिक वृक्ष CO_2, सूर्य के प्रकाश तथा जल के उपयोग द्वारा खाद्य का उत्पादन करते हैं, उसी प्रकार ब्लैक गोल्ड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण (Artificial Photosynthesis) की क्रिया संपादित करने में सक्षम है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे ईंधन एवं अन्य उपयोगी रसायनों में परिवर्तित कर देता है।
- ➲ उल्लेखनीय है कि सामान्यतः स्वर्ण में प्रकाश एवं CO_2 अवशोषण के गुण नहीं होते हैं।

➡ अन्य प्रयोगों से यह भी प्रदर्शित हुआ है कि **ब्लैक गोल्ड के प्रयोग द्वारा समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित किया जा सकता है**।

निष्कर्ष

➡ वैज्ञानिकों द्वारा ब्लैक गोल्ड का विकास वैश्विक तापन की समस्या से निपटने की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उल्लेखनीय है कि ब्लैक गोल्ड ऐसे कृत्रिम वृक्षों (Artificial Trees) के विकास में उपयोगी साबित हो सकता है, जो कार्बन डाई-ऑक्साइड को अवशोषित कर उसे ईंधन एवं उपयोगी रसायनों में परिवर्तित कर सकें।

मलेरिया उन्मूलन हेतु E-2020 पहल

E-2020 पहल

➡ मई, 2015 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली (World Health Assembly) द्वारा 'मलेरिया हेतु एक नई वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016-30' (A New Global Technical Strategy for Malaria 2016-2030) प्रस्तुत की गई थी।

- ➲ इस 15 वर्षीय अवधि के दौरान विश्व में मलेरिया के मामलों में तेजी से कमी लाने हेतु महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।



- ➲ इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तहत वर्ष 2020 तक उन 10 देशों से मलेरिया का उन्मूलन किया जाना है, जहां वर्ष 2015 में इसके मामले दर्ज किए गए थे।
- ➲ वर्ष 2016 में प्रकाशित WHO के एक विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2020 तक मलेरिया का उन्मूलन करने में सक्षम देशों की संख्या 21 आंकी गई है।

➡ मलेरिया का उन्मूलन करने में सक्षम ये 21 देश, एक संयुक्त पहल का हिस्सा हैं, जिसे 'E-2020 पहल' (E-2020 Initiative) नाम दिया गया है।

➡ E-2020 पहल में निम्न 21 देश शामिल हैं :- अल्जीरिया, बेलीज, बोत्सवाना, काबो वेर्दे, भूटान, कोस्टा रिका, कोमोरोस, चीन, इक्वाडोर ई-स्वातिनी, अल सल्वाडोर, ईरान, नेपाल, पैराग्वे, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, मेक्सिको तथा तिमोर-लेस्ते।

वर्तमान परिदृश्य

➡ हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, एशिया महाद्वीप के चार देशों और एक लैटिन अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में वर्ष 2018 में मलेरिया का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

- ➲ एशिया महाद्वीप के ये चार देश- चीन, ईरान, मलेशिया एवं तिमोर-लिस्ते हैं।

रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

➡ वर्तमान रिपोर्ट मलेरिया उन्मूलन की दिशा में प्राप्त हुई सफलता को संदर्भित करती है।

➡ मोरक्को (वर्ष 2010) तथा मॉरीशस (वर्ष 1973) के बाद मई, 2019 में आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया जाने वाला अल्जीरिया तीसरा अफ्रीकी देश है।

➡ नवंबर, 2018 में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में विश्व में मलेरिया के सर्वाधिक मामले क्रमश: नाइजीरिया (25%), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (11%), मोजाम्बिक (5%) और युगांडा (4%) में पाए गए हैं।

भारत से संबंधित तथ्य

➡ विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत का मलेरिया से संबंधित मामलों में वैश्विक योगदान 4 प्रतिशत है।

➡ भारत ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में उत्साहजनक प्रगति करते हुए वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 के मध्य 24 प्रतिशत तक (मलेरिया मामलों में) की कमी दर्ज करवाई है।

➡ इसके साथ ही भारत, विश्व के उन 11 देशों में शामिल है, जहां पर वैश्विक मलेरिया के कुल मामलों में से 70 प्रतिशत मामले पाए जाते हैं।

- ➲ भारत के अतिरिक्त अन्य 10 देश- बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, युगांडा और तंजानिया हैं।

सागर मैत्री मिशन-2

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 18 जुलाई, 2019 को DRDO की प्रयोगशाला 'एनपीओएल' (NPOL: Naval Physical & Oceanographic Laboratory) का एक 'समुद्र विज्ञानीय अनुसंधान पोत' (Oceanographic Research Vessel) 'INS सागर ध्वनि' अपने दो महीने लंबे वैज्ञानिक अभियान पर कोच्चि से रवाना हुआ।

- ➲ इस वैज्ञानिक अभियान को 'समुद्री और संबंधित अंतरविषयक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान पहल' (MAITRI : Marine & Allied Interdisciplinary Training & Research Initiative) नाम दिया गया है।

उद्देश्य

➡ सागर मैत्री मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में 'महासागरीय अनुसंधान एवं विकास' के क्षेत्र में 8 हिंद महासागरीय तटीय देशों के साथ दीर्घावधिक सहयोग स्थापित करना शामिल है।

मिशन का विवरण

➡ सद्य: मिशन की परिकल्पना DRDO ने की थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंद महासागरीय तटीय (IOR) देशों के बीच समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई नीतिगत घोषणा 'सागर' (SAGAR: Safety And Growth for All in the Region) के विस्तृत उद्देश्यों के अनुरूप है।

➡ भारतीय नौसेना एवं NPOL द्वारा संचालित यह मिशन दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाएगा, इसी कारण इस मिशन को '**सागर मैत्री**' नाम दिया गया है।



➡ वर्तमान सागर मैत्री मिशन-2 के तहत INS सागर ध्वनि पोत थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर एवं इंडोनेशिया की यात्रा करेगा।

- ➲ उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व अप्रैल, 2019 में यह पोत सागर मैत्री मिशन-1 के तहत यांगून, म्यांमार की यात्रा पर गया था।

INS सागरध्वनि

➡ INS सागरध्वनि का निर्माण मेसर्स गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा किया गया है।

➡ इस पोत को DRDO की कोच्चि स्थित प्रयोगशाला NPOL (Naval Physical & Oceanographic Laboratory) ने डिजाइन किया है।

➡ भारतीय नौसेना में इस पोत की तैनाती 30 जुलाई, 1994 को हुई थी।

- ➲ ज्ञातव्य है कि 30 जुलाई, 2019 को भारतीय नौसेना में इस पोत की तैनाती के 25 वर्ष पूरे हो गए।

➡ INS सागरध्वनि पोत भारतीय जल-क्षेत्र में समुद्र अनुसंधान प्रयोगों को संचालित करता है, इसके अतिरिक्त यह पोत NPOL की समुद्र आंकड़ा संग्रहण गतिविधियों का भी संचालन करता है।

डिंडीगुल ताला और कंदांगी साड़ी को जी.आई. टैग

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ 29 अगस्त, 2019 को चेन्नई स्थित भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय, भारत सरकार द्वारा डिंडीगुल ताला और कंदांगी साड़ी को भौगोलिक संकेतक (GI : Geographical Indication) प्रदान किया गया।

डिंडीगुज ताला

➡ डिंडीगुल ताले भारतीय राज्य तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में बनाए जाते हैं।

- ➲ ये ताले अपनी आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन गुणवत्ता एवं टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं।

➡ डिंडीगुल को 'लॉक सिटी' (Lock City) के नाम से भी जाना जाता है।

➡ डिंडीगुल के आस-पास लगभग 5 किमी. के क्षेत्र में 3125 से अधिक ताला निर्माण इकाइयां स्थित हैं।

कंदांगी साड़ी

➡ कंदांगी साड़ी शिवगंगा जिले (तमिलनाडु) के कराइकुडी तालुक में बनाई जाती है।

➡ शिवगंगा जिले का कंदांगी साड़ी उद्योग 150 से अधिक वर्ष पुराना है।

➡ इन साड़ियों की विशेषता इनका विशाल विषम बॉर्डर (Contrast Border) होता है।

- ➲ ऐसी कुछ साड़ियों का बॉर्डर तो साड़ी के तीन-चौथाई भाग तक विस्तृत होता है।

➡ सामान्यतः कंदांगी साड़ियों की लंबाई 5.10–5.60 मीटर तक होती है।



जी.आई. टैग

➡ जी.आई. (GI) टैग किसी वस्तु अथवा उत्पाद की गुणवत्ता व विशिष्टता का प्रमाण होता है।

➡ किसी वस्तु उत्पाद की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राहकों को उस वस्तु/उत्पाद के उत्पादन स्थान के बारे में भी बताया जाए।

➡ भौगोलिक संकेतकों को ट्रिप्स (TRIPS) करार के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों के घटक के रूप में शामिल किया गया है।

➡ भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में 'माल के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999' को लागू किया है।

- ➲ यह अधिनियम वर्ष 2003 से प्रभाव में है।

➡ वर्ष 2004 से अब तक भौगोलिक संकेतकों के रूप में 361 उत्पाद पंजीकृत किए जा चुके हैं।

➡ हाल ही में तमिलनाडु के खाद्य (Food Stuff) 'श्रीविल्लिपुत्तुर पलकोवा' को भी भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है।

कांगो में इबोला का प्रकोप

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➡ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में घातक इबोला रोग के फैलने के मामले लगातार सामने आने के बाद 17 जुलाई, 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे **'अंतरराष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति'** (PHEIC : Public Health Emergency of International Concern) घोषित कर दिया है।

- ➲ उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2018 से ही कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इबोला रोग की चपेट में है।
- ➲ 1 अगस्त, 2018 को कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 'नॉर्थ किवू' (North Kivu) प्रांत में इबोला वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की थी।
- ➲ उल्लेखनीय है कि नार्थ किवू के अतिरिक्त कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साउथ किवू तथा इतुरी प्रांत भी इबोला से प्रभावित हैं।

➡ **वर्ष 1976 में इबोला वायरस की खोज** होने के बाद से यह 10वां अवसर है, जब कांगो इबोला रोग की चपेट में है।

इबोला वायरस रोग

➡ उल्लेखनीय है कि **इबोला नाम इबोला नदी से व्युत्पन्न** है, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ही स्थित है।

➡ सर्वप्रथम वर्ष 1976 में जिन दो स्थानों में इबोला वायरस रोग के मामले एक साथ सामने आए थे, वे स्थान हैं : - न्जारा (दक्षिण सूडान) तथा यामबुकु (कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य)।

➡ इबोला वायरस की 6 प्रजातियों की पहचान हुई है, जो हैं- जायरे (Zaire), बुंदीबुग्यो (Bundibugyo), सूडान, ताई फॉरेस्ट (Tai Forest), रेस्टोन (Reston) तथा बोम्बाली (Bombali)।



➡ ऐसा माना जाता है कि 'टेरोपोडीडेई' (Pteropodidae) परिवार के फलभक्षी चमगादड़ इबोला वायरस के प्राकृतिक वाहक होते हैं।

➡ इबोला का एक प्रायोगिक टीका 'rVSV-ZEBOV' घातक इबोला वायरस के विरुद्ध अत्यधिक सुरक्षात्मक साबित हुआ है।

श्रीलंका खसरा मुक्त घोषित

- ◆ 9 जुलाई, 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने श्रीलंका को खसरा मुक्त घोषित कर दिया।
- ◆ **WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा का उन्मूलन करने वाला श्रीलंका पांचवां देश** है।
  - ➲ श्रीलंका से पूर्व इस क्षेत्र से भूटान, मालदीव, उत्तर कोरिया तथा तिमोर-लेस्ते खसरा मुक्त देश का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं।
- ◆ उल्लेखनीय है कि किसी देश को खसरा मुक्त तब घोषित किया जाता है, जब वह देश लगातार तीन वर्षों तक स्वदेशी खसरा विषाणु के प्रसार की रोकथाम में सफल रहता है।
  - ➲ ज्ञातव्य है कि श्रीलंका में स्वदेशी खसरा विषाणु के संक्रमण का अंतिम मामला मई, 2016 में दर्ज किया गया था।
- ◆ उल्लेखनीय है कि **भारत** ने **वर्ष 2020 तक देश से खसरा उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित** किया है।



चर्चित व्यक्ति

❑ एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया



➡ भारतीय वायु सेना के नए अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। (30 सितंबर, 2019)

➲ इस पद पर उन्होंने एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ का स्थान लिया।

❑ राजीव गौबा



➡ पूर्व केंद्रीय गृह सचिव; भारत सरकार के नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार ग्रहण। (30 अगस्त, 2019)

❑ कंचन चौधरी भट्टाचार्य



➡ देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक (DGP) का निधन। (26 अगस्त, 2019)

➲ वे वर्ष 2004 में उत्तराखंड की डीजीपी बनीं थीं।

❑ अरुण जेटली



➡ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री का निधन। (24 अगस्त, 2019)

➲ वह मई, 2014 से मई, 2019 तक केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री रहे।

➲ देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

➲ वर्ष 2009 से 2014 के मध्य वह राज्य सभा में विपक्ष के नेता भी रहे।

➲ इनकी स्मृति में 12 सितंबर, 2019 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया।

❑ अजय कुमार भल्ला



➡ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा देश के नए गृह सचिव नियुक्त। (22 अगस्त, 2019)

➲ इस पद पर उन्होंने राजीव गौबा का स्थान लिया।

❑ डॉ. अजय कुमार



➡ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त। (21 अगस्त, 2019)

➲ इस पद पर उन्होंने संजय मित्रा का स्थान लिया।

❑ बाबू लाल गौर



➡ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता का निधन। (21 अगस्त, 2019)

➲ उनका जन्म 2 जून, 1929 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के नौगीर गांव में हुआ था।

➲ वह अगस्त, 2004 से नवंबर, 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।

❑ मोहम्मद जहूर 'खय्याम' हाशमी



➡ प्रसिद्ध संगीतकार का निधन। (19 अगस्त, 2019)

➲ उन्होंने 'कभी-कभी', 'उमराव जान', 'रजिया सुल्तान' जैसी कई हिट फिल्मों में संगीत दिया।

➲ वर्ष 1982 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (फिल्म-उमराव जान) से सम्मानित किया गया था।

➲ इसके अलावा, उन्हें वर्ष 2010 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, वर्ष 2011 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2018 में हृदयनाथ मंगेशकर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।

❑ जगन्नाथ मिश्र



➡ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन। (19 अगस्त, 2019)

➲ वह तीन बार (वर्ष 1975-77, वर्ष 1980-83 तथा वर्ष 1989-90) बिहार के मुख्यमंत्री रहे।

❑ डॉ. वीजी सोमानी



➡ केंद्र सरकार द्वारा देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) नियुक्त। (14 अगस्त, 2019)

➲ **कार्यकाल-** 3 वर्ष।

❑ सुषमा स्वराज



➡ वरिष्ठ भाजपा नेत्री एवं पूर्व विदेश मंत्री का निधन। (6 अगस्त, 2019)

- ➲ वह 26 मई, 2014 से 30 मई, 2019 तक देश की विदेश मंत्री रहीं।
- ➲ वह इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थीं।
- ➲ वे अक्टूबर, 1998 से दिसंबर, 1998 तक दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं।

❑ वाईजी राजलक्ष्मी पार्थसारथी



➡ प्रसिद्ध शिक्षाविद् का निधन। (6 अगस्त, 2019)

- ➲ वह पद्म शेषाद्रि बाला भवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स की संस्थापक थीं।
- ➲ वर्ष 2010 में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित।

❑ टोनी मॉरिसन



➡ प्रसिद्ध अमेरिकी साहित्यकार एवं साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन। (5 अगस्त, 2019)

- ➲ उन्हें वर्ष 1993 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- ➲ उनकी प्रमुख रचनाओं में 'द ब्लूएस्ट आई', 'पैराडाइज', 'टार बेबी', 'सॉन्ग ऑफ सोलोमोन', 'ए मर्सी' आदि शामिल हैं।

❑ चंद्रिमा शाहा



➡ नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की प्रोफेसर; भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गईं। (अगस्त, 2019)

- ➲ वह जनवरी, 2020 में कार्यभार ग्रहण करेंगी।
- ➲ इस पद पर वह अजय कुमार सूद का स्थान लेंगी।

❑ शालिजा धामी



➡ भारतीय वायु सेना की विंग कमांडर, फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बनीं। (अगस्त, 2019)

- ➲ वह हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट की फ्लाइट कमांडर के रूप में कार्य कर रही हैं।

❑ बोरिस जॉनसन



➡ कंजरवेटिव पार्टी के नेता; ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण। (24 जुलाई, 2019)

- ➲ इस पद पर उन्होंने थेरेसा मे का स्थान लिया।

❑ ली पेंग



➡ चीन के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन। (22 जुलाई, 2019)

- ➲ वह मार्च, 1988 से मार्च, 1998 तक चीन के प्रधानमंत्री रहे।
- ➲ उन्हें 'बुचर ऑफ बीजिंग' (Butcher of Beijing) नाम से भी जाना जाता था।
- ➲ वर्ष 1989 में बीजिंग में लोकतंत्र समर्थकों के व्यापक प्रदर्शन पर नृशंस कार्यवाही को लेकर विश्वभर में उनकी आलोचना हुई थी।

❑ उर्सुला वॉन डेर लेयेन



➡ जर्मनी की राजनीतिज्ञ; यूरोपियन आयोग (EC) की अध्यक्ष चयनित। (16 जुलाई, 2019)

- ➲ उनका कार्यकाल 1 नवंबर, 2019 से प्रारंभ होगा। यूरोपीय संसद में उनके पक्ष में बहुमत से मतदान किया गया, वह इस पद पर पहुंचने वाली **पहली महिला अध्यक्ष** हैं।

❑ किरियाकोस मित्सोताकिस



➡ कंजरवेटिव नेता; ग्रीस (यूनान) के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। (8 जुलाई, 2019)

- ➲ इस पद पर इन्होंने एलेक्सिस सिप्रास का स्थान लिया।

❑ क्रिस्टीन लैगार्ड



➡ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक; यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ECB) की अध्यक्ष नामित। (जुलाई, 2019)

- ➲ यदि यूरोपियन परिषद द्वारा उन्हें चुना जाता है, तो वह ECB की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला होंगी।

❑ क्यू डांग्यू



➡ चीन के कृषि और ग्रामीण मामलों के उपमंत्री; संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के 9वें महानिदेशक नियुक्त। (1 अगस्त, 2019)

- ➲ उन्होंने जोस ग्राजिआनो दा सिल्वा का स्थान लिया।

❑ हुसैन मोहम्मद इरशाद



➡ बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन। (14 जुलाई, 2019)

- ➲ वे वर्ष 1983 से 1990 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे।

❑ जोआओ गिल्बर्टो



➡ ब्राजील के प्रसिद्ध गायक, गीतकार और गिटारवादक का निधन। (6 जुलाई, 2019)

- ➲ उन्हें ब्राजील की एक प्रसिद्ध संगीत शैली 'बोस्सा नोवा का पिता' कहा जाता है।

❑ मुहम्मद मुर्सी



➡ मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति का निधन। (17 जून, 2019)

- ➲ वह मिस्र के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति थे।

❑ डॉ. पेट्रीसिया बाथ



➡ अमेरिका की महिला नेत्र विशेषज्ञ का निधन। (30 मई, 2019)

➲ मोतियाबिंद की अधिक सटीक उपचार पद्धति खोजने के साथ ही वे पहली अफ्रीकी-अमेरिकी महिला बनीं, जिन्होंने इसका सफल उपचार किया।

❑ बी.एस. येदियुरप्पा



➡ व्यक्ति के तौर पर कर्नाटक के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। (26 जुलाई, 2019)

➲ उन्होंने चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है।

❑ आनंदीबेन पटेल



➡ मध्य प्रदेश की राज्यपाल; उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का पदभार ग्रहण। (29 जुलाई, 2019)

➲ उन्होंने इस पद पर राम नाईक का स्थान लिया।

❑ अंशुला कांत



➡ भारतीय स्टेट बैंक की प्रबंध निदेशक; विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड माल्पास द्वारा इस समूह की नई प्रबंध निदेशक (MD) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) नियुक्त। (12 जुलाई, 2019)

❑ ओम बिड़ला



➡ राजस्थान राज्य के कोटा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के लोक सभा सदस्य; सर्वसम्मति (निर्विरोध) से 17वीं लोक सभा के अध्यक्ष निर्वाचित। (19 जून, 2019)

➲ उन्होंने इस पद पर सुमित्रा महाजन का स्थान लिया।

❑ एन. गोपालस्वामी



➡ देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त; उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (COA) द्वारा बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट्र्स एसोसिएशन के चुनावों की निगरानी हेतु निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त। (7 जून, 2019)

❑ शीला दीक्षित



➡ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री का नई दिल्ली में निधन। (20 जुलाई, 2019)

➲ वह दिसंबर, 1998 से दिसंबर, 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री (लगातार तीन कार्यकाल) रहीं।

❑ पुरोबी बोरमुदोई



➡ प्रसिद्ध असमी साहित्यकार एवं लेखिका का निधन। (15 जुलाई, 2019)

➲ उन्हें उनकी पुस्तक 'शांतानुकुलानंदन' के लिए वर्ष 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

❑ झरना धारा चौधरी



➡ प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्री और जयग (नोआखली, बांग्लादेश) स्थित गांधी आश्रम ट्रस्ट की सचिव का निधन। (27 जून, 2019)

➲ उन्हें वर्ष 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है।

अन्य चर्चित व्यक्ति

- **बंडारू दत्तात्रेय—** हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पदभार ग्रहण। (11 सितंबर, 2019)
- **कलराज मिश्र—** राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण। (9 सितंबर, 2019)
- **डॉ. तमिलिसाई सुंदराजन—** तमिलनाडु बीजेपी की अध्यक्ष; तेलंगाना की राज्यपाल का पदभार ग्रहण। (8 सितंबर, 2019)
- **आरिफ मोहम्मद खान—** केरल के राज्यपाल का पदभार ग्रहण। (6 सितंबर, 2019)
- **भगत सिंह कोश्यारी—** उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री; महाराष्ट्र के राज्यपाल का पदभार ग्रहण। (5 सितंबर, 2019)
- **ले. जनरल एम.एम. नरवाने—** भारतीय थल सेना के नए उप-प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण। (1 सितंबर, 2019)
- **ओलेक्सी होंचरूक** (Oleksiy Honcharuk)— यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण। (29 अगस्त, 2019)
- **पवन कपूर—** भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भारत के अगले राजदूत नियुक्त। (28 अगस्त, 2019)
- **लियोनेल एइंगीमिया (Lionel Aingimea)—** नौरू के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण। (27 अगस्त, 2019)
- **दामोदर गणेश बापट—** पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता का निधन। (17 अगस्त, 2019)
- **नीलम शर्मा—** वर्ष 2018 के नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित; दूरदर्शन समाचार की प्रसिद्ध एंकर का निधन। (17 अगस्त, 2019)

- **जे. ओम प्रकाश—** प्रसिद्ध फिल्म निर्माता व निर्देशक, का निधन। (7 अगस्त, 2019)
- **के. श्रीकांत—** सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत पारेषण कंपनी पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के नए अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में पदभार ग्रहण। (5 अगस्त, 2019)
- **कर्पूरी देवी—** मधुबनी चित्रकला एवं सुजनी कला की प्रसिद्ध कलाकार, का निधन। (31 जुलाई, 2019)
- **राजीव कुमार—** वरिष्ठ आईएएस अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा देश के नए वित्त सचिव नियुक्त। (30 जुलाई, 2019)
- **डॉ. सुबीर वी. गोकर्ण—** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत के कार्यकारी निदेशक एवं आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर का यूएसए में निधन। (30 जुलाई, 2019)
- **एस. जयपाल रेड्डी—** वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन। (28 जुलाई, 2019)
- **बेजी कैड एस्सेब्सी—** ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का निधन। (25 जुलाई, 2019)
- **प्रीति पटेल—** भारतीय मूल की ब्रिटिश राजनीतिज्ञ; ब्रिटेन की गृह सचिव बनीं। (24 जुलाई, 2019)
- **बिस्वा भूषण हरिचंदन—** ओडिशा के वरिष्ठ भाजपा नेता; आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल का पदभार ग्रहण। (24 जुलाई, 2019)
- **यूकिया अमानो—** अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक का निधन। (18 जुलाई, 2019)
- **अनुसुइया उइके—** छत्तीसगढ़ की राज्यपाल का पदभार ग्रहण। (16 जुलाई, 2019)
- **फर्नांडो कार्बाटो—** कंप्यूटर पासवर्ड के आविष्कारक का निधन। (12 जुलाई, 2019)
- **फेर्नांडो डी ला रूआ—** अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति का निधन (9 जुलाई, 2019)। वह दिसंबर, 1999 से दिसंबर, 2001 तक अर्जेंटीना के राष्ट्रपति रहे।
- **प्रवीण कुमार पुरवार—** एमटीएनएल (MTNL) के सीएमडी; केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. (BSNL) के नए अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक (CMD) नियुक्त (9 जुलाई, 2019)। **कार्यकाल-** 5 वर्ष।
- **आशुतोष गुप्ता—** अनुभवी सेल्स लीडर; पेशेवर सोशल नेटवर्किंग कंपनी 'लिंक्डइन' द्वारा भारत के नए कंट्री मैनेजर नियुक्त। (8 जुलाई, 2019)
- **ले. जनरल परमजीत सिंह—** भारतीय थल सेना के नए सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) नियुक्त। (जुलाई, 2019)
- **अमिता प्रसाद—** वरिष्ठ आईएएस अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की नई अध्यक्ष नियुक्त। (जुलाई, 2019)
- **न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी—** उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश; सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के अंतरराष्ट्रीय जज नियुक्त। (जुलाई, 2019)
- **एम. नागेश्वर राव—** केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के पूर्व अतिरिक्त निदेशक; केंद्र सरकार द्वारा अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक (DG) नियुक्त। (जुलाई, 2019)
- **जया अरुणाचलम—** प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्री और कामकाजी महिला मंच (Working Women Forum) की संस्थापिका का निधन। (29 जून, 2019)
- **शरद कुमार सर्राफ—** टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के संस्थापक एवं अध्यक्ष; भारतीय निर्यात संगठनों के संघ (FIEO) के नए अध्यक्ष चुने गए। (27 जून, 2019)
- **सामंत गोयल—** वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के नए प्रमुख नियुक्त। (26 जून, 2019)
- **अरविंद कुमार—** वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के नए निदेशक नियुक्त। (26 जून, 2019)
- **मोहन रानाडे—** गोवा मुक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का निधन। (25 जून, 2019)
- **वी.एस. कौमुदी—** वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त। (10 जून, 2019)
- **मृत्युंजय महापात्र—** प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक एवं चक्रवात चेतावनी विशेषज्ञ; केंद्र सरकार द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग के नए महानिदेशक नियुक्त (4 जून, 2019)। **कार्यकाल-** 5 वर्ष।
- **डॉ. विरेंद्र कुमार—** मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा पार्टी के लोक सभा सदस्य; 17वीं लोक सभा के प्रोटेम स्पीकर (अस्थायी अध्यक्ष)। (जून, 2019)
- **शेफाली जुनेजा—** भारतीय राजस्व सेवा (आयकर कैडर) की वरिष्ठ अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा मॉन्ट्रियल (कनाडा) स्थित अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की परिषद में भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त। (जून, 2019)
- **अमित अग्रवाल—** अमेजन इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कंट्री हेड; इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) के नए अध्यक्ष नियुक्त। (जून, 2019)
- **जितेंद्र कुमार—** संयुक्त राष्ट्र में भारतीय शांतिरक्षक रहे; मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक 'डैग हैमरस्क्जोल्ड पुरस्कार' से सम्मानित। (29 मई, 2019)

चर्चित स्थल

❑ बंगलुरू



➡ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरू में स्थापित राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र (NCCCR&D) का उद्घाटन। (16 सितंबर, 2019)

- ➲ इस अवसर पर उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च (ICER) का लोकार्पण भी किया।
- ➲ यह अपनी तरह का ऐसा पहला केंद्र है, जहां शोधकर्ताओं के ज्ञान नेटवर्क द्वारा व्यापक ऊर्जा अनुसंधान के संचालन हेतु अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

➡ भारत और ब्रिटेन द्वारा संयुक्त रूप से द्विवार्षिक 'स्वच्छ वायु के लिए नवाचार' (Innovating for Clean Air) नामक पहल लांच। (31 जुलाई, 2019)

- ➲ इनोवेट यूके द्वारा वित्तपोषित इस पहल के तहत उपग्रह और सेंसर डेटा आदि का उपयोग करके वायु की गुणवत्ता को सुधारने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

❑ वियतनाम



➡ दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फॉर्म का उद्घाटन। (सितंबर, 2019)

- ➲ दाउ तिएंग सौर ऊर्जा कॉम्प्लेक्स नामक यह फॉर्म थाईलैंड के औद्योगिक समूह बी. ग्रिम पॉवर पब्लिक कंपनी और वियतनाम की जुआन काउ कंपनी का एक संयुक्त उद्यम है, जो ते निन्ह प्रांत में 540 हेक्टेयर क्षेत्र में अवस्थित है।
- ➲ इसका निर्माण वियतनाम की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दाउ तिएंग जलाशय पर किया गया है।
- ➲ यह सौर ऊर्जा फॉर्म प्रतिवर्ष 688 मिलियन किलोवॉट ऑवर (688 Million kWh) विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम है।

❑ कोयंबटूर



➡ केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा कोयंबटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (SACON) में एवियन इकोटॉक्सियोलॉजी के राष्ट्रीय केंद्र (NCAE) का उद्घाटन। (24 अगस्त, 2019)

- ➲ इस केंद्र में खाद्य शृंखला के माध्यम से कीटनाशकों, भारी धातुओं, पॉलीसाइक्लिक, एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन, पॉली क्लोरीनयुक्त बाइफिनाइल और ड्रग्स जैसे पर्यावरणीय प्रदूषकों और इनके पक्षियों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा।

❑ गाजियाबाद



➡ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के लागू होने के 13वें वर्ष के अवसर पर गाजियाबाद में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (NFL) का उद्घाटन। (23 अगस्त, 2019)

- ➲ खाद्य प्रयोगशाला क्षेत्र में स्थापित अपनी तरह का यह पहला केंद्र है।

❑ गुजरात

➡ केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार, देश के पहले केंद्रीय रासायनिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (CICET–Central Institute of Chemical Engineering and Technology) की स्थापना गुजरात में की जाएगी। (18 अगस्त, 2019)

- ➲ रासायनिक उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु इस संस्थान की स्थापना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET) की तर्ज पर की जाएगी।

❑ सर्बिया

➡ आधिकारिक रूप से एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का गैर-क्षेत्रीय सदस्य बना। (15 अगस्त, 2019)

- ➲ 20 अगस्त, 2019 को ग्रीस भी इसका गैर-क्षेत्रीय सदस्य बना।
- ➲ बीजिंग, चीन स्थित एआईआईबी (AIIB) वर्ष 2016 से परिचालित है।

❑ मुंबई



➡ केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय द्वारा, देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान (IIS) का मुंबई में शिलान्यास। (11 सितंबर, 2019)

- ➲ इसके वर्ष 2020 तक चालू होने की संभावना है।
- ➲ यह संस्थान सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर टाटा एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के सहयोग से निर्मित किया जाएगा।
- ➲ वर्ष 2022 तक अहमदाबाद और कानपुर में इसी प्रकार के दो संस्थान स्थापित करने की भी सरकार की योजना है।

❑ कोलकाता



➡ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कोलकाता में नवनिर्मित श्री चैतन्य महाप्रभु संग्रहालय का उद्घाटन। (13 अगस्त, 2019)

- ➲ राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) द्वारा इस संग्रहालय को डिजाइन किया गया है।
- ➲ यह श्री चैतन्य महाप्रभु की स्मृति में निर्मित विश्व का पहला संग्रहालय है।

❑ भुवनेश्वर



➡ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 'द रथ' (एक स्टील स्मारक) ओडिशा के लोगों को समर्पित। (13 अगस्त, 2019)

- ➲ यह स्टील स्मारक भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में स्थित है।
- ➲ प्रसिद्ध वास्तुकार नुरू करीम द्वारा डिजाइन यह स्मारक भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण के सहयोग से टाटा स्टील द्वारा निर्मित किया गया है।

❑ गोगाबील झील



➡ बिहार में स्थित गोगाबील झील (बैल-धनुष झील) को राज्य का पहला 'सामुदायिक रिजर्व' घोषित किया गया। (अगस्त, 2019)

- ➲ यह झील कटिहार जिले में स्थित है।
- ➲ गोगाबील का निर्माण उत्तर में महानंदा और कनखर तथा दक्षिण और पूर्व में गंगा नदियों के प्रवाह से होता है।

❑ मॉस्को

➡ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रूस के मॉस्को में एक इसरो तकनीकी संपर्क इकाई (ITLU–ISRO Technical Liaison Unit) की स्थापना को मंजूरी। (31 जुलाई, 2019)

❑ धारोवाल



➡ विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के पूर्वी शहर सियालकोट के धारोवाल क्षेत्र में स्थित शवाला तेजा सिंह मंदिर पूजा के लिए खोला गया। (29 जुलाई, 2019)

- ➲ राशिद नियाज की पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ सियालकोट' के अनुसार, यह मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है।

❑ नाइजीरिया



➡ परागणकों (Pollinators) की सुरक्षा हेतु वैश्विक गठबंधन में शामिल। (25 जुलाई, 2019)

- ➲ यह इस गठबंधन में शामिल होने वाला चौथा अफ्रीकी देश है।
- ➲ मोरक्को इस वैश्विक गठबंधन में मई, 2019 में शामिल हुआ था।
- ➲ परागणकों (परागण करने वाले जीव-जंतु) में पक्षी, चमगादड़, मधुमक्खी, तितलियां, भृंग और छोटे स्तनधारी शामिल हैं, जिनकी सुरक्षा हेतु यह गठबंधन बनाया गया है।

❑ जॉर्डन



➡ जॉर्डन में अकाबा के तट पर लाल सागर में निर्मित विश्व के पहले अंडरवाटर (पानी के भीतर) मिलिट्री म्यूजियम का अनावरण। (24 जुलाई, 2019)

❑ तमिलनाडु में नए जिले

➡ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी द्वारा राज्य में दो नए जिले (तेनकासी और चेंगलपट्टू) सृजित करने की घोषणा। (18 जुलाई, 2019)

- ➲ 15 अगस्त, 2019 को दो अन्य जिले (तिरुफ्तूर व रानीपेट) भी सृजित।
- ➲ इन चार नए जिलों के सृजन से इस राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है।

❑ पुणे

➡ सिंगापुर के ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल (जीआईआईएस) द्वारा पुणे में भारत के पहले स्मार्ट स्कूल परिसर की स्थापना करने की घोषणा। (17 जुलाई, 2019)

- ➲ स्मार्ट परिसर में विद्यार्थियों के लिए डिजिटल और वर्चुअल क्लास रूम की सुविधा उपलब्ध होगी।

❑ रानीदुगामा



➡ श्रीलंका में मॉडल विलेज के तहत रानीदुगामा (गम्पहा) में भारत की सहायता से निर्मित पहले मॉडल गांव का संयुक्त रूप से उद्घाटन। (6 जुलाई, 2019)

- ➲ भारत सरकार द्वारा 1,200 मिलियन रुपये की सहायता के माध्यम से श्रीलंका में 100 मॉडल गांवों के निर्माण के लिए साझेदारी की गई है।

❑ बेबीलोन

➡ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा 4000 वर्ष पुराना मेसोपोटामियाई शहर बेबीलोन विश्व विरासत स्थल घोषित। (5 जुलाई, 2019)

- ➲ यह शहर हैंगिंग गार्डन के लिए प्रसिद्ध है, जो प्राचीन विश्व के सात अजूबों में से एक है।

❑ ढाका



➡ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नवनिर्मित शेख हसीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में औपचारिक काम-काज प्रारंभ। (4 जुलाई, 2019)

- ➲ यह विश्व का सबसे बड़ा बर्न और प्लास्टिक सर्जरी संस्थान है।

❑ सूरत

➡ भारत के पहले डिजाइन विकास केंद्र 'फैशियोनोवा' का टेक्सटाइल सिटी सूरत में शुभारंभ। (4 जुलाई, 2019)

- ➲ **उद्देश्य-** शहर में फैशन डिजाइन क्षेत्र को बढ़ावा देना।

❑ तिरुवनंतपुरम



➡ केरल सरकार द्वारा देश के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना तिरुवनंतपुरम स्थित नॉलेज सिटी में करने की घोषणा। (जुलाई, 2019)

➲ **उद्देश्य-** इस शहर को अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी हेतु विनिर्माण हब बनाना।

➲ भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम पर एक अंतरिक्ष संग्रहालय भी इस बुनियादी ढांचे का हिस्सा होगा।

❑ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

➡ असम स्थित इस उद्यान में 82 सदस्यीय विशेष राइनो सुरक्षा बल (Special Rhino Protection Force) की तैनाती। (30 जून, 2019)



➲ इस बल में 74 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें शिकारियों से निपटने और जानवरों के व्यवहार को समझने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस बल का उद्देश्य एक सींग वाले गैंडों की सुरक्षा करना है।

❑ ग्रैंड-बस्साम

➡ ग्रैंड-बस्साम, आइवरी कोस्ट में महात्मा गांधी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी पार्क (MGITBP) का उद्घाटन। (27 जून, 2019)

➲ यह आईटी एवं बायोटेक्नोलॉजी के लिए समर्पित एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTZ) है।

➲ इसे एक्जिम (EXIM) बैंक द्वारा प्रदत्त 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के माध्यम से निर्मित किया जा रहा है।

❑ मेक्सिको

➡ मेक्सिको की संसद ने नए उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (New North American Free-Trade Agreement) का अनुसमर्थन करने हेतु मंजूरी प्रदान की। (19 जून, 2019)



➲ इस समझौते की पुष्टि करने वाला वह पहला देश है।

➲ इस समझौते को संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते के रूप में भी जाना जाता है।

❑ आयरलैंड

➡ आयरलैंड सरकार द्वारा अपनी नई जलवायु परिवर्तन योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 2030 तक देश में नए पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। (जून, 2019)

➲ **उद्देश्य-** वर्ष 2050 तक देश में कार्बन उत्सर्जन को पूर्णत: समाप्त करना।

❑ फूपगांव

➡ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित फूपगांव में कराए गए उत्खनन में प्राप्त अवशेषों से लौह कालीन बस्ती होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।



➲ यह स्थल ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी, पूर्णा नदी के विशाल घुमावदार मार्ग पर स्थित है, जहां दिसंबर, 2018 और मार्च, 2019 के बीच खुदाई कराई गई।

पुरस्कार/सम्मान

❑ 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 2018



➡ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को प्रदान किए जाने की घोषणा। (24 सितंबर, 2019)

➲ यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है।

➲ इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपये की राशि और एक शॉल प्रदान किया जाता है।

➲ ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 का यह पुरस्कार प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना को मरणोपरांत दिया गया था।

❑ द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवॉर्ड्स, 2019



➡ वितरण समारोह मिलान, इटली में आयोजित। (23 सितंबर, 2019)

➲ अर्जेंटीना और बार्सिलोना क्लब के स्टार फुटबॉलर **लियोनल मेसी** को 'द बेस्ट फीफा मेन्स प्लेयर अवॉर्ड प्रदान किया गया।

➲ अमेरिका की **मेगन रैपिनो** को 'द बेस्ट फीफा वीमेन्स प्लेयर अवॉर्ड' प्रदान किया गया।

➲ **अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता इस प्रकार रहे–**

➲ **'द बेस्ट फीफा मेन्स गोलकीपर अवॉर्ड'-** एलिसन (ब्राजील)

➲ **'द बेस्ट फीफा मेन्स कोच अवॉर्ड'-** जुर्गेन क्लॉप (जर्मनी)

➲ **'द बेस्ट फीफा वीमेन्स गोलकीपर अवॉर्ड'-** सारी वैन वीनेंडाल (नीदरलैंड्स)

➲ **'द बेस्ट फीफा वीमेन्स कोच अवॉर्ड'-** जिल एलिस (अमेरिका)

➲ **'फीफा फेयर प्ले अवॉर्ड'-** मार्सेलो बिएल्सा और द लीड्स यूनाइटेड स्क्वायड

➲ **'फीफा पुस्कास अवॉर्ड'-** डैनिएल ज्सोरी (हंगरी)

➲ **'फीफा फैन अवॉर्ड'-** सिल्विया ग्रेको (ब्राजील)

❑ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, 2018



➡ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2018 के पुरस्कारों/सम्मानों की घोषणा। (20 सितंबर, 2019)

➲ संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत-भारती सम्मान के लिए पटना की डॉ. उषा किरन खान को चुना गया।

➲ इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपये, प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किया जाता है।

➲ संस्थान द्वारा घोषित अन्य पुरस्कार/सम्मान इस प्रकार हैं–

➲ **लोहिया साहित्य सम्मान (4 लाख रुपये)**
डॉ. मनमोहन सहगल, पटियाला

➲ **हिंदी गौरव सम्मान (4 लाख रुपये)**
डॉ. बदरी नाथ कपूर, वाराणसी

➲ **महात्मा गांधी साहित्य सम्मान (4 लाख रुपये)**
श्रीभगवान सिंह, भागलपुर

➲ **पं. दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान (4 लाख रुपये)**
डॉ. ओम प्रकाश पाण्डेय, लखनऊ

➲ **अवंतिबाई साहित्य सम्मान (4 लाख रुपये)**
डॉ. (श्रीमती) कमल कुमार, दिल्ली

➲ **राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन सम्मान (4 लाख रुपये)**
मणिपुर हिंदी परिषद, इम्फाल।

❑ 20वां अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी (IIFA) पुरस्कार, 2019

➡ 20वां आइफा पुरस्कार वितरण समारोह मुंबई में आयोजित। (18 सितंबर, 2019)



➲ पहली बार यह समारोह मुंबई में आयोजित हुआ।

➲ प्रमुख पुरस्कार और विजेता इस प्रकार हैं–

➲ **सर्वश्रेष्ठ फिल्म-** राजी (निर्देशक- मेघना गुलजार)

➲ **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक-** श्रीराम राघवन (फिल्म- अंधाधुन)

➲ **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता-** रणवीर सिंह (फिल्म- पद्मावत)

➲ **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री-** आलिया भट्ट (फिल्म- राजी)

➲ **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता-** विक्की कौशल (फिल्म- संजू)

➲ **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री**- अदिति राव हैदरी (फिल्म- पद्मावत)

➲ **आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा-** प्रसिद्ध कॉमेडियन इश्तियाक अहमद जाफरी (जगदीप)।

➲ इस बार आइफा के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर हेतु IIFA BIG 20 पुरस्कार राकेश रोशन को व **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार** राजकुमार हिरानी को प्रदान किया गया।

➲ इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का IIFA BIG 20 पुरस्कार रणबीर कपूर व सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दीपिका पादुकोण को प्रदान किया गया।

❑ एंबेसेडर ऑफ कॉन्शन्स पुरस्कार, 2019

➡ एमनेस्टी इंटरनेशनल का यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्त्री ग्रेटा थुनबर्ग और 'फ्राईडेज फॉर फ्यूचर' अभियान को। (16 सितंबर, 2019)



❑ डॉ. कलाम स्मृति अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2019

➡ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। (16 सितंबर, 2019)



➲ उन्हें यह पुरस्कार तनाव, संघर्षों और आतंकवाद से मुक्त शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया की संकल्पना के लिए प्रदान किया गया।

➲ यह पुरस्कार वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था।

❑ एशिया गेम चेंजर पुरस्कार, 2019

➡ न्यूयॉर्क के अग्रणी सांस्कृतिक संगठन एशिया सोसाइटी द्वारा घोषित। (11 सितंबर, 2019)



➲ इस वर्ष निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच करने वाली महिला पुलिस अधिकारी छाया शर्मा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।

➲ इनके अलावा, 6 अन्य महिलाओं/महिलाओं के संघ को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो इस प्रकार हैं–

(i) भारत और नेपाल की बौद्ध भिक्षुणियों का संघ 'कुंग फू नन्स'

(ii) टोक्यो की पहली महिला गवर्नर युरिको कोइको।

(iii) पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सना मीर।

(iv) जेन जी सन (चीन)

(v) शेख हूर अल कासिमी (यूएई)

(vi) फैजा सईद (यूएसए)

❑ लता मंगेशकर पुरस्कार, 2019-20

➡ महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रसिद्ध संगीतकार उषा खन्ना को। (11 सितंबर, 2019)



➲ **पुरस्कार राशि-** 5 लाख रुपये नकद, प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिह्न।

❑ 5वां विजिटर्स अवॉर्ड, 2019

➡ राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा घोषित। (9 सितंबर, 2019)

➲ विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं–



A. अनुसंधान के लिए विजिटर्स अवॉर्ड

(i) **मानविकी, कला और सामाजिक विज्ञान-** पुडुचेरी विश्वविद्यालय के एप्लाइड साइकॉलजी विभाग के **प्रोफेसर सिबनाथ देब**।

(ii) **शारीरिक विज्ञान-** जेएनयू के प्रोफेसर **संजय पुरी**।

(iii) **जीव विज्ञान-** अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जैव-प्रौद्योगिकी इकाई के प्रोफेसर **असद उल्लाह खान** तथा जेएनयू के नैनो साइंस के विशेष केंद्र में कार्यरत **डॉ. प्रतिमा**।

B. प्रौद्योगिकी विकास के लिए विजिटर्स अवॉर्ड- त्रिपुरा विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉ. शाओन रे चौधरी।

❑ 40वां सरला पुरस्कार, 2019

➡ प्रसिद्ध ओडिया लेखक प्रदीप दाश को। (6 सितंबर, 2019)



➲ उन्हें यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह 'चारु चिबार ओ चार्ज्या' के लिए प्रदान किया जाएगा।

❑ योग के संवर्धन और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2019

➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किया गया। (30 अगस्त, 2019)

➲ वर्ष 2019 के विजेता हैं–

(i) **व्यक्तिगत-राष्ट्रीय वर्ग-** लाइफ मिशन, गुजरात के स्वामी राजर्षि मुनि।



(ii) **व्यक्तिगत-अंतरराष्ट्रीय वर्ग-** इटली की एंटोनिएटा रोजी।

(iii) **संगठन-राष्ट्रीय वर्ग-** बिहार स्कूल ऑफ योग, मुंगेर।

(iv) **संगठन-अंतरराष्ट्रीय वर्ग-** जापान योग निकेतन, जापान।

➲ इसके अलावा इस कार्यक्रम में वर्ष 2018 के दो विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। जो इस प्रकार हैं–

(i) **व्यक्तिगत-राष्ट्रीय वर्ग-** विश्वास मांडलिक (नासिक)

(ii) **संगठन-राष्ट्रीय वर्ग-** योग संस्थान, मुंबई

➲ इस पुरस्कार के तहत विजेता को 25 लाख रुपये की नकद राशि, ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

❑ वीरता पुरस्कार, 2019



➡ राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद द्वारा अनुमोदित सशस्त्र सेनाओं एवं अर्द्धसैनिक बल के कार्मिकों को 2 कीर्ति चक्र, 1 वीर चक्र एवं 14 शौर्य चक्र प्रदान किए गए, जो इस प्रकार हैं–

➲ **कीर्ति चक्र**

(i) सैपर प्रकाश जाधव (मरणोपरांत), इंजीनियर्स कोर/राष्ट्रीय राइफल्स की प्रथम बटालियन

(ii) हर्षपाल सिंह, उप-कमांडेंट, सीआरपीएफ

➲ **वीर चक्र**

(i) विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, फ्लाइट पायलट (वायु सेना)

➲ **शौर्य चक्र**

(i) लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह कुश्वाह (थल सेना),

(ii) मेजर विभूति शंकर ढौंडीयाल (मरणोपरांत) (थल सेना),

(iii) कैप्टन महेश कुमार भूरे (थल सेना),

(iv) लांस नायक संदीप सिंह (मरणोपरांत) (थल सेना),

(v) सिपाही ब्रजेश कुमार (मरणोपरांत) (थल सेना),

(vi) सिपाही हरि सिंह (मरणोपरांत) (थल सेना),

(vii) राइफलमैन अजवीर सिंह चौहान (थल सेना),

(viii) राइफलमैन शिवे कुमार (मरणोपरांत) (थल सेना),

(ix) अमित सिंह राणा (नौसेना),

(x) सैबल ध्यानेश्वर श्रीराम, सिपाही, सीआरपीएफ,

(xi) जाकिर हुसैन, सिपाही, सीआरपीएफ,

(xii) आशिक हुसैन मलिक (मरणोपरांत), विशेष पुलिस कार्मिक,

(xiii) सुभाष चंद्र, हवलदार (मुख्य सिपाही), जम्मू एवं कश्मीर, एवं

(xiv) इमरान हुसैन टाक, सब-इंस्पेक्टर (मरणोपरांत)।

❑ तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, 2018

➡ राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। (29 अगस्त, 2019)

➲ यह पुरस्कार चार श्रेणियों-भू-साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु रोमांच और जीवनोपर्यंत उपलब्धि के क्षेत्र में दिया जाता है।



➲ वर्ष 2018 का यह पुरस्कार निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान किया गया–

(i) अपर्णा कुमार (भू-साहसिक कार्य)

(ii) स्वर्गीय दीपांकर घोष (भू-साहसिक कार्य)

(iii) मणिकंदन के. (भू-साहसिक कार्य)

(iv) प्रभात राजू कोली (जल साहसिक कार्य)

(v) रामेश्वर जांगड़ा (वायु साहसिक कार्य)

(vi) वांगचुक शेरपा (लाइफटाइम अचीवमेंट)

➲ **पुरस्कार राशि-** 5 लाख रुपये।

❑ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 2019



➡ वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बजरंग पूनिया (कुश्ती) एवं दीपा मलिक (पैरा एथलेटिक्स) को प्रदत्त। (29 अगस्त, 2019)

➲ **द्रोणाचार्य पुरस्कार, 2019-** (i) विमल कुमार (बैडमिंटन); (ii) संदीप गुप्ता (टेबल टेनिस); (iii) मोहिन्दर सिंह ढिल्लों (एथलेटिक्स); (iv) मेर्जबान पटेल (हॉकी, लाइफटाइम); (v) रामबीर सिंह खोखर (कबड्डी, लाइफटाइम); (vi) संजय भारद्वाज (क्रिकेट, लाइफटाइम)।

➲ **अर्जुन पुरस्कार-** (1) तेजिंदरपाल सिंह तूर (एथलेटिक्स); (2) मोहम्मद अनस याहिया (एथलेटिक्स); (3) एस. भास्करन (बॉडी बिल्डिंग); (4) सोनिया लाथेर (बॉक्सिंग); (5) रविंद्र जडेजा (क्रिकेट); (6) विंगलेनसाना सिंह कंगुजम (हॉकी); (7) अजय ठाकुर (कबड्डी); (8) गौरव सिंह गिल (मोटर स्पोर्ट्स); (9) प्रमोद भगत (पैरा स्पोर्ट्स, बैडमिंटन); (10) अंजुम मौद्गिल (शूटिंग); (11) हरमीत राजुल देसाई (टेबल टेनिस); (12) पूजा ढांडा (रेसलिंग); (13) फौवाद मिर्जा (घुड़सवारी); (14) गुरप्रीत सिंह संधू (फुटबॉल); (15) पूनम यादव (क्रिकेट); (16) स्वप्ना बर्मन (एथलेटिक्स); (17) सुंदर सिंह गुर्जर (पैरा स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स); (18) भामिदिपति साई प्रणीत (बैडमिंटन); (19) सिमरन सिंह शेरगिल (पोलो)।

➲ **ध्यानचंद पुरस्कार, 2019-** मैनुअल फ्रेडरिक्स (हॉकी); अरूप बसक (टेबल टेनिस); मनोज कुमार (कुश्ती); नितिन कीर्तने (टेनिस); सी. लालरेमसांगा (तीरंदाजी)।

➲ **मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी-** पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ (ओवरऑल विजेता विश्वविद्यालय)।

❑ डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम पुरस्कार, 2019

➡ इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन को। (22 अगस्त, 2019)



➲ तमिलनाडु सरकार द्वारा उन्हें यह पुरस्कार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदत्त।

❑ 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2018



➡ फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा घोषित। (9 अगस्त, 2019)

- ➲ अभिषेक शाह द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म 'हेल्लारो' (Hellaro) को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा।
- ➲ **अन्य प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं-**
  - **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक-** आदित्य धर (**फिल्म-** उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक); **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता-** आयुष्मान खुराना (**फिल्म-** अंधाधुन) एवं विक्की कौशल (**फिल्म-** 'उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक'); **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री-** कीर्थि सुरेश (**फिल्म-** महानती, तेलुगू); **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता-** स्वानंद किरकिरे [**फिल्म-** चुंबक, मराठी]; **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री-** सुरेखा सीकरी (**फिल्म-** 'बधाई हो'); **सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म-** 'अंधाधुन' (**निर्देशक-** श्रीराम राघवन); **सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म-** 'पैडमैन'; **पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म-** 'पानी' (मराठी); **सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म-** 'बधाई हो' (हिंदी); **सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म-** सरकारी हिरिया प्राथमिका शाले कासारगोडु (कन्नड़); **सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक-** अरिजीत सिंह (**गीत-** बिंते दिल मिसरिया में, **फिल्म-** पद्मावत); **सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायिका-** बिंदू मालिनी (**गीत-** मायावी मनवे, **फिल्म-** नाथिचरामी); **सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक-** संजय लीला भंसाली (**फिल्म-** पद्मावत); **सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड को प्रदान किए जाने की घोषणा।**

❑ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2019



➡ एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2019 के विजेताओं की घोषणा। (2 अगस्त, 2019)

- ➲ इस वर्ष यह पुरस्कार 1 भारतीय सहित कुल 5 व्यक्तियों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया, जो इस प्रकार हैं-(i) रवीश कुमार (भारत); (ii) रेमुंडो पुजांते कायाबयाब (Raymunde Pujante Cayabyab) (फिलीपींस); (iii) किम जोंग की (Kim Jong Ki) (दक्षिण कोरिया); (iv) को स्वे विन (Ko Swe Win) (म्यांमार); (v) अंखाना नीलपायजीत (Angkhana Neelapaijit), (थाईलैंड)।
- ➲ इस वर्ष उपर्युक्त विजेताओं में भारत के प्रसिद्ध पत्रकार एवं एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार को आवाजहीन को आवाज देने के लिए पत्रकारिता का सहारा लेने (harnessing journalism to give voice to the voiceless) हेतु पुरस्कृत किया गया।

❑ पहला गांधी-मंडेला शांति पुरस्कार, 2019



➡ यह पुरस्कार तीन क्षेत्रों में निम्नलिखित व्यक्तियों को नई दिल्ली में प्रदान किया गया। (11 जुलाई, 2019)

- ➲ (i) **सामाजिक प्रभाव-** कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (KISS) के संस्थापक डॉ. अच्युता सामंत को।
- ➲ (ii) **पर्यावरण-** उ.प्र. के डीजीपी (तकनीकी) महेंद्र मोदी को।
- ➲ (iii) **युवा सामाजिक परिवर्तन-** उ.प्र. में हापुड़ जिले की एक्शन इंडिया संस्था की शबाना खान, स्नेहा और सुमन को।
- ➲ इसके अलावा, वियतनामी बौद्ध भिक्षु और शांति कार्यकर्ता थिक न्हात हान (Thich Nhat Hanh) को 'गांधी मंडेला पीस मेडल' से सम्मानित करने की घोषणा की गई।

❑ 9वां सार्क फिल्म महोत्सव, 2019



➡ कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित। (2-7 जुलाई, 2019)

- ➲ इस फिल्म महोत्सव में कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित भारतीय बांग्ला फिल्म 'नगरकीर्तन' ने **'सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म'** सहित 4 पुरस्कार जीते।
- ➲ अन्य प्रमुख पुरस्कार विजेता इस प्रकार रहे–**सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म-** 'ना बोले वो हराम' (**निर्देशक-** नितीश पतंकर), भारत। **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक-** कौशिक गांगुली (**फिल्म-** नगरकीर्तन), भारत। **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता-** रिद्धि सेन (**फिल्म-** नगरकीर्तन), भारत। **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री-** अनोमा जानादरी (**फिल्म-** दवेना विहागुन), श्रीलंका।

❑ राजनीतिज्ञता हेतु पहला जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश पुरस्कार, 2019



➡ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर को। (12 जून, 2019)

- ➲ यह पुरस्कार अमेरिका-चीन संबंधों के लिए उल्लेखनीय कार्य हेतु जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया।

❑ नाइट ऑफ ऑर्डर द स्टार ऑफ इटली



➡ इतालवी भाषा विशेषज्ञ एवं लेखिका प्रतिष्ठा सिंह को। (11 जून, 2019)

❑ फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार, 2019



➡ अमेरिकी लेखिका टायरी जोन्स को। (5 जून, 2018)

- ➲ उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास 'एन अमेरिकन मैरिज' के लिए प्रदान किया गया।

❑ फुकुओका पुरस्कार, 2019



➡ **(i) ग्रैंड पुरस्कार-** रैंडाल्फ डेविड (फिलीपींस); **(ii) अकादमी पुरस्कार-** लियोनार्ड ब्लूजे (नीदरलैंड्स); **(iii) कला एवं संस्कृति पुरस्कार-** साटो मकोटो (जापान)। (4 जून, 2019)

❑ पेन पिंटर पुरस्कार, 2019



➡ ब्रिटिश लेखक व कलाकार लेम सिस्से एमबीई (Lemn Sissay MBE) को। (3 जून, 2019)

- यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय लेखकों को प्रदान किया जाता है।

❑ प्रो. सी.आर. राव पुरस्कार, 2019



➡ आईआईटी, कानपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शुभ्र शंकर धर को। (29 जून, 2019)

- उन्हें यह पुरस्कार सांख्यिकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।

❑ फेमिना मिस इंडिया, 2019



➡ **विजेता :** राजस्थान की सुमन राव। (15 जून, 2019)

- **मिस इंडिया ग्रांड इंटरनेशनल, 2019 :** शिवानी जाधव (छत्तीसगढ़)।
- **मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स, 2019 :** श्रेया शंकर (बिहार)।

❑ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, 2019

➡ साहित्य अकादमी द्वारा 23 भाषाओं में अपने वार्षिक युवा पुरस्कार, 2019 की घोषणा। (14 जून, 2019)

- हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार अनुज लुगुन को उनकी कविता संग्रह 'बाघ और सुगना मुंडा की बेटी' हेतु।

❑ सेव वॉटर हीरो अवॉर्ड, 2019



➡ पुणे स्थित हृदयमित्र फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद टिल्लू को। (जून, 2019)

❑ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वार्षिक पुरस्कार, 2018-19



➡ नई दिल्ली में वितरित। (9 जुलाई, 2019)

- भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान **सुनील छेत्री** को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार रिकॉर्ड छठवीं बार प्रदान किया गया।
- **वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर**- आशालता देवी (मणिपुर)।

योजना/परियोजना

❑ दिक्षी जलविद्युत परियोजना



➡ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा उद्घाटन। (13 सितंबर, 2019)

- यह परियोजना पश्चिम कामेंग जिले के दिक्षी (Dikshi) गांव में स्थापित है।
- 24 किलोवॉट की यह परियोजना राज्य की पहली समुदाय-प्रबंधित मिनी-पनबिजली परियोजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली स्वतंत्र परियोजना है।

❑ मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन परियोजना



➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ (10 सितंबर, 2019)

- इस परियोजना की लागत राशि 325 करोड़ रुपये है।
- 69 किमी. लंबी इस पेट्रोलियम पाइपलाइन की क्षमता 2 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक है।
- यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस-बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है।

❑ ग्राम (विलेज) वालंटियर सिस्टम

➡ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी द्वारा इस फ्लैगशिप कार्यक्रम का शुभारंभ। (15 अगस्त, 2019)

- **उद्देश्य-** लोगों को उनके घर पर ही सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना।
- इस योजना के तहत सरकार वालंटियर (मासिक 5000 रुपये वेतन पर) की नियुक्ति करेगी।

❑ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना



➡ उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू द्वारा झारखंड सरकार की इस योजना का शुभारंभ। (10 अगस्त, 2019)

- इस योजना के तहत राज्य सरकार, राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसानों को, जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ तक कृषि योग्य भूमि होगी, उन्हें प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता अनुदान प्रदान करेगी।
- योजनांतर्गत सभी योग्य किसानों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 5000 रुपये तथा अधिकतम 25000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जो डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

❑ वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना

➡ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आस-पास के राज्यों के दो समूह आंध्र प्रदेश-तेलंगाना तथा गुजरात-महाराष्ट्र में अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के रूप में इस योजना का शुभारंभ। (9 अगस्त, 2019)

- योजनांतर्गत खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक परिवार अपने समूह

राज्यों में किसी भी राशन की दुकान से सब्सिडी वाले चावल और गेहूं की खरीद कर सकते हैं।

❑ मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना

➡ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी। (6 अगस्त, 2019)

➲ इस योजनांतर्गत निराश्रित/बेसहारा गोवंश इच्छुक कृषकों, पशुपालकों एवं अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किए जाएंगे।

➲ इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पहले चरण में 1 लाख गोवंश सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है।

➲ इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को जिलाधिकारी द्वारा 30 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण-पोषण हेतु धनराशि बैंक खाते में प्रतिमाह डी.बी.टी. प्रक्रिया के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

❑ कोसी और मेची नदी इंटरलिंकिंग परियोजना

➡ केंद्र सरकार द्वारा बिहार की कोसी और मेची नदी इंटरलिंकिंग परियोजना हेतु 4900 करोड़ रुपये की मंजूरी। (अगस्त, 2019)

➲ मध्य प्रदेश की केन-बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना के बाद स्वीकृत होने वाली यह देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है।

❑ ड्रोन आधारित मानचित्रण परियोजना



➡ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अहमदनगर जिले के नीमगांव कोरहले में इस परियोजना का उद्घाटन। (31 जुलाई, 2019)

➲ इस परियोजना का कार्यान्वयन देश की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी 'सर्वे ऑफ इंडिया' द्वारा किया जा रहा है।

➲ परियोजनांतर्गत ड्रोन के माध्यम से महाराष्ट्र में 40,000 से भी अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का मानचित्रण किया जा रहा है।

❑ विश्व की पहली यात्री हाइपरलूप परियोजना



➡ महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्जिन हाइपरलूप वन-डीपी वर्ल्ड कंसोर्टियम को पुणे-मुंबई हाइपरलूप परियोजना के लिए ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्रोपेनेंट (OPP) के रूप में मंजूरी। (1 जुलाई, 2019)

➲ 10 बिलियन डॉलर राशि की इस योजना को सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजना का दर्जा प्रदान किया है।

➲ इस परियोजना की कुल लंबाई 117.5 किमी. (73 मील) से अधिक है।

➲ इससे पुणे व मुंबई के मध्य की दूरी 35 मिनट में पूरी की जा सकेगी, जिसमें अभी 3.5 घंटे से भी अधिक का समय लगता है।

❑ वहली डिक्री योजना

➡ गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में वहली डिक्री योजना शुरू करने की घोषणा। (2 जुलाई, 2019)

➲ **उद्देश्य-** समाज में लड़कियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करके बालिका जन्म दर में सुधार लाना, उनकी स्कूल ड्रॉपआउट दर और बाल विवाह को रोकना।

❑ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना



➡ तेलंगाना सरकार तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क के मध्य 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई' नामक ड्रोन के माध्यम से आपातकालीन चिकित्सा सामग्री आपूर्ति (जैसे रक्त या टीके) संबंधी परियोजना हेतु सहयोग समझौता। (जुलाई, 2019)

➲ यह परियोजना तेलंगाना सरकार और हेल्थनेट ग्लोबल लि. के साथ साझेदारी में संचालित होगी।

❑ मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना

➡ हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना को लागू करने तथा इसे हिमाचल खुम्ब विकास योजना के नाम से पुनर्नामित करने का निर्णय। (जुलाई, 2019)

➲ **उद्देश्य-** प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कृषि क्षेत्र में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।

❑ दमनगंगा-पिंजल नदी लिंक परियोजना

➡ महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में सूखे की समस्या के समाधान हेतु शीघ्र ही दमनगंगा-पिंजल नदी लिंक परियोजना शुरू करने की घोषणा। (28 जून, 2019)

➲ इस परियोजना से वर्ष 2060 तक मुंबई की जल की आवश्यकता पूरी होगी।

❑ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना



➡ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ। (14 जून, 2019)

➲ योजनांतर्गत राज्य सरकार 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के वृद्धजनों को 400 रुपये मासिक पेंशन के रूप में प्रदान करेगी।

ऑपरेशन/अभियान

❑ मिलन (MILAN), 2020



➡ द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास।

➲ विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। (मार्च, 2020)

❑ पहला आसियान-यू.एस. समुद्री अभ्यास, 2019



➡ यू.एस. और रॉयल थाई नेवी के सह-नेतृत्व में थाईलैंड में शुभारंभ जबकि समापन सिंगापुर में हुआ। (सितंबर, 2019)

➲ इसमें आसियान के सभी 10 सदस्य देशों ने प्रतिभाग किया।

❑ युद्ध अभ्यास, 2019



➡ भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास।

➲ ज्वाइंट बेस लुइस मैक्कॉर्ड, वाशिंगटन में आयोजित। (5-18 सितंबर, 2019)

❑ 28वां भारत-थाईलैंड समन्वित गश्त, 2019



➡ भारतीय नौसेना और थाईलैंड की शाही नौसेना के बीच नौसैन्य अभ्यास, थाईलैंड में आयोजित। (5-15 सितंबर, 2019)

➲ इसमें भारत के आईएनएस केसरी नामक पोत ने भाग लिया।

❑ स्लिनेक्स (SLINEX), 2019

➡ भारत-श्रीलंका के मध्य नौसैन्य अभ्यास, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) एवं बंगाल की खाड़ी में आयोजित। (7-12 सितंबर, 2019)

❑ ऑपरेशन नंबर प्लेट



➡ रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा देशभर के रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग क्षेत्र में 1 या अधिक दिन से खड़े वाहनों की चेकिंग हेतु चलाया गया विशेष अभियान। (9-11 अगस्त, 2019)

❑ गरुड़-VI, 2019

➡ भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास; फ्रांस के वायु सेना बेस, मोंट-डी-मार्सन में आयोजित। (1-12 जुलाई, 2019)

❑ ऑपरेशन थर्स्ट



➡ रेलवे परिसर में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा चलाया गया एक देशव्यापी अभियान। (8-9 जुलाई, 2019)

❑ ऑपरेशन संकल्प

➡ भारतीय नौसेना द्वारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले भारतीय ध्वजवाहक पोतों की सुरक्षा हेतु चलाया गया। (जून 2019)

❑ ऑपरेशन सनराइज-2

➡ मणिपुर, नगालैंड और असम में सक्रिय कई आतंकवादी समूहों को खत्म करने के उद्देश्य से भारत और म्यांमार की सेनाओं द्वारा चलाया गया एक समन्वित अभियान। (जून, 2019)

आयोग/समिति

❑ राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास हेतु कार्यबल

➡ केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक 100 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास हेतु योजना तैयार के लिए कार्यबल (Task force) का गठन। (7 सितंबर, 2019)



➲ आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अतनु चक्रवर्ती इस कार्यबल के अध्यक्ष होंगे।

❑ स्टार्ट-अप्स के लिए 'स्टार्टअप सेल' का गठन

➡ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा इस पांच सदस्यीय सेल का गठन। (30 अगस्त, 2019)

➲ इस सेल की अध्यक्षता CBDT के सदस्य (आयकर और कंप्यूटरीकरण) करेंगे।

➲ यह सेल एंजेल टैक्स और अन्य करों से संबंधित मुद्दों के साथ स्टार्टअप्स की शिकायतों का समाधान करेगी।

❑ बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच हेतु एबीबीएफ नामक पैनल

➡ केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा 50 करोड़ रुपये से अधिक की बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच एवं कार्यवाही के विषय में सिफारिश हेतु 'बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड' (ABBF) नामक पैनल गठित। (21 अगस्त, 2019)



➲ पूर्व सतर्कता आयुक्त टी.एम. भसीन इसके अध्यक्ष होंगे।

➲ यह चार सदस्यीय बोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी में महाप्रबंधक और ऊपर के स्तर के अधिकारियों की संलिप्तता वाले मामलों की जांच करेगा।

❑ चारधाम परियोजना के पारिस्थितिक पहलुओं की समीक्षा हेतु समिति



➡ उच्चतम न्यायालय ने चारधाम परियोजना के पारिस्थितिक पहलुओं की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने का आदेश दिया। (16 अगस्त, 2019)

➲ प्रसिद्ध पर्यावरणविद् एवं देहरादून पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक रवि चोपड़ा इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

❑ वर्ष 2020 एवं 2024 के ओलंपिक की तैयारी हेतु समिति



➡ केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 एवं 2024 के ओलंपिक खेलों की तैयारियों के समन्वय और रणनीति बनाने हेतु एक 10 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन। (26 जुलाई, 2019)

➲ युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) किरेन रिजिजू इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

❑ लोक लेखा समिति (PAC) का गठन



➡ लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा गठित। (25 जुलाई, 2019)

➲ लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं।

❑ कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु मुख्यमंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति

➡ केंद्र सरकार द्वारा गठित। (1 जुलाई, 2019)



➲ इस 9 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस करेंगे।

❑ एमएसएमई का कायाकल्प करने हेतु विशेषज्ञ समिति



➡ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कायाकल्प करने हेतु सेबी के पूर्व अध्यक्ष यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में गठित 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सौंपी। (जून, 2019)

सम्मेलन/समारोह

❑ वर्ल्ड फूड इंडिया, 2019

➡ नई दिल्ली में आयोजित होगा। (1-4 नवंबर, 2019)

➲ **स्लोगन-** 'विकास के लिए साझेदारी' (Forging Partnership for Growth)।

❑ पहला भारतीय अंतरराष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला (IICTF), 2019

➡ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजन प्रस्तावित। (11–13 अक्टूबर, 2019)

❑ 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस, 2019

➡ अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित। (9-12 सितंबर, 2019)

➲ **मुख्य विषय-** 'समृद्धि के लिए ऊर्जा' (Energy for Prosperity)।

❑ 8वीं एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक, 2019

➡ अबू धाबी, यूएई में संपन्न। (10 सितंबर, 2019)

➲ **मुख्य विषय-** 'Energy Security in the age of change : Empowering Responsible Growth in Asia and the World'।

➲ केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

❑ पराली प्रबंधन पर राष्ट्रीय किसान सम्मेलन, 2019

➡ नई दिल्ली में आयोजित। (9 सितंबर, 2019)



➲ सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सहयोग से किया गया।

❑ छठी भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता, 2019

➡ नई दिल्ली में संपन्न। (7-9 सितंबर, 2019)



➲ इस वार्ता के अंतर्गत ढांचागत संरचना, ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी, संसाधन संरक्षण, औषधि तथा नीति समन्वय पर संयुक्त कार्यकारी समूहों की गोलमेज बैठकें भी आयोजित की गईं।

❑ चौथा हिंद महासागर सम्मेलन, 2019

➡ मालदीव में आयोजित। (3-4 सितंबर, 2019)



➲ **मुख्य विषय-** 'हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा : पारंपरिक और गैर-पारंपरिक चुनौतियां' (Securing the Indian Ocean Region : Traditional and Non-Traditional Challenges)।

➲ इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा मालदीव की सरकार और एस. राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, सिंगापुर के सहयोग से किया गया।

➲ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

❑ 12वां भारतीय सुरक्षा सम्मेलन, 2019

➡ नई दिल्ली में आयोजित। (28 अगस्त, 2019)



➲ **मुख्य विषय-** 'नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की ओर' (Towards New National Cyber Security Strategy)।

❑ दयालुता पर पहला विश्व युवा सम्मेलन, 2019

➡ नई दिल्ली में संपन्न। (20-23 अगस्त, 2019)



➲ **मुख्य विषय-** ''वसुधैव कुटुंबकम : समकालीन विश्व के लिए गांधी : महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का उत्सव''।

➲ यूनेस्को, महात्मा गांधी शांति और सतत विकास शिक्षा संस्थान तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित।

➲ इसमें 27 देशों के युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

❑ आदि महोत्सव, 2019

➡ राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, लेह-लद्दाख में आयोजित। (17-25 अगस्त, 2019)



➲ यह जनजाति मामलों के मंत्रालय और ट्राईफेड (Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited) की एक संयुक्त पहल है।

➲ **मुख्य विषय-** 'आदिवासी शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य की भावना का उत्सव' (A celebration of the spirit of Tribal Craft, Culture and Commerce)।

❑ जलवायु परिवर्तन पर 28वीं बेसिक (BASIC) देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक, 2019

➡ साओ पाउलो, ब्राजील में आयोजित। (14-16 अगस्त, 2019)

➲ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

❑ उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट, 2019



➡ 5वां संस्करण, लखनऊ में आयोजित। (9-11 अगस्त, 2019)

- ➲ उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित।

❑ 14वां विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन, 2019

➡ नई दिल्ली में आयोजित। (9-10 अगस्त, 2019)



- ➲ यह सम्मेलन शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों और रचनात्मक कार्यों के लिए समर्पित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच है।
- ➲ इसमें राजस्थान राज्य को 'सर्वश्रेष्ठ नवाचार और पहल नेतृत्व पुरस्कार' प्रदान किया गया।

❑ तीसरा अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन सम्मेलन, 2019



➡ गुरुग्राम (हरियाणा) के मानेसर स्थित अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (ICAT) में आयोजित। (9 अगस्त, 2019)

- ➲ **उद्देश्य-** एक ज्ञान साझेदारी प्लेटफॉर्म का सृजन करना, जिससे ऑटोमोटिव क्षेत्र में सभी स्तरों पर सूचनाओं का प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

❑ स्कोप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सम्मेलन, 2019

➡ नई दिल्ली में आयोजित। (2-3 अगस्त, 2019)

- ➲ **मुख्य विषय-** 'व्यवधानों के युग में कॉर्पोरेट संचार-अभिनव समाधान'।

❑ भारत-नेपाल लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन, 2019



➡ काठमांडू, नेपाल में आयोजित। (28 जुलाई, 2019)

- ➲ **मुख्य विषय-** 'Transforming Logistics Landscape'।
- ➲ नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया।

❑ रेवेरे बीच इंटरनेशनल सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल, 2019



➡ बोस्टन, मैसाच्युसेट्स (U.S.A.) में आयोजित। (26-28 जुलाई, 2019)

- ➲ **मुख्य विषय-** 'मून लैंडिंग की 50वीं वर्षगांठ' (50th Anniversary of the Moon Landing)।
- ➲ महोत्सव में प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को 'पीपुल्स च्वॉइस अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया।
- ➲ उन्हें उनकी रेत कलाकृति 'स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन, सेव अवर ओशन' के लिए सम्मानित किया गया।

❑ 7वां मालाबार नदी महोत्सव, 2019

➡ तुषारगिरी, कोझीकोड (केरल) में आयोजित। (26-28 जुलाई, 2019)

- ➲ यह महोत्सव इरूवानजिपुझा और चलिपुझा नदियों पर आयोजित हुआ।

❑ 13वां वैश्विक स्वास्थ्य सेवा शिखर सम्मेलन, 2019

➡ हैदराबाद में आयोजित। (21-23 जुलाई, 2019)



- ➲ भारतीय मूल के चिकित्सकों के अमेरिकी संघ (AAPI) और भारतीय मूल के चिकित्सकों के वैश्विक संघ (GAPIO) द्वारा आयोजित।
- ➲ इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया।

❑ 5वां अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो, 2019



➡ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित। (19-20 जुलाई, 2019)

- ➲ **मुख्य विषय-** 'शांति और सुरक्षा को मजबूत करने की चुनौतियां'।
- ➲ इसका आयोजन नेक्सजेन एक्जीबिशन्स (Nexgen Exhibitions) द्वारा किया गया।
- ➲ इसमें सिंगापुर, इज्राइल, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, यू.के., यूएसए, मलेशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड आदि देशों की 100 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया।

❑ मीडिया स्वतंत्रता के लिए पहला वैश्विक सम्मेलन, 2019

➡ लंदन (यू.के.) में आयोजित। (10-11 जुलाई, 2019)

- ➲ ब्रिटिश एवं कनाडाई सरकार द्वारा आयोजित।
- ➲ प्रसार भारती के अध्यक्ष ए. सूर्यप्रकाश, राज्य सभा सांसद और पत्रकार स्वपनदास गुप्ता और राजनीतिक विश्लेषक कंचन गुप्ता सहित तीन सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

❑ अंतरराष्ट्रीय शार्क बैठक, 2019

➡ कोच्चि, केरल में आयोजित। (जुलाई, 2019)

- ➲ केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CMFRI) और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित।
- ➲ इस बैठक में यू.के., ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, मलेशिया, इंडोनेशिया, पेरू, इटली, श्रीलंका, नाइजीरिया, सोमालिया, म्यांमार एवं नामीबिया के विशेषज्ञ शामिल हुए।

❑ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, 2019 (SIH, 2019)

➡ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा नई दिल्ली में 'SIH, 2019' के हार्डवेयर संस्करण के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन। (8 जुलाई, 2019)

SMART INDIA HACKATHON 2019

- ➲ इसका आयोजन 8-12 जुलाई, 2019 के मध्य देशभर में किया गया।

❑ अंबूबाची मेला, 2019



➡ असम राज्य के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में मनाया गया। (22-26 जून, 2019)

- ➲ यह मंदिर गुवाहाटी से लगभग 9 किमी. दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है।

❑ तीसरा एशियन लीडरशिप समिट, 2019

➡ थिम्फू, भूटान में संपन्न। (18-22 जून, 2019)

- ➲ इसका आयोजन ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन द्वारा किया गया।
- ➲ इस सम्मेलन में भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद्, बाल रोग विशेषज्ञ और लेखक डॉ. गौरव निगम को 'इनोवेटिव रिसर्च एक्सीलेंस अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया।

❑ 16वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन, 2019



➡ कंबोडिया में आयोजित। (12-14 जून, 2019)

- ➲ इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 'विकासशील बाजारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मीडिया के डिजिटलीकरण' विषय के तहत किया गया था।

❑ UNCCD–COP-14 सम्मेलन



➡ इंडिया एक्सपो मार्ट, नई दिल्ली में आयोजित। (2-13 सितंबर, 2019)

- ➲ पहली बार भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी की।
- ➲ इस सम्मेलन में 196 देशों के 5,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

❑ 5वां CICA शिखर सम्मेलन, 2019

➡ 5वां CICA (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia) शिखर सम्मेलन दुशांबे, ताजिकिस्तान में आयोजित। (14-15 जून, 2019)

- ➲ **मुख्य विषय-** 'एक सुरक्षित और अधिक समृद्ध CICA क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण'।

❑ खीर भवानी मेला, 2019

➡ जम्मू-कश्मीर का प्रसिद्ध मेला आयोजित। (जून, 2019)

- ➲ यह मेला कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक है।
- ➲ यह प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को आयोजित किया जाता है।

संधि/समझौता

❑ कोयला मंत्रालय-डब्ल्यूबीपीडीसीएल में समझौता



➡ यह समझौता कोयला ब्लॉक आवंटन के संबंध में हस्ताक्षरित हुआ। (16 सितंबर, 2019)

- ➲ इस समझौते के तहत पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) को पश्चिम बंगाल में देवचा पचामी दीवानगंज-हरिनसिंघा कोल-ब्लॉक का आवंटन किया गया है।
- ➲ यह आवंटन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत निर्मित कोल-ब्लॉक आवंटन नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
- ➲ इस खदान का क्षेत्रफल 12.28 वर्ग किमी. है, जिसमें विद्युत उत्पादन हेतु 2102 मिलियन टन कोयले का अनुमानित भंडार मौजूद है।

❑ जीईएम-पंजाब सरकार में समझौता



➡ पंजाब में एक जीओटीटी-पीएमयू (GOTT-PMU : GeM Organizational Transformation Team-Project Management Unit) की स्थापना हेतु समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित। (10 सितंबर, 2019)

- ➲ पंजाब देश का पहला राज्य है, जहां पर जीओटीटी-पीएमयू की स्थापना की जाएगी।

❑ एसएमवीडीयू-एनआईएसई में समझौता



➡ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय (एसएमवीडीयू) और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) के बीच समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित। (19 अगस्त, 2019)

- ➲ इस समझौता-ज्ञापन के तहत दोनों संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय सौर मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
- ➲ समझौता-ज्ञापन की वैधता अवधि-5 वर्ष

❑ समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना) योजना को बढ़ावा देने हेतु समझौता

➡ 16 राज्य सरकारों और वस्त्र मंत्रालय के बीच इस योजनांतर्गत कामगारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित। (14 अगस्त, 2019)

- ➲ प्रशिक्षण के बाद इन लाभार्थियों को वस्त्र से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- ➲ वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मंजूर की गई इस योजना का लक्ष्य संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र की पूरी श्रृंखला में वर्ष 2020 तक 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनका कौशल विकास करना है।

❑ जियो-माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प में साझेदारी

➡ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (जियो) द्वारा भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा। (12 अगस्त, 2019)

- ➲ इस साझेदारी की अवधि 10 वर्ष है।
- ➲ ये दोनों कंपनियां डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि के क्षेत्र में मिलकर कार्य करेंगी।

❑ एनएलएफटी-एसडी के साथ समझौता



➡ भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और साबिर देब बर्मा के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी-एसडी) के बीच समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित। (10 अगस्त, 2019)

- ➲ एनएलएफटी-एसडी ने हिंसा का मार्ग छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने और भारतीय संविधान का पालन करने के साथ ही अपने 88 सदस्यों के हथियार सहित आत्मसमर्पण करने पर भी सहमति व्यक्त की है।

➡ ज्ञातव्य है कि एनएलएफटी गैर-कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत वर्ष 1997 से प्रतिबंधित है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पार स्थित अपने शिविरों से हिंसा फैलाने जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है।

❑ यूएनआईडीओ-एनआईएसई समझौता

➡ संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) के बीच सौर तापीय ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के लिए लाभार्थियों के कौशल विकास कार्यक्रम हेतु समझौता हस्ताक्षरित। (7 अगस्त, 2019)

❑ रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूरेनियम आपूर्ति हेतु समझौता

➡ बांग्लादेश ने 2400 मेगावॉट के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (RNPP) के लिए यूरेनियम आपूर्ति हेतु रूस के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। (6 अगस्त, 2019)

- ➲ यह MoU बांग्लादेश के परमाणु ऊर्जा आयोग और रूसी परमाणु ईंधन आपूर्ति कंपनी (TVEL) के मध्य ढाका, बांग्लादेश में हस्ताक्षरित हुआ।

❑ भारत-ट्यूनीशिया में समझौता

➡ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और ट्यूनीशिया के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के विषय में हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन को पूर्वव्यापी मंजूरी। (5 अगस्त, 2019)

- ➲ इस समझौते के तहत भारत के अंतरिक्ष विभाग/इसरो और नेशनल सेंटर फॉर कार्टोग्राफी एंड रिमोट सेंसिंग, ट्यूनीशिया के सदस्यों को शामिल करके एक संयुक्त कार्यसमूह की स्थापना की जाएगी।

❑ केएबीआईएल की स्थापना हेतु समझौता



➡ सार्वजनिक क्षेत्र के तीन केंद्रीय प्रतिष्ठानों राष्ट्रीय एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम की स्थापना हेतु समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित। (1 अगस्त, 2019)

- ➲ इस संयुक्त उद्यम का नाम खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL-Khanij Bidesh India Ltd.) होगा।
- ➲ इस संयुक्त उद्यम में नालको, एचसीएल और एमईसीएल के बीच इक्विटी भागीदारी का अनुपात 40 : 30 : 30 होगा।
- ➲ केएबीआईएल वाणिज्यिक उपयोग और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, खोज, विकास, खनन और प्रसंस्करण का कार्य करेगी।

❑ आईआईएम कोलकाता और दो विदेशी विश्वविद्यालयों में समझौता

➡ भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कोलकाता और कार्लटन यूनिवर्सिटी, कनाडा तथा मॉन्टपेलियर बिजनेस स्कूल, फ्रांस के बीच छात्र विनिमय (Student Exchange) के लिए समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित। (25 जुलाई, 2019)

- ➲ **उद्देश्य-** संस्थान के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय परिवेश से सीखने का अवसर प्रदान करना।

❑ भेल-एनटीपीसी में समझौता



➡ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के बीच छत्तीसगढ़ के सिपत में स्थित एनटीपीसी के मौजूदा बिजली संयंत्र में 800 मेगावॉट के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संयंत्र (TDP-Technology Demonstration Plant) की स्थापना करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करने हेतु समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित। (24 जुलाई, 2019)

- ➲ यह संयंत्र उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होगा, जो विश्व के सबसे कुशल बिजली संयंत्रों में से एक होगा।

❑ जीईएम-सेल में समझौता

➡ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के साथ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। (18 जुलाई, 2019)

- ➲ इसी के साथ सेल जीईएम पर GOTT-PMU (GeM Organisational Transformation Team-Project Management Unit) स्थापित करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम बन गया है।

❑ भारत-मालदीव समझौता



➡ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8 जून, 2019 को भारत सरकार और मालदीव गणराज्य की सरकार के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन को पूर्वव्यापी स्वीकृति। (3 जुलाई, 2019)

- ➲ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और मालदीव के बीच समुद्री मार्ग से यात्री सेवा और माल ढुलाई सेवा को बढ़ावा देने हेतु 8 जून, 2019 को हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन को पूर्वव्यापी मंजूरी। (3 जुलाई, 2019)

➲ यह समझौता प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित हुआ था।

➲ इस समझौते के तहत मालदीव और केरल के बीच समुद्री मार्ग से फेरी सेवाओं के माध्यम से कोच्चि को मालदीव के माले और कुलहुधुफुसी से जोड़ा जाएगा।

❑ बीपीआरएंडडी और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में समझौता

➡ पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो (BPR & D) और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (MDNIY) के बीच पूरे देश में पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (Central Armed Police Forces) तथा उनके परिवार के सदस्यों हेतु योग शिक्षा व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित। (3 जुलाई, 2019)

❑ एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को ऋण

➡ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) और एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के बीच पवन और सौर अवसंरचना परियोजनाओं हेतु 100 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर। (जुलाई, 2019)

➲ यह पहली बार है, जब एआईआईबी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऋण प्रदान कर रहा है।

❑ नीति आयोग-व्हाट्स ऐप में साझेदारी



➡ भारतीय महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्स ऐप के साथ साझेदारी की। (जुलाई, 2019)

➲ इसके साथ ही व्हाट्स ऐप, नीति आयोग के वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (WTI) पुरस्कार, 2019 के साथ साझीदारी करेगा जिसके तहत WTI के विजेताओं को 1,00,000 डॉलर राशि की सहायता प्रदान करेगा।

❑ आर-27 मिसाइल की खरीद हेतु समझौता

➡ भारतीय वायु सेना ने 1500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की आर-27 (R-27) मिसाइल की खरीद हेतु रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। (जुलाई, 2019)

➲ यह मिसाइल मध्यम से लंबी दूरी तक हवा-से-हवा में मार करने में सक्षम है।

➲ इस मिसाइल को लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआई (Su-30 MKI) पर तैनात किया जाएगा।

❑ पहले रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम हेतु समझौता



➡ भारत सरकार, केरल सरकार और विश्व बैंक के बीच पहले रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम (First Resilient Kerala Program) हेतु 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर। (28 जून, 2019)

➲ **उद्देश्य-** प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में राज्य की क्षमता को बढ़ाना।

❑ टीबी के इलाज और उन्मूलन हेतु समझौता

➡ भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच देश में टीबी के इलाज और उसके उन्मूलन हेतु 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर। (27 जून, 2019)

❑ एनटीपीसी-पीजीसीआईएल समझौता

➡ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) और पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) के बीच एक संयुक्त उद्यम राष्ट्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (NEDCL) की स्थापना हेतु समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित। (21 जून, 2019)

➲ इस संयुक्त उद्यम में दोनों की हिस्सेदारी 50 : 50 की होगी।

संघ/संगठन

❑ बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड

➡ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ऑफ चाइना को देश में नियमित सेवाएं प्रदान करने हेतु अनुमति प्रदान की। (1 अगस्त, 2019)

➲ केंद्रीय बैंक ने इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का परामर्श दिया है।

❑ इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक

➡ डाक विभाग द्वारा इस बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने का निर्णय। (1 अगस्त, 2019)

➲ यह ग्राहकों को छोटे कर्ज (Small loans) प्रदान करेगा।

➲ इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक ने 100 दिनों की अवधि में 1 करोड़ खाता खोलने का लक्ष्य रखा है।

❑ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

➡ पूंजी बाजार सूचकांक के वैश्विक प्रदाता मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल (MSCI) ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अपने वैश्विक मानक सूचकांक (Global Standard Index) में शामिल किया। (अगस्त, 2019)

➲ एमएससीआई ने यूनियन बैंक को अपने इंडिया स्मॉलकैप इंडेक्स से बाहर कर दिया है।

❑ भारतीय स्टेट बैंक की शंघाई शाखा

➡ चीन की राष्ट्रीय अग्रिम भुगतान प्रणाली (CNAPS-China's National Advance Payment System) से संबद्ध होने वाला पहला भारतीय बैंक बना। (अगस्त, 2019)

➲ भारतीय स्टेट बैंक एकमात्र भारतीय बैंक है, जिसने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए लाइसेंस हासिल किया है।

❑ छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण

➡ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठन का निर्णय। (अगस्त, 2019)

- ➲ **उद्देश्य-** खेल के क्षेत्र में नीतिगत निर्णय, खेल से संलग्न विभागों में समन्वय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के संबंध में निर्णय लेना।
- ➲ मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।

❑ यात्रा ऑनलाइन का अधिग्रहण

➡ अमेरिकी सॉफ्टवेयर फर्म ईबिक्स (EBIX) द्वारा 337.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि में ट्रैवेल पोर्टल यात्रा ऑनलाइन का अधिग्रहण करने की घोषणा। (17 जुलाई, 2019)

❑ सिख फॉर जस्टिस

➡ केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक समूह 'सिख फॉर जस्टिस' पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण प्रतिबंध लगाया। (10 जुलाई, 2019)

- ➲ यह प्रतिबंध गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के तहत लगाया गया है।

विधि/न्याय

❑ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2019

➡ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस अध्यादेश से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी। (27 अगस्त, 2019)

- ➲ इस अध्यादेश के तहत अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है।

❑ किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियम, 2019

➡ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नियम के प्राख्यापन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी। (20 अगस्त, 2019)

- ➲ भारत सरकार द्वारा सृजित आदर्श नियम, 2016 के प्रावधानों को अंगीकृत कर यह नियम बनाया गया है।
- ➲ नए नियम में बालकों के विरुद्ध एवं बालकों द्वारा किए जाने वाले सामान्य से जघन्य अपराधों का वर्गीकरण एवं किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विधि विरुद्ध बालकों के संबंध में लंबित जांचों के समयबद्ध निस्तारण का प्रावधान किया गया है।

❑ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

➡ राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत। (9 अगस्त, 2019)

- ➲ इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का स्थान लिया।
- ➲ अधिनियम में उपभोक्ताओं के 6 अधिकारों को स्पष्ट किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनका संरक्षण करने और उन्हें लागू करने हेतु केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के गठन का प्रावधान है।

❑ सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019

➡ राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त। (9 अगस्त, 2019)

- ➲ इस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 30 से बढ़ाकर 33 करने का प्रावधान किया गया है।

❑ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019

➡ राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी । (8 अगस्त, 2019)



- ➲ इस अधिनियम के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को निरसित किया गया है।
- ➲ इस अधिनियम में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष, 10 पूर्ण-पदेन सदस्य तथा 22 अंशकालिक सदस्य होंगे।
- ➲ यह आयोग मेडिकल शिक्षा के विनियमन हेतु प्रमुख इकाई के रूप में कार्य करेगा।

❑ भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019

➡ राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी। (6 अगस्त, 2019)

- ➲ इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 में संशोधन किया गया है।
- ➲ इस अधिनियम में प्रमुख हवाई अड्डों के लिए वार्षिक यात्री यातायात की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख से अधिक करने का प्रावधान किया गया है।

❑ राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019

➡ राज्य सभा द्वारा पारित। (6 अगस्त, 2019)



- ➲ इस विधेयक में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

❑ राजस्थान मॉब लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019

➡ राजस्थान विधानसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित। (5 अगस्त, 2019)

- इस विधेयक के तहत मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा की गई हिंसा) की घटनाओं में पीड़ित की मृत्यु होने पर दोषी को आजीवन कारावास और 1 से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।



- इस विधेयक में 2 या अधिक के समूह को मॉब माना गया है।

❑ उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019

➡ लोक सभा में पारित। (5 अगस्त, 2019)

- इस विधेयक में उभयलिंगी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करने, राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद की स्थापना करने तथा इनके सशक्तीकरण हेतु प्रावधान किए गए हैं।

❑ जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019

➡ लोक सभा द्वारा पारित। (2 अगस्त, 2019)



- इस विधेयक के अंतर्गत जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
- यह अधिनियम 13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में मारे गए या घायल हुए लोगों की स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण का प्रावधान करता है।
- यह राष्ट्रीय स्मारक के प्रबंधन हेतु एक ट्रस्ट के सृजन का प्रस्ताव करता है।
- प्रस्तावित विधेयक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को ट्रस्टी से हटाने संबंधी प्रावधान है।
- संशोधन द्वारा ट्रस्ट में विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।

❑ बांध सुरक्षा विधेयक, 2019

➡ लोक सभा द्वारा पारित। (2 अगस्त, 2019)



- इस विधेयक में देशभर में निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और देखभाल संबंधी प्रावधान हैं।
- यह विधेयक देश के सभी निर्दिष्ट बांधों पर लागू होता है- (i) जिसकी 15 मीटर से अधिक ऊंचाई हो (ii) 10-15 मीटर के मध्य ऊंचाई वाले और कुछ अतिरिक्त डिजाइन और संरचनात्मक परिस्थितियों के अधीन वाले बांध शामिल हैं।
- इस विधेयक में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, राज्य बांध सुरक्षा संगठन एवं बांध सुरक्षा पर राज्य समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।

❑ सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019

➡ राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी। (1 अगस्त, 2019)

- इस अधिनियम द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन किया गया है।
- इस अधिनियम के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्तों और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।
- केंद्रीय और राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी, जैसा केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।

❑ अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019

➡ राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी। (31 जुलाई, 2019)



- यह अधिनियम अनियंत्रित जमा योजनाओं (Unregulated Deposit Schemes) पर प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु एक तंत्र प्रदान करता है।
- इस अधिनियम द्वारा तीन कानूनों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है।
- इसके तहत अविनियमित जमा को स्वीकार करने पर 2 से 7 वर्ष तक के कारावास तथा 3 से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

❑ अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

➡ लोक सभा द्वारा पारित। (31 जुलाई, 2019)

- इस विधेयक का उद्देश्य अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन करना है।
- इसके तहत जल विवादों को न्याय-निर्णयत करने हेतु अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है।
- इसके साथ ही जल विवाद के संबंध में किसी राज्य से अनुरोध प्राप्त होने पर केंद्र सरकार द्वारा नदी जल विवाद के समाधान हेतु एक विवाद समाधान समिति के गठन का प्रस्ताव है।

❑ कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019

➡ राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी। (31 जुलाई, 2019)

- इस अधिनियम में 16 अपराधों को नागरिक चूक (Civil defaults) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- किसी कंपनी के व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने गठन के 180 दिन के भीतर घोषणा-पत्र प्रस्तुत करे।

❑ शिक्षा नियामक और निगरानी आयोग विधेयक, 2019

➡ आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित। (29 जुलाई, 2019)



- इस विधेयक के अंतर्गत शिक्षा नियामक और निगरानी आयोग के गठन का प्रावधान है।
- इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा और इसमें 11 सदस्य (राष्ट्रीय स्तर के) शिक्षाविद् होंगे।

➲ यह आयोग राज्य में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण व्यवस्था की निगरानी करेगा।

❑ मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

➡ राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी। (27 जुलाई, 2019)



➲ इस अधिनियम के अंतर्गत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन किया गया।

➲ इस विधेयक में आयोग के सदस्यों (सिविल सोसायटी) की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक सदस्य महिला होगी।

➲ आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है।

➲ यह विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी ऐसे व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु पात्र बनाता है।

❑ डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019

➡ लोक सभा में पेश किया गया। (8 जुलाई, 2019)

➲ इस विधेयक में राष्ट्रीय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर पर डीएनए डेटा बैंकों तथा डीएनए विनियमन बोर्ड (DNA Regulatory Board) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

❑ रात्रि पाली में महिलाओं को काम करने हेतु मंजूरी

➡ गोवा मंत्रिमंडल द्वारा उद्योगों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन हेतु मंजूरी। (26 जून, 2019)

➲ यह महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने का अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में है।

वर्ष/दिवस

❑ अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस



➡ **तिथि-** 21 सितंबर, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'शांति के लिए जलवायु कार्रवाई' (Climate Action for Peace)।

❑ अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस

➡ **तिथि-** 15 सितंबर, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'सहभागिता' (Participation)।

❑ विश्व आत्महत्या निवारण दिवस



➡ **तिथि-** 10 सितंबर, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'आत्महत्या रोकथाम के लिए मिलकर कार्य करें' (Working Together to Prevent Suicide)।

❑ अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस



➡ **तिथि-** 8 सितंबर, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'साक्षरता और बहुभाषावाद' (Literacy and Multilingualism)।

❑ अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस



➡ **तिथि-** 12 अगस्त, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'परिवर्तनकारी शिक्षा' (Transforming Education)।

❑ विश्व जैव ईंधन दिवस



➡ **तिथि-** 10 अगस्त, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'प्रयुक्त कुकिंग ऑयल से जैव-डीजल का उत्पादन' [Production of Biodiesel from Used Cooking Oil (UCO)]।

❑ विश्व के स्थानीय लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस



➡ **तिथि-** 9 अगस्त, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'देशी भाषाएं' (Indigenous Languages)।

❑ विश्व स्तनपान सप्ताह



➡ **तिथि-** 1-7 अगस्त, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'Empower Parents, Enable Breastfeeding'.

❑ विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस



➡ **तिथि-** 30 जुलाई, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'मानव तस्करी : कार्रवाई के लिए अपनी सरकार का आह्वान'।

❑ विश्व हेपेटाइटिस दिवस



➡ **तिथि-** 28 जुलाई, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'हेपेटाइटिस की समाप्ति हेतु निवेश'।

❑ विश्व युवा कौशल दिवस



➡ **तिथि-** 15 जुलाई, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'Learning to Learn for Life and Work'.

❑ अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस



➡ **तिथि-** 6 जुलाई, 2019 (जुलाई माह का प्रथम शनिवार)

➲ **मुख्य विषय-** 'Coops 4 Decent Work'.

❑ सांख्यिकी दिवस



➡ **तिथि-** 29 जून, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'सतत विकास लक्ष्य' (SDG)।

❑ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे

➡ **तिथि-**21 जून, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'Hydrographic information driving marine knowledge'.

❑ मादक-द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस

➡ **तिथि-** 26 जून, 2019

➲ **मुख्य विषय-** 'न्याय के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए न्याय' (Health for Justice, Justice for Health)।

अन्य वर्ष दिवस

- **परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस—** 29 अगस्त, 2019
- **राष्ट्रीय हथकरघा दिवस—** 7 अगस्त, 2019
- **महिला समानता दिवस—** 26 अगस्त, 2019
- **विश्व मानवतावादी दिवस—** 19 अगस्त, 2019
- **विश्व हाथी दिवस—** 12 अगस्त, 2019
- **अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस—** 29 जुलाई, 2019
- **अर्थ ओवरशूट डे—** 29 जुलाई, 2019
- **नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस—** 18 जुलाई, 2019
- **विश्व जनसंख्या दिवस—** 11 जुलाई, 2019
- **अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस—** 30 जून, 2019
- **संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस—** 23 जून, 2019

पुस्तकें

- **ओबामा : द कॉल ऑफ हिस्ट्री—** पीटर बेकर
- **बिग बिलियन स्टार्टअप : द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी—** मिहिर दलाल
- **बूट्स बेल्ट्स बेरेट्स —** तनुश्री पोद्दार
- **चीटर्स —** नोवोनील चक्रवर्ती
- **सिल्वर स्पैरो —** टायरी जोन्स
- **द आयवरी थ्रोन —** मनु एस. पिल्लई
- **द मैन हू सेव्ड इंडिया : सरदार पटेल एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया —** हिंडोल सेनगुप्ता
- **द डायरी ऑफ मनु गांधी : 1943-1944—** त्रिदीप सुहरुद
- **द इंस्टीट्यूट—** स्टीफेन किंग
- **परमानेंट रिकॉर्ड—** मैरी एच.के. चोई
- **डार्कडॉन—** जे क्रिस्टॉफ
- **देयर विल कम ए डार्कनेस—** कैटी रोज पूल
- **अमेरिकन रॉयल्स—** कैथरीन मैक्गी
- **द सीक्रेट्स वी केप्ट—** लारा प्रेस्कॉट
- **द टेस्टामेंट्स—** मार्गरेट एटवुड
- **द गार्जियन्स—** जॉन ग्रिशम
- **द टेंथ गर्ल—** सारा फेरिंग
- **द एजुकेशन ऑफ एन आइडियलिस्ट : ए मेमॉयर—** सामंथा पावर
- **शिक्षा : दिल्ली के स्कूलों में मेरे कुछ अभिनव प्रयोग—** मनीष सिसोदिया
- **अमेजिंग कंप्यूटर सीक्रेट्स एंड हैक्स—** पवन शर्मा
- **सांध्य तारा—** शरद पगारे
- **ठसक—** ममता कालिया
- **द गेम ऑफ वोट्स : विजुअल मीडिया पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन्स इन द डिजिटल एरा—** फरहत बसीर खान
- **ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज—** राजेन्द्र बी. अकलेकर
- **लीला—** प्रयाग अकबर
- **स्काईफायर—** अरुण रमन
- **द बार्ड ऑफ ब्लड—** बिलाल सिद्दीकी
- **वनरगिल : अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार—** रचना बिष्ट रावत
- **चंद्रशेखर : द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स—** हरिवंश एवं रवि दत्त बाजपेयी
- **व्हिस्पर्स ऑफ टाइम—** डॉ. कृष्णा सक्सेना
- **ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर-मेमोरीज ऑफ ए मिलिटरी चीफ—** एडमिरल सुशील कुमार
- **द न्यू डेल्ही कॉन्सपिरेसी—** मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार
- **लेसन्स लाइफ टॉट मी अन्नोइंगली—** अनुपम खेर
- **फंक्शन ऑफ डेटा सॉवरेन्टी-द परस्यूट ऑफ सुप्रीमेसी—** विनीत गोयनका
- **समर ऑफ 69—** एलिन हिल्डरब्रांड
- **हर डेडली सीक्रेट्स—** लौरा ग्रिफिन
- **लेडी इन द लेक—** लौरा लिपमैन
- **आर्टिकल 15 : अब फर्क लाएंगे—** अनुभव सिन्हा, गौरव सोलंकी
- **बाली उमर—** भगवंत अनमोल
- **कहानीवाला—** संदीप डोबरियाल
- **डिवाइडेड लाइफ—** वी.पी. सुनील
- **अर्जुन : पांडव योद्धा की गाथा—** अनुजा चंद्रमौली
- **रावण : आर्यवर्त का शत्रु—** अमीश त्रिपाठी
- **पगडंडी टू हाईवे—** संजय कुमार अविनाश
- **गन आइलैंड—** अमिताव घोष
- **द स्पिरिट ऑफ साइंस फिक्शन—** राबर्टो बोलेनो
- **वार ओवर वड्र्स : सेंसरशिप इन इंडिया, 1930-1960—** देविका सेठी
- **हिमाचल प्रदेश : एक सांस्कृतिक परिदृश्य—** कंचन शर्मा
- **धुंध से निकली राहें—** जैनेन्द्र नारायण पाण्डेय
- **द निकेल ब्वॉयज : ए नॉवेल—** कोलसन व्हाइटहेड

विविध

❑ 92वें ऑस्कर पुरस्कारों, 2020 हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि



➡ फिल्म निर्देशक जोया अख्तर द्वारा निर्देशित फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) वर्ष 2020 के ऑस्कर पुरस्कारों हेतु सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित। (21 सितंबर, 2019)

- ध्यातव्य है कि 23 अप्रैल, 2019 को एकेडमी बोर्ड द्वारा 'विदेशी भाषा की फिल्म का पुरस्कार' नाम को बदलकर 'अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार' कर दिया गया।
- प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं फिल्मकार अपर्णा सेन इस वर्ष चयन समिति की अध्यक्ष थीं।

❑ 50वां भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

➡ इसका आयोजन गोवा के पणजी में किया जाएगा। (20-28 नवंबर, 2019 तक)

- इस फिल्म समारोह में रूस भागीदार देश होगा।

❑ वॉरगेमिंग सॉफ्टवेयर



➡ रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने यह सॉफ्टवेयर नौसेना उप-प्रमुख वाइस एडमिरल जी. अशोक कुमार को सौंपा। (16 सितंबर, 2019)

- यह नई पीढ़ी का वॉरगेमिंग सॉफ्टवेयर डीआरडीओ की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स स्टडीज एंड एनालिसिस (ISSA), दिल्ली द्वारा मेरीटाइम वॉरफेयर सेंटर, विशाखापत्तनम के सहयोग से तैयार किया गया है।

❑ समुद्री संचार सेवा



➡ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा मुंबई में इस सेवा का शुभारंभ। (13 सितंबर, 2019)

- इस सेवा के माध्यम से भारत में पालयुक्त नौकाओं, क्रूज लाइनरों एवं जहाजों पर यात्रा करते समय उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग कर तीव्र गति की वॉयस, डेटा और वीडियो सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

❑ धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य

➡ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजनांतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए धान क्रय नीति के निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी। (10 सितंबर, 2019)

- इसके तहत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में सामान्य श्रेणी धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए श्रेणी धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1835 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
- इस वर्ष प्रदेश के लिए 50 लाख मीट्रिक टन धान क्रय (खरीद) का कार्यकारी लक्ष्य प्रस्तावित है।

❑ हुनर हाट

➡ जयपुर, राजस्थान में आयोजित (24 अगस्त, 2019 से 1 सितंबर, 2019 तक)

❑ लेमरू एलीफैंट रिजर्व



➡ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के कोरबा, कठघोरा, धरमजयगढ़, सरगुजा वनमंडल क्षेत्र के अंतर्गत 1995.48 वर्ग किमी. क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय। (27 अगस्त, 2019)

❑ कल्वी थोलाईकच्ची



➡ तमिलनाडु सरकार द्वारा 'कल्वी थोलाईकच्ची' (Kalvi Tholaikkatchi) नामक शैक्षणिक टीवी चैनल लांच। (26 अगस्त, 2019)

- इस चैनल से LKG से 12 तक के छात्र लाभान्वित होंगे।

❑ डोक्डो द्वीप

➡ इस विवादित द्वीप के आस-पास दक्षिण कोरियाई सेना द्वारा दो दिवसीय ड्रिल आयोजित। (25-26 अगस्त, 2019 तक)

- द्वीपों के इस समूह के स्वामित्व को लेकर जापान और दक्षिण कोरिया में विवाद है।
- मौजूदा समय में यह दक्षिण कोरिया के नियंत्रण में है।
- इस विवादित द्वीपों के समूह को जापान में ताकेशिमा और कोरिया में डोक्डो कहा जाता है।

❑ बांद्रा स्टेशन का विरासत डाक टिकट



➡ बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान द्वारा शुभारंभ। (23 अगस्त, 2019)

- मुंबई, महाराष्ट्र में अवस्थित इस स्टेशन के 150 वर्ष पूरे होने पर यह डाक टिकट जारी किया गया है।

❑ विश्व का पहला फ्लोटिंग (तैरता हुआ) न्यूक्लियर पॉवर प्लांट



➡ रूस द्वारा आर्कटिक महासागर में लांच। (23 अगस्त, 2019)

- इसका नाम एकेडेमिक लोमोनोसोव (Akademik Lomonosov) है।

➡ एकेडेमिक लोमोनोसोव में 35 मेगावॉट के 2 नाभिकीय रिएक्टर्स स्थापित हैं।

❑ प्रोजेक्ट SU.RE



➡ केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा मुंबई में प्रोजेक्ट SU.RE (Sustainable Resolution) का शुभारंभ। (22 अगस्त, 2019)

- यह एक प्रकार की वचनबद्धता है, जो स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देने हेतु फैशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ने को प्रेरित करती है।
- इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 16 अग्रणी खुदरा ब्रांड शामिल हैं, जो

पहली बार इतनी संख्या में पृथ्वी की रक्षा हेतु एक साथ आए हैं।

➲ इस संकल्प के लिए इन 16 ब्रांडों का संयुक्त उद्योग मूल्य लगभग 30,000 करोड़ रुपये है।

❑ समुद्री ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा घोषित

➡ केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह द्वारा समुद्री ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा घोषित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी। (22 अगस्त, 2019)

➲ समुद्री ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों में ज्वारीय तरंग तथा समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC) शामिल हैं।

➲ ज्वारीय ऊर्जा की कुल संभाव्य क्षमता लगभग 12455 मेगावॉट आकलित है।

➲ भारत में ज्वारीय ऊर्जा हेतु संभावित स्थलों में खम्भात और कच्छ क्षेत्र की पहचान की गई है।

❑ बावर-373



➡ ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी द्वारा लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेश निर्मित इस वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का अनावरण। (22 अगस्त, 2019)

➲ यह मिसाइल 27 किमी. तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है।

➲ इसकी मारक क्षमता अधिकतम 200 किमी. तक है।

❑ राष्ट्रीय मिशन 'निष्ठा'



➡ केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में राष्ट्रीय मिशन 'निष्ठा' (National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement) का शुभारंभ। (21 अगस्त, 2019)

➲ **उद्देश्य-** प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के स्तर में सुधार कर उसे बेहतर बनाना।

➲ राष्ट्रीय मिशन 'निष्ठा' विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

➲ इस पहल के तहत देशभर में 42 लाख सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

❑ # आईएम इंडियन अभियान



➡ सिंगापुर स्थित बिगो (BIGO) टेक्नोलॉजी के अग्रणी वैश्विक, लघु वीडियो निर्माण मंच लाइकी ऐप (Likee App) ने 'No Matter where I am # I AMINDIAN' अभियान के दौरान भारतीय ध्वज लहराते हुए लोगों का सबसे बड़ा ऑनलाइन वीडियो एलबम बनाया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया। (21 अगस्त, 2019)

➲ भारत के 73 वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने हेतु 1 लाख से अधिक भारतीयों ने मंच पर तिरंगा लहराकर देश के प्रति प्रेम व्यक्त किया।

➲ इस पहल में भारतीय एथलीट हिमा दास भी शामिल थीं।

❑ मोबाइल मेटैलिक रैंप



➡ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने मोबाइल मेटैलिक रैंप (MMR) का डिजाइन भारतीय सेना को सौंपा। (20 अगस्त, 2019)

➲ यह 70 मीट्रिक टन भार वहन करने में सक्षम है।

➲ यह डीआरडीओ की प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला सेंटर फॉर फायर, एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी (CFEES) द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है।

➲ इससे बख्तरबंद और यंत्रीकृत इकाइयों और सेना की टुकड़ियों को सामरिक गतिशीलता प्राप्त होगी।

❑ अमेरिका द्वारा मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण

➡ कैलिफोर्निया के सैन निकोलस द्वीप पर 500 किमी. से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल का सफल परीक्षण। (18 अगस्त, 2019)

➲ 2 अगस्त, 2019 को औपचारिक रूप से इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस (INF) संधि से अलग होने के बाद अमेरिका द्वारा किया गया यह पहला परीक्षण है।

❑ उत्तरी ध्रुव पर उड़ान



➡ एयर इंडिया उत्तरी ध्रुव पर उड़ान संचालित कर ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर वाणिज्यिक उड़ान संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। (15 अगस्त, 2019)

➲ एयर इंडिया के बोइंग 777 विमान ने दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए शून्य डिग्री उत्तरी ध्रुव के ऊपर से यह उड़ान भरी।

➲ आमतौर पर दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान अटलांटिक या प्रशांत महासागर के ऊपर से संचालित की जाती है।

❑ कोरस (CORAS : Commandos for Railway Security)



➡ केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारतीय रेलवे की सुरक्षा हेतु गठित इस नई कमांडो यूनिट और रेलवे सुरक्षा बल के लिए बनाई गई नियमावली का शुभारंभ। (14 अगस्त, 2019)

➲ इस नई कमांडो यूनिट का गठन रेलवे क्षेत्र के निकट किसी अप्रिय घटना, रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा तथा भारतीय रेलवे तथा रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया है।

➲ रेल मंत्री ने हरियाणा के जगाधरी में अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किए जाने की घोषणा की।

❑ देशभक्ति गीत 'वतन'

➡ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दूरदर्शन द्वारा निर्मित देश भक्ति गीत 'वतन' जारी किया। (13 अगस्त, 2019)

➲ यह गीत आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है, जिसे बॉलीवुड गायक जावेद अली ने गाया है और संगीत दुष्यंत ने दिया है।

➲ इस गीत के माध्यम से हाल ही में चन्द्रयान-2 के प्रक्षेपण और सरकार के कई अग्रणी कार्यक्रमों और पहलों के विषय में जानकारी प्रदान किए जाने के साथ ही सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता एवं पराक्रम तथा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है।

❑ गंगाजल के इष्टतम उपयोग हेतु संयुक्त तकनीकी समिति

➡ भारत और बांग्लादेश ने इस समिति के गठन पर सहमति व्यक्त की। (8 अगस्त, 2019)

➲ यह समिति गंगा जल साझाकरण संधि (Ganga Water Sharing Treaty), 1996 के तहत गठित की जाएगी।

➲ दोनों देश फेनी, गुमटी और तीस्ता सहित 8 नदियों के लिए अंतरिम जल-साझाकरण समझौते के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर भी सहमत हुए।

➲ गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना मेगा-बेसिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलीय (Hydraulic) क्षेत्र है।

❑ वृक्षारोपण महाकुंभ



➡ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जैतीखेड़ा वन ब्लॉक, लखनऊ में शुभारंभ। (9 अगस्त, 2019)

➲ भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित वृक्षारोपण महाकुंभ के दौरान प्रदेश में 22 करोड़, 59 लाख, 81 हजार, 116 पौधे लगाए गए, जो एक रिकॉर्ड है।

➲ प्रयागराज (इलाहाबाद) जिले में एक निश्चित समयावधि में (6 घंटे) में निःशुल्क 76,823 पौधों का वितरण कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, जिसे गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।

❑ स्तनपान तथा शिशु और बाल पोषण प्रथाओं से संबंधित रिपोर्ट कार्ड

➡ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी। (8 अगस्त, 2019)

➲ इसमें मणिपुर शीर्षस्थ राज्य है जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार सबसे निचले पायदान पर हैं।

❑ एसडीआर टैक्टिकल और मेरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी (लंबी दूरी)

➡ रक्षा खरीद परिषद द्वारा खरीद हेतु मंजूरी। (8 अगस्त, 2019)

➲ स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (एसडीआर टैक्टिकल) एक जटिल एवं अत्याधुनिक संचार प्रणाली है।

➲ यह प्रणाली रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), बीईएल और वेपन्स इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग स्टैब्लिशमेंट (WESEE) द्वारा विकसित और डिजाइन की गई है।

➲ अगली पीढ़ी की मेरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी (लंबी दूरी) को सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के साथ लैस किया जाएगा और इसकी तैनाती तटों पर की जाएगी।

➲ यह बैटरी मेसर्स ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित और निर्मित की गई है।

❑ रिहंद जलाशय पर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना



➡ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 150 मेगावॉट क्षमता के फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु मंजूरी। (6 अगस्त, 2019)

➲ यह फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र देश में अपनी तरह का स्थापित किया गया पहला संयंत्र होगा।

➲ 100 मेगावॉट क्षमता के फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना मेसर्स रिन्यू सोलर प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम और 50 मेगावॉट क्षमता के संयंत्र की स्थापना मेसर्स शापूरजी पालोंजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, मुंबई द्वारा की जाएगी।

➲ इस संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन 3.36 रुपये प्रति यूनिट (0.07 रुपये प्रति यूनिट ट्रेडिंग मार्जिन सहित) की दर से खरीदेगा।

❑ AMOS-17 उपग्रह का प्रक्षेपण



➡ अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के फॉल्कन-9 रॉकेट ने अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित केप कैनवेरेल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरकर इस इस्राइली उपग्रह को अंतरिक्ष में उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। (6 अगस्त, 2019)

➲ 6.5 टन वजनी इस उपग्रह को इस्राइली कंपनी स्पेसकॉम ने डिजाइन और बोइंग कंपनी ने निर्मित किया है।

➲ उपग्रह में Ka, Ku तथा C के बैंड ट्रांसपोंडर संलग्न हैं और यह उप-सहारा अफ्रीका, यूरोप, मध्य-पूर्व और एशिया के कुछ भागों में प्रसारण एवं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करेगा।

❑ विश्व के सबसे बड़े तोते के जीवाश्म की खोज



➡ फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया के जीवाश्म विज्ञानी ट्रेवोर वर्दी का अनुसंधान जर्नल बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित। (6 अगस्त, 2019)

➲ न्यूजीलैंड के मध्य ओटागो क्षेत्र में स्थित सेंट बाथन्स के निकट 19 मिलियन वर्ष पुराने प्राप्त जीवाश्मों में इस विशाल तोते के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं।

➲ इस तोते का नाम 'हेराक्लेस इनेएक्सपेक्टेटस' (Heracles Inexpactatus) रखा गया।

➲ विशेषज्ञों के अनुसार, इस तोते की ऊंचाई 1 मीटर और वजन लगभग 7 किग्रा. आकलित किया गया है।

❑ रोगविषयक पारिस्थितिक विषाक्तता निदान एवं अनुसंधान सुविधा



➡ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली में शुभारंभ। (5 अगस्त, 2019)

➲ यह भारत में अपनी तरह की स्थापित पहली सुविधा है, जिसमें जल, भोजन, वायु को दूषित करने वाले पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने के कारण होने वाली बीमारियों की जांच की जाएगी।

❑ मोबाइल एप्लीकेशन-'मेघदूत'



➡ पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय द्वारा लांच। (2 अगस्त, 2019)

➲ यह एप्लीकेशन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है।

➲ यह किसानों को स्थानीय भाषा में स्थान और फसल व पशुधन-विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करेगा।

➲ शुरुआत में यह सेवा देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 150 जिलों में उपलब्ध होगी।

❑ अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता नियंत्रण केंद्र

➡ इसरो के अध्यक्ष के. सिवन ने पीण्या, बंगलुरू में इस केंद्र का शिलान्यास किया। (2 अगस्त, 2019)

➲ अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता नियंत्रण केंद्र (Space Situational Awareness Control Centre) अंतरिक्ष में बढ़ते हुए मानव जनित कचरे (Space Debris) से भारतीय अंतरिक्षीय संपत्तियों की सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों को संचालित करेगा।

❑ भारत-अमेरिका रक्षा नीति समूह की 15वीं बैठक

➡ वाशिंगटन, सं.रा. अमेरिका में आयोजित। (2 अगस्त, 2019)

➲ बैठक में दोनों देशों के मध्य रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग हेतु अनुकूल नीतिगत माहौल बनाने पर सहमति हुई।

❑ पाकिस्तान एफएटीएफ की काली सूची में शामिल



➡ फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स (FATF) के एशिया प्रशांत समूह द्वारा पाकिस्तान सबसे निचले स्थान पर अथवा काली सूची में शामिल। (अगस्त, 2019)

➲ यह निर्णय एफएटीएफ के एशिया प्रशांत समूह की 18-23 अगस्त, 2019 के मध्य कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बैठक में लिया गया।

➲ पाकिस्तान को आतंकी वित्तपोषण और धन शोधन मामले में निर्धारित वैश्विक मानकों का सही ढंग से पालन करने में विफल रहने के कारण इस सूची में शामिल किया गया है।

➲ ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान को जून, 2018 में एफएटीएफ की 'ग्रे सूची' (Gray List) में शामिल किया गया था।

❑ ओकजोकुल ग्लेशियर



➡ आइसलैंड में सबआर्कटिक द्वीप में स्थित जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त होने वाले इस पहले ग्लेशियर की स्मृति में एक कांस्य पट्टिका का अनावरण। (अगस्त, 2019)

➲ इस पट्टिका पर 'भविष्य के लिए एक पत्र' (A letter to the Future) अंकित है, जिसमें यह लिखा गया है कि ''ओक आइसलैंड का पहला ग्लेशियर है, जिसने ग्लेशियर होने की प्रतिष्ठा को खो दिया है, अगले 200 वर्षों में हमारे अन्य ग्लेशियर भी इसी स्थिति की ओर बढ़ जाएंगे। यह स्मारक इस बात को स्वीकारिता है कि हम जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या करने की आवश्यकता है।''

➲ ग्लेशियोलॉजिस्ट ने वर्ष 2014 में ही ओकजोकुल के ग्लेशियर का दर्जा समाप्त कर दिया था।

➲ वैज्ञानिकों को आशंका है कि वर्ष 2200 तक इस द्वीप के सभी 400 से अधिक ग्लेशियर समाप्त हो सकते हैं।

❑ 'पंचमिर्तम' को जीआई टैग



➡ अरुलमिगु दंडायुथपानि स्वामी मंदिर (मुरुगन मंदिर) के 'अभिषेक प्रसादम' [पंचमिर्तम' (Panchamirtham)] को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्रदान किया गया। (अगस्त, 2019)

➲ यह मंदिर तमिलनाडु के पलानी में स्थित है।

➲ पंचमिर्तम पांच प्राकृतिक पदार्थों नामतः केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची को मिश्रित कर बनाया जाता है।

❑ दूसरी डबल-डेकर उदय एक्सप्रेस

➡ दूसरी डबल-डेकर उदय एक्सप्रेस पूर्वी तटीय रेलवे जोन में विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम के मध्य परिचालित की जाएगी। (अगस्त, 2019)

➲ पहली उदय या उत्कृष्ट डबल-डेकर यात्री एक्सप्रेस जून, 2018 में कोयंबटूर और बंगलुरू के मध्य शुरू की गई थी।

❑ निकोटीन A-श्रेणी के जहर के रूप में वर्गीकृत

➡ निकोटीन के दुष्प्रभावों के दृष्टिगत कर्नाटक सरकार द्वारा वर्गीकृत। (अगस्त, 2019)

➲ निकोटीन को A-श्रेणी के जहर के रूप में वर्गीकृत करने हेतु कर्नाटक विष (धारण व बिक्री) नियम, 2015 में संशोधन कर कर्नाटक विष (धारण एवं बिक्री) नियम, 2019 लागू किया गया है।

➲ अत्यधिक जहरीले रसायन, जो हवा में गैस या वाष्प के रूप में बहुत कम मात्रा में भी होने पर जीवन के लिए खतरनाक होते हैं, A-श्रेणी के जहर के रूप में अधिसूचित किए जाते हैं।

❑ फ्रीडम कार्ड



➡ वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी एन्कैश (EnKash) द्वारा लांच। (अगस्त, 2019)

➲ 'फ्रीडम कार्ड' भारत में लघु एवं मध्यम उद्यम (SMEs)/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) और स्टार्टअप कंपनियों के लिए लांच किया गया पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है।

❑ उच्चतर शिक्षा मॉडल-RACE

➡ राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं गुणवत्ता बनाए रखने हेतु रेस (RACE-Resource Assistance for Colleges with Excellence) नामक उच्चतर शिक्षा मॉडल का शुभारंभ। (अगस्त, 2019)

➲ **उद्देश्य-** जिला स्तर पर सरकारी कॉलेजों के बीच संसाधनों की उपलब्धता को तर्कसंगत बनाना तथा विकास के समान अवसर प्रदान करना।

❑ स्पेशल पर्पज ट्रस्ट फंड



➡ भारत ने स्थानिक समन्वयक प्रणाली के लिए 1 मिलियन डॉलर की राशि का सहयोग इस फंड में दिया। (अगस्त, 2019)

➲ संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह स्पेशल पर्पज ट्रस्ट फंड (SPTF) सभी वित्तीय योगदान व लेन-देन को समेकित, प्रबंधित व उनका हिसाब रखता है।

❑ ओडिशा के रसगोला को जीआई टैग

➡ ओडिशा के रसगोला (Rasagola) को भौगोलिक संकेतक (GI-Geographical Indication) प्रदान किया गया। (29 जुलाई, 2019)

➲ चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक (GI) रजिस्ट्रार ने ओडिशा रसगोला के लिए औपचारिक रूप से प्रमाण-पत्र जारी किया।

➲ इसे वस्तु भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत भारत के भौगोलिक संकेतक की सूची में शामिल किया गया है।

❑ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (LCU) एल-56



➡ वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन द्वारा विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में भारतीय नौसेना में शामिल। (29 जुलाई, 2019)

➲ यह आईएनएलसीयू एल-56 गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE), कोलकाता द्वारा निर्मित 100वां युद्धपोत है।

➲ 100 युद्धपोत निर्मित करने वाला यह देश का पहला शिपयार्ड है।

➲ यह एक उभयचर पोत है, जिसका प्रमुख कार्य जहाज से तट तक प्रमुख लड़ाकू टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, टुकड़ियों और उपकरणों को ले जाना है।

➲ इस पोत की तैनाती गश्त, खोज और बचाव कार्य, आपदा राहत अभियान और निगरानी हेतु अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में की गई है।

❑ बाबा गुरुनानक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय

➡ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। (13 जुलाई, 2019)

➲ यह विश्वविद्यालय सिख धर्म के संस्थापक गुरुनानक देव के जन्म स्थान ननकाना साहिब में स्थापित किया जाएगा।

❑ भारत की पहली एथेनॉल आधारित मोटरसाइकिल



➡ टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा भारत की पहली एथेनॉल आधारित मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 एफआई ई100 लांच। (12 जुलाई, 2019)

❑ पहली बार भारतीय जलमार्ग का उपयोग दो देशों के बीच माल-परिवहन हेतु

➡ केंद्रीय जहाजरानी (स्वतंत्र प्रभार), रासायनिक एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल जलमार्ग के माध्यम से असम के धुबरी से भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण (IWAI) के मालवाहक पोत-एमवीएएआई को डिजिटल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। (12 जुलाई, 2019)

➲ इस पोत पर भूटान से आए पत्थरों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है।

➲ यह पहला अवसर है, जब किसी भारतीय जलमार्ग का उपयोग दो देशों के बीच माल-परिवहन हेतु पारगमन के रूप में किया गया है।

❑ जल बचाओ दिवस

➡ पश्चिम बंगाल सरकार ने पहली बार जल संरक्षण पर जागरूकता का प्रसार करने हेतु जल बचाओ दिवस (Save Water Day) मनाया। (12 जुलाई, 2019)

❑ विश्व विरासत समिति का 44वां सत्र

➡ यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र वर्ष 2020 में चीन के शहर फूझोऊ में आयोजित किए जाने की घोषणा। (9 जुलाई, 2019)

❑ पद्म पुरस्कार विजेताओं की सहायता हेतु ओडिशा सरकार का निर्णय

➡ ओडिशा सरकार द्वारा वित्तीय समस्या से ग्रस्त राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को प्रतिमाह 10,000 रुपये की राशि प्रदान करने का निर्णय। (8 जुलाई, 2019)

❑ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन '1076'



➡ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस हेल्पलाइन का शुभारंभ। (4 जुलाई, 2019)

➲ हेल्पलाइन '1076' एक टोल फ्री नंबर है, जिसके माध्यम से प्रदेश की जनता 24 घंटे और सातों दिन कॉल करके अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकती है और अपनी शिकायतों के निस्तारण के संबंध में हुई प्रगति की जानकारी भी प्राप्त कर सकती है।

➲ हेल्पलाइन के संचालन हेतु लखनऊ में 500 सीटों का एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है।

❑ तीन हवाई अड्डों को पट्टे पर देने हेतु मंजूरी

➡ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरू को पट्टे पर देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी (3 जुलाई, 2019)

➲ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मेसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बोली दस्तावेजों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार इन हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास हेतु 50 वर्षों की पट्टे की अवधि के लिए सबसे अधिक बोली लगाई है।

❑ टाटा स्टील कलिंगनगर (TSK)

➡ यह भारतीय विनिर्माण संयंत्र, विश्व आर्थिक फोरम (WEF-World Economic Forum's) के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल। (3 जुलाई, 2019)

➲ ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित यह संयंत्र विश्व आर्थिक फोरम के लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला और एकमात्र भारतीय विनिर्माण संयंत्र है।

❑ फेसबुक पर जुर्माना

➡ अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग ने इस सोशल मीडिया साइट पर 5 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। (जुलाई, 2019)

➲ यह जुर्माना निजता के हनन के मामले में लगाया गया।

❑ फसलों के लिए बायोकैप्सूल

➡ केरल के कोझीकोड में स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (IISR-Indian Institute of Spices Research) के शोधकर्ताओं द्वारा किसानों हेतु एक बायोकैप्सूल विकसित। (जुलाई, 2019)

➲ इस बायोकैप्सूल में ऐसे बग (Bugs) उपस्थित हैं, जो भविष्य में किसानों द्वारा खेत में बायोफर्टिलाइजर (जैव उर्वरक) के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं।

❑ मेघालय का जल नीति मसौदा

➡ मेघालय मंत्रिमंडल द्वारा जल के उपयोग एवं राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण और जल संरक्षण का समाधान करने हेतु जल नीति के मसौदे को मंजूरी। (जुलाई, 2019)

➲ मेघालय जल नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

➲ जल स्वच्छता ग्राम परिषद का गठन करके इस नीति के कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है।

❑ भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र

➡ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट स्थित ईकोटूरिज्म गांव कोट्टूर में भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। (जुलाई, 2019)



❑ भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग

➡ दक्षिण मध्य रेलवे ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चेरलोपल्ली और रैपुरू स्टेशनों के बीच निर्मित भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। (जुलाई, 2019)

➲ 460 करोड़ रुपये की लागत राशि से निर्मित 6.6 किमी. लंबी यह सुरंग रिकॉर्ड 42 महीनों में निर्मित की गई है।

➲ यह सुरंग हाल ही में पूरी हुई ओबुलावरिपल्ली-वेंकटचलम नई रेलवे लाइन का हिस्सा है।

❑ देश में निजी संचालक द्वारा संचालित पहली ट्रेन

➡ प्रारंभिक चरण में आईआरसीटीसी द्वारा दो ट्रेनों का संचालन निजी संचालक को सौंपने की योजना। (जुलाई, 2019)



➲ दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस निजी संचालकों द्वारा संचालित पहली ट्रेन होगी।

➲ अभी दूसरी ट्रेन का निर्धारण नहीं किया गया है।

❑ छबड़ा विद्युत संयंत्र

➡ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बारा जिले के उपखंड छबड़ा में स्थित थर्मल विद्युत संयंत्र की दो इकाइयों 5 व 6 का लोकार्पण। (30 जून, 2019)

➲ यह संयंत्र जापान की आधुनिक सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, जो राज्य में इस तकनीक पर आधारित पहली परियोजना है।

➲ इकाई 5 और 6 के शुरू होने से इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 2320 मेगावॉट हो गई है।

❑ हज यात्रा के कोटे में वृद्धि

➡ सऊदी अरब द्वारा भारतीयों के लिए हज यात्रा कोटे में 30,000 की वृद्धि। (28 जून, 2019)

➲ अब प्रतिवर्ष 2 लाख भारतीय हज यात्रा कर सकेंगे।

❑ मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण

➡ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राज्य में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु मंजूरी। (26 जून, 2019)

➲ आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक न हो, उनके स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि (इसमें ऊसर, बंजर, बीहड़ और पथरीली जमीन शामिल है) न हो और नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्ग फीट से अधिक एवं नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक आकार का मकान, फ्लैट उनके पास न हो।

➲ ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

❑ आपातकाल के दौरान जेल में रहने वालों को पेंशन

➡ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस द्वारा आपातकाल के दौरान जेल में रहने वालों को पेंशन और प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने की घोषणा। (25 जून, 2019)

➲ इस निर्णय के तहत सरकार आपातकाल के दौरान एक माह की अवधि तक जेल में रहने वालों को प्रतिमाह 5000 रुपये और इससे अधिक अवधि तक जेल में रहने वालों को प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान करेगी।

➲ साथ ही जेल में रहने के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों को सरकार 2,500 रुपये (1 माह या उसके कम अवधि तक रहे लोग) और 5000 रुपये (एक महीने से अधिक जेल में रहने पर) प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान करेगी।

❑ राशन इन काइंड सुविधा

➡ केंद्र सरकार द्वारा शांत क्षेत्रों में तैनात सैन्यकर्मियों के लिए 'राशन इन काइंड' (Ration in Kind) के प्रावधान को बहाल करने से संबंधित रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी। (18 जून, 2019)

➲ वर्ष 2017 में सरकार ने इस सुविधा को समाप्त कर दिया था।

➲ रक्षा कर्मियों को इस सुविधा के बदले एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।

❑ अवेयर उपकरण

➡ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक वैश्विक अभियान की शुरुआत करते हुए विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों से रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार में कमी लाने हेतु एक उपकरण अवेयर (AWaRe) को अपनाने का आग्रह किया। (18 जून, 2019)





टेनिस

❑ यू.एस. ओपन, 2019

➡ वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम न्यूयॉर्क, अमेरिका में संपन्न। (26 अगस्त - 8 सितंबर, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - राफेल नडाल (स्पेन)

उपविजेता - डैनिल मेदवेदेव (रूस)



➲ **महिला एकल**

विजेता - बियांका एंड्रेस्कू (कनाडा)

उपविजेता - सेरेना विलियम्स (अमेरिका)



➲ **पुरुष युगल**

विजेता - जुआन सेबास्टियन काबेल एवं **रॉबर्ट फराह** (दोनों कोलंबिया)

उपविजेता - मार्सेल ग्रैनोलर्स (स्पेन) एवं होरासियो जेबालोस (अर्जेंटीना)



➲ **महिला युगल**

विजेता - एलिस मर्टेंस (बेल्जियम) एवं **अरीना साबालेंका** (बेलारूस)

उपविजेता - विक्टोरिया अजारेंका (बेलारूस) एवं एश्ले बार्टी (ऑस्ट्रेलिया)



➲ **मिश्रित युगल**

विजेता - बेथनी माटेक-सैंड्स (अमेरिका) **एवं जेमी मरे** (ग्रेट ब्रिटेन)

उपविजेता - चान हाओ-चिंग (चीनी ताइपे) एवं माइकल वीनस (न्यूजीलैंड)



➡ यह राफेल नडाल द्वारा विजित कुल 19वां ग्रैंड स्लैम एवं चौथा यू.एस. ओपन खिताब है।

➡ 19 वर्षीय बियांका कोई ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली कनाडा की पहली टेनिस खिलाड़ी हैं।

❑ वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन, 2019

➡ ओहिओ, अमेरिका में संपन्न। (12-18 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - डैनिल मेदवेदेव (रूस)

उपविजेता - डेविड गोफिन (बेल्जियम)



➲ **महिला एकल**

विजेता - मैडिसन कीज (अमेरिका)

उपविजेता - स्वेतलाना कुजनेतसोवा (रूस)



❑ रोजर्स कप, 2019

➡ पुरुषों की प्रतियोगिता मॉन्ट्रियल तथा महिलाओं की प्रतियोगिता टोरंटो, कनाडा में संपन्न। (5-11 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - राफेल नडाल (स्पेन)

उपविजेता - डैनिल मेदवेदेव (रूस)



➲ **महिला एकल**

विजेता - बियांका एंड्रेस्कू (कनाडा)

उपविजेता - सेरेना विलियम्स (अमेरिका)



❑ सिटी ओपन, 2019

➡ वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका में संपन्न। (29 जुलाई -4 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - निक किर्गियोस (ऑस्ट्रेलिया)

उपविजेता - डैनिल मेदवेदेव (रूस)



➲ **महिला एकल**

विजेता - जेसिका पेगुला (अमेरिका)

उपविजेता - कैमिला जियोर्गी (इटली)

❑ विंबलडन, 2019

➡ वर्ष 2019 का तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट लंदन (यू.के.) में संपन्न। (1-14 जुलाई, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**



विजेता - नोवाक जोकोविक (सर्बिया)

उपविजेता - रोजर फेडरर (स्विट्जरलैंड)

➲ **महिला एकल**



विजेता - सिमोना हालेप (रोमानिया)

उपविजेता - सेरेना विलियम्स (अमेरिका)

➲ **पुरुष युगल**



विजेता - जुआन सेबास्टियन काबेल एवं **रॉबर्ट फराह** (दोनों कोलंबिया)

उपविजेता - निकोलस माहुत एवं एडुआर्ड रोजर वैसेलिन (दोनों फ्रांस)

➲ **महिला युगल**



विजेता - सीह सु-वेई (चीनी ताइपे) एवं **बारबोरा स्ट्राइकोवा** (चेक गणराज्य)

उपविजेता - गैब्रिएला डाब्रोवस्की (कनाडा) एवं झू यिफान (चीन)

➲ **मिश्रित युगल**



विजेता - इवान डोडिग (क्रोएशिया) एवं **लतिशा चान** (चीनी ताइपे)

उपविजेता - रॉबर्ट लिंडस्टेड (स्वीडन) एवं येलेना ओस्टापेंको (लाटविया)

➡ यह टूर्नामेंट का पहला संस्करण, जिसमें अंतिम सेट में एक मानक टाई-ब्रेक की सुविधा उपलब्ध थी।

➡ विंबलडन के इतिहास में यह पहला अवसर था, जब पुरुष एकल के खिताब के विजेता का निर्णय अंतिम (पांचवें) सेट में खेले गए टाई-ब्रेक के माध्यम से हुआ।

➡ विंबलडन के इतिहास का यह सबसे लंबा पुरुष एकल फाइनल मैच था।

➡ यह मैच 4 घंटे, 57 मिनट तक चला।

➡ यह नोवाक का लगातार दूसरा और कुल पांचवां विंबलडन खिताब है।

➡ नोवाक द्वारा विजित यह कुल 16वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है।

❑ बर्मिंघम क्लासिक, 2019

➡ बर्मिंघम, इंग्लैंड में संपन्न। (17-23 जून, 2019)

➡ प्रायोजक कारणों से इसे 'नेचर वैली क्लासिक' के नाम से भी जाना जाता है।

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **महिला एकल**



विजेता - एश्ले बार्टी (ऑस्ट्रेलिया)

उपविजेता - जूलिया गॉर्जेस (जर्मनी)

➲ **महिला युगल**

विजेता - शी सु-वेई (चीनी ताइपे) एवं **बारबोरा स्ट्राइकोवा** (चेक गणराज्य)

उपविजेता - एन्ना लिना ग्रोनफेल्ड (जर्मनी) एवं डेमी शुअर्स (नीदरलैंड्स)

❑ ईस्टबॉर्न इंटरनेशनल, 2019

➡ ईस्टबॉर्न, यू.के. में संपन्न। (23-29 जून, 2019)

➡ प्रायोजक कारणों से इसे 'नेचर वैली इंटरनेशनल' के नाम से भी जाना जाता है।

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**



विजेता - टेलर फ्रिट्ज (अमेरिका)

उपविजेता - सैम क्यूरे (अमेरिका)

➲ **महिला एकल**



विजेता - कैरोलिना प्लिसकोवा (चेक गणराज्य)

उपविजेता - एंजेलिक कर्बर (जर्मनी)

❑ हाले ओपन, 2019

➡ हाले, जर्मनी में संपन्न। (17-23 जून, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - रोजर फेडरर (स्विट्जरलैंड)

उपविजेता - डेविड गोफिन (बेल्जियम)

➲ **पुरुष युगल**

विजेता - रावेन क्लासेन (दक्षिण अफ्रीका) एवं **माइकल वीनस** (न्यूजीलैंड)

उपविजेता - लुकाज कुबोत (पोलैंड) एवं मार्सेलो मेलो (ब्राजील)

❑ मर्सिडीज कप, 2019

➡ स्टुटगार्ट, जर्मनी में संपन्न। (10-16 जून, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**



विजेता - मैटयो बेरेंटिनी (इटली)

उपविजेता - फेलिक्स ऑगर एलियासिमी (कनाडा)

➲ **पुरुष युगल**

विजेता - जॉन पीयर्स (ऑस्ट्रेलिया) एवं **ब्रूनो सोआरेस** (ब्राजील)

उपविजेता - रोहन बोपन्ना (भारत) एवं डेनिस शापोवालोव (कनाडा)

क्रिकेट

❑ एशेज शृंखला, 2019



➡ ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के मध्य एशेज शृंखला इंग्लैंड में संपन्न। (1 अगस्त - 16 सितंबर, 2019)

➡ शृंखला के दौरान दोनों टीमों के मध्य कुल पांच टेस्ट मैच खेले गए।

➡ एशेज शृंखला, 2019 ड्रा (2-2 की बराबरी पर) रही।

➲ इससे पहले वर्ष 1972 में एशेज शृंखला ड्रा रही थी।

➡ गत विजेता होने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने एशेज ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी।

➡ इस शृंखला में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन तथा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट थे।



➡ **प्लेयर ऑफ द सीरीज** - बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) एवं स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)



➡ **शृंखला में सर्वाधिक रन** - स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), 774 रन

➡ **शृंखला में सर्वाधिक विकेट** - पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) 29 विकेट

➡ शृंखला का दूसरा मैच ड्रा रहा।

➡ इस मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया।

➡ इस मैच में अंपायर अलीम डार (पाकिस्तान) ने स्टीव बकनर (वेस्टइंडीज) के टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 128 मैचों में अंपायरिंग के रिकॉर्ड की बराबरी की।

➡ इसी मैच में आईसीसी के एक नए नियम 'कनकशन सबस्टिट्यूट' (Concussion Substitute) (सबस्टिट्यूट खिलाड़ी क्षेत्ररक्षण के अलावा बल्लेबाजी अथवा गेंदबाजी भी कर सकेगा) के आधार पर मार्नस लाबुशाग्ने(ऑस्ट्रेलिया) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के पहले सबस्टिट्यूट खिलाड़ी बनें।



➡ उल्लेखनीय है कि दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड) की गेंद पर स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) के घायल होने के बाद मार्नस लाबुशाग्ने मैच के पांचवें दिन कनकशन सबस्टिट्यूट के तौर पर (स्मिथ के स्थान पर) मैदान पर उतरे।

➡ शृंखला के तीसरे मैच में इंग्लैंड की पहली पारी मात्र 67 रनों पर सिमट गई, जो वर्ष 1948 के बाद से एशेज शृंखला में इंग्लैंड का न्यूनतम स्कोर है।

➡ उल्लेखनीय है कि वर्ष 1948 में एशेज शृंखला के दौरान 'द ओवल' में खेले गए मैच में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मात्र 52 रनों पर आउट हो गई थी।

➡ तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में रनों का पीछा करते हुए अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

➡ ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीत के लिए दिए गए 359 रनों के लक्ष्य को इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स की नाबाद 135 रनों की पारी की बदौलत प्राप्त कर लिया।

➡ 5वें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान बल्लेबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ ने 80 रन बनाए।

➲ एशेज शृंखला, 2019 में यह लगातार छठा अवसर था, जब स्मिथ ने 50 रन से अधिक का स्कोर बनाया।

➲ इसी के साथ स्मिथ किसी एक टीम के विरुद्ध लगातार 10 पारियों में 50 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने।

➲ उल्लेखनीय है कि एशेज शृंखला, 2019 से पूर्व वर्ष 2017-18 की एशेज शृंखला में स्मिथ ने लगातार चार पारियों में 50 से अधिक का स्कोर बनाया था।

❑ दलीप ट्रॉफी, 2019-20



➡ प्रथम श्रेणी क्रिकेट की इस प्रतियोगिता के 58वें संस्करण का फाइनल एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगलुरू में संपन्न। (4 - 8 सितंबर, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - इंडिया रेड (दूसरा खिताब)

उपविजेता - इंडिया ग्रीन

➲ **टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन** - करुण नायर (375 रन, इंडिया रेड)

➲ **टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट** - अक्षय वाखरे (14 विकेट, इंडिया रेड)

➡ विजेता टीम के कप्तान प्रियांक पांचाल एवं उपविजेता टीम के कप्तान फैज फजल थे।

❑ भारत-वेस्टइंडीज क्रिकेट शृंखला, 2019

➡ भारत एवं वेस्टइंडीज के मध्य 3 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय, 2 टेस्ट तथा 3 टी-20 मैचों की शृंखला खेली गई। (3 अगस्त से 2 सितंबर, 2019)

➡ प्रथम दो टी-20 मैच फ्लोरिडा (अमेरिका) में तथा शृंखला के शेष मैच वेस्टइंडीज में खेले गए।

● टी-20 शृंखला



➡ 3-6 अगस्त, 2019 के मध्य संपन्न।

➡ भारत ने शृंखला 3-0 से जीत ली।

➡ **प्लेयर ऑफ द सीरीज** : **क्रुणाल पाण्ड्या** (भारत)

➡ शृंखला के अंतिम मैच में दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में मात्र 4 रन देकर 3 विकेट झटके।

➲ उल्लेखनीय है कि दीपक का यह प्रदर्शन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भारतीय गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

➡ ध्यातव्य है कि इस शृंखला के पहले मैच में नवदीप सैनी (भारत) ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और कैरेबियाई टीम के खिलाफ 17 रन देकर 3 विकेट प्राप्त किए।

➡ दूसरे टी-20 मैच में रोहित शर्मा टी-20 मैचों में सर्वाधिक छक्के (105 छक्के) लगाने के क्रिस ग्रेल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ अब शीर्ष स्थान पर आ गए हैं।

● एकदिवसीय शृंखला

➡ तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की शृंखला संपन्न। (8-14 अगस्त, 2019)

➡ भारत ने शृंखला 2-0 से जीत ली।

➡ शृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था।

➡ **प्लेयर ऑफ द सीरीज** - विराट कोहली (भारत)



➡ शृंखला का दूसरा मैच क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) के एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॅरियर का 300वां मैच था।

● टेस्ट शृंखला

➡ दौरे पर खेले गए 2 टेस्ट मैचों की शृंखला भारत ने क्लीन स्वीप करते हुए (2-0) से जीत ली। (22 अगस्त - 2 सितंबर, 2019)

➡ भारत ने एंटीगा में खेला गया पहला टेस्ट 318 रनों से तथा किंगस्टन (जमैका) में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच 257 रनों से जीता।

➡ भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जमैका टेस्ट की पहली पारी में हैट्रिक ली।

➲ वह टेस्ट मैचों में हैट्रिक लेने वाले हरभजन सिंह (वर्ष 2001 में कलकत्ता में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध) और इरफान पठान (वर्ष 2006 में कराची में पाकिस्तान के विरुद्ध) के बाद तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं।

➡ वेस्टइंडीज के विरुद्ध अंतिम टेस्ट मैच जीतने के साथ ही विराट कोहली टेस्ट मैचों में भारत के सबसे सफल कप्तान बन गए।

➡ विराट के नेतृत्व में भारत की 48 टेस्ट मैचों में यह 28वीं जीत है, जबकि महेंद्र सिंह धौनी के नेतृत्व में भारत ने 60 टेस्ट मैचों में 27 जीत दर्ज की थी।

फुटबॉल

❑ सुब्रतो कप, 2019

➡ हीरक जयंती संस्करण; नई दिल्ली में संपन्न। (अगस्त-सितंबर, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **U-14 बालक वर्ग**

विजेता - **सैडन सेकंडरी स्कूल** (मिजोरम)

उपविजेता - यूनीक मॉडल एकेडमी (मणिपुर)

➲ **U-17 बालक वर्ग**

विजेता - **होपवेल एलियास हॉयर सेकंडरी स्कूल** (मेघालय)

उपविजेता - क्रीड़ा शिक्षा प्रतिष्ठान (बांग्लादेश)

❑ यूएफा सुपर कप, 2019

➡ 44वां संस्करण; इस्तांबुल (तुर्की) में संपन्न। (14 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - लिवरपूल (चौथा खिताब)

उपविजेता - चेल्सी

➡ यह प्रतियोगिता 'यूएफा चैंपियंस लीग' और 'यूएफा यूरोपा लीग' के विजेता फुटबॉल क्लबों के मध्य आयोजित की जाती है।

❑ डूरंड कप, 2019

➡ 129वां संस्करण; कोलकाता में संपन्न। (2-24 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - गोकुलम केरला एफसी (2-1से, पहला खिताब)

उपविजेता - मोहन बागान

➡ टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल - **मार्कस जोसफ** (गोकुलम केरला, 11 गोल)

➡ उल्लेखनीय है कि गोकुलम केरल एफसी. एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप को जीतने वाली केरल की दूसरी टीम है।

➲ इससे पूर्व वर्ष 1997 में केरल के फुटबॉल क्लब एफसी. कोचीन ने डूरंड कप जीता था।

❑ कोटिफ कप

➡ फाइनल मैच स्पेन में संपन्न। (6 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम (पुरुष)**

विजेता - स्पेन

उपविजेता - रूस

➡ इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने भी भाग लिया और तीसरे स्थान पर रही।

➡ वेलेंसिया में कोटिफ कप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के प्रदर्शन से प्रभावित होकर टूर्नामेंट के अध्यक्ष ने टीम को एक विशेष ट्रॉफी प्रदान की।

➡ भारतीय महिला टीम ने कोटिफ कप में खेले गए अपने चार मुकाबलों में से दो में जीत दर्ज की।

❑ अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, 2019

➡ इस द्विवार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मिस्र में संपन्न। (21 जून - 19 जुलाई, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - अल्जीरिया (दूसरा खिताब)

उपविजेता - सेनेगल

❑ CONCACAF गोल्ड कप, 2019

➡ 15वां संस्करण अमेरिका, कोस्टारिका तथा जमैका की संयुक्त मेजबानी में संपन्न। (15 जून - 7 जुलाई, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - मेक्सिको (8वां खिताब)

उपविजेता - अमेरिका

❑ कोपा अमेरिका, 2019

➡ **46वां संस्करण,** ब्राजील में संपन्न। (14 जून - 7 जुलाई, 2019)



➡ **प्रतिभागी टीमें - 2 कंफेडरेशन की 12 टीमें।**

➡ **शुभंकर -** जिजिटो (Zizito)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - ब्राजील (9वां खिताब, 3-1 से)

उपविजेता - पेरू

➡ **प्रतियोगिता में प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार**

➲ **सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी - डेनी अल्वेस** (ब्राजील)

➲ **सर्वाधिक गोल** - एवर्टन (ब्राजील) एवं पाओलो गुएर्रेरो (पेरू) (दोनों 3-3 गोल)

➲ **सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर** - एलीसन (ब्राजील)

➲ **फेयर प्ले ट्रॉफी** - ब्राजील

➡ उल्लेखनीय है कि ब्राजील अपनी मेजबानी में एक बार भी इस प्रतियोगिता को नहीं हारा है।

❑ फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप, 2019

➡ 8वां संस्करण फ्रांस में संपन्न। (7 जून - 7 जुलाई, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - अमेरिका (लगातार दूसरा तथा कुल चौथा खिताब)

उपविजेता - नीदरलैंड्स

तृतीय स्थान - स्वीडन

चतुर्थ स्थान - इंग्लैंड



➡ **प्रतियोगिता में प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार**



➲ **एडिडास गोल्डेन बॉल अवॉर्ड -** मेगन रेपिनोए (अमेरिका)

➲ **एडिडास गोल्डेन बूट अवॉर्ड -** मेगन रेपिनोए (अमेरिका)

➲ **एडिडास गोल्डेन ग्लव अवॉर्ड -** सारी वैन वीनेंडाल (नीदरलैंड्स)

➲ **फीफा यंग प्लेयर अवॉर्ड -** जिउलिया ग्विन (जर्मनी)

➲ **फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी -** फ्रांस

➡ अमेरिकी कप्तान मेगन रेपिनोए तीन विश्व कप फाइनल खेलने वाली अमेरिका की पहली तथा विश्व की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं।

➲ मेगन के अलावा जर्मनी की ब्रिजिट प्रिंज ने यह उपलब्धि हासिल की है।

➡ विश्व कप में **अमेरिकी टीम द्वारा कुल 26 गोल** किए गए, जो किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक हैं।

➡ उल्लेखनीय है कि 34 वर्षीय अमेरिकी कप्तान **रेपिनोए महिला विश्व कप के फाइनल में गोल करने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी** भी बनीं।

❑ हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप, 2019



➡ अहमदाबाद में संपन्न। (7-19 जुलाई, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - उत्तर कोरिया (पहला खिताब)

उपविजेता - ताजिकिस्तान

➡ **टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल - सुनील छेत्री** (भारत), जोंग इल - ग्वान (उत्तर कोरिया) तथा री ह्योग - जिन (उत्तर कोरिया) (प्रत्येक 3-3 गोल)

हॉकी

❑ ऑल इंडिया एमसीसी-मुरुगप्पा गोल्ड कप, 2019

➡ 93वें संस्करण का फाइनल चेन्नई में संपन्न। (8 सितंबर, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन (3-1से)

उपविजेता - पंजाब नेशनल बैंक

❑ एफआईएच सीरीज, 2018-19

➡ FIH पुरुष हॉकी सीरीज का प्रथम संस्करण संपन्न। (28 जून, 2018 से 23 जून, 2019)



➡ सीरीज में कुल 55 टीमों (5 कंफेडरेशंस की) ने प्रतिभाग किया।

➡ शामिल 55 टीमों में से 24 ने FIH सीरीज फाइनल्स हेतु अर्हता प्राप्त की, जिनका आयोजन मलेशिया, भारत तथा फ्रांस में किया गया।

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➡ **कुआलालंपुर (मलेशिया) फाइनल्स** (26 अप्रैल - 4 मई, 2019)

➲ **स्वर्ण पदक - कनाडा**

➲ **रजत पदक -** मलेशिया

➲ **कांस्य पदक -** इटली

➡ **भुवनेश्वर (भारत) फाइनल्स** (6-15 जून, 2019)

➲ **स्वर्ण पदक - भारत**

➲ **रजत पदक -** दक्षिण अफ्रीका

➲ **कांस्य पदक -** जापान

➡ **ले तौकेट (फ्रांस), फाइनल्स** (15-23 जून, 2019)

➲ **स्वर्ण पदक - फ्रांस**

➲ **रजत पदक -** आयरलैंड

➲ **कांस्य पदक -** दक्षिण कोरिया

➡ **भुवनेश्वर (भारत) में हुए FIH मुकाबले में प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार-**

➲ **सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी - मनप्रीत सिंह** (भारत)

➲ **सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर - जोनाथन क्लाजेस** (अमेरिका)

➲ **सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी -** विवेक प्रसाद (भारत)

❑ महिला FIH सीरीज फाइनल्स, 2018-19



➡ हॉकी सीरीज, 2018-19 का दूसरा चरण संपन्न। (8-27 जून, 2019)

➡ **मेजबान** - आयरलैंड, जापान एवं स्पेन।

➡ **प्रतिभागी टीमें** - 5 कनफेडरेशंस की 24 टीमें।

➡ प्रत्येक फाइनल्स की शीर्ष दो टीमों ने FIH महिला ओलंपिक क्वालीफायर्स हेतु अर्हता प्राप्त की।

➡ **FIH सीरीज फाइनल्स, बैनब्रिज (आयरलैंड)** (8-16 जून, 2019)

स्वर्ण पदक - द. कोरिया

रजत पदक - आयरलैंड

कांस्य पदक - मलेशिया

➡ **FIH सीरीज फाइनल्स, हिरोशिमा (जापान)** (15-23 जून, 2019)

स्वर्ण पदक - भारत

रजत पदक - जापान

कांस्य पदक - चिली

➲ **सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी - रानी रामपाल** (भारत)

➡ **FIH सीरीज फाइनल्स वैलेंसिया (स्पेन)**

स्वर्ण पदक - स्पेन

रजत पदक - कनाडा

कांस्य पदक - इटली

बैडमिंटन

❑ BWF पैरा-बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, 2019

➡ बासेल, स्विट्जरलैंड में संपन्न। (20-25 अगस्त, 2019)

➡ चीन 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 13 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा।

➡ भारत ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 4 रजत एवं 5 कांस्य पदकों सहित कुल 12 पदक जीते।

➡ **भारतीय स्वर्ण पदक विजेता -**



➲ प्रमोद भगत (पुरुष एकल, SL3)

➲ मानसी गिरीशचंद्र जोशी (महिला एकल, SL3)

➲ प्रमोद भगत एवं मनोज सरकार (पुरुष युगल, SL3-4)

❑ BWF विश्व चैंपियनशिप, 2019

➡ बासेल, स्विट्जरलैंड में संपन्न। (19-25 अगस्त, 2019)

➡ जापान ने 2 स्वर्ण, 3 रजत एवं 1 कांस्य पदकों सहित कुल 6 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**

स्वर्ण पदक - केंटो मोमोता (जापान)

रजत पदक - एंडर्स एंटोनसेन (डेनमार्क)

कांस्य पदक - बी.साई प्रणीत (भारत) एवं कांताफोन वांगचारोएन (थाईलैंड)



➲ **महिला एकल**

स्वर्ण पदक - पी.वी. सिंधु (भारत)

रजत पदक - नोजोमी ओकुहारा (जापान)

कांस्य पदक - रात्चानोक इंतानोन (थाईलैंड) एवं चेन यु फेई (चीन)

➡ पी.वी. सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं।

➲ विश्व चैंपियनशिप में यह सिंधु का पांचवां पदक है।

➲ इसके साथ ही सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में महिला एकल स्पर्धा में संयुक्त रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं।

➲ उल्लेखनीय है कि सिंधु के अतिरिक्त पूर्व ओलंपिक चैंपियन झांग निंग (चीन) ने भी 2001 से 2007 के मध्य विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल में 5 पदक (1 स्वर्ण, 2 रजत एवं 2 कांस्य) जीते हैं।

❑ हैदराबाद ओपन

➡ जी.एम.सी. बालयोगी इंडोर स्टेडियम, हैदराबाद में संपन्न। (6-11 अगस्त, 2019)

➡ प्रायोजक : आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस।

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**



विजेता - सौरभ वर्मा (भारत)

उपविजेता - लोह कियान यिउ (सिंगापुर)

➲ **महिला एकल**

विजेता - यिओ जिआ मिन (सिंगापुर)

उपविजेता - अन सी यंग (दक्षिण कोरिया)

➲ **पुरुष युगल**

विजेता - मुहम्मद शोहिबुल फिकरी एवं **बागस मौलाना** (दोनों इंडोनेशिया)

उपविजेता - ना सुंग - सियुंग एवं वांग चान (दोनों दक्षिण कोरिया)

➲ **महिला युगल**

विजेता - बाएक हा ना एवं जंग क्युंग-इयुन (दोनों दक्षिण कोरिया)

उपविजेता - अश्विनी पोनप्पा एवं एन. सिकी रेड्डी (दोनों भारत)

❑ थाईलैंड ओपन, 2019

➡ बैंकॉक, थाईलैंड में संपन्न। (30 जुलाई - 4 अगस्त, 2019)

➡ **प्रमुख प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - चोउ तिएन - चेन (चीनी ताइपे)

उपविजेता - न्ग का लांग (हांगकांग)

➲ **महिला एकल**

विजेता - चेन युफेई (चीन)

उपविजेता - रात्चानोक इंतानोन (थाईलैंड)

➲ **पुरुष युगल**

विजेता - सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी एवं **चिराग शेट्टी** (दोनों भारत)

उपविजेता - ली जुनहुई एवं लियू यु चेन (दोनों चीन)

➡ सात्विक और चिराग की जोड़ी बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है।

❑ योनेक्स कनाडा ओपन, 2019

➡ कनाडा में संपन्न। (2-7 जुलाई, 2019)



➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - ली शी फेंग (चीन)

उपविजेता - पारूपल्ली कश्यप (भारत)

➲ **महिला एकल**

विजेता - एन सी-यंग (दक्षिण कोरिया)

उपविजेता - वांग झीयी (चीन)

❑ इंडोनेशिया ओपन, 2019

➡ जकार्ता, इंडोनेशिया में संपन्न। (16-21 जुलाई, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**



➲ **पुरुष एकल**

विजेता - चोउ तिएन - चेन (चीनी ताइपे)

उपविजेता - एंडर्स एंटोनसेन (डेनमार्क)

➲ **महिला एकल**

विजेता - अकाने यामागुची (जापान)

उपविजेता - पी.वी. सिंधु (भारत)

❑ व्हाइट नाइट्स, 2019

➡ रूस में संपन्न। (10-14 जुलाई, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - इस्कंदर जुल्करनैन (मलेशिया)

उपविजेता - सिद्धार्थ प्रताप सिंह (भारत)

➲ **महिला एकल**

विजेता - इवगेनिया कोसेत्सकाया (रूस)

उपविजेता - युकीनो नाकाई (जापान)।

❑ आइवरी कोस्ट इंटरनेशनल

➡ आइवरी कोस्ट में संपन्न। (4-7 जुलाई, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**



➲ **पुरुष एकल**

विजेता - आलाप मिश्रा (भारत)

उपविजेता - चिराग सेन (भारत)

➲ **महिला एकल**

विजेता - थेट हटार थुजार (म्यांमार)

उपविजेता - श्रीकृष्णा कुदरावल्ली (भारत)

शतरंज

❑ एथेंस ऑफ ईस्ट प्रथम अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज टूर्नामेंट, 2019

➡ मदुरई, तमिलनाडु में संपन्न। (10-18 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम (श्रेणी : A)**

विजेता - बोरिस सेवचेंको (रूस)

उपविजेता - शायांतन दास (भारत)

❑ बिएल अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव

➡ 52वां संस्करण स्विट्जरलैंड में संपन्न। (20-31 जुलाई, 2019)



➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **ग्रैंड मास्ट्र्स टूर्नामेंट विजेता - संतोष विदित** (भारत)

➲ **मास्ट्र्स टूर्नामेंट विजेता - अमीन तबतबाई** (ईरान)

➲ **मेन टूर्नामेंट विजेता - अचिम श्नेउली** (स्विट्जरलैंड)

❑ 46वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज प्रतियोगिता

➡ तमिलनाडु में संपन्न। (19-27 जुलाई, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - भक्ति कुलकर्णी (AI)

उपविजेता - वंतिका अग्रवाल (दिल्ली)

टेबल टेनिस

❑ अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग



➡ अल्टीमेट टेबल टेनिस के तीसरे संस्करण का फाइनल नई दिल्ली में संपन्न। (11 अगस्त, 2019)

➡ प्रतिभागी टीमें - (6) चेन्नई लॉयंस, दबंग दिल्ली टीटीसी, गोवा चैलेंजर्स, पुनेरी पलटन टेबल टेनिस, आरपी-एसजी मावेरिक्स कोलकाता एवं यू मुम्बा टीटी।

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - चेन्नई लॉयंस (8-1 से)

उपविजेता - दबंग दिल्ली

➡ **प्रतियोगिता में प्रदत्त पुरस्कार :**

➲ **सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP), पुरुष -** जी. साथियान (दबंग दिल्ली टीटीसी)

➲ **सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP), महिला -** दू होई केम (यू मुम्बा)

➲ **द अल्टीमेट वन -** पेट्रिसा सोल्जा (चेन्नई लॉयंस)

➲ **स्टैंडआउट प्लेयर ऑफ द लीग -** सुतीर्था मुखर्जी (यू मुम्बा)

➲ **सुपर सर्वर** - जॉन पर्स्सोन (दबंग दिल्ली टीटीसी)

❑ 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, 2019

➡ कटक, ओडिशा में संपन्न। (17-22 जुलाई, 2019)



➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - हरमीत देसाई (भारत)

उपविजेता - जी. साथियान (भारत)

➲ **महिला एकल**

विजेता - आहिका मुखर्जी (भारत)

उपविजेता - मधुरिका पाटकर (भारत)

➲ **पुरुष युगल**

विजेता - एंथोनी अमलराज एवं **मानव विकास ठक्कर** (दोनों भारत)

उपविजेता - अचंत शरत कमल एवं जी. साथियान (दोनों भारत)

➲ **महिला युगल**

विजेता - पूजा सहस्रबुद्धे एवं **क्रित्विका सिन्हा रॉय** (दोनों भारत)

उपविजेता - अकुला श्रीजा एवं **मौसुमी पॉल** (दोनों भारत)

➲ **मिश्रित युगल**

विजेता - जी. साथियान एवं अर्चना कामथ (दोनों भारत)

उपविजेता - पेंग यु इन कोइन एवं गोई रुई झुआन (दोनों सिंगापुर)

गोल्फ

❑ यू.एस. ओपन, 2019

➡ 119वां संस्करण कैलिफोर्निया में संपन्न। (13-16 जून, 2019)



➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - गैरी वुडलैंड (अमेरिका)

❑ द ओपन चैंपियनशिप, 2019

➡ 148वां संस्करण, उत्तरी आयरलैंड में संपन्न। (18-21 जुलाई, 2019)



➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - शेन लॉरी (आयरलैंड)

❑ WGC फेडएक्स सेंट ज्यूड आमंत्रण टूर्नामेंट, 2019

➡ मेंफिस, अमेरिका में संपन्न। (25-28 जुलाई, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - ब्रुक्स कोएपका (अमेरिका)

❑ विंडहैम चैंपियनशिप, 2019



➡ उत्तरी कैरोलिना, अमेरिका में संपन्न। (4 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - जे.टी. पोस्टन (अमेरिका)

❑ द नॉर्दन ट्रस्ट, 2019

➡ न्यू जर्सी, अमेरिका में संपन्न। (11 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - पैट्रिक रीड (अमेरिका)

❑ BMW चैंपियनशिप, 2019

➡ अमेरिका में संपन्न। (18 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - जस्टिन थॉमस (अमेरिका)

❑ टूर चैंपियनशिप, 2019



➡ जार्जिया, अमेरिका में संपन्न। (25 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - रॉरी मैक्लारॉय (उत्तरी आयरलैंड)

बिलियर्ड्स/स्नूकर/स्क्वैश

❑ IBSF 6 रेड्स स्नूकर चैंपियनशिप

➡ म्यांमार में संपन्न। (16-21 सितंबर, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष वर्ग**

विजेता - लक्ष्मण रावत (भारत)

उपविजेता - मुहम्मद आसिफ (पाकिस्तान)

➲ **महिला वर्ग**

विजेता - नुतचरत वोंधरुथाई (थाईलैंड)

उपविजेता - एमी कमानी (भारत)

❑ IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, 2019

➡ म्यांमार में संपन्न।(12-15 सितंबर, 2019)



➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

150 Up प्रारूप

विजेता - पंकज आडवाणी (भारत)

उपविजेता - नाय थ्वे-ओ (म्यांमार)

➡ उल्लेखनीय है कि यह पंकज का 22वां विश्व चैंपियनशिप खिताब है।

❑ बाम्बे जिमखाना ओपन यूथ स्नूकर चैंपियनशिप, 2019

➡ मुंबई में संपन्न। (10-14 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - क्रिश गुरबक्सानी (मुंबई)

उपविजेता - आशुतोष पाधे (ओडिशा)

❑ राष्ट्रीय मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप, 2019

➡ तीसरा संस्करण मुंबई में संपन्न। (16-22 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - अनुज उप्पल (दिल्ली)

उपविजेता - रफत हबीब (रेलवे)

फॉर्मूला वन

❑ हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, 2019

➡ हंगरी में संपन्न। (4 अगस्त, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **विजेता - लुईस हैमिल्टन** (यू.के.), टीम- मर्सिडीज (जर्मनी)

❑ जर्मन ग्रैंड प्रिक्स, 2019

➡ जर्मनी में संपन्न। (28 जुलाई, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **विजेता - मैक्स वर्सटाप्पेन** (नीदरलैंड्स), टीम- रेडबुल रेसिंग - होंडा

❑ फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, 2019



➡ फ्रांस में संपन्न। (23 जून, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➡ **विजेता -** लुईस हैमिल्टन (यू.के.), टीम - मर्सिडीज (जर्मनी)

❑ ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, 2019

➡ ऑस्ट्रिया में संपन्न। (30 जून, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➡ **विजेता - मैक्स वर्सटाप्पेन** (नीदरलैंड्स), टीम - रेडबुल रेसिंग - होंडा

❑ ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, 2019

➡ सिल्वरस्टोन, यू.के. में संपन्न। (14 जुलाई, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➡ **विजेता - लुईस हैमिल्टन** (यू.के.), टीम - मर्सिडीज (जर्मनी)

विविध

❑ FIBA बॉस्केटबॉल विश्वकप, 2019

➡ चीन में संपन्न। (31 अगस्त - 15 सितंबर, 2019)

➡ **प्रतिभागी टीमें -** 32 (4 कनफेडरेशंस की)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - स्पेन (दूसरा खिताब)

उपविजेता - अर्जेंटीना

➡ स्पेन 2 या उससे अधिक बार विश्व कप जीतने वाला पांचवां देश बना।

➲ इससे पहले युगोस्लाविया और अमेरिका ने 5-5, सोवियत यूनियन ने 3 और ब्राजील ने 2 बार विश्व कप जीता।

➡ टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी - **रिकी रुबिओ** (स्पेन)

❑ विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप, 2019

➡ मैड्रिड, स्पेन में संपन्न। (19-25 अगस्त, 2019)

➡ भारत ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक जीता।

➡ भारतीय स्वर्ण पदक विजेता -



➲ कोमलिका बारी (रिकर्व कैडेट महिला वर्ग)

➲ मार्को रागिनी एवं सुखबीर सिंह (कंपाउंड जूनियर मिश्रित टीम स्पर्धा)

➡ इस स्वर्ण के साथ 17 वर्षीय कोमलिका रिकर्व कैडेट (अंडर- 18 वर्ग) विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय तीरंदाज बनीं।

➲ ध्यातव्य है कि कोमलिका से पहले दीपिका कुमारी ने वर्ष 2009 में यह उपलब्धि हासिल की थी।

❑ भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक

➡ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मोबाइल वालेट कंपनी पेटीएम (Paytm) के साथ प्रायोजन अधिकार (Title sponsorship rights) करार की घोषणा की। (21 अगस्त, 2019)

➡ उद्घोषणानुसार वन 97 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (Paytm) ने बीसीसीआई के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए प्रायोजन अधिकार प्राप्त किए हैं।

➡ यह करार अगले चार वर्षों (2019-2023) तक प्रभावी है।

❑ फिना विश्व एक्वैटिक्स चैंपियनशिप, 2019

➡ 18वां संस्करण ग्वांग्झू, दक्षिण कोरिया में संपन्न। (12-28 जुलाई, 2019)

➡ भारत सहित विश्व के 192 देशों के लगभग 2600 तैराकों ने इस द्विवार्षिक आयोजन में प्रतिभाग किया।

➡ चीन 16 स्वर्ण, 11 रजत एवं 3 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा।

➡ पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों की स्थिति -

क्रम	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1.	चीन	16	11	3	30
2.	अमेरिका	15	11	10	36
3.	रूस	12	11	7	30
4.	ऑस्ट्रेलिया	7	9	7	23
5.	हंगरी	5	0	0	5

➡ ध्यातव्य है कि भारत ने 12 तैराकों का दल इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु भेजा था, किंतु उनमें से एक भी तैराक पदक नहीं जीत सका।

❑ फेडरेशन कप बास्केटबॉल चैंपियनशिप, 2019

➡ 33वां संस्करण गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में संपन्न। (12-16 जून, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता पुरुष वर्ग - पंजाब पुलिस

विजेता महिला वर्ग - ईस्टर्न रेलवे

❑ एशियन कॉन्टिनेंटल ओपन एवं महिला शतरंज चैंपियनशिप, 2019

➡ शिंगताई, चीन में संपन्न। (7-15 जून, 2019)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

ओपन वर्ग विजेता - ली क्वांग लिएम (वियतनाम)

महिला वर्ग विजेता - दिनारा सादुआकासोवा (कजाख्स्तान)

बिल्ट्ज वर्ग विजेता - निहाल सरीन (भारत)

❑ ब्लैक फॉरेस्ट कप, 2019

➡ 5वां संस्करण जर्मनी में संपन्न। (19-23 जून, 2019)

➡ भारतीय मुक्केबाजों ने 5 स्वर्ण, 2 रजत पदकों सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए और टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब जीता।

➡ टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी - नेहा (हरियाणा)

➡ **भारतीय स्वर्ण पदक विजेता -**

➲ नेहा (54 किग्रा. भार वर्ग)

➲ अंजू देवी (50 किग्रा. भार वर्ग)

➲ अंबेशोरी देवी (57 किग्रा. भार वर्ग)

➲ तमन्ना (48 किग्रा. भार वर्ग)

➲ प्रीति दहिया (60 किग्रा. भार वर्ग)

❑ ISSF जूनियर विश्व कप (राइफल/ पिस्टल/शॉटगन), 2019

➡ जर्मनी में संपन्न। (12-20 जुलाई, 2019)

➡ प्रतियोगिता में **भारत 10 स्वर्ण, 9 रजत तथा 5 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर** रहा।

➡ चीन 8 स्वर्ण, 8 रजत तथा 8 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा।

➡ **विश्व कप में शीर्ष 5 देशों की स्थिति-**

क्रम	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1.	भारत	10	9	5	24
2.	चीन	8	8	8	24
3.	जर्मनी	5	2	3	10
4.	अमेरिका	4	3	2	9
5.	रूस	3	2	2	7

➡ **भारतीय स्वर्ण पदक विजेता**

➲ ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (50 मी. राइफल 3 पोजीशन, पुरुष वर्ग)

➲ इलेवनिल वालारिवान (10 मी. एयर राइफल, महिला वर्ग)

➲ सरबजोत सिंह (10 मी. एयर पिस्टल, पुरुष वर्ग)

➲ अनीश (25 मी. रैपिड फॉयर पिस्टल, पुरुष वर्ग)

➲ उदयवीर सिद्धू (25 मी. स्टैंड्र्ड पिस्टल, पुरुष वर्ग)

➲ गौरव राणा (50 मी. पिस्टल, पुरुष वर्ग)

➡ भारतीय दल ने 4 स्वर्ण टीम स्पर्धाओं में जीते जो निम्नवत हैं-

➲ 25 मी. स्टैंड्र्ड पिस्टल, पुरुष टीम स्पर्धा।

➲ 25 मी. पिस्टल, पुरुष टीम स्पर्धा।

➲ 50 मी. पिस्टल, पुरुष टीम स्पर्धा।

➲ 10 मी. एयर राइफल, महिला टीम स्पर्धा।

❑ 30वें ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल, 2019

➡ नैपल्स (Naples), इटली में संपन्न। (3-14 जुलाई, 2019)

➡ 118 देशों के प्रतिभागियों ने 18 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया।

➡ भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 2 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जीतकर प्रतियोगिता में 29वें स्थान पर रहा।

➲ भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक महिला धावक दुती चंद ने 100 मीटर रेस में जीता।

➡ जापान ने 33 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य पदक सहित कुल 82 पदक जीतकर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

➡ पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों की स्थिति -

क्रम	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1.	जापान	33	21	28	82
2.	रूस	22	24	36	82
3.	चीन	22	13	8	43
4.	अमेरिका	21	17	15	53
5.	दक्षिण कोरिया	17	17	16	50

➡ 31वें ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालयी खेलों का आयोजन वर्ष 2021 में चीन में किया जाएगा।

❑ वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स

➡ इस द्विवार्षिक प्रतियोगिता का 18वां संस्करण चेगंदू, चीन में संपन्न। (8-18 अगस्त, 2019)

➡ विश्व के 79 देशों के 8000 से अधिक एथलीटों ने 60 से अधिक खेलों की कुल 237 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया।

➡ इन खेलों में भारत ने 139 स्वर्ण, 81 रजत तथा 66 कांस्य पदकों सहित कुल 286 पदक जीते।

➡ भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने सर्वाधिक 57 पदक (31 स्वर्ण, 16 रजत एवं 10 कांस्य पदक) जीते।

➡ इस प्रतियोगिता के 19वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2021 में रोटरडैम, नीदरलैंड्स में किया जाएगा।

चर्चित व्यक्ति

❑ पीटी ऊषा



➡ उड़नपरी एवं पायोली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पूर्व एथलीट।

➡ एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के एथलीट्स कमीशन की सदस्य चुनी गईं। (13 अगस्त, 2019)

➡ उज्बेकिस्तान के आंद्रे अब्दुवालियेव इस आयोग के अध्यक्ष होंगे।

➡ ध्यातव्य है कि ऊषा ने वर्ष 1986 के सियोल एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण सहित पांच पदक जीते थे।

❑ विनेश फोगाट



➡ भारतीय महिला पहलवान।

➡ वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक में खेलने की अर्हता प्राप्त करने वाली भारत की पहली पहलवान बनीं। (18 सितंबर, 2019)

➡ वारसा, पोलैंड में संपन्न पोलैंड ओपन कुश्ती टूर्नामेंट के 53 किग्रा. भार वर्ग, स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। (अगस्त, 2019)

➲ इससे पूर्व विनेश ने जुलाई, 2019 में ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन एवं इस्तांबुल में आयोजित यासर डोगू अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया था।

❑ एम.सी. मैरीकॉम



➡ छः बार की विश्व चैंपियन भारतीय महिला मुक्केबाज।

➡ एशियन स्पोर्ट्स प्रेस यूनियन द्वारा एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया। (27 अगस्त, 2019)

❑ शुभमन गिल



➡ भारतीय युवा बल्लेबाज।

➡ प्रथम-श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा (आयु 19 वर्ष, 334 दिन) भारतीय खिलाड़ी बने। (8 अगस्त, 2019)

➡ उन्होंने वेस्टइंडीज-ए के विरुद्ध खेले गए तीसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच के दौरान भारत-ए की ओर से खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की।

➲ ध्यातव्य है कि गिल से पूर्व यह रिकॉर्ड गौतम गंभीर के नाम था, जिन्होंने वर्ष 2002 में बोर्ड प्रेसीडेंट एकादश की ओर से खेलते हुए 20 वर्ष 124 दिन की आयु में जिम्बाब्वे के विरुद्ध दोहरा शतक बनाया था।

❑ हाशिम अमला



➡ दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज।

➡ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा। (8 अगस्त, 2019)

➡ अमला को क्रिकेट पत्रिका विजडन ने वर्ष 2013 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (Wisden Cricketer of the Year) भी चुना था।

➡ ध्यातव्य है कि अमला तिहरा शतक लगाने वाले एकमात्र दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हैं।

❑ ऐश्वर्या पिस्से



➡ भारतीय मोटर साइकिल रेसर।

➡ मोटर स्पोर्ट में विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर बनीं। (11 अगस्त, 2019)

➡ हंगरी में संपन्न एफआईएम बजास विश्व कप के अंतिम चरण में बंगलुरू की 24 वर्षीय ऐश्वर्या ने महिला वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की।

❑ कपिल देव



➡ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान।

➡ ईस्ट बंगाल क्लब द्वारा 'भारत गौरव' सम्मान से सम्मानित। (1 अगस्त, 2019)

➡ यह ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का सर्वोच्च सम्मान है।

❑ डालिलाह मुहम्मद



➡ अमेरिकी महिला एथलीट।

➡ 400 मी. बाधा दौड़ में 16 वर्ष पुराना विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त किया। (28 जुलाई, 2019)

➡ आयोवा (अमेरिका) के ड्रेक स्टेडियम में आयोजित यूएसए ट्रैक

एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप में डालिलाह ने 400 मी. बाधा दौड़ 52.20 सेकंड में पूरी कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।

➡ इससे पूर्व यह रिकॉर्ड रूस की यूलिया पेचोनकिना के नाम था, जिन्होंने वर्ष 2003 में 52.34 सेकंड में यह दौड़ पूरी की थी।

❑ किरण मोरे



➡ पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज।

➡ अमेरिकी क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच नियुक्त। (जुलाई, 2019)

➡ इस पद पर वे पुबुदु दासानायके (Pubudu Dassanayake) का स्थान लेंगे।

❑ विजेंदर सिंह



➡ भारतीय पेशेवर मुक्केबाज।

➡ सुपर मिडिलवेट वर्ग के मुकाबले में अमेरिका के माइक स्नाइडर को पराजित कर पेशेवर मुक्केबाजी में लगातार 11वीं जीत दर्ज की। (13 जुलाई, 2019)

❑ रोजर फेडरर



➡ स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी।

➡ विंबलडन में 100 एकल मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। (10 जुलाई, 2019)

➡ फेडरर ने 100वीं जीत जापान के केई निशिकोरी को पराजित कर दर्ज की।

❑ दुती चंद



➡ भारतीय महिला एथलीट।

➡ इटली के नेपोली में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में महिलाओं की 100 मीटर रेस में 11.32 सेकंड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। (9 जुलाई, 2019)

➡ यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली वह पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं।

➡ इस स्वर्ण के साथ ही दुती, हिमा दास के बाद किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय धावक बन गई हैं।

➲ धातव्य है कि गत वर्ष विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमा दास ने 400 मी. दौड़ स्पर्धा जीती थी।

❑ हिमा दास



➡ भारतीय महिला एथलीट।

➡ 'द ढींग एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर असम की हिमा दास ने नोवे मेस्टो नाड मेटुजी ग्रैंड प्रिक्स (चेक गणराज्य) में महिलाओं की 400 मी. की रेस 52.09 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। (20 जुलाई, 2019)

➡ हिमा द्वारा जुलाई, 2019 में विजित यह 5वां स्वर्ण पदक था।

➡ **हिमा के अन्य 4 पदक -**

➲ 200 मी., एथलेटिक्स ग्रैंड प्री. पोलैंड (2 जुलाई, 2019)

➲ 200 मी., एथलेटिक्स मीट; कुत्नो, पोलैंड (7 जुलाई, 2019)

➲ 200 मी., एथलेटिक्स मीट, चेक गणराज्य (13 जुलाई, 2019)

➲ 200 मी., एथलेटिक्स मीट, टाबोर, चेक गणराज्य (17 जुलाई, 2019)

❑ अर्जुन भाटी



➡ भारतीय गोल्फर।

➡ कैलिफोर्निया में ताइवान के जेरेमी चेन को पराजित कर जूनियर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप जीती। (18 जुलाई, 2019)

❑ सचिन तेंदुलकर



➡ पूर्व भारतीय क्रिकेटर।

➡ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) हाल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय क्रिकेटर बने। (18 जुलाई, 2019)

➡ इनके अतिरिक्त एलन डोनाल्ड (दक्षिण अफ्रीका) एवं ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर कैथरीन फिट्जपैट्रिक (Cathryn Fitzpatrick) को भी ICC हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया।

➡ ध्यातव्य है कि सचिन के अलावा ICC हाल ऑफ फेम में शामिल पांच अन्य भारतीय राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी तथा सुनील गावस्कर हैं।

❑ ब्रेंडन मैक्कुलम

➡ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान।

➡ क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा। (5 अगस्त, 2019)

❑ शिव थापा



➡ भारतीय मुक्केबाज।

➡ रिपब्लिक ऑफ कजाख्स्तान प्रेसीडेंट्स कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी। (20 जुलाई, 2019)

➡ थापा 63 किग्रा. भार वर्ग के फाइनल में कजाख्स्तान के जाकिर साफिउल्लीन के विरुद्ध वाकओवर मिलने के कारण विजेता घोषित किए गए।



आई.ए.एस. व पी.सी.एस. मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न-पत्र (नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि)

पूर्वाग्रह, विभेद, रूढ़िवादिता, भावनात्मक दक्षता

✍ डॉ. अतुल मिश्र

पाश्चात्य नैतिक दर्शन की शुरुआत ग्रीक चिंतन से मानी जाती है। ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी में कुछ ऐसे चिंतक अस्तित्व में आए, जिन्होंने मनुष्य के चरित्र एवं व्यावहारिक जीवन संबंधित समस्याओं पर विचार करना आरंभ किया। इन्हें 'सोफिस्ट' कहा जाता है, जिनका उद्देश्य मानव जीवन की नैतिक समस्याओं पर चिंतन करके उनकी समस्याओं का समाधान करना था। सोफिस्ट शब्द की व्याख्या में शिक्षक अथवा प्राध्यापक का अर्थ ग्रहण किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण दार्शनिक 'प्रोटोगोरस' हैं।

मनोवृत्ति में व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर अपने व्यवहार को विकसित करता है, उसका यह व्यवहार किसी विशेष संदर्भ में अभिव्यक्त होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति मूल्यांकन करते समय कभी-कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है, जिससे विभेदकारी स्थितियां उत्पन्न होने पर असमानता या अन्यायपूर्ण व्यवहार हो जाता है अथवा न्यायपूर्ण व्यवहार हो जाता है अथवा न्यायपूर्ण स्थितियां प्रभावित होती हैं।

पूर्वाग्रह	विभेद	रूढ़ि
↓	↓	↓
आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण से किसी विषय के प्रति पूर्वधारणा बना लेना	इस पूर्वधारणा के आधार पर वस्तुनिष्ठा की उपेक्षा कर असमान/अन्यायपूर्ण व्यवहार	समाज की उन मान्यताओं को स्वीकार करना, जो अप्रासंगिक व अनैतिक हो गई हैं

आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण के आधार पर किसी विषय पर पूर्णधारणा बना लेना पूर्वाग्रह है। इसमें विषय पर तटस्थ मूल्यांकन किए बिना पहले ही किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं, जिसके फलस्वरूप लोगों से व्यवहार करते समय विभेद करते हैं।

इसी प्रकार किसी विषय पर अतार्किक आधार पर असामान्य प्रतिक्रिया या व्यवहार करना विभेद है, इस विभेद का आधार व्यक्ति का पूर्वाग्रह होता है, जिसमें वस्तुनिष्ठता की उपेक्षा करके अन्यायपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।

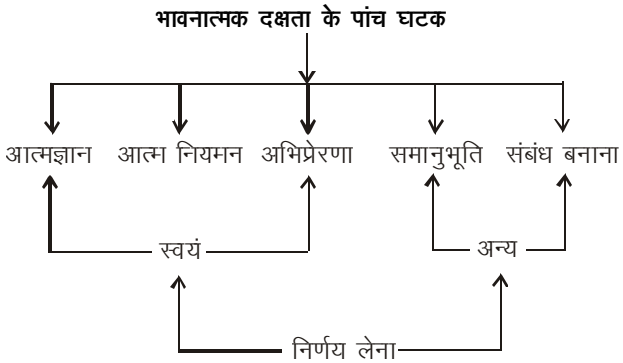
'पूर्वाग्रह एवं विभेद' के लिए व्यक्ति की रूढ़िवादी सोच उत्तरदायी होती है। किसी समाज में प्रचलित उन मान्यताओं या प्रथाओं को स्वीकार करना जो वर्तमान में अप्रासंगिक हो गई हैं एवं नैतिक दृष्टि से अनुचित हैं, वे रूढ़ियां कहलाती हैं। जैसे-पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा आदि।

सामान्यतः यह माना जाता है कि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में प्रचलित आचरण या व्यवहार को सीखता है। इसलिए किसी समाज से प्रभावित होना स्वाभाविक है और प्रत्येक व्यक्ति अनेक विषयों पर पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके विचारों में तटस्थता एवं वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती और वह व्यवहार करते समय विभेद करता है। इस दृष्टि से कहा जाता है कि तटस्थता और वस्तुनिष्ठता एक कल्पना है।

इस समस्या का समाधान नैतिक मूल्यों के आधार पर किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के पूर्वाग्रहों व रूढ़ियों को नैतिक शिक्षा एवं अनुनय के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यद्यपि रूढ़ियों एवं पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होना स्वाभाविक है तथापि नैतिक आचरण का उद्देश्य ही होता है कि व्यक्ति एवं समाज के विकास के लिए उन मूल्यों का निर्देशन करें, जिसमें संपूर्णता से सुख-शांति स्थापित हो सके। इसलिए न्यायपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की मांग है कि प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्वाग्रह रूढ़ियों से मुक्त हुआ जाए।

❑ भावनात्मक दक्षता

मनुष्य एक भावात्मक प्राणी है और किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में भावना एक विशेष भूमिका निभाती है। अतः अन्य व्यक्तियों की भावना को समझते हुए स्वयं की भावना के साथ संतुलन बनाकर निर्णय लेने की योग्यता भावनात्मक दक्षता कहलाती है।



आत्मज्ञान - व्यक्तियों में स्वयं की भावनाओं को समझ पाने और उसका नामकरण करने की क्षमता 'आत्मज्ञान' कहलाता है।

आत्म नियमन - व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं को सही दिशा में ले जाने की क्षमता आत्म नियमन है। भावनाओं का नियमन व्यक्ति की स्वाभाविक विशेषता है, जिसका अभ्यास करके सही दिशा दी जा सकती है।

अभिप्रेरणा - व्यक्ति की वह क्षमता जिससे वह अपनी भावनाओं का प्रयोग करके किसी वांछित कार्य को सफलतापूर्वक कर पाने के लिए सक्षम होता है। अभिप्रेरणा के अभाव में किसी निर्णय तक पहुंचना कठिन होता है।

समानुभूति - किसी दूसरे व्यक्ति की भावना को समझ पाने की क्षमता समानुभूति है, जिसमें स्वयं को अन्य के स्थान पर रखकर उसके पक्ष को महसूस करने का प्रयास किया जाता है।

संबंध बनाना - किसी अन्य व्यक्ति की भावना को नियंत्रित कर पाने की क्षमता ही संबंध बनाना है। यह तभी संभव है, जब दूसरे की भावना को समुचित रूप से महसूस करके किसी निर्णय पर पहुंच जाए।

सामान्यत: भावना का पक्ष हमारी सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से किसी विषय से जुड़ता है, तो यह हमारी स्मृति में अधिक गहराई से संग्रहीत होता है। यद्यपि भावना की तीव्रता हमारे सोचने की क्षमता या तार्किक क्षमता को प्रभावित करती है। तीव्र भावनात्मक स्थितियां मस्तिष्क की क्षमता को बंद कर देती हैं। इसलिए निर्णय प्रक्रिया में भावनात्मक संतुलन आवश्यक माना जाता है। सामान्यत: एक मनुष्य में छ: तरह की भावनाएं जैसे-खुशी, क्रोध, दु:ख, डर, घृणा एवं आश्चर्य होती हैं।

प्रशासन में भावनात्मक दक्षता अधिक महत्वपूर्ण है। प्रशासन में विभिन्न कार्यों को करने के लिए कुशल संचालन अनिवार्य है और इस प्रकार के कुशल प्रशासनिक अधिकारी में नेतृत्व क्षमता भी होनी चाहिए, जिसका मुख्य आधार भावात्मक बुद्धिमत्ता को माना जाता है। दो समूहों में संघर्ष निवारण के लिए भावात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि अच्छा नेतृत्वकर्ता विभिन्न पक्षों की भावनाओं को समझते हुए संतुलित निर्णय लेने में सक्षम होता है।

भावात्मक बुद्धिमत्ता के कारण व्यक्ति अन्य के व्यवहार को प्रभावित करता है और इसके लिए वह अपने अनुभव को प्रभावशाली तरीके से प्रयुक्त कर अन्य लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। भावात्मक बुद्धिमत्ता से प्रशासनिक अधिकारी अपने संदेशों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ सरल एवं विश्वासपूर्ण तरीके से भेज सकता है और भावना की समझ होने से दूसरे के संदेशों को किसी अन्य व्यक्ति तक सरल और खुले तौर पर स्वीकार करता है, जिससे कार्य शैली बेहतर होती है।

भावात्मक बुद्धिमत्ता नेतृत्व का आधार है। नेतृत्व व्यक्ति की वह क्षमता है, जिसके द्वारा वह व्यक्तियों के समूह को किसी कार्य के लिए अभिप्रेरित या निर्देशित करता है, जिसमें भावनात्मक समझ लोगों की आकांक्षाओं को समझने में सहयोग करती है।

प्रशासन के विभिन्न कार्यों के संचालन के दौरान कार्य पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। भावात्मक समझ परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानने एवं परिवर्तन में आने वाली बाधाओं का पूर्वाभास कराने की क्षमता प्रदान करती है। प्रशासन में कर्मचारियों के विश्वास को बढ़ाने एवं संबंधों में स्थायित्व लाने की क्षमता भावनाओं की समझ पर निर्भर करती है। इसलिए भावात्मक बुद्धिमत्ता संबंधों को मजबूत बनाने के साथ ही सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करती है।

इन सभी उपायों के माध्यम से भावात्मक बुद्धिमत्ता अपने समूह का नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाती है, जिसके माध्यम से प्रशासन में विभिन्न नीतियों का क्रियान्वयन सरल हो जाता है और प्रशासन अपने सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्रियाशील रहता है।

❑ केस स्टडी

इंजीनियरी की एक नई स्नातक को एक प्रतिष्ठावान रासायनिक उद्योग में नौकरी मिली है। वह कार्य को पसंद करती है। वेतन भी अच्छा है। फिर भी, कुछ माह के पश्चात इत्तफाक से उसने पाया कि उच्च विषाक्त अवशेष को गोपनीय तरीके से नजदीकी नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। यह अनुप्रवाह में रहने वाले ग्रामीण, जो पानी की आवश्यकता के लिए नदी पर निर्भर हैं, के स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। वह विचलित है और वह अपनी चिंता

सहकर्मियों को प्रकट करती है, जो लंबे समय से कंपनी के साथ रहे हैं। वे उसे चुप रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो भी इस विषय का उल्लेख करता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह अपनी नौकरी खोने का खतरा नहीं ले सकती, क्योंकि वह अपने परिवार की एकमात्र जीविका चलाने वाली है तथा उसे बीमार माता-पिता एवं भाई-बहनों का भरण-पोषण करना होता है। प्रथमत: वह सोचती है कि यदि उसके वरिष्ठ चुप हैं, तो वह ही क्यों अपनी गर्दन बाहर निकाले। परंतु उसका अंत:करण नदी को एवं नदी पर निर्भर रहने वाले लोगों को बचाने के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। अंत:करण से वह महसूस करती है कि उसके मित्रों द्वारा चुप रहने का दिया गया परामर्श उचित नहीं है, यद्यपि वह उसके कारण नहीं बता सकती है। वह सोचती है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तथा वह आपका परामर्श पूछती है।

प्रश्न - (a) चुप रहना उसके लिए नैतिक रूप से सही नहीं है, यह दर्शाने के लिए आप क्या तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं?

(b) आप उसे कौन-सा रास्ता अपनाने की सलाह देंगे और क्यों देंगे?

(250 शब्द)

प्रश्न विचार :

किसी भी व्यक्ति के जीवन में आजीविका प्रमुख अभिप्रेरणा का कारण होती है। सामान्यत: किसी भी व्यक्ति के अभिप्रेरणा में रोटी, कपड़ा, मकान प्राथमिक आवश्यकताओं में आते हैं, इसलिए इस इंजीनियरिंग की स्नातक के लिए नौकरी प्रथम प्राथमिकता है, तो दूसरी ओर नौकरी करने के साथ-साथ अन्य अधिकतर लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली नदी विषाक्त हो रही है, जिससे आने वाले समय में उन ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी।

पुन: उस कर्मचारी ने अपने काम की पढ़ाई की है, साथ ही वह इस काम को पसंद करती है और इनका वेतन भी अच्छा है, लेकिन उसकी सामाजिक सोच ग्रामीणों के प्रति समय के उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए बाध्य करती है।

इसके साथ यह दुविधा भी उत्पन्न हो गई है कि उसके वरिष्ठ इस मुद्दे पर चुप रहने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन आप इस सलाह के साथ सहमति नहीं बना पा रही हैं और असंतोष के साथ दुविधा में हैं।

उत्तर - (a) : किसी भी मानवीय क्रिया-कलाप का लक्ष्य मानव कल्याण है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि ''मनुष्य से प्रेम करो और वस्तुओं का उपयोग करो।'' चूंकि इस प्रदूषण से ग्रामीणों का जीवन संकट में है, इसलिए अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए प्रदूषित पानी पीकर बीमार पड़ने वाले ग्रामीणों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

हम सभी इस सृष्टि के अंग हैं। उसी तरह नदी भी हमारे पर्यावरण एवं जीवन का हिस्सा है, इसलिए नदी को बचाना अपने आप में अनिवार्य है। भले ही वह मनुष्य के उपयोग में आ रही हो या नहीं।

इसके अतिरिक्त व्यक्ति स्वयं जिसके बारे में स्पष्ट होता है कि वह चीज अनैतिक है, उससे बहुत दिनों तक संघर्ष करना कठिन होता है। अपराध बोध में जीना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

अंतत: अपने सहकर्मियों में नैतिक चेतना जगाना भी आवश्यक है, क्योंकि आपके सहकर्मी नैतिक होने के बावजूद इस मुद्दे पर चुप हैं। इस मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए आपको चुप नहीं रहना चाहिए।

उत्तर - (b) : सर्वप्रथम मैं अपने साथियों को इस मुद्दे पर विरोध करने के लिए सहमत करूंगी। इसके लिए प्रदूषण से होने वाले नुकसान के साथ-साथ प्रदूषण से बचने के उपाय के बारे में भी विचार-विमर्श करूंगी और इतने पर भी बात नहीं बनती है, तो अब मैं सक्षम अधिकारी से बात-चीत करके इस विषय पर कदम उठाने के लिए कहूंगी।

■■■





मध्यकालीन भारत

13 अंकों में आविष्कार/खोज, 4 अंकों में राष्ट्रगान, 5 अंकों में संसद, 3 अंकों में मुद्राओं तथा 11 अंकों में धरातलीय आकृतियों के पश्चात अब ज्ञानिकी के तहत पृथक-पृथक शीर्षकों में जानकारियां प्रदान की जा रही हैं, जिसके तहत परिवहन के विभिन्न घटकों, महासागरीय नितल के उच्चावच, स्थानीय पवन, आर्द्रता, कुहरा एवं बादल, वर्षा, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ एवं सूखा, भारत की प्रमुख बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों/केंद्रों, पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव, शैव, शाक्त धर्म, उत्तर भारत की राजनैतिक दशा (600 ई.पू.-325 ई.पू.), मौर्य साम्राज्य तथा मौर्योत्तर काल, गुप्तकाल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल तथा मुस्लिम आक्रमण और सल्तनत काल के विषय में जानकारी प्रदान की गई थी। इस अंक में भी सल्तनत काल की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है।

खिलजी वंश

❑ जलालुद्दीन खिलजी (1290-1296 ई.)

➡ जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ई. में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ई. में कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखड़ी (किलूखड़ी) के महल में करवाया था।

➡ जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने की थी। जिसने अपने स्पष्ट विचार को आगे रखा कि राज्य, शासित स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए।

➡ जलालुद्दीन खिलजी का मानना था कि भारत में बड़ी संख्या में लोग हिंदू थे। भारत में राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता।

➡ मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरि के शासक रामचंद्र देव पर हुआ।

➡ जलालुद्दीन खिलजी के समय में ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला गया था।

➡ जुलाई, 1296 में सुल्तान जलालुद्दीन का वध उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कड़ा मानिकपुर में कर दिया गया।

❑ अलाउद्दीन खिलजी (1296-1316 ई.)

➡ अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया, किंतु उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया।

➡ 1296 ई. में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इस अवसर पर उसने 'अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दुनिया-वाद दीन मुहम्मद शाह खिलजी' की उपाधि ग्रहण की।

➡ अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ ही 'सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग' का सूत्रपात होता है।

➡ अलाउद्दीन खिलजी अधिराजत्व (Dominon) में विश्वास करता था, न कि प्रभुसत्ता (Sovereignty) में।

➡ अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत के प्रदेशों को साम्राज्य में विलीन किए बिना ही साम्राज्य का विस्तार किया तथा दक्षिण में अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई।

➡ अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, जिसने दक्षिण भारत को जीता। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी (जलालुद्दीन के समय) ही था।

➡ अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने 'सिकंदर द्वितीय सानी' की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया।

➡ पाण्ड्य राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और न ही कोई कर दिया।

➡ धन की दृष्टि से पाण्ड्य राज्य पर किया गया आक्रमण मलिक काफूर का सबसे सफल आक्रमण था।

➡ अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरि के शासक रामचंद्र देव को 'राय रायन' की उपाधि दी और राज्य वापस कर दिया।

➡ 1303 ई. में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की तथा उसने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिज्राबाद रखा।

➡ मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने 1304 ई. में सीरी को अपनी राजधानी बनाई।

➡ मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का एक योग्य सेनानायक था। इसको अलाउद्दीन ने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था।

➡ मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने एक हजार स्वर्ण दीनारों में प्राप्त किया था, इसलिए इसे 'हजार-दीनारी' भी कहा जाता था।

➡ अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया।

➡ अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया।

➡ अलाउद्दीन खिलजी ने 'यामीन-उल-खिलाफत नासिरी-अमीर-उल मुमनिन' (खलीफा का नायब) की उपाधि ग्रहण की।

➡ अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था।

➡ अलाउद्दीन खिलजी ने जातीयवादी नीति का परित्याग कर योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया।

➡ सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था।

➡ अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नकद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था।

➡ अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था भी लागू की।

➡ अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण पद्धति के बारे में विस्तृत जानकारी का मुख्य स्रोत बरनी के तारीखे फिरोजशाही में मिलता है।

➡ अलाउद्दीन को आर्थिक सुधारों की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई, क्योंकि उसे अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एवं निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के कारण एक विशाल सेना की आवश्यकता थी।

➡ आर्थिक मामलों की देख-रेख के लिए 'दीवाने-ए-रियासत' नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की, यह व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था।

➡ अलाउद्दीन ने गुप्तचर पद्धति को पूर्णतया संगठित किया। 'बरीद-ए-मुमालिक' इस विभाग का मुख्य अधिकारी था।

➡ खालसा अथवा रक्षित प्रदेशों का शासन केंद्र द्वारा किया जाता था, जिसका शासन अमीर एवं शहना संभालते थे।

➡ अलाउद्दीन ने 'बिस्वा' को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया था।

➡ प्रति बिस्वा उपज के आधे भाग (50 प्रतिशत) को राज्य के हिस्से या लगान के रूप में लिया जाता था।

➡ अलाउद्दीन खिलजी ने ग्राम के मुखियों (मुकद्दमों), जमींदारों (खूतों) और साधारण किसानों (बलाहारों) से संबंधित आदेश जारी कर खूतों एवं मुकद्दमों के विशेषाधिकार वापस ले लिए।

➡ अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था, जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया।

➡ राजस्व नकद एवं अनाज दोनों रूपों में वसूल किया जाता था।

➡ अलाउद्दीन ने दो नवीन कर 'मकान कर' और 'चराई कर' भी लगाए थे।

➡ दिल्ली सल्तनत काल में 'खराज' हिंदू जमींदारों से एकत्रित भूमि कर था।

➡ अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था से संबंधित 'परवाना नवीस' (परमिट देने वाले अधिकारी) की नियुक्ति की।

➡ बकाया लगानों की वसूली के लिए अलाउद्दीन ने 'दीवान-ए-मुस्तखराज' विभाग की स्थापना की।

➡ अलाउद्दीन खिलजी ने 'मिल्क' तथा 'वक्फ' भूमि अनुदान को भी वापस ले लिया, जिससे खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई।

➡ अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुबमीनार के निकट 'अलाई दरवाजा' का निर्माण करवाया। यह 1311 ई. में बनकर तैयार हुआ था।

➡ यह हिंदू एवं मुस्लिम दो श्रेष्ठ शैलियों का कुशल समन्वय है।

➡ हौज-ए-अलाई (हौज-ए-खास) का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था।

➡ 5 जनवरी, 1316 ई. को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई।

❑ कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी (1316-1320 ई.)

➡ अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात हुए उत्तराधिकार संघर्ष के फलस्वरूप अलाउद्दीन का तीसरा पुत्र मुबारक खां अप्रैल, 1316 में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन गया।

➡ मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और 'अल-इमाम', 'उल-इमाम', 'खलाफत-उल-लह' आदि उपाधियां ग्रहण कीं।

➡ उखा मस्जिद (राजस्थान) का निर्माण सुल्तान मुबारक खिलजी ने करवाया था।

तुगलक वंश

❑ गयासुद्दीन तुगलक (1320-1325 ई.)

➡ अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था।

➡ गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने 'गाजी' की उपाधि धारण की।

➡ गयासुद्दीन तुगलक ने खूतों और मुकद्दमों के पुराने अधिकारों को बहाल किया था।

➡ गयासुद्दीन तुगलक ने दीवान-ए-विजारत को आदेश दिया कि इक्ता की मालगुजारी में एक वर्ष में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि न की जाए।

➡ सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था।

➡ इसने अमीरों को पद देने में वंशानुगतता के साथ-साथ योग्यता को भी आधार बनाया गया।

➡ निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि 'हनुज दिल्ली दूरस्त' (हुजूर दिल्ली अभी दूर है)। गयासुद्दीन के औलिया से संबंध कटुतापूर्ण थे।

❑ मुहम्मद बिन तुगलक (1325-1351 ई.)

➡ मार्च, 1325 में उलूग खां (जूना खां) मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना।

➡ मध्य युग के शासकों में चरित्र और कार्यों की दृष्टि से अन्य कोई शासक इतना विवादास्पद नहीं रहा, जितना मुहम्मद बिन तुगलक।

➡ दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मुहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोलशास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं का ज्ञाता था।

➡ उसका विश्वास था कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा है।

➡ उसने अपने सिक्कों पर 'अल सुल्तान जिल्ली अलाह' (सुल्तान ईश्वर की छाया) खुदवाया था।

➡ मुहम्मद बिन तुगलक का विश्वास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सुल्तान में था।

➡ अलाउद्दीन की भांति मुहम्मद तुगलक भी शासन में किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता था।

➡ मुहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान–ए-अमीर कोही की स्थापना की।

➡ मुहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे (कांसे) का सिक्का सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया।

➡ मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्नबतूता द्वारा 'दीनार' की संज्ञा दी गई थी।

➡ मोरक्कन (मोरक्को) यात्री इब्नबतूता सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के काल में सितंबर, 1333 में दिल्ली आया था।

➡ सुल्तान ने इसे दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया।

➡ इब्नबतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में 'किताब उल-रेहला' नामक ग्रंथ में लिखा है।

➡ दिल्ली के सुल्तानों में मुहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था, जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतया होली में भाग लेता था।

➡ बरनी, मुहम्मद बिन तुगलक की पांच प्रमुख योजनाओं का वर्णन करता है- दोआब में कर वृद्धि, देवगिरि को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण एवं कराचिल अभियान।

➡ देवगिरि को 'कुबतुल इस्लाम' भी कहा गया है।

➡ मुहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान जिनप्रभु सूरि एवं राजशेखर का स्वागत किया।

➡ 20 मार्च, 1351 को मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई।

➡ बदांयूनी ने उसकी मृत्यु पर लिखा है-''सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई।''

❑ फिरोजशाह तुगलक (1351-1388 ई.)

➡ मुहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोजशाह तुगलक गद्दी पर बैठा।

➡ फिरोज तुगलक ने मजहबी उत्साह में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया।

➡ फिरोज ने अपने को खलीफा का नाइब पुकारा और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया।

➡ फिरोज तुगलक ने 'दीवान-ए-खैरात' स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था।

➡ फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उनकी देखभाल के लिए उसने 'दीवान-ए-बंदगान' नामक पृथक विभाग की स्थापना की।

➡ सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोजशाह तुगलक ने ही 'लोक निर्माण विभाग' की स्थापना की।

➡ फिरोज तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर एवं फिरोजाबाद प्रमुख हैं।

➡ फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध है।

➡ सिंचाई की सुविधा के लिए उसने पांच बड़ी नहरों का निर्माण कराया।

➡ फिरोज तुगलक ने 'हक्क-ए-शर्ब' नामक सिंचाई कर लगाया।

➡ सिंचाई कर लगाने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था।

➡ फिरोज तुगलक द्वारा अशोक के दो स्तंभों को 'मेरठ एवं टोपरा' (अब अंबाला जिले में) से दिल्ली लाया गया।

➡ राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था।

➡ फिरोज तुगलक ने 'शशगनी' (6 जीतल का) नामक सिक्का चलाया।

➡ फिरोज ने 'अद्धा एवं बिख' नामक तांबा एवं चांदी निर्मित सिक्का चलाया।

➡ 1388 ई. में फिरोज की मृत्यु हो गई।

सल्तनत कालीन साहित्य

रचना		रचनाकार
अलबरुनी	-	तारीख-ए-हिंद
इब्नबतूता	-	रेहला
मिनहाज-उस सिराज	-	तबकात-ए-नासिरी
जियाउद्दीन बरनी	-	तारीख-ए-फीरोजशाही
हसन निजामी	-	ताजुल मासिर
याहिया बिन अहमद	-	तारीख-ए-मुबारक शाही
फिरोज शाह तुगलक	-	फुतुहात-ए-फिरोजशाही
अमीर खुसरो	-	मिफता-उल-फुतूह, खजाइन-उल-फुतूह (तारीख-ए-अलाई), आशिका, नूह सिपिहर, तुगलकनामा तथा तारीख-ए-दिल्ली



Q. सितंबर, 2019 में 'नाइट फ्रैंक' द्वारा 'Insights on Co-living : An Asia-Pacific Perspective' शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत 'को-लिविंग इंडेक्स' (Co-living Index), 2019 की सूची में शीर्ष 5 शहर कौन-कौन से हैं?

A. क्रमशः बीजिंग, टोक्यो, शंघाई, हांगकांग तथा मुंबई।

Q. 12 सितंबर, 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा देश के दूसरे मल्टी मोडल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है?

A. साहिबगंज (झारखंड) में गंगा नदी पर।

Q. 8वीं एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज (AMER8 : 8th Asian Ministirial Energy Roundtable) बैठक कब और कहां आयोजित की गई?

A. 10 सितंबर, 2019 को अबू धाबी (यू.ए.ई.) में।

Q. 8-9 सितंबर, 2019 के मध्य पूर्वोत्तर परिषद का 68वां पूर्ण सत्र कहां आयोजित हुआ?

A. गुवाहाटी (असम) में।

Q. सितंबर, 2019 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कितने सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान (Institutions of Eminence) का दर्जा दिया गया?

A. पांच (आई.आई.टी. खड़गपुर, आई.आई.टी. मद्रास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय)।

Q. 30 अगस्त से 1 सितंबर, 2019 के मध्य समुद्री उत्पादों का एक्सपो 'एक्वा एक्वेरिया भारत (Aqua Aquaria India), 2019 कहां आयोजित किया गया?

A. हैदराबाद में।

Q. सितंबर, 2019 में लैंसेट जर्नल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में विश्व में मलेरिया के मामलों की संख्या की दृष्टि से भारत का कौन-सा स्थान है?

A. चौथा (नाइजीरिया शीर्ष पर)।

Q. सितंबर, 2019 में विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक, 2019 (Travel & Tourism Competitiveness Index, 2019) में भारत का कौन-सा स्थान है?

A. 34वां स्थान (शीर्ष पर स्पेन)।

Q. सितंबर, 2019 में किस देश ने दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फॉर्म का उद्घाटन किया?

A. वियतनाम ने।

Q. 21 सितंबर, 2019 को भगवान बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा के अनावरण के कारण सुर्खियों में रहा गन्दन तेगचेनलिंग मठ किस शहर में स्थित है?

A. उलनबटोर (मंगोलिया) में।

Q. 9-12 सितंबर, 2019 के मध्य '24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस' (24th World Energy Congress), 2019 किस स्थान पर आयोजित की गई?

A. अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में।

Q. 7-9 सितंबर, 2019 के मध्य छठी भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता कहां आयोजित की गई?

A. नई दिल्ली में।

Q. 12 सितंबर, 2019 को 'फ्रेजर इंस्टीट्यूट' द्वारा जारी 'विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रेटिंग, 2019 में 162 देशों की सूची में भारत को कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है?

A. 79वां स्थान (शीर्ष पर हांगकांग)।

Q. 4 सितंबर, 2019 को 'डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, 2019' किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की गई?

A. अंकटाड (UNCTAD) द्वारा।

Q. 16 सितंबर, 2019 को किसे डॉ. कलाम स्मृति अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया?

A. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को।

Q. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सीमित ओवरों के प्रारूप (वनडे एवं टी-20) में दो हैट्रिक लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन हैं?

A. मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया)।

Q. प्रधानमंत्री द्वारा 'फिट इंडिया अभियान' की शुरुआत कब की गई?

A. 29 अगस्त, 2019 (राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर) को।

Q. निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है?

A. आंध्र प्रदेश।

Q. देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग कहां स्थित है?

A. चेर्लोपल्ली और रापुरू रेलवे स्टेशनों के मध्य (आंध्र प्रदेश में, लंबाई-6.6 किमी.)

Q. अगस्त, 2019 में जारी 'संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 'संदर्भ वर्ष (2017-18) में गैर-हिमालयी राज्यों में शीर्ष तीन स्थानों पर कौन-से राज्य हैं?

A. क्रमशः गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश।

Q. संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में शीर्ष तीन स्थानों पर कौन-से राज्य हैं?

A. क्रमशः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा त्रिपुरा।

Q. 8-9 अगस्त, 2019 के मध्य ई-गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया?

A. शिलांग (मेघालय) में।

Q. 1 अगस्त, 2019 को 'महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, 2019' का आयोजन किस स्थान पर किया गया?

A. कोच्चि (केरल) में।

Q. 12 जुलाई, 2019 को बाबा गुरुनानक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला किस स्थान पर रखी गई?

A. ननकाना साहिब में।

Q. राष्ट्रपति द्वारा जारी, संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 कब से प्रवृत्त हुआ?

A. 5 अगस्त, 2019 से।

Q. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 संसद द्वारा किस तिथि को पारित किया गया?

A. 6 अगस्त, 2019 को।

Q. दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 संसद द्वारा कब पारित किया गया?

A. 1 अगस्त, 2019 को।

Q. मजदूरी पर संहिता, 2019 (The Code on Wages, 2019) संसद द्वारा कब पारित किया गया?

A. 2 अगस्त, 2019 को।

Q. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 संसद द्वारा कब पारित किया गया?

A. 25 जुलाई, 2019 को।

Q. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधान देश में कब से लागू हुए?

A. 1 सितंबर, 2019 से।

Q. अगस्त, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यू.ए.ई. (UAE) यात्रा के दौरान यू.ए.ई. द्वारा उन्हें किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया?

A. 'ऑर्डर ऑफ जायेद' सम्मान से।

Q. 20-22 अगस्त, 2019 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले एडगर चगवा लुंगु किस देश के राष्ट्रपति हैं?

A. जाम्बिया गणराज्य के।

Q. अगस्त, 2019 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संयंत्र का उद्घाटन किया?

A. मांगदेछू पनबिजली संयंत्र का।

Q. डिजिटल भुगतान, व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में किसे लांच किया?

A. रुपे (Rupay) कार्ड को।

Q. 22-27 अगस्त, 2019 के मध्य 'वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन, 2019' (45वां संस्करण) का आयोजन कहां किया गया?

A. कजान (रूस) में।

Q. 45वीं वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते?

A. 4 पदक (1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 2 कांस्य)।

Q. 24-26 अगस्त, 2019 के मध्य जी-7 देशों का 45वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ?

A. बियारित्ज, फ्रांस में।

Q. जुलाई, 2019 में क्वाक्वाटेल्ली साइमंड्स द्वारा जारी 'द बेस्ट स्टूडेंट सिटीज ऑफ, 2019' की सूची में शामिल शीर्ष तीन शहर कौन-कौन से हैं?

A. क्रमशः (1) लंदन, (2) टोक्यो (3) मेलबर्न।

Q. वर्ष 2019 में यह पहला अवसर है, जब वैश्विक नवाचार सूचकांक किसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में जारी किया गया। वह उभरती हुई अर्थव्यवस्था कौन-सी है?

A. भारत (मध्य एवं दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचारी देश)।

Q. वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2019 के अनुसार, विश्व का सर्वाधिक नवाचारी देश कौन-सा है?

A. स्विट्जरलैंड (भारत की रैंकिंग 52वीं)।

Q. जुलाई, 2019 में जारी 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2019' के अनुसार, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य में सबसे तेज निरपेक्ष कमी किन देशों में दर्ज की गई है?

A. भारत, कंबोडिया एवं बांग्लादेश में।

Q. 24 जुलाई, 2019 को 'थेरसा मे' के स्थान पर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने?

A. बोरिस जॉनसन।

Q. केंद्रीय बजट 2019-20 में राजकोषीय, राजस्व एवं प्राथमिक घाटा कितना अनुमानित है?

A. क्रमशः GDP का 3.3 प्रतिशत, 2.3 प्रतिशत एवं 0.2 प्रतिशत (प्रभावी राजस्व घाटा : 1.3%)।

Q. बजट अनुमान 2019-20 में आय प्राप्ति के तीन सबसे बड़े स्रोत कौन-कौन से हैं?

A. क्रमशः निगम कर (21%), उधार एवं अन्य देयताएं (20%) तथा सेवा एवं अन्य कर (19%)।

Q. बजट अुनमान 2019-20 में कुल सब्सिडी, सकल व्यय का कितने प्रतिशत प्रस्तावित है?

A. 12.16 प्रतिशत।

Q. बजट अनुमान 2019-20 में सकल बजटीय व्यय में ब्याज अदायगी का हिस्सा कितने प्रतिशत है?

A. 18 प्रतिशत।

Q. आर्थिक समीक्षा, 2018-19 के अनुसार, वर्ष 2017-18 में सकल बचत जीडीपी का कितने प्रतिशत है?

A. 30.5 प्रतिशत।

Q. सेवा क्षेत्र का योगदान जीवीए (GVA) में 54.3 प्रतिशत है। रोजगार सृजन में इसका योगदान कितने प्रतिशत है?

A. 34 प्रतिशत।

Q. वर्ष 2018-19 में भारत के निर्यात में (मूल्य के अर्थ में) सर्वाधिक योगदान वाले शीर्ष देश कौन-कौन से हैं?

A. क्रमशः यू.एस.ए. (15.9%), यू.ए.ई. (9.1%), चीन (5.1%) तथा हांगकांग (3.9%)।

Q. वर्ष 2017-18 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किस देश को हुआ है?

A. संयुक्त राज्य अमेरिका (15.78%) को।

Q. वर्ष 2017-18 में भारत का सर्वाधिक आयात किस देश से हुआ है?

A. चीन (16.4%) से।

Q. अगस्त, 2019 में चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम (CNAPS) से जुड़ने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक कौन-सा है?

A. भारतीय स्टेट बैंक (शंघाई शाखा)।

Q. जुलाई, 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 में एटीएम (ATM) फ्रॉड (धोखाधड़ी) के मामले में शीर्ष तीन राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कौन-कौन से हैं?

A. क्रमशः महाराष्ट्र, दिल्ली एवं तमिलनाडु (असम, अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा में एक भी मामला नहीं)।

Q. 'उत्कर्ष, 2022' क्या है?

A. भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की नीतिगत रूपरेखा।

Q. अगस्त, 2019 में जारी तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2018-19 में देश में कुल कितने मिलियन टन बागवानी उत्पादन अनुमानित है?

A. 313.85 मिलियन टन।

Q. अगस्त, 2019 में जारी कृषिगत उत्पादन, 2018-19 के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है?

A. 284.95 मिलियन टन।

Q. अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा?

A. अंतरराष्ट्रीय ज्वार दिवस के रूप में।

Q. भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (TPCI) द्वारा 'इंडसफूड, 2020' का आयोजन कब और कहां किया जाएगा?

A. जनवरी, 2020 (ग्रेटर नोएडा) में।

Q. 21 अगस्त, 2019 को जारी 'स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स' - 'सरल' की सूची में शीर्ष पर कौन-कौन से राज्य हैं?

A. क्रमशः कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश।

Q. दुबई वर्ल्ड एक्सपो, 2020 का आयोजन कब और कहां किया जाएगा?

A. 20 अक्टूबर, 2020 से 10 अप्रैल, 2021 के मध्य, दुबई में।

Q. जुलाई, 2019 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अपडेट' के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 एवं 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है?

A. क्रमशः 7 प्रतिशत एवं 7.2 प्रतिशत।

Q. अगस्त, 2019 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 'विश्व के उच्चतम भुगतान पाने वाले अभिनेताओं, 2019' की सूची में शीर्ष पर कौन है?

A. ड्वेन जॉनसन (अक्षय कुमार चौथे स्थान पर)।

Q. 'विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची, 2019' में शामिल एक मात्र भारतीय महिला एथलीट कौन हैं?

A. पी.वी. सिंधु (शीर्ष पर सेरेना विलियम्स)।

Q. भारत के सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांडों की सूची 'ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100, 2019' में लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर कौन-सी कंपनी रही?

A. टाटा ग्रुप।

Q. जुलाई, 2019 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची 'फॉर्च्यून ग्लोबल-500, 2019' में शीर्ष पर कौन-सी कंपनी रही?

A. वालमार्ट [भारतीय कंपनियों में रिलायंस (106वां स्थान) शीर्ष पर रही]।

Q. 12 अगस्त, 2019 को डॉ. विक्रम साराभाई जन्म शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहां किया गया?

A. अहमदाबाद में।

Q. 22 अगस्त, 2019 को रूस द्वारा सोयुज MS-14 स्पेसक्रॉफ्ट से 'अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र' पर भेजे गए मानव के आकार के ह्यूमेनॉयड रोबोट का क्या नाम है?

A. फेडोर (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)।

Q. 22 जुलाई, 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार के द्वितीय लांच पैड से किस रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान-2 मिशन का प्रक्षेपण किया गया?

A. GSLV मार्क-III M1 द्वारा।

Q. चंद्रयान-2 मिशन के अंतर्गत शामिल लैंडर एवं रोवर का नाम क्या है?

A. क्रमशः विक्रम एवं प्रज्ञान।

Q. अगस्त, 2019 में तीसरे 'अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां किया गया?

A. अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र, मानेसर, गुरुग्राम में।

Q. किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो-प्रौद्योगिकी की तकनीकों का प्रयोग कर 'सुनहरे गोल्ड' (Golden Gold) को 'ब्लैक गोल्ड' में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की है?

A. टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (पुणे) के।

Q. TOP500 की नवीनतम सूची के अनुसार, विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन-सा है?

A. समिट, (अमेरिका) [भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है-प्रत्युष]

Q. अखिल भारतीय बाघ गणना, 2018 के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या कितनी है?

A. 2967 (33% की वृद्धि) [बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में]

Q. जुलाई, 2019 में किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है?

A. जयपुर को (सांस्कृतिक स्थल के रूप में)।

Q. मिसाइल विध्वंसक पोत 'जेएस साजानामी' 13-14 अगस्त, 2019 के दौरान कोच्चि भारत के दौरे पर रहा। यह किस देश का पोत है?

A. जापान का।

Q. अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन हैं?

A. पूनम यादव।

Q. अगस्त, 2019 में फ्रांस सरकार के 'शेवलियर डि आई' ऑड्रे ड्यू मेरीटे एग्रीकोलेटो' सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय शेफ (Chef) कौन हैं?

A. डॉ. प्रियम चटर्जी।

Q. जुलाई, 2019 में यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया?

A. उर्सुला वॉन डेर लेयेन (जर्मनी) का।

Q. जुलाई, 2019 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया?

A. क्रिस्टीन लैगार्ड को।

Q. अगस्त, 2019 में एस्टोनिया में आयोजित जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता?

A. दीपक पूनिया (86 किग्रा. भार वर्ग) ने।

Q. अगस्त, 2019 में मोटर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली प्रथम भारतीय कौन हैं?

A. ऐश्वर्या पिस्से (बंगलुरू)।

Q. अगस्त, 2019 में वर्ष 2019 हेतु प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई?

A. बजरंग पूनिया (कुश्ती) तथा दीपा मलिक (पैरा एथलेटिक्स) को।

Q. अगस्त, 2019 में घोषित 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2018 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म (स्वर्ण कमल) का पुरस्कार किस फिल्म को दिया जाएगा?

A. गुजराती फिल्म 'हेल्लारो' को।

Q. अगस्त, 2019 में एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन हैं?

A. रवीश कुमार।

Q. 17-25 अगस्त, 2019 के मध्य 'आदि महोत्सव' का आयोजन कहां किया गया?

A. लेह-लद्दाख में।

Q. भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय (Space Science Museum) कहां स्थापित किया जा रहा है?

A. हैदराबाद में।

Q. मार्च, 2020 में द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 'मिलन' (MILAN), 2020 कहां आयोजित किया जाएगा?

A. विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में।

Q. 9-10 अगस्त, 2019 के मध्य 14वां विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ?

A. नई दिल्ली में।

Q. 5वां स्मार्ट सिटीज इंडिया, 2019 एक्सपो कहां आयोजित हुआ?

A. प्रगति मैदान, नई दिल्ली में।

Q. विश्व की पहली अल्ट्रा-फास्ट हाइपर लूप परियोजना कहां स्थापित की जाएगी?

A. महाराष्ट्र में।

Q. जुलाई, 2019 में लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने लोक लेखा समिति (PAC) का गठन किसकी अध्यक्षता में किया?

A. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता में।

Q. अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?

A. 12 अगस्त, को।

Q. 'लिस्निंग, लर्निंग एंड लीडिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं?

A. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू।

Q. 'रिसर्जेंट इंडिया' पुस्तक के लेखक कौन हैं?

A. बिमल जालान।

Q. विंबलडन, 2019 की पुरुष एकल स्पर्धा का विजेता खिलाड़ी कौन है?

A. नोवाक जोकोविक (सर्बिया)।

Q. वर्ष, 2019 से 2023 तक भारत में होने वाले समस्त अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट मैचों का प्रायोजक कौन है?

A. पेटीएम (PayTm)।

Q. रोजर्स कप, 2019 की पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता?

A. राफेल नडाल (स्पेन) ने।

Q. 12वें विश्व कप क्रिकेट, 2019 में किस खिलाड़ी को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' घोषित किया गया?

A. केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)।

Q. 12वें विश्व कप क्रिकेट, 2019 में किन दो खिलाड़ियों (गेंदबाज) ने हैट्रिक बनाई?

A. क्रमशः मुहम्मद शमी (भारत) तथा ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड) ने।

Q. जुलाई, 2019 में घोषित ICC पुरुष विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट, 2019 की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है?

A. केन विलियमसन (न्यूजीलैंड) को।